खण्ड-350, अंक-5
मंगलवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(17 मार्च, 1981 ई0)

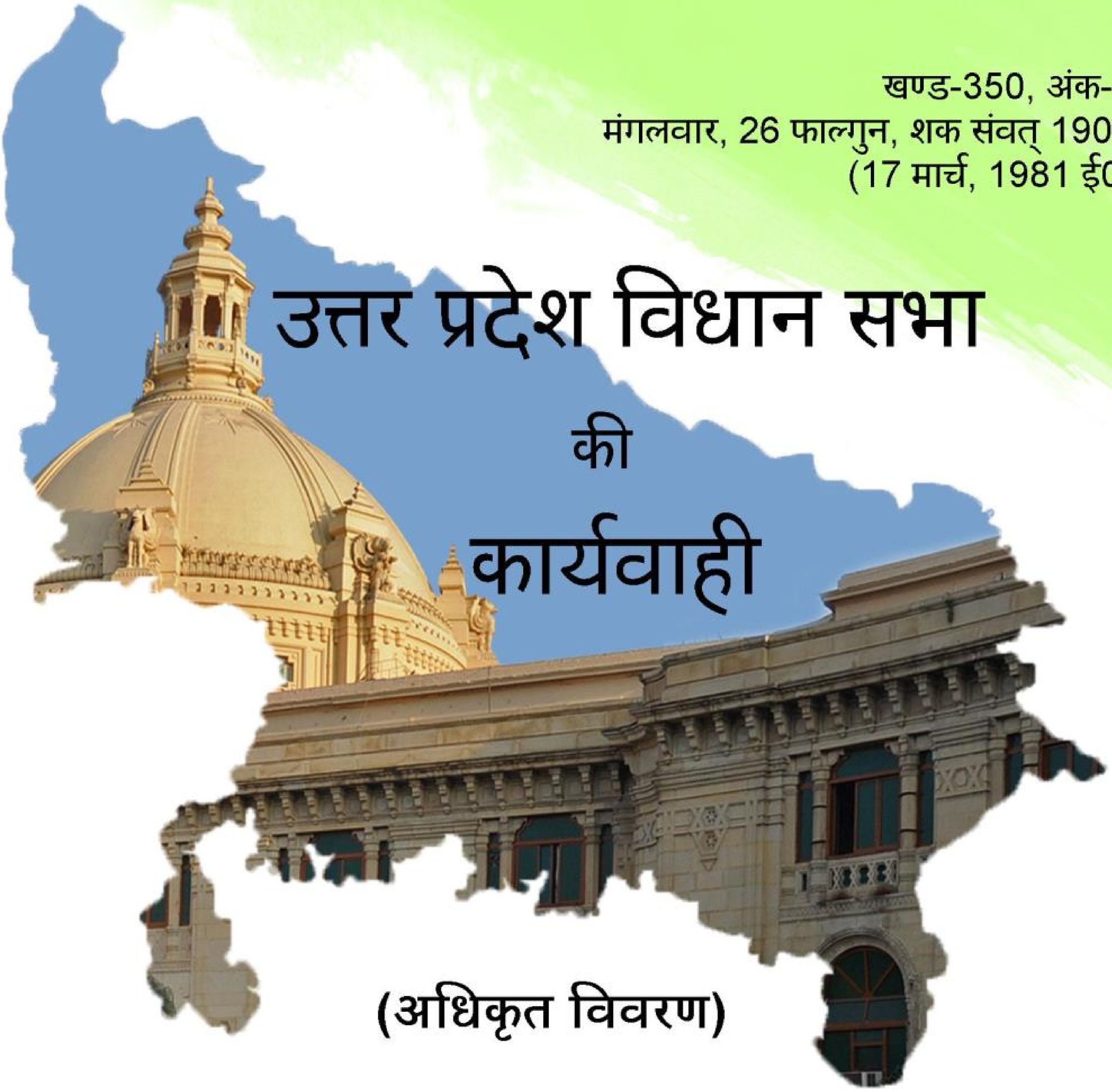

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 350 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	443–446
प्रश्नोत्तर ..	447–529
मऊनाथ भंजन हैंडलूम पावरलूम उद्योग में लगे कर्मचारियों के बेकारी तथा भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	529
हमीरपुर जनपद के प्राथमिक शिक्षकों को फरवरी 81 का वेतन न दिये जाने से असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	530
कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा आर0 एम0 पी0 कालेज, सीतापुर का परीक्षाफल घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	530
गोरखपुर दैनिक जागरण प्रेस कर्मचारियों द्वारा हड़ताल तथा सम्पादक श्री देवेन्द्र सिंह के अपहरण के प्रयास के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	530–531
ग्राम तलोरा, थाना कोतवाली जिला हरदोई निवासी श्री रामपाल सिंह के घर पर हमला तथा आग लगा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	531
हाई कोर्ट के बेंच की स्थापना बरेली में किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने का प्रयास ..	531–532
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981(राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	532
श्रीमती मीरा कुमार व्यवस्थाधिकारी यू0 पी0 निवास नई दिल्ली के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	532–533
राज्य सम्पत्ति अधिकारी तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	533–534
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन कार्य क्रम की सूचना ..	534–535
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	535–536
व्यवस्था का प्रश्न ..	536
1981–82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 10––आबकारी, अनुदान संख्या 54––गन्ना विकास, अनुदान संख्या 64––चीनी उद्योग, अनुदान संख्या 77––आबकारी विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92––चीनी उद्योग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 120––चीनी उद्योग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	536–594

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत [सूचनाएं] ..	594–595
श्री अशोक कुमार बाजपेयी की कांग्रेस (आई०) की सदस्यता से कथित त्याग-पत्र के सम्बन्ध में कही गयी बातों पर आपत्ति ..	595–596
प्रदेश में चीनी वितरण के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा मांगी गयी सूचना पर खाद्य मंत्री का वक्तव्य ..	596–600
फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार, फर्रुखाबाद में जेल वार्डर के गुमशुदा लड़के का शव बरामद होने से व्याप्त असंतोष एवं आतंक के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	600–609
नस्थियां ..	611–623

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 314

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल रामदास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)

चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जिद्दाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
धनेश्नरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री, (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्धपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह बिशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)

मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकन्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राज मंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्ना) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)

नोट :—मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 17 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बयालसी इन्टर कालेज, जलालपुर, जौनपुर में प्रधानाचार्य का चयन

*1--श्री हरदेव--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बयालसी इन्टर कालेज, जलालपुर, जौनपुर में अवैधानिक ढंग से विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक को बिना साक्षात्कार में बुलाए एवं समय से वैधानिक ढंग से प्रार्थना-पत्र दिए योग्य अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र वापस करा के दिनांक 30 दिसम्बर, 1979 को एक अयोग्य व्यक्ति को प्रधानाचार्य नियुक्त कर लिया गया ? यदि हां, तो क्या विभाग इस अवैधानिक कार्यवाही को निरस्त करके सम्बन्धित व्यक्तियों को न्याय दिलाने की कृपा करेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

जी नहीं । प्रश्नगत विद्यालय में दो अर्ह वरिष्ठतम अध्यापकों को साक्षात्कार में बुलाया गया जिन अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन-पत्रों को निरस्त करने हेतु लिखित प्रार्थना की उनके आवेदन-पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिये गये । दिनांक 30 दिसम्बर, 1979 को चयन समिति द्वारा चयनित योग्य एवं अर्ह व्यक्ति की नियुक्ति की गई अतः उक्त कार्यवाही को निरस्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री हरदेव--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक श्री रामनरेश मिश्र को प्रधानाचार्य के पद के साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया और उसमें दो व्यक्तियों के समय से प्राप्त प्रार्थना-पत्र को वापस कराकर प्रधानाचार्य का चयन कर लिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जहां तक मान्यवर, श्री रामनरेश मिश्र का प्रश्न है, उन्होंने इस पद पर चयन के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया बल्कि उन्होंने लिखकर दिया था कि प्रधानाचार्य पद के वे इच्छुक नहीं हैं, हालांकि वह सीनियरमोस्ट वहां पर थे, लेकिन उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं प्रधानाचार्य के पद के लिये इच्छुक नहीं हूं, इसलिये उनको चयन समिति में नहीं बुलाया गया ।

श्री पंचानन--

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में प्राविधान है कि जब किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य का चयन होगा, तो दो वरिष्ठतम अध्यापकों चाहे एप्लाई किया हो या नहीं साक्षात्कार में बुलायें जायेंगे । यह मेंडेटरी प्रोवीजन है । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि उन्होंने आवेदन नहीं किया, इसलिये नहीं बुलाया । जब एक योग्य अभ्यर्थी जिसको साक्षात्कार में बुलाया जाना चाहिये, उसे नहीं बुलाया गया, तो इस प्रकार यह चयन की प्रक्रिया दूषित हो गई, तो

क्या माननीय मंत्री जी उस प्राविधान के अनुसार कार्यवाही कराकर इसे निरस्त करायेंगे ? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में कहीं प्राविधान नहीं है कि जिसने आवेदन कर दिया हो उसे आवेदन वापस लेने की अनुमति दी जाये उनको इंटरव्यू में बुलाना आवश्यक है यदि नहीं आते हैं तो इंटरव्यू दुबारा होगा । किसी को अपना आवेदन-पत्र निरस्त कराने की इच्छा का कोई प्राविधान नहीं है, तो यह कार्यवाही उस अधिनियम के विरुद्ध कैसे की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय श्री मिश्र ने यह लिख कर दिया था कि वे प्रधानाचार्य पद के इच्छुक नहीं थे उन्होंने स्वयं लिख कर दिया था । दूसरी बात कि दो अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन-पत्र वापस लिये इस विषय में यह कहना है कि 1977 की यह बात है उस समय यह निरस्त होने की प्रक्रिया थी और आज यह प्राविधान है कि अगर कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र वापस लेना चाहता है, तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है । यह बात सही है ।

श्री सुबेदार सिंह--

यह बात अलग है कि कोई अभ्यर्थी इंटरव्यू लेटर मिलने के बाद उपस्थित हो या नहीं, लेकिन यह विशेष केस है । उन्होंने अपना आवेदन वापस लिया, इससे निश्चित रूप से ऐसा आभास मिलता है कि उन पर दबाव डाला गया और दबाव डालकर उनसे ऐसा लिखाया गया है, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि उन्होंने स्वतः आवेदन पत्र वापस नहीं लिया, बल्कि प्रधानाचार्य या प्रबन्धक समिति ने उन पर दबाव डालकर उनसे ऐसा कराया है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिससे मुझे मालूम हो कि दबाव उनके ऊपर डाला गया । रामनरेश मिश्र जी का पत्र यहां पर है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं 21 जुलाई, 1979 को सेवा मुक्त हो रहा हूं और साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होना चाहता हूं ।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य पद के चयन हेतु कब वांट्स निकाली गई थी और उसके कितने दिन बाद नियुक्ति की गई थी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह 10-3-77 और 28-6-77 को वांट्स निकाली गई थी और 2-7-77 को और 30-12-79 को चयन समिति की बैठक हुई ।

श्री पंचानन--

मंत्री जी ने जो तथ्य दिया, उसमें और विधि की प्रक्रिया में बड़ा भारी अन्तर है । यदि यह परम्परा बन गई, तो प्रदेश में जो नियुक्तियों में भ्रष्टाचार है, वह कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा । 77 में पोस्टें विज्ञापित हुई और मेरी निजी

जानकारी है कि उन्होंने 77 में कुछ लिखकर नहीं दिया कि मैं साक्षात्कार में नहीं आना चाहता हूं। 2 वर्ष मैनेजमेन्ट ने चुनाव नहीं कराया और 79 में जब उन्होंने रिटायरमेन्ट ले लिया तब कराया और जो गुणांक दिया गया प्रशासनिक अनुभव का उनको वह गलत दिया गया। दो नम्बर होते हैं इसके और उसको गलत आफिशिएट कराया गया तथा उनको चार नम्बर और दे दिये गये। जिस दिन वांट्स निकाली उस दिन का देखना चाहिए था। क्या वह बताएंगी कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में कहां यह प्राविधान है कि कोई व्यक्ति जिसने आवेदन दिया है, उसको अपना आवेदन-पत्र वापस लेने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में उन्होंने बता दिया।

श्री पंचानन--

लेकिन यह कभी नहीं रहा है--71-72 किसी में वह बता दें कि वह किस धारा में किस वर्ष में रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अगर कोई अपना आवेदन पत्र वापस लेना चाहता है, तो उसको वापस लेने का अधिकार नहीं है, ऐसा कोई प्राविधान नहीं था।

फर्रुखाबाद में डी0 जी0 सी0 के पद पर श्री राजेन्द्र बहादुर मौज की नियुक्ति

*2--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या न्याय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में डी0 जी0 सी0 (क्रिमिनल) पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, जिन्हें इसके पूर्व इसी पद पर हुई नियुक्ति के संदर्भ में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद त्याग करना पड़ा था ? यदि हां, तो अब उनकी नियुक्ति का क्या औचित्य है ?

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

श्री राजेन्द्र बहादुर मौज की नियुक्ति जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी), फर्रुखाबाद के पद पर माह सितम्बर, 1980 में की गई है। इसके पूर्व वर्ष 1972 में श्री राजेन्द्र बहादुर मौज, जो जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) के पद पर कार्यरत थे, के कार्यकाल में 15-1-1972 के बाद इस कारण वृद्धि नहीं की गई थी कि तत्कालीन जिलाधिकारी ने जमानत की एक दरख्वास्त में श्री मौज के द्वारा समुचित पैरवी न किए जाने का उल्लेख करते हुए उनकी कार्य कुशलता पर प्रतिकूल टीका की थी। उसके बाद की अवधि में श्री मौज के कार्य, आचरण आदि के विषय में कोई प्रतिकूल बात, शासन की जानकारी में नहीं आई। इसके विपरीत जिला-मजिस्ट्रेट ने श्री मौज का नाम पैनेल में सम्मिलित किया, जो इस बात का परिचायक है कि वह नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं और पिछली बात का कोई असर नहीं है। अतः श्री मौज की नियुक्ति शासन द्वारा जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) के पद पर एक वर्ष के लिए की गई है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि उत्तर में जो लिखा हुआ है कि "15-1-1972 के बाद इस

कारण वृद्धि नहीं की गयी थी कि तत्कालीन जिलाधिकारी ने जमानत की एक दर्खवास्त में श्री मौज के द्वारा समुचित पैरवी न किए जाने का उल्लेख करते हुए उनकी कार्य कुशलता पर प्रतिकूल टीका की थी । जब वे 72 से अभिवक्ता के पद पर ही नहीं रहे, तो कैसे उनको वर्ष 1980 में उपयुक्त माना गया । आगे उत्तर में लिखा है कि "उसके बाद की अवधि में श्री मौज के कार्य, आचरण आदि के विषय में कोई प्रतिकूल बात, शासन की जानकारी में नहीं आयी" तो उसके बाद जब वे सरकारी वकील नहीं थे, तो शासन की जानकारी में कोई बात आने का प्रश्न ही नहीं उठता । जिलाधीश, एस0 पी0 और डी0 आई0 जी0 ने 1972 में उनके प्रतिकूल लिखा था । इसके विपरीत जिलाधीश की पिछली बात का असर कैसे समाप्त हो जायेगा, यह बात समझ में नहीं आती । जिस व्यक्ति को 72 में अयोग्य माना गया था उस बात का असर 1980 में कैसे समाप्त हो जाता है । यदि जिलाधिकारी ने उनके नाम की संस्तुति की तो कौन से नम्बर पर उनका नाम था और क्या उस जिलाधिकारी ने यह भी लिखा कि वर्ष 1972 में इस प्रकार की प्रतिकूल टीका थी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन्, सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 24 में यह प्राविधान है कि जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जो नामों का पेनल भेजा जाता है, उसके अनुसार डी0 जी0 सी0 का चयन किया जाता है । जिलाधीश उनको नाम जो भेजता है, वह बहुत स्पष्ट है । विधि परामर्शी निदेशिका (एल0 आर0 मैनुअल) के पैरा 21·04 में यह लिखा हुआ है कि "जिले में लोक अभियोजक अथवा अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद की होने वाली प्रत्येक रिक्ति के लिए जिला मैजिस्ट्रेट सत्र खंड के सत्र न्यायाधीश से परामर्श करके व्यक्तियों के नाम की नामिका तैयार की जायेगी । प्रत्येक रिक्ति के लिए पांच व्यक्तियों की नामिका तैयार की जायगी । जिला मैजिस्ट्रेट विधि परामर्शी को नामों की नामिका भेजते समय उन व्यक्तियों से सम्बन्धित विवरणों को भी भेजेगा और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गयी राय की भी एक प्रति भेजेगा । वह नामिका में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र, सत्य-निष्ठता तथा क्षमता के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट भेजेगा ।"

जो व्यक्ति इस तरह का चरित्र रखता है, सत्य निष्ठा तथा क्षमता रखता है, उसका नाम वे भेजते हैं और उसी के आधार पर चयन किया जाता है । इस प्रकार से उनकी नियुक्ति की गयी है ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

जिस व्यक्ति को सरकार ने नियुक्ति की, क्या उसके बारे में कलेक्टर ने कोई टिप्पणी की थी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अध्यक्ष--

किस नम्बर पर उनका नाम आया था, यह भी माननीय सदस्य ने पूछा था ।

श्री जगदीश प्रसाद--

जिला जज का नाम इस प्रकार आये हैं सर्वश्री राज नरायन अग्रवाल, राजेन्द्र बहादुर मौज, विमल कुमार वर्मा, स्वामीदयाल और श्याम सिंह चौहान ।

[दिनांक 17 मार्च, 1981 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

अभिसूचना विभाग के कर्मचारियों का धुलाई भत्ता

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि धुलाई भत्ता आदेश संख्या 3211/आठ/7-270/78, दिनांक 31-10-79 के आधार पर उक्त भत्ता अभिसूचना विभाग के कर्मचारियों को अब तक न दिए जाने का कारण क्या है ? जबकि इन्हें वर्दी एलाउन्स मिलता है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

अभिसूचना विभाग के कर्मचारियों को धुलाई भत्ता दिए जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जब कान्सटेबिल से लेकर इन्सपेक्टर तक को धुलाई भत्ता दिया जाता है और वह 15 रुपये से लेकर 40 रुपये तक दिया जाता है, तो जिस शासनादेश का जिक्र मैंने अपने प्रश्न में किया है, उसके अन्तर्गत अभिसूचना विभाग के कर्मचारियों को यह भत्ता अब तक न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय सदस्य की जो मंशा है उस पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है । इनको अब तक न दिए जाने का कारण यह रहा है कि इन लोगों का अपने कार्य सम्पादन के समय वर्दी पहनना अनिवार्य नहीं होता है । इसलिये यह नहीं दिया गया । अब इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सरकार निणय लेगी ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार, जब अपना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का बजट प्रस्तुत करेगी, उस समय इस निर्णय की भी उस दिन घोषणा कर देगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जब बजट पास हो जायेगा उसके बाद ही इसे किया जा सकेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

पास तो हम कर देंगे, आप उसका प्राविधान कर दें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राम आसरे वर्मा—

बहुत से आपके राजपत्रित अधिकारी ऐसे हैं जिनको 40 रुपये धुलाई भत्ता तो दिया जाता है पर वे वर्दी नहीं पहनते, तो जिस जी0 ओ0 का मैंने हवाला दिया है उसके मातहत यह भेदभाव क्यों रखा गया ? आखिर इस मामले पर कब तक सरकार निर्णय ले लेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

वर्तमान शासन किसी के साथ कोई भेदभाव की नीति नहीं बरतना चाहता इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

माध्यमिक शिक्षक संघ, आजमगढ़ का शिक्षकों के सम्बन्ध में पत्र

*2--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद आजमगढ़, के मंत्री श्री राम जनम सिंह के शिक्षकों की समस्याओं से सम्बन्धित जितने पत्र 1 जनवरी, 1979 से 30 जून, 1980 के बीच जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को प्राप्त गए ? उनमें प्रमुख समस्यायें क्या थीं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? पत्रों में लिखी समस्याओं में से कितनी समस्याओं का समाधान किया गया और कितनी शेष है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री पंचानन--

श्रीमन, मैंने पहले सत्र में भी यह प्रश्न दिया था और वह स्वीकार भी हो गया था उस मंगलवार के लिये । उस दिन वह नहीं हुआ । फिर 11 को पुनर्जीवित किया, 14 महीने हो गया मंत्री जी को सूचना नहीं मिल रही है, आप संज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विधान परिषद् में भी यहा सवाल हुआ था, तो वहां पर तो उत्तर दे दिया गया । एक सदन के लिए सरकार के पास तो सूचना उपलब्ध है और दूसरे सदन में यह उत्तर दे दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं उस हाउस की जवाब की कापी लाया हूं । एक सदन में जवाब दे दिया और दूसरे में यह जवाब दे दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो मैं आपसे चाहता हू कि आप हमारे अधिकारों की मान्यवर रक्षा करें ।

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, डेढ़ वर्ष की अवधि में कितने पत्र प्राप्त हुए हैं, यह प्रश्न पूछा गया है । इसमें समय लग रहा है । सूचना हम एकत्र कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अभी माननीय पंचानन राय ने कहा कि इसका उत्तर विधान परिषद् में दिया जा चुका है, तो आप इसको स्पष्ट कर दें कि अगर इसका उत्तर विधान परिषद् में दिया जा चुका है, तो यहां पर उत्तर देने में क्या कठिनाई है ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, मुझे याद नहीं है । वहां के प्रश्न में और यहां के प्रश्न में भिन्नता है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, साधारणतः तो यह प्रश्न 15 दिन के बाद आता है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर एक सप्ताह में दे दें । अगले सप्ताह में यह प्रश्न पुनः रखा जायगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विधान परिषद् में तो इसका उत्तर दे दिया था, लेकिन यहां पर उत्तर नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया है । आप बैठें ।

तुलसीपुर, जिला गोंडा में लड़कियों के अवैध व्यापार के सम्बन्ध में शिकायत

*3--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि क्या जिला प्रशासन गोंडा पुलिस विभाग के अधिकारियों/शासन को विगत सितम्बर, में प्रेस व अन्य क्षेत्रों से यह शिकायत मिली है कि तुलसीपुर, गोंडा में बंगलादेश से भगाकर लाई हुई लड़कियों का स्थानीय पुलिस की सहायता से अवैध व्यापार खुले आम होता है और सितम्बर, 1980 में ही ऐसी एक दर्जन से अधिक लड़कियां बची गयीं ? यदि हां, तो इस धंधे में लगे लोग कौन हैं ? यह अवैध व्यापार कैसे सम्भव हो सका तथा इसकी प्रभावी रोक थाम के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

दिनांक 30-9-80 को "दैनिक भारत" में इस आशय का समाचार प्रकाशित होने पर पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद द्वारा इस प्रकरण की जांच कराई गई । जांच से उपरोक्त समाचार में उल्लिखित आरोप प्रमाणित नहीं हुए । भविष्य में स्थिति पर कड़ी निगाह रखने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसमें यह है कि जांच से उपरोक्त समाचार में उल्लिखित आरोप प्रमाणित नहीं हुए । लेकिन फिर आगे कहा है कि भविष्य में स्थिति पर कड़ी निगाह रखने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दे दिये गये हैं । इसका मतलब मान्यवर, साफ है कि सीधे तौर पर तो इसको नहीं स्वीकार किया है, लेकिन परोक्षा तौर पर इसको स्वीकार किया है । मान्यवर, चूंकि स्थानीय पुलिस उस मामले में इनवाल्व है, इसलिए इस मामले को दबाया गया है और उत्तर नहीं दिया गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी को निश्चित रूप से सूचना देना चाहता हूं कि जिला बस्ती के अन्तर्गत बंगला देश से भगाकर लाई हुई लड़कियां ग्राम-हरिखाश, पिरैला, मदोखर, सिसई, अगई, मैलानी आदि में मौजूद हैं, तो क्या मेरी सूचना को सही मानते हुए इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करा कर उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर माननीय मंत्री जी रखेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जो समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ था, उसकी जांच कराई गयी थी, जांच में, जो समाचार था, वह भाव विशेष के कारण छपा हुआ मालूम पड़ा, इसलिए उसकी कोई सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह सवाल केवल गोण्डा का नहीं है, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया, वहां को भी हजारों लड़कियां आयीं । कुछ हिन्दू लड़कियां मुसलमान के घर में भेजी जा रही हैं । हिन्दू लड़की को मुसलमान के घर में दिया गया । रुपये पैसे देकर वापस कराया । मेरे क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर हो रहा है, संगठित गिरोह है । लिखित में भी दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर, जिससे कि साम्प्रदायिक तनाव न पैदा हो और सारी व्यवस्था गड़बड़ न हो, बस्ती जिले और पूरे प्रदेश की जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न गोण्डा जिले से सम्बन्धित था ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, यह सारे प्रदेश का मामला है ।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

इलाहाबाद नगर में दुकानदारों एवं खरीदारों पर चलायी गयी गोली

*4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 7 नवम्बर, 1980 को इलाहाबाद नगर में दीपावली के अवसर पर खरीदारों तथा दूकानदारों पर पुलिस द्वारा गोली वर्षा की गई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है ? कितने राउन्ड गोली चलाई गई ? इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार 7 नवम्बर, 1980 को प्रश्न में उल्लिखित खरीदारों एवं दूकानदारों पर पुलिस द्वारा गोली वर्षा की कोई घटना नहीं हुई । अतः अन्य कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुझे बड़े दुख के साथ सूचना देनी पड़ रही है कि मेरे एजेन्डे पर 4 सवाल थे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं प्राप्त हुआ है । इस किस्म की बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 9 बजे तक कार्यालय में भी प्रश्न नहीं प्राप्त हुआ था । इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

यह 10 बज के बाद प्राप्त हुआ है । मैं कई बार शासन को निर्देश दे चुका हूं । मैं पुनः निर्देशित करता हूं । प्रश्न का उत्तर बहुत शीघ्र आ जाय करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि

मैंने अपने प्रश्न में 7 नवम्बर की तारीख दी है, 7 न सही 6 सही, क्या ऐसी घटना चौक क्षत्र में हुई कि वहां के शान्त व्यापारियों पर पुलिस ने गोली चलायी और जिसके सिलसिले में दो सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया ? इस घटना का पूरा विवरण क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा था कि 7 तारीख को वहां पर पुलिस द्वारा खरीदारों, दुकानदारों पर गोली वर्षा की गयी । दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी, तो मान्यवर 7 तारीख को वहां पर 2 पक्षों द्वारा कोतवाली में रिपोर्ट हुई । एक तो यह कि दीवाली के दिन दुकानदारों ने सड़क पर ऐसी जगह दुकानें लगा लीं, जिससे यातायात अवरुद्ध हो रहा था । पुलिस के सब-इन्सपेक्टर और कुछ लोग वहां गये हटाने के लिये, उन लोगों में मारपीट हुई । दूसरी पौने दो घंटे बाद रिपोर्ट हुई है, दुकानदार के पास सिपाही गया, वह मिठाई मांग रहा था, इस पर कहा सुनी हुई, मारपीट हुई । दोनों रिपोर्टों की जांच हो रही है और विवेचना अभी जारी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरी शंका की पुष्टि माननीय मंत्री जी ने कर दी है । एक सिपाही वहां दुकानदारों के यहां गया और जबरदस्ती मिठाई और पटाखे लेने की कोशिश की' दुकानदारों ने मना किया और कहा सुनी हुई । इसके बदले में पुलिस ने गोली चलायी । इस पर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि विवेचना हो रही है । मैं यह जानना चाहता हूं, मान्यवर, आपके माध्यम से कि जब यह शिकायत मिली कि गोली चलायी गयी, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? मान्यवर, उस थाने की पुलिस द्वारा कितनी गोलियां खारिज हुई हैं, क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

गोली चलाने की बात रिपोर्ट में लिखाई गई है, लेकिन जांच से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली चली है कि नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने गोलियों का इस्तेमाल कहां किया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

थाने से गोलियां खारिज हुई हैं कि नहीं इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है । यह जानकारी मालूम करके बता देंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

दो कांस्टेबिल लाइन हाजिर हुए हैं, वह किस कारण हुए हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जन भावना का ख्याल रखकर ।

प्रदेश में अखबारी कागज के उद्योग लगाए जाने की मांग

*5--श्री राम स्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि अखबारी कागज की बढ़ती मांग और उसके उत्पादन में भयंकर कमी को देखते हुए क्या अपने प्रदेश में युकेलिप्टस, बांस आदि मुलायम लकड़ी की पर्याप्त उपलब्धता तथा व्यक्तिगत क्षेत्र वालों को तद्विषयक उदासीनता को देखते हुए अखबारी कागज बनाने का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में लगाने की बात सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

जी नहीं, इस प्रकार का उद्योग लगाने का प्रदेश सरकार का कोई विचार नहीं है ।

बस्ती जिले के थाना त्रिलोकपुर में अभियुक्त श्री रामजी बारी की मृत्यु

*6--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 78 के नवम्बर या दिसम्बर में त्रिलोकपुर थाने जनपद बस्ती में थानाध्यक्ष एवं पुलिस के विरुद्ध पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण मैजिस्टीरियल जांच हुई थी ? यदि हां, तो मैजिस्टीरियल जांच की रिपोर्ट क्या है और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

जी हां । रिपोर्ट के निष्कर्षों की प्रतिलिपि संलग्न है । लापरवाही के लिए दोषी पाये पुलिस कर्मियों में से तत्कालीन ए0 एस0 आई0 सुधाकर तिवारी को एक दुश्चरित्र लेख दे दिया गया है । तत्कालीन हेड मुहर्रिर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. 611. पर) ।

शिक्षा विभाग में महिला अधिकारी एवं पुरुष अधिकारी का संवर्ग

*7--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में शिक्षाधिकारियों के रूप में महिलाओं और पुरुषों के बीच अभी तक एक और चार का अनुपात बनने का क्या कारण है क्या यह सही है कि जिलों में बेसिक शिक्षाधिकारी पुरुष तो पूर्ण अधिकारी है परन्तु महिला को अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी की संज्ञा देकर पुरुष अधिकारी के मातहत बनाया गया है ? यदि हां तो क्यों ? क्या शासन महिलाओं के उत्थान के लिए महिला मंडलीय निरीक्षिकाओं को उपनिदेशक शिक्षा का स्तर देने की सोच रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री निर्मल कुमार)--

शिक्षा विभाग में महिला तथा पुरुष अधिकारियों के संवर्ग पृथक्-पृथक् हैं और इन संवर्गों में पद आवश्यकतानुसार सृजित किये जाते हैं । अतः इन अधिकारियों में 1 और 4 का अनुपात बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जो नहीं । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पुरुष तथा अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) को अपने-अपने कार्य क्षेत्र में स्वतन्त्र अधिकार हैं और अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) बेसिक शिक्षा अधिकारी पुरुष के अधीन नहीं हैं ।

महिला मंडलीय निरीक्षिकायें एवं मंडलीय उप निदेशक दोनों ही एक स्तर (समूह-क) के अधिकारी हैं । अतः इनके स्तर ऊंचा करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने बताया है कि महिला और पुरुष वर्ग दोनों पृथक-पृथक हैं । एक महिला शिक्षा मंत्री होते हुए महिलाओं का इस प्रकार उपेक्षा कर रही हैं । कृपया वह स्पष्ट बतायें कि महिला और पुरुष वर्ग में क्या अन्तर है या जिस प्रकार कि महिला और पुरुष कैबिनेट स्तर के मंत्री में अंतर है । एक और चार का अनुपात नहीं बन सकता है, तो उसका कारण क्या है ? महिलाओं के साथ इतना अत्याचार क्यों महिला होते हुये कर रही हैं । मान्यवर, मेरी महिला से संबन्धित बात, क्या आपको, कोई भी मेरी बात प्रभावित नहीं कर पा रहा है ।

जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक महिला और पुरुष होते हैं । जिला विद्यालय निरीक्षक, पुरुष को प्रथम श्रेणी मान लिया गया, लेकिन महिला निरीक्षक को द्वितीय श्रेणी का क्यों माना है ? क्या कैबिनेट स्तर के मंत्री में यह क्या द्वितीय श्रेणी की मंत्री हैं ।

श्री अध्यक्ष--

महिला को द्वितीय और पुरुष को प्रथम श्रेणी का क्यों माना जाता है, इसका उत्तर यदि हो, तो दे दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, एक महिला के इस जिम्मेदारी के पद पर रहते हुये, मैं विश्वास दिलाती हूं कि महिलाओं के खिलाफ जहां कोई अत्याचार होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्याम लाल बाजपेयी, आपका प्रश्न मेरी समझ में आया है कि नहीं, मंत्री जी की समझ में आया है और जैसा प्रश्न है वैसा ही उत्तर हो गया है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मेरी प्रार्थना सुन लें महिलाओं का प्रश्न है । इन्होंने अत्याचार की बात कर दी । प्रश्न कुछ है उत्तर कुछ दे रही हैं । प्रभु रक्षा करे शिक्षा विभाग की । मान्यवर, जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पुरुष होता है और महिला भी होती है । पुरुष बेसिक अधिकारी की महिला बेसिक शिक्षाधिकारी सहचरी मानी गई है । दोनों का पद पृथक है । पुरुष बेसिक शिक्षा अधिकारी का दफ्तर है, चपरासी है, सब कुछ है, महिला शिक्षाधिकारी एक कोठरी में बैठाल दी गईं । प्रश्न कुछ कर रहा हूं उत्तर कुछ दे रही हैं । मेरी प्रार्थना है दयालू इनसे दया करके उत्तर दिलवा दें ।

श्री निर्मल कुमार--

यह कहना उचित नहीं है कि महिला बेसिक शिक्षाधिकारी पुरुष बेसिक शिक्षाधिकारी की सहचरी है। महिला बेसिक शिक्षाधिकारी को फाइनेन्शियल पावर नहीं है। दोनों का कार्यालय चूंकि एक है, इसलिए एक कार्यालय में दो अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनका स्थान अलग है यह प्रतीत इनको हो रहा है कि वह सहचरी है, नीचे है, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं यह जानना चाहता हूं कि महिला बेसिक शिक्षाधिकारी को फाइनेन्शियल पावर नहीं है, इसका आधार क्या है ? दोनों बेसिक शिक्षाधिकारी हैं दोनों को यह अधिकार क्यों नहीं हैं ?

(कोई उत्तर न आने पर)

मान्यवर, हमारा उत्तर नहीं आया। इनको ट्रान्सफर करने की पावर नहीं है, अन्य पावर नहीं है, क्या इस सम्बन्ध में शीघ्र आदेश देंगे ?

श्री निर्मल कुमार--

दोनों का कार्यालय एक है कार्य का संचालन के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मंत्री जी ने गंगवार साहब का जो उत्तर दिया वह असंगत सा प्रतीत होता है। व्यवहार में कुछ है और सदन में घोषणा कुछ कर रहे हैं। सन् 1973 में जब यह अलग किया गया था, तो 25 पद महिला बेसिक शिक्षाधिकारी के सृजित किये गये थे। उस समय जिन महिलाओं की नियुक्ति बेसिक शिक्षाधिकारी के पद पर की गई थी, वह पुरुष से वरिष्ठ थीं और पहले स्थायी हो चुकी थीं। वरिष्ठता और अनुभव को देखते हुये उनके अधिकार की जो कटौती की गई है उसे देंगे, पहली बात। दूसरी बात, मण्डलीय बालिका विद्यालय की निरीक्षका को उपनिदेशक का स्तर दिया जायेगा, मण्डलीय निरीक्षिका को उपनिदेशक के कार्य वेतन में नियुक्त करेंगे। मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर 3-3 मंत्रियों से दिलवा दीजिये।

श्री निर्मल कुमार--

मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका के सम्बन्ध में जो बात उठाई गई है यह मामला विचाराधीन है कि इनके कैडर को मर्ज कर दिया जाय।

टिहरी जिले के बी0टी0 सी0 प्रशिक्षण विद्यालय की कथित बन्दी

*8--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे टिहरी में पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों के हेतु जो बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण विद्यालय चल रहा था उसे सरकार ने बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर टिहरी में बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग क्लासेज बन्द नहीं की गयी हैं, तो 1980-81 के शिक्षण सत्र के लिए कितने प्रशिक्षणार्थी लड़के, लड़कियां भर्ती किये गये और इस समय कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, बी0 टी0 सी0 की ट्रेनिंग में अधिक लड़कों को देखकर पूरे प्रदेश के लिए यह निर्णय किया गया है कि एक साल का गैप देकर भर्ती किया जाय, इसलिये यह स्थिति है । विद्यालय बन्द नहीं हैं, विद्यालय बन्द होने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, क्या शिक्षा मंत्री आश्वासन देंगे कि यह विद्यालय फौरन चालू कर दिये जायेंगे, चूंकि मेरे जिले के अन्दर 120 अध्यापकों के पद रिक्त हैं, तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि फौरन उसको चालू करा देंगे ?

श्री सच्चिदानन्द--

जी हां, जुलाई में भर्ती शुरू हो जायेगी ।

मुहल्ला रेती व लाल मस्जिद ईदगाह, मुरादाबाद में पुलिस द्वारा चलायी गयी गोली

*9--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-9-80 को मुहल्ला रेती व लाल मस्जिद ईदगाह मुरादाबाद की भीड़ पर पुलिस के गोली चलाने से कितने लोग मारे गये और कितने जख्मी हुए ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रियासत हुसेन--

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है जरा उस पर आप विचार करें । मैंने स्पाइंटेडली 2 जगहों के नाम मुहल्ला रेती व लाल मस्जिद के दिये हैं और 10-9-80 की तारीख बताया है । यह सवाल 18-11-80 को किया गया है, ढाई महीने हो चुके हैं । जो लोग मरे हैं उनका पोस्ट मार्टम हुआ होगा, एफ0 आई0 आर0 लाज हुई होगी । लेकिन जवाब आ रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हफ्ते के अन्दर इस प्रश्न का जवाब दिलवा दें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह चूंकि काफी गम्भीर प्रश्न था, इसलिये सावधानी बरतने के कारण कुछ देर हुई है, इसमें शीघ्रता करूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इनके पास जानकारी है लेकिन छिपा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी प्रश्न गंभीर हो सकता है, लेकिन इसके उत्तर में इतना समय लगना उचित प्रतीत नहीं होता है । कृपया एक सप्ताह के अन्दर उत्तर दें । अगले सप्ताह यह प्रश्न कार्य सूची में लगेगा ।

*10--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया ।]

शाहजहांपुर के ग्राम रावतपुर के मीसा बन्दी श्री नाजिर अली, साबिर अली

*11--श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर, थाना कांट, ग्राम रावतपुर के नाजिर अली, साबिर अली, मन्सूर अली मीसा बन्दियों को माह दिसम्बर, सन् 74 में मीसा एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर छोड़ा गया था ? यदि हां, तो वह संस्तुतियां क्या थीं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । दिसम्बर, 1974 में परामर्शदात्री परिषद् की रिपोर्ट में जनपद शाहजहांपुर, थाना कांट, ग्राम रावतपुर के नाजिर अली, साबिर अली तथा मंसूर अली मीसाबन्दियों के विरुद्ध का आधार पर्याप्त नहीं पाया गया और उनके इस मत के आधार पर उक्त मीसा बन्दियों को मीसा के अन्तर्गत निरुद्धि से मुक्त किया गया ।

कानपुर जिले के ग्राम ककवन में पाण्डव नदी का पुल

*12--श्री मोतीलाल देहलवी (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत गांव ककवन में पांडव नदी पर बनने वाले पुल की शुरुआत कब हुई थी और वह पूर्ण रूप से कब तक बन जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

प्रश्न गत पुल का निर्माण कार्य दिनांक 20 मार्च, 1979 को प्रारम्भ किया गया था । इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

फर्रुखाबाद जिले के बेसिक अध्यापकों की भविष्य निधि

*13--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को 1-11-80

तक अपटूडेट भविष्य निधि का लेखा-जोखा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है तथा इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री सच्चिदानन्द--

जनपद फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को 1-11-80 तक उनके भविष्य निर्वाह निधि का अद्यावधिक लेखा-जोखा नहीं दिया गया है किन्तु नगर क्षेत्र कन्नौज और कायमगंज में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का लेखा-जोखा 1-11-80 तक अद्यावधिक किया जा चुका है और नगर क्षेत्र फर्रुखाबाद के अध्यापकों/अध्यापिकाओं को मार्च, 1980 तक का लेखा-जोखा दिया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के भविष्य निर्वाह निधि का लेखा-जोखा अद्यावधिक न होने का मुख्य कारण यह है कि जिला परिषद फर्रुखाबाद से भविष्य निर्वाह निधि का लेखा-जोखा अपूर्ण दशा में प्राप्त हुआ था। ऐसी दशा में किसी अधिकारी को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा का स्थानान्तरण जिला परिषद् से बेसिक शिक्षा परिषद् को 1972 में हुआ और 1980 तक जिला परिषद् से अध्यापक, अध्यापिकाओं की भविष्य निधि का लेखा-जोखा न प्राप्त करने वाले किसी न किसी अधिकारी और विभाग की अकर्मण्यता का परिणाम है, तो क्या मंत्री जी इन हजारों की तादाद में कार्यरत अध्यापक और अध्यापिकाओं की भविष्य निधि का लेखा-जोखा प्राप्त करने के लिये कोई समयबद्ध आदेश देंगे कि इतने समय के अन्दर लेखा जोखा प्राप्त हो जाय ?

श्री सच्चिदानन्द--

इसके लिए जिला परिषदों एवं नगरपालिकाओं से अलग-अलग लिया जा रहा है।

श्री पंचानन--

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बताया कि जिला परिषद् के कार्यालय के स्थानान्तरण के कारण लेखा-जोखा पूरा नहीं हो पाया, तो मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा जब बेसिक शिक्षा परिषद् बनी उस समय उसका सारा स्टाफ इसमें गया और सारा रिकार्ड, सारा लेखा-जोखा जहां का तहां बना रहा, इसलिए दफ्तर वही, स्टाफ वही और सारा रिकर्ड वही तो यह कहना दोहरा माप-दण्ड है, दोहरी बात को दर्शाता है। अगर कोशिश किये होते तो कोई ठोस कारण नहीं था कि अभी तक इन अध्यापकों के भविष्य निर्वाह निधि के लेखा-जोखा तैयार न हो जाते। तो क्या माननीय मंत्री जी अब इसमें शीघ्रता से प्रयास करते हुए लेखा-जोखा तैयार करवायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द--

शीघ्रता से प्रयास जारी है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी इसलिए भी आग्रह किया था कि सारे प्रदेश में और खासकर फर्रुखाबाद में सन् 1972 से 81 तक यही उत्तर आ रहा है कि प्रयास जारी है और वह लेखा-जोखा पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो मान्यवर, आपके

माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि क्या वे इसके लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित करेंगे, ताकि लाखों अध्यापकों की सुरक्षा हो सके, वरना यह तो आदिकाल तक यही उत्तर देते रहेंगे ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जहां तक मान्यवर, शीघ्रता का प्रश्न है, उसके लिए बताना चाहती हूं कि भविष्य निधि के लेखे-जोखे सन् 78-79 तक के पूरे कर लिए गये हैं और इसके आगे का प्रयास जारी है । आशा है कि साल-दो साल तक पूरा कर लिया जायेगा । यह आश्वासन देती हूं आपके माध्यम से कि जो काम हो रहा है उसमें और शीघ्रता लाकर अध्यापकों के साथ न्याय किया जायेगा ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, जो लेखे-जोखे अभी तक तैयार नहीं हुए, जिनके कारण बहुत से अध्यापकों को उनकी निधि का पैसा नहीं मिल सका और इसके साथ उनको ब्याज की भी हानि हो रही है, जो इनको पिछले 8 वर्षों से उपलब्ध नहीं हो रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी इनको जो ब्याज की हानि हो रही है उसकी कमी को शीघ्र कम्पेनसेट करने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, 78-79 तक का यह लेखा-जोखा तैयार कर लिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जब हम लोग स्वयं कार्यालयों में जाकर अधिकारीगण से सम्पर्क करते हैं, तो वहां पर यही बात सामने आती है कि स्टाफ कम है, क्या करें, तो क्या माननीय मंत्री जी हमारे इस सुझाव को मानते हुए कि इसके लिए कोई विशेष रूप से स्टाफ की नियुक्ति कर एक माह के अन्दर उन लेखे-जोखों को पूरा कराने की कृपा करेंगे ? विशेष अभियान चलाकर ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य का सुझाव है, उसी तहत, उसी मकसद से काम तेजी से कराया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के साथ न्याय किया जाए, और उनको समय से भुगतान किया जाए और उनके भविष्य निर्वाह निधि के लेखे-जोखे अप्टूडेट होने चाहिये । इसके लिए हमने एक कान्फ्रेन्स बुलायी थी, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दे दिए गये हैं कि अप्टूडेट भविष्य निधि के इन्टरेस्ट की भी व्यवस्था करें और इसके लिए इस सम्बन्ध में एक अलग से डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट क्रियेट करने की बात चल रही है, जिसके अन्तर्गत बेसिक शिक्षा स्कूलों के सम्बन्ध में कार्य होगा ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय की परीक्षा में अव्यवस्था

*14--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कितने महाविद्यालय हैं और क्या यह भी सच है कि इतने अधिक सम्बद्ध महाविद्यालयों के रहने के कारण इस विश्वविद्यालय की व्यवस्था एवं परीक्षा संचालन में घोर

अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था को दूर करने हेतु पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी अंचल में कोई अन्य विश्वविद्यालय खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्मल कुमार--

99 महाविद्यालय । जिसके कारण विश्वविद्यालय का कार्यभार अधिक है । परन्तु किसी प्रकार की घोर अव्यवस्था नहीं है ।

किसी नये विश्वविद्यालय खोलने की योजना विचाराधीन नहीं है परन्तु गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्यभार को कम करने की दिशा में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण विचाराधीन है ।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, कार्यभार अधिक होने की बात स्वीकार की गयी है मंत्री जी के उत्तर में । मैंने पूछा था कि इस विश्वविद्यालय की व्यवस्था और परीक्षा संचालन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है । लेकिन परीक्षा संचालन के विषय में कोई उत्तर नहीं आया । जैसा आप जानते हैं मान्यवर, और पूरे सदन को यह निश्चित जानकारी है कि अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में हड़ताल चल रही है और छात्रों ने वहां के वाइस चान्सलर का घेराव किया है । 99 एफिलियेटेड कालेज हैं, तो इस प्रकार की अव्यवस्था तो होगी ही । क्या मंत्री जी निश्चित रूप से यह आश्वासन देंगे कि पूर्वांचल में कहीं भी दूसरा अन्य विश्वविद्यालय खोला जायेगा ?

श्री निर्मल कुमार--

मान्यवर, ऐसी कोई सूचना हमको प्राप्त नहीं हुई कि परीक्षा संचालन में वहां कोई अव्यवस्था हुई हो । सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के लगभग 99 कालेजों में से 34 महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय से अवध विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय के तहत कर दिये जायं, ताकि वहां का कार्यभार कुछ हल्का हो सके ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने इस बात की जानकारी पिछले सत्र में भी दी थी और आश्वासन दिया था कि पूर्वांचल में कोई अन्य विश्वविद्यालय खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है, तो मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि यह विचार कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री निर्मल कुमार--

किसी नये विश्वविद्यालय के खोलने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार की जो नीति है, उसके अन्तर्गत पूर्वांचल में अन्य कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं खोला जा सकता है, इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गोरखपुर के कार्यभार को दृष्टि में रखते हुए कुछ महाविद्यालयों को कुछ अन्य विश्वविद्यालयों के अधीन कर दिया जाय, जिससे कि वहां की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके ।

अधिक आबादी वाले ग्रामों में सड़क निर्माण की मांग

*15---श्री चेतराम गंगवार---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि शासन की योजना 1000 (एक हजार) आबादी वाले ग्रामों को प्रदेश भर में सड़क से जोड़ने की है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और इस योजना पर कार्यान्वयन कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री जगदीश प्रसाद---

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, अब सड़क निर्माण की बात आती है, तो जो सूची में है कि ग्रामीण आंचलों के विकास के लिए पिछले महीने जो दिल्ली में किसान रैली आयोजित हुई, तो सारे पत्रों और सारी पत्रिकाओं में आया है कि एक हजार आबादी वाले से 1,500 आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जायेगा । मान्यवर, मेरे पास इसकी प्रतियां हैं । यहां मेरे पास "सूर्या" "इंडिया" की प्रति है, इसमें इस विषय में लिखा है और उसमें निकला है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के अधीन..

श्री अध्यक्ष---

आप अपने प्रश्न के सम्बन्ध में प्रश्न पूछिये ।

श्री चेतराम गंगवार---

उस पर फैसला लिया गया कि एक हजार की आबादी वाले ग्रामों को प्रदेश भर में सड़क से जोड़ने की योजना है, तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस सम्बन्ध में यहां से कोई विज्ञप्ति जारी हुई कि आपकी क्या योजना है ग्राम्य विकास के लिए सड़क बनाने की, या नहीं ?

श्री जगदीश प्रसाद---

मान्यवर, हमारे प्रदेश में एक हजार आबादी वाले गांव कितने हैं, उसकी पूरी गणना हो जाने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री देवी सम्मद इंटर कालेज, मुमुक्षीआश्रम, शाहजहांपुर में प्राधिकृत नियंत्रक के नियुक्ति की मांग

*16---श्री जगदीश सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री देवी सम्मद इंटर कालेज, ममुक्षी-आश्रम, शाहजहांपुर के प्रबन्धीकरण को भंग कर दिया गया है ? यदि हां, तो शासन नियंत्रक की नियुक्ति के विषय में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री सच्चिदानन्द---

जी हां ।

चूंकि मुख्य अनियमितता जिसके आधार पर प्राधिकृत नियंत्रक की नियक्ति किए जाने की संस्तुति शिक्षा निदेशक द्वारा की गई थी, प्रधानाचार्य के चयन से

सम्बन्धित थी और यह प्रकरण इस समय माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अतः इस स्तर पर शासन द्वारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा गया है ।

श्री जगदीश सिंह--

यह कौन-सी अनियमिततायें थीं, जिनके कारण नियंत्रक की नियुक्ति की संस्तुति की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह नियंत्रक की संस्तुति प्रधानाचार्य के प्रश्न को ही लेकर की गई थी, लेकिन चूंकि प्रधानाचार्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में न्यायालय में रिट पेटीशन दायर की गई, इसलिए अब इस प्वाइंट का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदीश सिंह--

मेरा प्रश्न यह था कि अनियमितता क्या थी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अनियमितता यह थी कि जिस प्रिंसिपल का चयन हुआ था, उसको प्रबन्ध समिति ने ज्वाइन नहीं करने दिया ।

बस्ती जिले के बभनान बाजार में कथित बम विस्फोट

*17--श्री माता प्रसाद पांडेय--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि बस्ती जनपद के बभनान बाजार में माह अगस्त सन् 1980 के अन्तिम सप्ताह में कोई भयानक बम विस्फोट हुआ था जिसके कारण दो मंजिला मकान उड़ गया तथा दो आदमियों की जानें भी गई तथा क्या यह भी जानकारी है कि बम विस्फोट होने के तीसरे दिन जिस व्यक्ति के घर में बम विस्फोट हुआ था उसका बीजा साऊदी अरब जाने का आया यदि हां, तो क्या इन पूरे तथ्यों की किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार बभनान बाजार, जिला बस्ती में माह अगस्त, 1980 के अन्तिम सप्ताह में बम विस्फोट की कोई घटना नहीं हुई । बीजा सम्बन्धी सूचना का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, यह जब मैं सवाल करता हूं, तो कोई न कोई बहाना करके इंकार कर दिया जाता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बस्ती जनपद में बभनान बाजार के अन्तर्गत मरवटिया बाजार में कोई बम विस्फोट की घटना हुई थी ?

श्री अध्यक्ष--

आपका स्पष्ट प्रश्न क्या है ?

श्री माता प्रसाद पांडेय--

क्या मरवटिया बाजार थाना मैकवलिया में माह अगस्त के अन्तिम सप्ताह में कोई बम विस्फोट हुआ था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह उसमें नहीं आता है। मान्यवर, जो स्थान लिखा गया है, उसमें कोई घटना नहीं हुई थी।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, उसी का अंग है? बभनान बाजार का ही यह एक अंग है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी क्या यह मालूम है जिस बाजार का यह नाम ले रहे हैं वह इस बाजार का अंग है या नहीं? क्या सूचना की आवश्यकता पड़ेगी?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, बभनान बाजार के क्या-क्या अंग हैं, इसके लिये सूचना की तो आवश्यकता पड़ेगी लेकिन जो प्रश्न इन्होंने किया है, उसमें किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। उसमें स्पष्ट उसका उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष--

उस बाजार में कोई, माननीय सदस्य जिसको स्पष्ट कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, वह उस बाजार का अंग है या नहीं

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

बभनान के किसी अंग के रूप में कागज में जो लिखा जाता है, उसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्र, फतेहपुर सीकरी, मतदान केन्द्र, नहचानी पर मतदाताओं को पीटे जाने की घटना

*18--श्री बदन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें गत विधान सभा चुनाव में 31-5-80 को मतदेय केंद्र नहचानी पर निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर सीकरी, 361 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा मतदाताओं को पीटने के विषय में कोई प्रार्थना-पत्र माह जुलाई या अगस्त, 80 में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

कथित प्रार्थना-पत्र के प्रार्थी/प्रार्थियों के नाम ज्ञात न होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ अथवा नहीं। फिर भी विभिन्न स्रोतों से जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि उक्त प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ।

पंजाबी टोला, थाना चौक, लखनऊ निवासिनी श्रीमती आशा रस्तोगी द्वारा आत्महत्या

*19--हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पंजाबी टोला, थाना चौक लखनऊ में एक 22 वर्षीय आशा नामक युवती को उसका पति तेल छिड़क कर दिनांक 3

जुलाई, 1980 को जिन्दा जला दिया ? जिसकी रिपोर्ट थाने में 3 जुलाई को लिखा दी गई ? यदि हां, तो जिन्दा जलाने का कारण क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती आशा रस्तोगी के जलने की सूचना दिनांक 3-7-80 को कन्ट्रोल रूम चौक में टेलीफोन द्वारा प्राप्त हुई । मोबाइल गाड़ी द्वारा श्रीमती रस्तोगी को मेडिकल कालेज के इमरजेन्सी वार्ड में भरती कराया गया । मोबाइल गाड़ी के हेड कान्स्टेबिल तथा डाक्टर के समक्ष श्रीमती आशा रस्तोगी ने स्वयं आग लगा लेना बताया । इस संबंध में दिनांक 3-7-80 को धारा 307 भा0 दं0 वि0 का अपराध पंजीकृत किया गया । विवेचना से मामला आत्म हत्या का पाया गया, अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की जा चुकी है मृतक के पति द्वारा उसे जिन्दा जलाने की बात गलत है ।

प्राइमरी शिक्षकों की भविष्य निधि की पास बुक

*20--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के ऐसे आदेश हैं कि प्राइमरी शिक्षकों को भविष्य निधि की पास बुकें दी जायेंगी ? यदि हां, तो क्या इस आदेश का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

देवरिया जिले के प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री में गोली कांड

**1--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री पर दिनांक 22-1-81 को मजदूरों एवं किसानों के बीच गोली चली ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? कितने लोगों को गोली लगी ? क्या यह सही है कि इस घटना में दो बन्दूकें भी गायब हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्रतापपुर शुगर फैक्ट्री में एक सहायक आंकिक के भाई श्री आनन्द सिंह की एक सुरक्षा कर्मचारी श्री लक्ष्मण सिंह के साथ रंजिश चल रही थी । आपस में कहा सुनी हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 21-1-81 सायं को श्री आनन्द सिंह व उसके सहयोगियों ने श्री लक्ष्मण सिंह को पीट दिया । दिनांक 22-1-81 की सुबह फैक्ट्री के मुख्य प्रबन्धक ने दोनों पक्षों के बीच फैसला कराने हेतु श्री लक्ष्मण सिंह आदि के द्वारा श्री आनन्द सिंह को बुलवाया । जब वे श्री आनन्द सिंह को घसीट कर लाने लगे तब एक कर्मचारी जो कि श्री आनन्द सिंह का सक्रिय सहयोगी है, ने यह अफवाह फैला दी कि मारवाड़ी फैक्ट्री वाले एक स्थानीय व्यक्ति को मार डालने की नियत से लिये जा रहे हैं । इसके फलस्वरूप

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

फैक्ट्री के परिसर में उपस्थित कर्मचारी, गन्ने के कास्तकार आदि उत्तेजित हो गये और उन्होंने पथर व शुरू कर दिया तथा मिल की कालोनी में घुसने का प्रयास भी किये । बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने के लिये सुरक्षा कर्मचारियों ने कुछ राउन्ड गोली चलाई जिससे भीड़ के 10-12 सदस्यों को मामूली छर्रे की चोटें आई । उक्त घटना में कुल 23 लोग घायल हुए । घटना के दौरान भीड़ के कुछ लोग सुरक्षा कर्मचारियों की दो बन्दूकें छीन कर फरार हो गये । इसी बीच थानाध्यक्ष बनकटा स्थानीय फोर्स सहित मौके पर पहुंच गये और भीड़ तितर-बितर हो गयी । मुख्य प्रबन्धक की ओर से एवं भीड़ की ओर से एक-एक अभियोग पंजीकृत हुए जिनकी विवेचना हो रही है ।

श्री हरिवंश सहाय--

माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तर में कहा गया है कि केवल कुछ राउण्ड गोली चलायी गयी, 10-12 आदमी घायल हुए फिर कहा गया कि 21 आदमी घायल हुए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 23-1-81 को मिल गेट पर गिरफ्तार जो लोग हुए क्या उन के नाम एफ० आई० आर० में थे ? कितने लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गये, क्या वे झगड़े में मौजूद थे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

23 तारीख को जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके सम्बन्ध में दूसरे अभियोग थे और उसी दिन 188 के अन्तर्गत कुछ लोग गिरफ्तारी में आये थे । तो माननीय सदस्य कौन सी जानना चाहते हैं ?

श्री हरिवंश सहाय--

मेरा कहना यह है कि 23 तारीख को पुलिस अधीक्षक, देवरिया मौके पर गये और मिल मालिकों से लगभग पचास हजार रुपये ले कर के किसानों के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर के इस मामले को दबाने का प्रयास किया । जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन से कोई शान्ति भंग करने की आशंका नहीं थी, उन को क्यों गिरफ्तार किया गया, उस का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, 22 और 23 तारीख को रात्रि को 188 भारतीय दंड विधान में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन चूंकि गिरफ्तारी के समय उन्होंने शान्ति भंग की थी, अतः 151, 107, 116 दफा लागू की गई ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 188 में जितने लोग गिरफ्तार हुये उन में कितने मिल के कर्मचारी और कितने किसान थे ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

188 में गिरफ्तार जो हुये उन में मिल के कर्मचारी तो स्पष्ट रूप से नहीं मालूम पड़े, कौन थे । वे बाहर के किसान थे, कामेश्वर, हरिशचन्द्र सिंह आदि ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में स्थानीय पुलिस एक तरफा कार्यवाही कर रही है। मिल कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि पहले दिन को जो घटना है, वह बहुत से लोगों के सामने हुई है और उस में एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज है। विवेचना के नाम पर गिरफ्तारी टाली जा रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी सूचना को सही मान कर कि उस दिन की जो घटना घटी उस के सम्बन्ध में जो एफ0 आई0 आर0 लिखी गयी उस में नामजद मुल्जिम हैं। क्या उन को गिरफ्तार करने पर पुलिस तत्काल कार्यवाही करेगी, क्या इसका आश्वासन देंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, कोई भी गिरफ्तारी विवेचना के बाद ही हो सकती है। विवेचना जारी है, जल्दी ही होगी।

श्री सूबेदार सिंह--

मैं आप के माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि ऐसा मालूम पड़ता है कि मिल मालिक के प्रभाव में आकर कार्यवाही एकतरफा की जा रही है और विवेचना जो मन्त्री जी के उत्तर से प्रतीत होता है, वह भी जिला स्तर पर चल रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मिल मालिकों के जो एजेन्ट हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो, क्या इसकी सी0 आई0 डी0 स्तर पर जांच के आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे ?

श्री मोहन सिंह--

नामजद रिपोर्ट है सी0 आई0 डी0....

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

उस की आवश्यकता नहीं है। नामजद रिपोर्ट है। विवेचना हो रही है।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 188 में गिरफ्तार किया क्या। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दफा 144 का ऐलान किस समय हुआ ? क्योंकि प्रोहिबिटरी आर्डर को तोड़ने पर 188 में गिरफ्तारी होती है, तो किस समय 144 लागू की गई और उसके बाद किस समय गिरफ्तारी की गई ?

श्री अध्यक्ष--

144 कब लागू की गई।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, 22 तारीख के बाद से ही। झगड़ा होने के बाद लागू की गई।

श्री रियासत हुसैन--

यह माननीय मन्त्री जी ने हवाई फायर मार दी । मेरा मतलब माननीय मन्त्री जी यह है कि 144 किस समय लागू की गई, कौन से अधिकारी के कहने से लागू की गई, कौन सी एरिया प्रोहिबिटेड थी, किस समय गिरफ्तारी हुई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

22 तारीख को झगड़े के बाद ही वह लगा दी गई । फैक्टरी के आस-पास उसको घोषित किया गया ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो मिल की दो बन्दूकें गायब होने की बात कही जा रही है उसकी क्या असलियत है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यह तो विवेचना के बाद ही बताया जा सकता है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि जब झगड़ा हुआ तब 144 लगाई गई, तो झगड़े के विषय में जो लोग पकड़े गये हैं उन पर भी 144 तोड़ने के बाद 188 का जुर्म है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

पहले दिन जब झगड़ा हुआ तब उसके बाद 144 लगाई गई । इसलिये उन पर 144 तोड़ने का जुर्म नहीं है ।

फैजाबाद जिले के ग्राम चमरूपुर में हरिजन उत्पीड़न की घटना

**2--श्री मित्रसेन, श्री ऊदल तथा श्री भोखालाल--

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 29 दिसम्बर, 1980 को थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत ग्राम चमरूपुर में कोई हरिजन उत्पीड़न की गम्भीर घटना घटी थी, जिसका जिक्र जिला पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद ने अपने वक्तव्य दिनांक 3 जनवरी, 1981 को किया था ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-12-80 को श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम चमरुपुर के पिता की बरसी थी,, जिसमें एक पासी औरत को छोड़कर चमरुपुर (पासी के पुरवा) का कोई भी पासी ने खाना नहीं खाया । इस पर दिनांक 29-12-80 को श्री सुरेन्द्र सिंह व उनके लड़के ने गया बक्स हरिजन जो गहनाम से मेला देखकर चमरुपुर (पासी का पुरवा) लौट रहा था का मारा पीटा तत्पश्चात् श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य ने लाठी बन्दूक आदि से लैस होकर उक्त पासियों को पुरवा म घुसकर उनका कुछ सामान कुयें में फेंक दिये ।

घटना की सूचना पर उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया ।

घटना के सम्बन्ध में भल्लर हरिजन साकिन चमरुपुर, थाना खण्डासा की तहरीरी रिपोर्ट पर थाना खण्डासा में 9 नामजद व 50 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होकर तत्परता से विवेचना की गई । नामजद अभियुक्तों में से 3 को गिरफ्तार किया गया तथा 6 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया जिनके विरुद्ध धारा 147/323/307/374/427/506, भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है । घटनास्थल पर सुरक्षा हेतु पुलिस व पी0 ए0 सी0 तैनात की गई । पीड़ित हरिजनों को 1560 की निःशुल्क सहायता तथा 800 गृह अनुदान दिया जा चुका है ।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष जी, पहले तो मेरी भी वही शिकायत है जो कि माननीय गुप्ता जी की थी । इस प्रश्न का उत्तर सदन शुरू होने से पहले मुझे नहीं मिला । अभी-अभी उत्तर मिला है । तो श्रीमन्, कोई मजीद चेतावनी आप देना चाहते हों तो उसके बाद ही मैं प्रश्न करूं ?

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी से अनुरोध कर दिया गया है और उसके ऊपर भी वे ध्यान दें ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 29-12-80 को यह घटना है, इसकी सूचना सम्बन्धित थाने के अधिकारियों को जिलाधिकारियों को कब हुई और यह थाने के अधिकारी और जिले के अधिकारी मौके पर कब पहुंचे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इसकी सूचना 29-12-80 को 3 बजे मिली और रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

श्री भीखा लाल--

आपने उत्तर में कहा है कि निरीक्षण किया गया । तो आपके अधिकारी मौके पर कब पहुंचे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जब सूचना मिली उसके बाद ही वे वहां गये । वहां वे कब पहुंचे इसकी सूचना इसमें नहीं है ।

श्री भीखा लाल--

इसमें 9 अभियुक्त नामजद किये गये हैं और 15 अज्ञात व्यक्तियों के नाम लिखाये गये हैं । इसलिए गिरफ्तार किये गये 6 लोगों ने सरेंडर किया, तो बाकी 50 में से अब तक कितने गिरफ्तार किये गये अथवा कितनों ने सरेन्डर किया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

50 में से अब तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है । पता लगा कर गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भीखा लाल--

इसमें लिखा है कि चार्ज शीट न्यायालय में भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी गिरफ्तारियां बाकी हैं, जिनका पता नहीं लग पा रहा है, तो चार्ज शीट किस प्रकार भेजी गयी है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जो लोग नामजद थे उनके बारे में चार्ज शीट भेजी जा चुकी है और बाकी के लिये तफतीश चल रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

एफ0 आई0 आर0 देख कर क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो 50 अन-नोन लोग उसमें हैं, वे उसी गांव के हैं अथवा आसपास के हैं जिनको सामने आ कर पहचाना जा सकता है तो क्या उनको पहचानने के लिये कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

एफ0 आई0 आर0 में यह दर्ज है कि 50 अन्य लोग हैं, जिनको देख कर पहचान सकते हैं और उसमें जिन लोगों के बारे में लिखा गया है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

जवाब में कहा गया है कि 3 लोग गिरफ्तार किये गये, तो जो 3 लोग गिरफ्तार किये गये क्या उनसे पूछताछ करके भी कोई गिरफ्तार किया गया या किसी का नाम पता मालूम हुआ कि उनके साथ अन्य कौन लोग थे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

उनसे पूछताछ करके साक्ष्य मिला होता, तो गिरफ्तारी की गयी होती । क्योंकि पता स्पष्ट नहीं लग सका, इसलिए गिरफ्तारी नहीं की जा सकी ।

श्री सूबेदार सिंह--

इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करती है जब कोई उच्च वर्ग के लोग हरिजनों को क्षति पहुंचाते हैं मार कर या घायल करके, तो उनको कम्पन्शेट किया जाता है, तो क्या सरकार ने इस केस में कोई आर्थिक सहायता देने की कोशिश की है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

नीचे उत्तर के लास्ट में यह सूचना दी हुई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जिन लोगों को नहीं पकड़ा जा सका वे सब एक जगह के थे । आस-पास के जो पकड़े गये, उनसे यह प्रयास किया गया, उनको घुमा कर पहचनवाया जाता कि अन्य लोग कौन थे ? अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

उनसे पूछने का प्रयास हो रहा है ।

श्री भीखा लाल--

इस घटना के अन्तर्गत 28-12-80 को हरिजनों ने ठाकुर साहब के यहां खाना नहीं खाया जिसके फलस्वरूप 29-12-80 को यह घटना हुई। लाठी, बन्दूक, कांता और भाले से लैस हो कर ठाकुरों ने घरों को लूटा, सामान कुयें में डाल दिया । पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गयी । मेरा यह चार्ज है कि ठाकुरों ने जिन्होंने अत्याचार किया उनसे पुलिस मिली हुई थी लिहाजा तत्परता से पुलिस मौके पर नहीं पहुंची । इसीलिए माननीय मंत्री जी छिपा रहे हैं कि पुलिस अधिकारी कब पहुंचे । क्या माननीय मंत्री उच्चस्तरीय जांच करा कर जो अधिकारी अथवा पुलिस कर्मचारी इस हरिजन अत्याचार में दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और उनको दंड देने का प्रयास करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, इस घटना की गम्भीरता की ओर शासन सचेष्ट है, इसीलिए उसमें जो अभियुक्त थे, उनकी शीघ्रता से गिरफ्तारी की गयी और साथ ही माननीय सदस्य उत्सुकता प्रकट कर रहे थे वह कब पहुंचे, तो इसके बारे में 30 तारीख को रिपोर्ट लिखाई गई तो उसके बाद जाबते से विवेचना हुई । संयोग से वहां से कुछ दूर भीखापुर के क्षेत्राधिकारी 11.45 बजे खुद पहुंच गये और आदेश आने के पूर्व ही वहां पर शांति व्यवस्था तथा सुरक्षा की भावना लोगों में पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और जिनको वह लोग बता रहे थे, उनको गिरफ्तार करने का भी प्रयास कर रहे थे ।

अतरांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले के रोनापार-लालघाट मार्ग पर कल्यानपुर के पुल निर्माण की मांग

1--श्री पंचानन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में बनने वाली रोनापार—लालघाट मार्ग पर कल्यानपुर के पास पुल बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? गत जनता शासन काल में शिलान्यास किये जाने के बाद भी इसका निर्माण 1-12-80 तक प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ ? क्या इस पुल का निर्माण शीघ्र कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

जनता शासन काल में शिलान्यास नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गोरखपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतनपुर एवं कैम्पियर गंज के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य

2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

विधान सभा के गत सत्र 1980 के पांचवे मंगलवार के प्रश्नकर्त्ता तथा अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 149 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नियम विरुद्ध एक ही व्यक्ति प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक पद पर बने हुए हैं ? क्या जांच की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

जी हां । जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है प्रधानाचार्य कैम्पियरगंज श्री निवास शुक्ल द्वारा रतनपुरा में प्रबंधक का पद ग्रहण करने की अनियमितता को समाप्त करने के लिए दिनांक 28-1-81 को श्री शुक्ल को 15 दिन के अन्दर प्रधानाचार्य पद से अथवा रतनपुरा के मंत्री पद से त्याग-पत्र देने के लिये तथा पालन न करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न संख्या 149 के द्वितीय भाग के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर श्री चन्द्र प्रकाश द्वारा अनधिकृत रूप से धनराशि 29414.80 रु0 के वेतन भुगतान कराने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा अनुचरों की संख्या को नियमित करने के भी आदेश निर्गत हो चुके हैं । फर्जी छात्र संख्या दिखाकर, प्रवक्ता के 6 अतिरिक्त पद सृजित कराने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ ।

पंचायत इन्टर कालेज, गोरखपुर का परीक्षाफल

3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979 में पंचायत इन्टर कालेज, परतावल बाजार (गोरखपुर) परीक्षा केन्द्र से कक्षा 10 की परीक्षा में कितने छात्र एवं छात्राएं शरीक हुई थीं ? कितने छात्र-छात्राओं का परीक्षा-फल रुका रहा ? क्या यह सच है कि काफी देरी से परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी कुछ छात्र, छात्राओं का अंक पत्र अभी तक नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध बन्दियों की पैरोल पर रिहाई

4—श्री भीखा लाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सुरक्षा अध्यादेश और तदुपरान्त भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1980 तक उत्तर प्रदेश में जिलेवार निरुद्ध बन्दियों में से किन-किन व्यक्तियों को पैरोल पर छोड़ा गया है और पैरोल पर छोड़ने का आधार क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश और तदुपरान्त राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध व्यक्तियों में से केवल मुरादाबाद जनपद के दो व्यक्तियों को दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 तक पैरोल पर छोड़ा गया था, जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 613 पर।)

प्रदेश में बाम्बे हाई के गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना पर विचार

5--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दिसम्बर, 1980 माह के अन्तिम सप्ताह में किसी विधायक का पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि बाम्बे हाई की गैस पाईप लाइन से लाकर प्रदेश में सस्ते उर्वरक बनाने के कारखाने लगाए जायं ? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रमुख बातें क्या हैं और सरकार ने उक्त विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री मियाज हुसन खां--

जी हां।

दिनांक 26 दिसम्बर, 1980 के पत्र में प्रमुख रूप से यह अनुरोध किया गया है कि बाम्बे हाई तथा गुजरात प्रदेश में जो गैस भंडार प्राप्त हुए हैं उस पर आधारित कुछ उर्वरक कारखानों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाय। यह विषय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। प्रदेश सरकार बराबर यह बल दे रही है कि ऐसे कारखाने उत्तर प्रदेश में यथा संभव लगाए जायं।

राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ के कर्मचारियों की छटनी एवं पुर्ननियुक्ति

6--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1973 में लखनऊ के राजकीय महिला पालीटेक्निक में आर्कीटेक्चरल असिस्टेन्टशिप पाठ्यक्रम में से छटनी किए गये थे ? क्या यह सही है कि छटनी किए गये अध्यापकों में एक को इसी संस्था में पाठ्यक्रम पुनः प्रारम्भ होने पर नियुक्ति कर ली गयी ? यदि हां, तो उन्हें सभी पुरानी सुविधाएं, वेतन निर्धारण व सेवा सम्बन्ध में दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ में आर्कीटेक्चरल असिस्टेन्टशिप पाठ्यक्रम वर्ष 1973 में बन्द कर दिया गया था और कर्मचारियों की छंटनी की गई थी। तत्पश्चात् वर्ष 1977 में आर्कीटेक्चरल असिस्टेन्टशिप पाठ्यक्रम पुनःआरम्भ किया गया और छटनी किये गये कर्मचारियों में से एक व्याख्याता को नियुक्त किया गया। उक्त व्याख्याता के वेतन निर्धारण एवं पूर्व सेवा से सम्बन्धित सुविधायें प्रदान किये जाने के मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जिला देवरिया में अस्त्र लाइसेन्स का नवीनीकरण

7—श्री कुबेर भन्डारी, श्री मोहन सिंह तथा श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि वर्ष दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाले अस्त्र लाइसेन्स जिनके प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित कागजात सभी औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त एस0 डी0 एम0, पडरौना, जिला देवरिया को प्रेषित होकर उप पुलिस अधीक्षक, पडरौना, जिला देवरिया को प्राप्त हुए हैं, उनका अभी तक दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी नवीनीकरण नहीं हुआ है ? क्या इसके लिए संस्थापक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा शाखा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र, दिनांक 19 नवम्बर, 1979 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन अस्त्र लाइसेन्सधारी हैं जिनका अस्त्र नवीनीकरण नहीं हो सका है ? क्या सरकार सम्बन्धित अस्त्रधारकों के प्रेषित प्रार्थना-पत्रों के अस्त्र नवीनीकरण को पूर्ण कराने की कार्यवाही शीघ्र करने की कृपा करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

वर्ष दिसम्बर, 1978 को नवीनीकरण हेतु जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं और जिन पर उप पुलिस अधीक्षक, पडरौना की रिपोर्ट अपेक्षित थी उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उनका नवीनीकरण किया जा चुका है। केवल निम्न 5 ऐसे लाइसेन्सधारी हैं जिनके प्रार्थना-पत्र पर पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण उनका नवीनीकरण नहीं किया जा सका है। पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त होते ही नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

1—श्री महेन्द्र चौबे, साकिन चिरगोंडा, थाना नेबुआ नौरंगिया।

2—श्री खलील, साकिन अकबरपुर, थाना नेबुआ नौरंगिया।

3—श्री गंगदेव मिश्र, साकिन डुबरो, थाना पडरौना।

4—श्री हरि नारायन सिंह, साकिन सुखपुरवा, थाना पडरौना।

5—श्री गौरी प्रसाद खेतान, साकिन पडरौना, थाना पडरौना।

संस्थापक आजाद हिन्द क्रान्तिकारी मोर्चा शाखा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र, दिनांक 19 नवम्बर, 1979 शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला निर्वाचन कार्यालयों के हरिजन कर्मचारियों का स्थायीकरण

8—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के जिला निर्वाचन कार्यालयों में नैत्यिक कोटि लिपिकों के पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को जिनकी सेवाएं लगातार 8 वर्ष से भी अधिक हैं, स्थायी पदरिक्त होते हुए भी जिन्हें स्थायी नहीं किया गया है उनकी संख्या कितनी है और उनके स्थायी न किए जाने के करण क्या हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद—

ऐसे दो कर्मचारी हैं। एक मामला उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संबंधित है और दूसरे मामले में उसी कार्यालय में एक ज्येष्ठ अस्थायी कर्मचारी सेवारत है।

लखनऊ जिले के ग्राम दौलतपुर से थाना इटौजा में लिखायी गयी रिपोर्ट

9—श्री सोमांश प्रकाश—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-12-80 को थाना इटौजा, जिला लखनऊ में ग्राम दौलतपुर में हुए क्राइम नं0 366 धारा 307 के अन्तर्गत जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उस पर अभी त मुल्जिमानों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अपराध अन्तर्गत धारा 307 भा0 दं0 वि0 की विवेचना से नामांकित अपराधियों के अतिरिक्त अन्य कोई अपराधी प्रकाश में नहीं आया, अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विवेचक द्वारा कई प्रयास किए गए लेकिन अभी तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। अभियुक्त गण फरार हैं और विवेचक को यह निदेश दिये गये हैं कि वे अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 की कार्यवाही करें। दिनांक 10-2-1981 को इस अभियोग की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा कराए जाने के आदेश दिए गए हैं।

पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की नियुक्ति

10—कुमारी अलमेलू अम्माल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 15 जून, 1980 से 15 दिसम्बर, 1980 तक पुलिस विभाग में कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल, सब-इन्सपेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के पदों पर अलग-अलग कितने अनुसूचित एवं जनजाति के लोगों की नियुक्ति की गयी तथा उपयुक्त पदों में अलग-अलग कुल कितने स्थान आरक्षित थे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

दिनांक 15 जून, 1980 से दिनांक 15 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि में कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल, सब-इन्स्पेक्टर व डिप्टी सुपरिनटेंडेन्ट के पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति एवं उनके लिए आरक्षित स्थानों के संबंध में ब्योरा निम्नवत् है :

संवर्ग का नाम	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या	नियुक्ति किये गये अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या	जन जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या	नियुक्ति किये गये जनजाति के लोगों की संख्या
1	2	3	4	5
कांसटेबिल	1245	1163	50	11
हेड कान्स्टेबिल	115	120	12	4
सब-इन्स्पेक्टर	250	253	24	3
उपाधीक्षक	13	3		

11—डा० शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

झांसी जिले के नोटघाट पर पथकर की वसूली

12—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के नोटघाट पुल के निर्माण के समय शासन ने यह आदेश दिया था कि इसकी लागत पूरी होने पर कर-मुक्त कर दिया जायगा ? यदि हां, तो अभी तक लागत की कितनी राशि वसूल होने में शेष रह गयी है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

नोटघाट पुल को उस समय पथकर से मुक्त कर दिया जायेगा जब उसके निर्माण की पूर्ण लागत उस पर ब्याज, रख-रखाव एवं अधिष्ठान पर हुआ व्यय वसूल हो जायेगा। 23 अगस्त, 1980 को रुपये 26,33477 की वसूली शेष रह गयी थी।

वन निगम, हल्द्वानी के विक्रय अधिकारी द्वारा लकड़ी की बिक्री

13—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या वन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि विक्रय अधिकारी वन निगम, हल्द्वानी द्वारा बागेश्वर क्षेत्र की लकड़ी लाट नं० 109/110/111/1979-80 में बेची गयी? यदि हां, तो कितने में ? क्या यह सही है कि निगम के विक्रय अधिकारी ने अच्छे माल के चट्टे लगाकर खराब माल दिखाकर अपने व्यक्तियों को कम मूल्य पर बेचा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां। बागेश्वर क्षेत्र से प्राप्त चीड़ के गिल्टों से बनाये गये लकड़ी के लाट नम्बर 109, 110 तथा 111/1979-80 विक्रय अधिकारी निगम हल्द्वानी द्वारा सार्वजनिक नीलाम में क्रमशः 8,125-00, रु० 11,345·00 रु० तथा 8,901·00 रु० में बेचे गये। यह सही नहीं है कि निगम के विक्रय अधिकारी ने अच्छे माल को खराब माल दिखाकर अपने व्यक्तियों को कम मूल्य पर बेच दिया।

ग्राम जगम्मनपुर, जिला जालौन में अपहरण की घटना

14—श्री बलगंजन सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम जगम्मनपुर, थाना समपुरा, परगना व जिला जालौन में, दिनांक 22 दिसम्बर, 80 को दस्यु दल द्वारा 6 व्यक्तियों का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से सरकार वहां थाना कायम करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां।

ग्राम जगम्मनपुर में पुलिस थाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि निर्धारित मानक के अनुसार उक्त स्थान पर थाना खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

हिण्डालको, मिर्जापुर के अल्युमीनियम का निर्यात

15—श्री मोहन सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1979–80 में मिर्जापुर स्थित हिण्डालको कारखाने में बना अल्यूमीनियम कितने कीमत का निर्यात किया गया तथा उत्तर प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयां जहां अल्यूमीनियम के बर्तन बनते हैं वर्ष 1979–80 में कितने टन अल्यूमीनियम की खपत हुई ?

श्री नियाज हसन खां—

संबंधित इकाई निजी क्षेत्र में है । अतः उसके उत्पाद के निस्तारण संबंधी सूचना शासन के पास उपलब्ध नहीं है ।

कताई मिल, सण्डीला, जिला हरदोई के कर्मचारी

16—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय वस्त्र उद्योग निगम द्वारा संचालित कताई मिल सण्डीला, जिला हरदोई में टेकनिकल एवं नान–टेकनिकल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, इनमें कितने हरदोई जिले के हैं और कितने बाहरी जिलों के ?

श्री नियाज हसन खां—

उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित कताई मिल, संडीला, जिला हरदोई में कर्मचारियों की कुल संख्या 1268 है, जिनमें 1183 टेक्निकल कर्मचारी व 85 नान टेक्निकल कर्मचारी हैं । इनमें 85 नान टेक्निकल व 363 टेक्निकल कर्मचारी उस जिले के रहने वाले हैं शेष अन्य जिलों के हैं ।

डा0 एस0 डी0 शुक्ला, निदेशक, एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर एवं उनके पुत्र के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

17—श्री छेदी लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि डा0 एस0 डी0 शुक्ला, निदेशक, एच0 बी0 टी0 आई, कानपुर के विरुद्ध प्रताप सिंह जांच आयोग की जांच रिपोर्ट शासन के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है, ? यदि नहीं, तो उक्त जांच रिपोर्ट को शासन के समक्ष प्रस्तुत करने में जांच अधिकारी को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

निदेशक एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध श्री प्रताप सिंह, जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है, जांच अभी चल रही है, अतः जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई होने का प्रश्न नहीं उठता ।

18—श्री छेदी लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि डा0 एस0 डी0 शुक्ला, निदेशक एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर के पुत्र जो कि उपर्युक्त संस्थान के छात्र हैं, के विरुद्ध कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय ने कोई जांच आयोग गठित किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इस जांच आयोग के गठन का आधार क्या था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

निदेशक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों, जिनमें संस्थान के भूतपूर्व छात्र उनके पुत्र के संबंध में भी शिकायत है, की जांच हेतु कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा तीन सदस्यीय एक जांच उप समिति गठित की गई है जिसकी जांच अभी चल रही है। उक्त जांच समिति के गठन का आधार उक्त शिकायतों पर विचार करना था।

झांसी नगरपालिका के प्राथमिक स्कूलों की पाली योजना

19--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत क्या प्राथमिक स्कूल दो पाली में चलते हैं ? यदि हां, तो कितने ऐसे स्कूल हैं ? दो पाली में स्कूल चलाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, नगर क्षेत्र झांसी में कुल 66 प्राइमरी तथा 5 जूनियर हाई स्कूल हैं। इन विद्यालयों में से 31 प्राइमरी पाठशालायें किराये के भवन में चल रही हैं। 4 पाठशालायें मंगनी के भवन में संचालित हैं। 11 प्राइमरी पाठशालायें तथा 3 जूनियर हाई स्कूल निजी भवनों में संचालित हैं। 2 जूनियर हाई स्कूल तथा 20 प्राइमरी पाठशालायें दो पाली योजना से इन्हीं भवनों में संचालित हैं।

विद्यालयों के संचालनार्थ भवन उपलब्ध न होने के कारण से विद्यालय दो पाली में चलाये जा रहे हैं।

सहायक निर्वाचन अधिकारी, श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, गाजीपुर के स्थानान्तरण की मांग

20--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निर्वाचन अधिकारियों व कर्मचारियों की एक जनपद में सेवा अवधि क्या है ? जनपद गाजीपुर में निर्वाचन अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा अवधि पांच से दस, बीस वर्ष समाप्त हो जाने पर भी उनका स्थानान्तरण अन्य जनपदों को न करने का क्या कारण है। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सहायक निर्वाचन अधिकारी, जनपद गाजीपुर में कतिपय पदों पर लगभग 25 वर्ष के उपरान्त भी सेवारत हैं। उसका स्थानान्तरण जनपद गाजीपुर से अन्य जनपदों में न करने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारियों को एक जनपद से दूसरे जनपद में सामान्यतः स्थानान्तरित नहीं किया जाता। पदोन्नति के समय या आकस्मिक रिक्ति भरने हेतु अथवा जनहित में अन्यथा आवश्यक होने पर ही स्थानान्तरण किया जाता है। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सहायक निर्वाचन अधिकारी, गाजीपुर इसी कारण विभिन्न पदों पर निर्वाचन कार्यालय, गाजीपुर में ही सेवारत रहे।

मिर्जापुर आफिसर्स कालोनी एवं पुलिस अधीक्षक के यहां चोरी की कथित घटना

21--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में सिविल लाइन मिर्जापुर आफिसर्स कालोनी में पुलिस अधीक्षक सहित पांच अधिकारियों के यहां चोरी हुई और 14 दिसम्बर व 25 दिसम्बर, 80 को थाना कोतवाली के पक्की सराय स्थित शराब की दुकान तथा थाना कटरा कोतवाली में नवीन चित्र मन्दिर के खजांची को क्रमशः 2,150 रु0 व 1,225 रु0 लूटे। यदि हां, तो मिर्जापुर में अपराध रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में न तो पुलिस अधीक्षक के यहां कोई चोरी हुई और न ही सिविल लाइन मिर्जापुर आफिसर्स कालोनी में किसी अधिकारी के यहां चोरी होने की सूचना पुलिस में दर्ज कराई गई। 14 दिसम्बर व 25 दिसम्बर, 80 को क्रमशः थाना कोतवाली (मिर्जापुर) अन्तर्गत मोहल्ला पक्की सराय स्थित शराब विक्रेता की दुकान से 2,150 रु0 तथा थाना कटरा अन्तर्गत स्थित नवीन चित्र मंदिर के बुकिंग काउन्टर से 1,225 रु0 बदमाशों द्वारा लूटने की सूचना सम्बन्धित थानों पर दी गई जिसके आधार पर दो अपराध अन्तर्गत धारा 392 भा0 दं0 वि0 कायम किए गये। दोनों अपराधों की विवेचना प्रचलित है। मिर्जापुर नगर क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम हेतु गश्त की कड़ी व्यवस्था की गई व जगह-जगह पिकेट्स लगाई गई है। अपराधी तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

जौनपुर जिले के ग्राम मकदूमपुर के श्री देवराज हरिजन के यहां कथित लूट

22--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव मकदूमपुर, थाना केराकत, जिला जौनपुर में जनवरी, 1981 के प्रथम सप्ताह में देवराज हरिजन एवं दो और हरिजनों के घरों को लूटा गया और देवराज राम वगैरह को आहत भी कर दिया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

थाना केराकत जिला जौनपुर में जनवरी, 81 के प्रथम सप्ताह में प्रश्न में उल्लिखित आशय की कोई घटना घटित नहीं हुई।

जौनपुर जिले के ग्राम घोरे के हरिजनों के यहां डकैती

23--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव घोरे, थाना जलालपुर जिला जौनपुर में कई घर हरिजनों को जनवरी, 81 में लूटे गए और डकैतों ने मार कर उनको घायल भी कर दिया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

थाना जलालपुर के ग्राम बोरे में जनवरी, 81 में कई हरिजनों के घर लूटे जाने की कोई घटना नहीं हुई ।

वाराणसी जिले में खाद्यान्न योजना की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लिए जाने एवं पक्का किए जाने की मांग

24--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में चकबन्दी योजना में 15 कड़ी से 20 कड़ी की सड़कें छोड़ी गई हैं ? क्या यह सही है कि खाद्यान्न योजना में 15 से 20 कड़ी की सड़कें नहीं ली जा रही हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और क्या सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी को निर्देश देगी कि 15 से 20 कड़ी की सड़कों को उक्त योजना में शामिल कर लिया जाय ?

श्री जगदीश प्रसाद--

चकबन्दी योजना के अन्तर्गत जो जमीन छोड़ी गई है उस पर सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया ।

यह सही है कि खाद्यान्न योजनाओं में विभाग द्वारा कोई सड़क नहीं ली जा रही है ।

यह सार्वजनिक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार नहीं हैं ।

25--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन सड़कों को खाद्यान्न योजना में लिया गया है और मिट्टी डाल दी गई है उसको पक्का करने का निर्देश एवं धन की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत खाद्यान्न योजना दो या तीन की सड़कों को सतह लेपन तक पक्का कराने की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

खाद्यान्न योजना 4-5 में सड़कों का निर्माण खड़न्जा स्तर तक स्वीकृति किया जा चुका है । इन सड़कों को पक्का करने के लिए कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

बांदा जिले के ग्राम अछरौड़ एवं चन्दौर में डकैती

26--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा कृपा करेंगे कि गांव अछरौड़, थाना कोतवाली बांदा तथा गांव चन्दौर, थाना बदौसी, जिला बांदा में दिसम्बर, 80 के आखिरी सप्ताह में डकैतियां डाली गयीं और क्रमशः लोगों को घायल तथा हत्या करके लाखों रुपए डकैतों ने लूट लिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम अछरोड़ में 28/29 दिसम्बर, 1980 की रात्रि पड़ी डकैती में दो व्यक्ति मारे गए व एक स्त्री घायल हुई और लगभग 25 हजार रुपये की सम्पत्ति लूटी गई। इस सम्बन्ध में थाना मंटौध में अपराध संख्या 67 पर धारा 396 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ। ग्रामीणों द्वारा मुकाबले में घायल किए गए डकैत की सूचना पर 10 अभियुक्त प्रकाश में आए। इनमें से 9 पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक ने न्यायालय में आत्म-समर्पण कर दिया था। इस घटना में लूटी गई सम्पत्ति के अलावा 1 राइफल व 1 बंदूक भी बरामद की जा चुकी है।

ग्राम चन्दौर में 26/27 दिसम्बर, 1980 की रात्रि पड़ी डकैती में एक स्त्री मारी गई व एक व्यक्ति घायल हुआ तथा एक हजार रुपये की सम्पत्ति लूटी गई। इस सम्बन्ध में थाना बदौसा में एक नामजद व दो अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संख्या 153 पर धारा 394/302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। सतत प्रयासों के बावजूद अभियुक्त अभी पकड़े नहीं जा सके हैं। नामजद अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट न्यायालय में दी गई है।

उक्त दोनो अभियोगों में विवेचना जारी है।

प्रधान मन्त्री के वाराणसी आगमन पर नियुक्त की गई पी0 ए0 सी0

27-28--श्री अवल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मन्त्री के 3 जनवरी, 1981 को वाराणसी आगमन पर कितनी बटालियन पी0 ए0 सी0 कहां-कहां से वाराणसी भेजी गई थी ? और इस पर कितने रुपये का खर्च आया और कितनी ट्रकें गई थीं और उसमें कितने रुपये का पेट्रोल, मोबिल आदि खर्च हुआ ?

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जिले के प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन ने 3-1-81 में प्रधान मन्त्री के आगमन पर कितने रुपए का खर्चा किन-किन मदों पर किया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उत्तर देना जनहित में न होगा।

अल्मोड़ा जिले को अभ्यास पुस्तिकाओं की आपूर्ति

29--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा जनपद को जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक कितनी अभ्यास पुस्तिका किस माह में कितनी-कितनी दी गई हैं और किसके द्वारा वितरण कराया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद अल्मोड़ा में जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1980 के महीनों में नीचे अंकित मात्रा के अनुसार अभ्यास पुस्तिकायें उपलब्ध कराई गईं :--

माह	अभ्यास पुस्तिकाओं की मात्रा
(1) जुलाई	8,000
(2) अगस्त	40,966
(2) सितम्बर	55,000
(4) दिसम्बर	23,500
	1,27,466

उपरोक्त अभ्यास पुस्तिकाओं का जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 1980 में सहकारी समितियों के माध्यम से तथा माह दिसम्बर, 1980 में फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से वितरण कराया गया ।

गोंडा जिले के उतरौला में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय भवन का निर्माण

30--श्री मसरूर जाफरी---

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला विकास क्षेत्र जनपद गोंडा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय का निर्माण इस समय हो रहा है ? यदि हां, तो यह न्यायालय का निर्माण कब समाप्त होगा ? जिला मुख्यालय में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, उतरौला का न्यायालय कब तक उतरौला जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

उतरौला तहसील मुख्यालय जनपद गोंडा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस समय सम्पादित किया जा रहा है । सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार उपर्युक्त न्यायालय भवन का निर्माण जून, 1981 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है । न्यायालय भवन का निर्माण पूर्ण होने तथा भवन न्याय विभाग को हस्तान्तरित हो जाने के पश्चात् ही उतरौला में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित किया जा सकेगा ।

झांसी जिले के राजकीय इन्टर कालेजों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की दक्षता रोक

31--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि राजकीय इन्टर कालेज समथर तथा राजकीय इन्टर कालेज झांसी एवं राजकीय सूरज बालिका इन्टर कालेज, झांसी के अध्यापक एवं कर्मचारियों की गत तीन वर्षों से दक्षता रोक पार नहीं हुई है ? इसके क्या कारण हैं और ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ? तथा कब तक इसे पार करा दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

झांसी के मऊरानीपुर स्टेशन रोड पर अवैध भवनों का निर्माण

32--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के मऊरानीपुर स्टेशन रोड पर कितने लोगों ने अवैध पक्के भवनों का निर्माण कर लिया है ? उनकी संख्या कितनी है ? यह किसी अधिकारी की अनुमति से निर्माण किए गए हैं ? यदि नहीं, तो अभी तक शासन ने क्या कार्यवाही की ।

श्री जगदीश प्रसाद--

जनपद झांसी में मऊरानीपुर स्टेशन रोड के दोनों ओर 50 व्यक्तियों ने अवैध रूप से पक्के निर्माण किए थे जिन्हें हटा दिया गया है । केवल चार भवन नहीं हटाये जा सके हैं जिनमें एक मस्जिद है और शेष 3 के सम्बन्ध में मुकदमा चल रहा है । उक्त सभी निर्माण बिना किसी अधिकारी की अनुमति के किए गए थे । उपर्युक्त के अतिरिक्त जो अवैध निर्माण अब किए गए हैं उन्हें हटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण

33--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत मझौली से भाटपार रानी, भिंगारी, बाजार से भवानी छापर भिंगारी बाजारी से भटनी, सोहनपार से रतसिया तथा पकड़ी बाबू से बंगरा बजीर तक की सड़क कब तक पक्की करा दी जायगी ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जिला देवरिया तहसील सलेमपुर के मार्गों की स्थिति निम्न प्रकार है--

मझौली भाटपार रानी--इस मार्ग का कि0 मी0 1 से 7 तक का भाग पक्का मार्ग है । कि0 मी0 8 सतह लेपित है ।

भिंगारी बाजार से भवानी छापर मार्ग--यह 10 कि0 मी0 लम्बा पूरा मार्ग सतह लेपित है ।

भिंगारी बाजार से भटनी--14 कि0 मी0 लम्बे मार्ग पर कि0 मी0 1 से 12 तक खाद्यान्न योजना 4 व 5 के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य पूरा है तथा कि0 मी0 13 व 14 पहिले से ही सतह लेपित है । इस मार्ग 11 कि0 मी0 की लम्बाई में खड़ंजा लगाने का कार्य स्वीकृत है तथा प्रगति पर है । शेष अभी स्वीकृत नहीं है । अतः आगे कार्य कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

सोहनपार से रतसिया मार्ग--12.50 कि0 मी0 लम्बे मार्ग पर 12 कि0 मी0 मार्ग पर मिट्टी के स्वीकृत कार्य में से 11.5 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य पूरा किया जा चुका है । शेष अभी स्वीकृत नहीं है ।

पकड़ी बाबू से बंगरा बाजार मार्ग--जिला परिषद् के इस मार्ग को सा0 नि0 विभाग द्वारा पक्का करने की योजना स्वीकृत नहीं है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानपुर को ठेकेदारों द्वारा माल की आपूर्ति

34---श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1980 से 13 जनवरी, 1981 तक डी0 सी0 यू0 (विभागीय निर्माण संगठन मार्ग) सार्व0 नि0 विभाग, कानपुर को माल की सप्लाई देने वाले कौन-कौन ठेकेदार रहे हैं और उन्होंने क्या-क्या सप्लाई किया है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सूचना* संलग्न है ।

श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़ के गणित के प्रवक्ता का अवशेष वेतन

35---डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री वार्ष्णेय डिग्री कालेज, अलीगढ़ के गणित के वरिष्ठ प्रवक्ता के रु0 300-600 के वेतन का अन्तर यू0 जी0 सी0 के नये वेतनमान रु0 700-1,600 का अन्तर तथा इस नये वेतनमान में वेतन वृद्धि के अवशेषों का भुगतान 15-1-81 तक न होने का कारण क्या है और कब तक इन अवशेषों का निश्चित रूप से भुगतान हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय के सम्बन्धित वरिष्ठ गणित प्रवक्ता का दिनांक 1-4-66 से 31-3-68 तक की अवधि का 300-600 के वेतन क्रम के अन्तर का अवशेष महाविद्यालय द्वारा दिया जाना है ।

दिनांक 1-1-73 से 31-3-75 तक रु0 300-600 तथा 700-1600 के वेतनमान का अन्तर विवादास्पद होने के कारण नहीं दिया जा सका है । प्राप्त सूचना से यह ज्ञात होता है कि इस अध्यापक को इस अवधि में वेतनमान 400-800 में वेतन भुगतान किया जा चुका है जिसके कारण महाविद्यालय द्वारा अवशेष वेतन तथा वेतन वृद्धियों का भुगतान नहीं किया गया है । परन्तु 1-4-75 से सभी वेतन वृद्धियों के अवशेशों का भुगतान हो चुका है । विवाद का निर्णय होते ही शीघ्र नियमानुसार भुगतान कर दिया जायेगा ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर के कार्यालय में लम्बित सीतापुर के कर्मचारियों के भविष्य निधि का मामला

36---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय प्राविडेंट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश कानपुर के कार्यालय में सीतापुर जिले में कार्यरत फैक्टरियों में वर्ष 1973 से 1980 के बीच सेवा में रहते मर गये मजदूरों के कितने मामले (डेथ केसेस) अन्तिम निस्तारण के लिए अभी विचाराधीन हैं ? उनका निस्तारण कब तक हो जायेगा ?

*छापी नहीं गई ।

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

ऐसे मामलों की संख्या 32 है । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर का कार्यालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है । उनसे अनुरोध किया गया है कि इन मामलों का शीघ्र निस्तारण कर दें ।

बदायूं जिले में कताई मिल की स्थापना की मांग

37---श्री मोहम्मद अबरार अहमद---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के लिए सरकार द्वारा कताई मिल स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कताई मिल जनपद के किस क्षेत्र में स्थापित होगी और कब तक ?

श्री नियाज हसन खां--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता--

सीतापुर नगर में बाई-पास मार्ग के निर्माण की मांग

38---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि मिलिट्री फार्म की भूमि अध्याप्ति होने में अब क्या बाधा है और नगर के बीच यातायात की कठिनाई तथा औसतन प्रति माह एक व्यक्ति की ट्रकों की चपेट से हुई मौत को ध्यान में रखते बाई-पास निर्माण तुरन्त न स्वीकृत करने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जनरल आफिसर कमान्डिंग एरिया कमान्ड, बरेली की संस्तुति के अभाव में मिलिट्री फार्म की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग को अभी तक हस्तान्तरित नहीं हो सकी है जिसके फलस्वरूप सीतापुर बाई-पास मार्ग का निर्माण अभी तक स्वीकृत नहीं किया जा सका है ।

शालिग्राम पाठक इन्टर कालेज, जालौन में प्रशासक की नियुक्ति

39---श्री शंकर सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सच है कि कोंच (जालौन) के शालिग्राम पाठक इण्टर कालेज में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति के विरुद्ध प्रबन्धक ने माननीय उच्च न्यायालय से जो स्थगन आदेश प्राप्त किया है उसे रद्द कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में स्टैंडिंग कौन्सिल के अतिरिक्त एक अन्य निजी अधिवक्ता भी खड़ा किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किसने और क्यों किया और इसका मेहनताना कौन देगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा के रोल लिस्ट के मुद्रण का भुगतान

40—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा 1979-80 के रोललिस्ट (टेबुलेशन चार्ट) के मुद्रण का भुगतान सम्बन्धित 5 प्रेसों को अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1979-80 के रोललिस्ट (टेबुलेशन चार्ट) का भुगतान सम्बन्धित 5 प्रेसों को अभी तक न होने का कारण यह है कि दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर 15 के अनुसार दी हुई शर्तों का पालन न करने या अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा तथा उभय पक्ष को मान्य होगा, के विपरीत सूरज आर्ट प्रेस ने सिविल जज, द्वितीय कानपुर की अदालत में वाद दायर कर दिया। न्यायालय ने कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय को इस मसले में 20 मार्च तक अपना निर्णय देने हेतु आदेश दिया है।

मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद में पुलिस फायरिंग से मृत्यु

41—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि माह अगस्त से 30 नवम्बर, सन् 1980 तक मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद और अन्य शहरों में कितने लोगों की जानें पुलिस फायरिंग में गयीं तथा कितने लोग गायब हैं ? क्या उनके नाम पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जिले की हरिजन बस्तियों में डकैती

42—श्री दूध नाथ राजभर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में जून, सन 1980 से 1-1-81 तक कितनी हरिजन बस्तियों को सामूहिक तरीके से डकैती में लूटा गया है और कितने हरिजनों के घर डकैती पड़ी है ? डकैती के दौरान कितने हरिजन डकैतों की गोली के शिकार हुए हैं ? क्या सरकार की ओर से उसके रोक-थाम का उपाय किया गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में हरिजनों की तीन बस्तियों में सामूहिक रूप से डकैती पड़ने तथा कुल मिलाकर 25 घरों, जिसमें एक सवर्ण का घर भी सम्मिलित है, में डकैती पड़ने के अपराध जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत हुये हैं। डकैती के दौरान दो हरिजन पुरुष तथा एक हरिजन महिला की मृत्यु हुई। डकैती के रोक-थाम के लिये स्थानीय पुलिस द्वारा संदिग्ध और पेशेवर अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही की गई तथा पुलिस की रात्रि गश्त को चुस्त किया गया।

सिविल पुलिस से सी0 आई0 डी0 में पुलिस इन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण

43--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 1 जनवरी, 1978 से 31-12-80 तक कितने पुलिस इन्सपेक्टरों का स्थानान्तरण सिविल पुलिस से सी0 आई0 डी0 में हुआ तथा उनमें से कितने ज्वाइन किए और कितनों का स्थानान्तरण रोक दिया गया तथा उसका आधार क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 1-1-78 से 31-12-80 की अवधि में 132 पुलिस इन्सपेक्टरों के स्थानान्तरण सिविल पुलिस से सी0 आई0 डी0 में किये गये । इनमें 71 निरीक्षकों ने सी0 आई0 डी0 में कार्यभार ग्रहण करना शेष है । शेष 55 निरीक्षकों के स्थानान्तरण उनकी सिविल पुलिस में उपयुक्तता व प्रशासनिक आधार पर निरस्त किये गये ।

भूतपूर्व रासायनिक परीक्षक, आगरा के विरुद्ध शिकायत-पत्र

44--श्री बदन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि भू0 पू0 रासायनिक परीक्षक उत्तर प्रदेश आगरा एवं वर्तमान निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ के विरुद्ध दिनांक 28-3-1979 को तत्कालीन कांग्रेस आई0 के उपनेता श्री गुलाब सेहरा द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था? यदि हां, तो उसके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां, किन्तु श्री सेहरा के पत्र की तिथि 28-3-79 के बजाय 26-3-79 है । सम्बन्धित अधिकारी से आगरा की प्रयोगशाला के प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार हटा लिए गए हैं । अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक लिपिक के पद को अनियमित रूप से सामान्य अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने के लिए उन्हें यथोचित रूप से दण्डित किया जा चुका है । भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की कतिपय अन्य शिकायतों पर जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है ।

बदायूं के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पंखे की कथित खरीद

45--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा वर्ष 1978-79 व 1979-80 में कितने बिजली के पंखे खरीदे गये और वह किस-किस स्कूल मे लगाये गये ? यदि नहीं लगाये गये, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद बदायूं के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा वर्ष 1978-79 व 1979-80 में बिजली के पंखों का क्रय किया ही नहीं गया । अतः उन्हें स्कूलों में लगाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बालेश्वर दास आदि बनाम उत्तर प्रदेश शासन नामक वाद के निर्णय के अनुपालन की मांग

46—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अपील नं0 1316-18-76, रिट पिटीशन सं0 864/79 बालेश्वर दास आदि बनाम उत्तर प्रदेश शासन नामक वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शासन राज्य के समस्त कर्मचारियों की ज्येष्ठता का निर्णय उनकी नियुक्ति की तिथि से निश्चित करने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

इस निर्णय की व्याप्ति और परिधि के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्प्रति पुनर्विचार किया जा रहा है अतएव अन्तिम निर्णय के पश्चात् ही कार्यान्वयन तथा अनुपालन की स्थिति होगी ।

सेवायोजन कार्यालय, बाराबंकी के लिपिक श्री आनन्द जोशी एवं श्री बंशीधर का स्थानान्तरण

47—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाराबंकी सेवायोजन कार्यालय के लिपिक श्री जोशी का तबादला रामपुर एवं श्री बंशीधर का तबादला लखीमपुर खीरी अगस्त, 1980 में किया गया था ? किन्तु उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया और छुट्टियां बढ़ाते रहे ? क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जनवरी, 1981 में दोनों लिपिकों का तबादला किस आधार पर निरस्त किया गया ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी हां । जिला सेवायोजन कार्यालय बाराबंकी के कनिष्ठ लिपिक श्री आनन्द जोशी एवं श्री बंशीधर का स्थानान्तरण क्रमशः जिला सेवायोजन कार्यालय, रामपुर एवं जिला सेवायोजन कार्यालय लखीमपुर खीरी 16 अगस्त, 1980 को किया गया था । उक्त दोनों कर्मचारियों ने नये तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया और छुट्टियां बढ़ाते रहे । मध्य सत्र में स्थानान्तरण न किये जाने की शासन की वर्तमान नीति को दृष्टि में रखते हुये इन दोनों कर्मचारियों का स्थानान्तरण 30 अप्रैल, 1981 तक के लिये स्थगित कर दिया गया ।

आगरा जिले में खारी नदी पर चंकोरा के पुल निर्माण की मांग

48—श्री बचन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद की तहसील किरावली के ग्राम चंकोरा के स्थान पर खारी नदी का पुल स्वीकृत हो गया है ? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण उक्त स्थान पर कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले के ग्राम चिल्लामाफी के श्री छोटे लाल की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु

49—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में बदौसा थाने के अन्तर्गत 15 जुलाई, 1980 की रात छोटा या छोटे लाल, निवासी चिल्लामाफी को पुलिस द्वारा पकड़कर मार डाला गया है और पुलिस तथा बदमाशों के बीच फरजी मुठभेड़ दिखाई गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में छोटा के एक रिश्तेदार ने 16-7-80 को पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी, बांदा को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि छोटा बांदा कचेहरी की अदालत में हाजिरी देकर बस द्वारा अपने घर वापस जा रहा था तभी बदौसा थाने के सामने बदौसा के थानेदार द्वारा उसे जबरदस्ती बस से उतार लिया गया था और कुछ ही घंटों के अन्दर उसे मार डाला गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

पुलिस अभिलेखों के अनुसार छोटेलाल पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया था। घटना की मजिस्टीरियल जांच हो रही है।

प्रश्नगत शिकायती पत्र जांच हेतु उक्त मजिस्ट्रेट को भेजा जा चुका है।

ग्राम गड़खड़ा, जिला वाराणसी के श्री फूल चन्द्र उपाध्याय की नसबन्दी के फलस्वरूप मृत्यु एवं आश्रितों को दी गयी सहायता

50—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 75 या 76 में श्री सकल नारायण उपाध्याय गांव गड़खड़ा, पोस्ट गड़खड़ा, जिला वाराणसी का लड़का जो सहायक अध्यापक के पद पर बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में कार्य करता था उसकी मृत्यु नसबन्दी की वजह से हो गयी थी ? यदि हां, तो उसकी ग्रेच्युटी व बीमा तथा दूसरे मदों का पैसा उसकी विधवा को अब तक न देने का कारण क्या है ? क्या इसकी जांच कराकर देने की व्यवस्था की जावेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, श्री फूल चन्द उपाध्याय की मृत्यु 1976 में नसबन्दी के कारण हुई थी। बीमा तथा प्राविधायी निधि की धनराशि का भुगतान उनकी विधवा को कर दिया गया है।

ग्रेच्युटी के भुगतान का प्राविधान नहीं है।

51—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सहायक अध्यापक के नाबालिग लड़के लड़कियों को पढ़ाई में कोई सहायता सरकार द्वारा दी गयी ? यदि हां, तो कितनी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

एक पुत्र की आधी शिक्षा शुल्क माफ है। एक पुत्री प्राइमरी कक्षा में अध्ययन करती है, जिसमें उसका शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता।

52—श्री ऊबल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों, अधिकारियों की मृत्यु फेमिली प्लानिंग (नसबन्दी) की वजह से शिक्षा विभाग में हो गयी है उनके परिवार को या उनकी विधवाओं को कोई सरकारी जगह उक्त विभागों में देने पर विचार किया गया है या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं, किन्तु श्री उपध्याय की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5,000 रुपया प्राप्त करके तात्कालिक सहायता उनकी विधवा को दी गयी थी।

फैजाबाद, टाण्डा के महा गायत्री एजेन्सी के श्री अवधेश कुमार मेहरोत्रा का प्रार्थना-पत्र

53—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा, जिला फैजाबाद स्थित स्टेपुल यार्न डीलर महागायत्री एजेन्सी के श्री अवधेश कुमार मेहरोत्रा का कोई प्रार्थना पत्र उद्योग राज्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था और उस पर 26-12-80 को कोई आदेश हुए थे ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह भी सही है कि इसी सम्बन्ध में उप सचिव, उद्योग ने 27-12-80 को कोई आदेश पारित किए थे ? यदि हां, तो उसका आज तक क्या हुआ ?

श्री नियाज हसन खां—

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम से महा गायत्री एजेन्सी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की गयी।

जी हां। उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम को यह सूचित किया गया था कि यदि और डीलरों को स्टेपुल यार्न दिया जा रहा हो तो महागायत्री एजेन्सी को भी स्टेपुल यार्न दे दिया जाय। हथकरघा निगम द्वारा बताया गया कि डीलरों की नियुक्ति नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की सहमति से की गयी थी। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन ने श्री मेहरोत्रा को डीलर नियुक्त करने की सहमति नहीं दी। अतः उन्हें डीलर नियुक्त नहीं किया जा सका इस प्रकार उन्हें स्टेपुल यार्न देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उप विद्यालय निरीक्षक, बदायूं के कार्यालय की बिजली की मरम्मत

54—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1978-79 में उप विद्यालय निरीक्षक, बदायूं के कार्यालय भवन की मरम्मत व पुताई और बिजली की फिटिंग के सम्बन्ध में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ? क्या यह कार्य सुचारु रूप से किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1978-79 में उप विद्यालय निरीक्षक, बदायूं के कार्यालय भवन की मरम्मत तथा पुताई पर कोई धनराशि व्यय नहीं की गई अपितु कार्यालय भवन के बिजली मरम्मत पर रुपया 1974·60 की धनराशि व्यय की गई। बिजली की मरम्मत का कार्य सुचारु रूप से किया गया है।

55--श्री मोती लाल देहलवी--

[8वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गाजीपुर जिले में आर्म्स लाइसेन्स हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

56--श्री राम नरायन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में वर्ष 1978-79 एवं 1980 में आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत कितने आर्म्स के लाइसेन्स के प्रार्थना-पत्र आये, कितने अभ्यर्थियों को लाइसेन्स स्वीकृत किये और कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किए गये ? कितने प्रार्थना-पत्र अभी जिला प्रशासन के यहां विचाराधीन हैं ? और कब तक उनको स्वीकृत की जायेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

गाजीपुर जनपद में वर्ष 1978-79 तथा 1980 में आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स हेतु कुल 4141 प्रार्थना-पत्र आये। 919 लाइसेन्स स्वीकृत एवं 1443 प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये। 1978 से भी पूर्व के वर्षों के अवशेष को सम्मिलित करते हुये वर्ष 1980 के अन्त में 2215 आवेदन-पत्र जिला प्रशासन में विचाराधीन थे जिनकी जांच पूर्ण होने पर स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

जिला परिषद्, लखीमपुर-खीरी के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का स्थायीकरण एवं बी० टी० सी० अध्यापकों की पदोन्नति

57-58--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर-खीरी जिला परिषद् द्वारा संचालित समस्त माध्यमिक विद्यालयों में ऐसे सहायक अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें सेवारत रहते 9 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है परन्तु अभी तक उनकी सेवाओं का स्थायीकरण नहीं हुआ ? ऐसा न होने का कारण क्या है ?

क्या शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी है कि उक्त प्रश्न में सन्दर्भित विद्यालयों में बी० टी० सी० ग्रेड में 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत ऐसे अध्यापक कौन-कौन हैं जिनकी प्रोन्नति स्वतः सी० टी० ग्रेड में अभी नहीं हुई हैं ? प्रोन्नति न होने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जौनपुर जिले के पालीटेक्निक का कथित भवन एवं प्रशिक्षण

59—श्री प्रभु नारायण सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जौनपुर जनपद में पालीटेक्निक का भवन उपलब्ध है परन्तु उसमें पठन-पाठन एवं प्रशिक्षण नहीं होता ? क्या सरकार पूर्वांचल के इस जनपद में भी पालीटेक्निक के उपलब्ध इस भवन में छात्रों के पठन-पाठन एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेंगी ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जौनपुर जनपद में पालीटेक्निक का कोई भवन नहीं है । पूर्व में राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, जौनपुर नाम की एक प्रमाण-पत्र स्तर की संस्था उस जिले में थी । इस संस्था को वर्ष 1972 में पूर्ण स्टाक, साज-सज्जा एवं भवन सहित कृषि विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया । उक्त भवन में कृषि विभाग की कर्मशाला स्थापित है । अतएव इस जनपद में कृषि विभाग के वर्तमान भवन में तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् में लिए गये जिला परिषदों के कर्मचारी

60—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषदों में कार्यरत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को बेसिक शिक्षा परिषद् में लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी के पत्रकार श्री सी० बी० झां द्वारा विधान भवन के सामने भूख हड़ताल

61—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत सत्र के दौरान 16 सितम्बर, 1980 से झांसी के पत्रकार श्री सी० बी० झां की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल विधान भवन के सामने प्रारम्भ हुई और 23 सितम्बर, 1980 को उन्हें चालान करके जेल भेज दिया गया ? यदि हां, तो यह भूख हड़ताल कब तक चली, अनशनकारी की मांग क्या थी और उन पर शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

श्री० सी० बी० झां, पत्रकार जिला झांसी ने दिनांक 16-9-80 को अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल विधान भवन के सामने प्रारम्भ की थी । दिनांक 23-9-80 को उन्हें उक्त स्थल से धारा 309 भा० द० वि० के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जिला जेल लखनऊ भेजा गया ।

अनशनकारी की मांगें निम्न थीं--

1--दिनांक 19-1-80 को उनके ऊपर पड़ी डकैती के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाय ।

2--उपरोक्त डकैती की तहरीर फाड़कर उनके ऊपर पड़ी डकैती को बलवा का रूप देने के लिये थाना नवाबाद, झांसी के प्रभारी निरीक्षक तथा उप निरीक्षक विशम्भर दयाल को अविलम्ब निलम्बित किया जाय ।

3--पुलिस चौकी चमनगंज, झांसी के उपनिरीक्षक श्री रामशंकर सिंह परिहार द्वारा उक्त डकैती के अभियुक्तों से मिलकर उन पर झूठा लगाया गया धारा 452 भा0 द0 वि0 का अभियोग तत्काल खत्म किया जाय तथा उनकी जानमाल की सुरक्षा की जाय एवं उप निरीक्षक श्री राम शंकर सिंह को निलम्बित किया जाय ।

4--गुण्डों तथा अभियुक्तों को अपने पद व प्रभाव का पूरा-पूरा लाभ देकर उनकी जान माल व इज्जत से खिलवाड़ कराने वाले यल0 आई0 यू0, सी0 आई0 डी0 के प्रभारी निरीक्षक श्री यल0 एन0 तिवारी का तुरन्त स्थानान्तरण किया जाय ।

5--सम्पूर्ण मामले की सी0 बी0 आई0 द्वारा उच्चस्तरीय जांच कराई जाय व उन्हें न्याय दिया जाय ।

श्री सी0 बी0 झां की सुरक्षा हेतु जिला मजिस्ट्रेट, झांसी को समुचित आदेश दे दिये गये हैं तथा सम्बन्धित सभी मामलों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा के सुपुर्द कर दी गयी है ।

हरदोई जिले के वासत नगर गनुआपुर-परेली मार्ग के निर्माण की मांग

62--श्री राम औतार दीक्षित--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की शाहाबाद तहसील में ग्राम वासत नगर (बझा) से गनुआपुर होकर परेली तक सम्पर्क मार्ग बनाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच जिले के भिनगा-लक्ष्मनपुर तथा भिनगा भयवाही मार्ग के केन नाला पर पुल निर्माण की मांग

63--श्री खुर्शेद अहमद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 6ठीं पंचवर्षीय योजना में जनपद बहराइच के भिनगा क्षेत्र के भिनगा लक्ष्मनपुर तथा भिनगा भयवाही मार्ग केन नाला पर पुल बनाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच जिले के भिनगा--बहराइच मार्ग को ऊंचा किये जाने की मांग

64--श्री खुर्शेद अहमद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के भिनगा-बहराइच मार्ग जो कि0 मी0 29 से 33 तक हर वर्ष बाढ़ के कारण कट जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस 5 कि0मी0 सड़क को इस वर्ष ऊंचा करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद के सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं एवं जूनियर अभियन्ताओं के रिक्त पद

65--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के प्रान्तीय और अस्थायी खन्डों में सहायक एवं जूनियर अभियन्ताओं के कितने पद रिक्त हैं और क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

66--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

देवरिया जिले की सी0 सी0 रोड को पक्का किये जाने एवं पुल निर्माण की मांग

67--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया के देसही देवरिया को जाने वाली सी0 सी0 रोड को कब तक पिच करा दिया जावेगा व उस पर ग्राम सभा केशरपुर देवरिया बुढ़खां के सामने कब तक पुलों का निर्माण करा दिया जावेगा ? क्या इसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के दिनाक 28 अक्तूबर, 1980 के पत्र उनके कार्यालय के पत्र सं0-1689/80, दिनांक 3 नवम्बर, 1980 द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? और नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

ये निर्माण कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करेंगे ।

प्रश्नकर्ता का प्रश्न प्राप्त हुआ और शासन स्तर पर विचारोपरान्त धनाभाव के कारण प्रश्नगत मार्ग तथा पुलों की स्वीकृति नहीं दी जा सकी ।

बरेली नगर के सब-इन्सपेक्टर श्री संग्राम सिंह की बदमाशों से मुठभेड़ एवं मृत्यु

68--श्री जयदीप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संग्राम सिंह, सब-इन्सपेक्टर की हत्या बरेली नगर के पास किन परिस्थितियों में हुई और हत्यारों के गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण था ? क्या सरकार मृतक संग्राम सिंह के परिवार को अधिकतम आर्थिक सहायता एवं इनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में लेने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 22, 23 अगस्त, 1980 की रात को पीलीभीत बाई-पास की ओर सशस्त्र बदमाशों से हुई मुठभेड़ में बदमाशों की गोली से घायल हो जाने के फलस्वरूप सब-इन्सपेक्टर श्री संग्राम सिंह की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । श्री संग्राम सिंह को गिरते देखकर सहयोगी पुलिस फोर्स उन्हें सम्भालने लगी और बदमाश मौका पाकर भागने में सफल हो गये ।

स्वर्गीय संग्राम सिंह के परिवार को शासन द्वारा 5,000 रु0 आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है । इसके अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली तथा उप पुलिस महानिरीक्षक, बरेली द्वारा क्रमशः 500-500 रु0 की आर्थिक सहायता मृतक के परिवार को दी गई है । "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974" के अनुसार पात्र होने तथा आवेदन-पत्र दिये जाने पर मृतक कर्मचारी के एक आश्रित को सरकारी सेवा में रखे जाने का नियम है ।

प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के पद पर जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति

69--श्री जगदीश सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों में प्रधान अध्यापक, जूनियर हाई स्कूलों से कितनी पदोन्नतियां हुई हैं ? एवं यह प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है ? क्या सरकार पर्याप्त संख्या में जूनियर हाई स्कूलों के प्रधान अध्यापकों की पदोन्नति करके उनके लिये आरक्षित प्रतिशत को पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रधानाध्यापकीय श्रेणी से 99 नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक पद पर की गई हैं जो लगभग 8 परसेन्ट हैं ।

नियमानुसार इस श्रेणी से 10 परसेन्ट भर्ती होनी चाहिये, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

70--श्री जयदीप सिंह--

[3 फरवरी, 1981 को अतारांकित प्रश्न संख्या 223 द्वारा उत्तरित]

नैनीताल जिले की नादेही स्थित चीनी मिल पर श्री करन सिंह एवं श्री हर स्वरूप सिंह की हत्या

71—श्री जयदीप सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 25 नवम्बर, 1980 को जसपुर, जिला नैनीताल के दो किसान नेताओं, श्री करन सिंह एवं श्री हरस्वरूप सिंह की मृत्यु नादेही चीनी मिल के गेट पर किन परिस्थितियों में हुई ? जांच के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या तथ्य पाये गये ? और क्या यह भी सत्य है कि नादेही चीनी मिल के प्रांगण में दिनांक 27 नवम्बर, 1980 को आयोजित जनसभा में वक्ताओं द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित आरोपों की पुष्टि की गई ? यदि हां, तो शासन ने आज तक सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना जसपुर, जिला नैनीताल में दिनांक 25 नवम्बर, 1980 को श्री श्याम सिंह द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार श्री करन सिंह की मृत्यु श्री गुरु चरन सिंह द्वारा उत्तेजित होकर ट्रैक्टर का अगला पहिया चढ़ा दिये जाने से और श्री हर स्वरूप सिंह की मृत्यु उनके ऊपर गन्ने की ट्राली उलट जाने से हुई ।

विवेचना से श्री गुरु चरन सिंह के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध होने पर धारा 302, भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

दिनांक 27 नवम्बर, 1980 को नादेही चीनी मिल के प्रांगण में आयोजित शोकसभा में कतिपय वक्ताओं ने तत्कालीन जनरल मैनेजर व मुख्य गन्ना अधिकारी को इस घटना का दोषी बताते हुए उनको साजिश होने का आरोप अपने भाषणों में लगाया था और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी । प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी इन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियुक्त गुरु चरन सिंह को उत्तेजित करने का आरोप लगाया गया था । विवेचना से इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो पाये, अतः इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । विवेचना समाप्त कर दी गई है ।

बुलन्दशहर जिले के ग्राम बालका के श्री छिद्दा लाल के यहां डकैती

72—श्री किरनपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 5/6-11-80 की रात को गांव बालका, थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर में एक डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री छिद्दा लाल, निवासी मौजा बालका, जिला बुलन्दशहर में दिनांक 6-11-80 को, थाना औरंगाबाद पर, दिनांक 5/6-11-80 की रात्रि में सशस्त्र बदमाशों द्वारा वादी के घर घुसकर उसके पुत्र एवं पुत्री को चोट पहुंचाने तथा माल लूट कर ले जाने के आशय की सूचना अंकित कराई, जिसके आधार पर धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । बाद में वादी की पुत्री की चोटों के कारण मृत्यु हो जाने पर अभियोग धारा 396 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित करके विवेचना की गई । विवेचना से प्रकाश में आये 10 अभियुक्तों

में से 8 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। एक अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्त शेष है तथा एक अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

बुलन्दशहर जिले के असावर, बबूपुर एवं जमालपुर मार्ग का निर्माण

73--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के तहसील में अनेकों वर्षों से बन रहे असावर, बबूपुर, जमालपुर (भैसरौली) मार्ग तथा औरंगाबाद पवासरा मार्ग अभी तक निर्मित नहीं हो सके हैं। यदि हां, तो क्या कारण है ? तथा कब तक पूर्ण निर्मित हो जायेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां। वित्तीय साधनों के अभाव में प्रश्नगत मार्ग पूर्ण नहीं किये जा सके हैं जिन्हें यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

74-75--श्री राम चरण सिंह--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]।

डाला सीमेन्ट फैक्ट्री, मिर्जापुर के कर्मचारी, श्री राम भगौती की सेवा समाप्ति

76--श्री राम चरण सिंह--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम भगौती पुत्र श्री कल्लू राम शर्मा, क्रॉसिंग प्लान्ट, टो० नं० 221, डाला सीमेन्ट फैक्ट्री, डाला, मिर्जापुर 12-4-78 से 6-3-80 तक मेडिकल अवकाश पर रहा ? क्या यह सही है कि जब 6-3-80 को फिटनेश का प्रमाण-पत्र लेकर काम पर गया तो उसे लेने से इन्कार कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रबन्ध निदेशक, डाला सीमेन्ट फैक्ट्री तथा उद्योग मंत्री जी को अगस्त, 1980 में पत्र लिखा गया था, मिला : यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नियाज हसन खां--

यह सही नहीं है कि श्री राम भगौती प्रश्नगत अवधि में चिकित्सा अवकाश पर रहे। स्थिति यह है कि प्रारम्भ में वेतन रहित अवकाश पर रहने के उपरांत 1-1-1978 से वे बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे जिसके फलस्वरूप नियमानुसार उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं और उनके देयों के सम्बन्ध में आदेश कर दिये गये। श्री राम भगौती द्वारा 7-3-80 को दिये गये प्रार्थना-पत्र, जिसके साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा फिटनेश प्रमाण पत्र संलग्न थे, तथा इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य से प्राप्त 21 जुलाई, 1980 के पत्र पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि श्री भगौती की सेवायें नियमानुसार पहले ही समाप्त की जा चुकी थीं।

बड़ा चांदगंज, छपरतला, लखनऊ के श्री तरुण चन्द्र के यहां चोरी

77--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना महानगर क्षेत्रान्तर्गत 211 बड़ा चांदगंज, छपरतला, लखनऊ के श्री तरुण चन्द्र के घर 5/6 दिसम्बर, 1980 की रात्रि

में हुई चोरी जिसमें लगभग 35 हजार रुपये के नगदी एवं सामान शामिल है की रिपोर्ट संख्या 204962/945 धारा सं0 457/380 आई0 पी0 सी0 पर दर्ज है ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त चोरी की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में मु0 अ0 सं0 975/80 धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 थाना महानगर पर पंजीकृत किया गया। उक्त अपराध का विवेचना निरीक्षक प्रभारी महानगर द्वारा प्रारम्भ की गई और निरीक्षक महानगर तथा क्षेत्राधिकारी हजरतगंज द्वारा घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया। विवेचना के दौरान श्वान दल एवं फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो को भी बुलाया गया। कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। क्षेत्रीय पुलिस द्वारा लगातार तलाश जारी है और निरीक्षक महानगर को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे माल व मुल्जिम का शीघ्र पता लगायें। विवेचना से ज्ञात हुआ है कि उक्त अपराध किसी बाहरी गिरोह द्वारा किया गया है। चूंकि स्थानीय पुलिस प्रयास कर ही रही है, अतः इस समय सी0 आई0 डी0 को जांच सौंपने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

78—श्री विजय सिंह राना--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनता जूनियर हाई स्कूल, उतरेथू, फैजाबाद को हाई स्कूल की मान्यता दिये जाने की मांग

79—श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता जूनियर हाई स्कूल, उतरेथू वर्ष 1981 की नवीन हाई स्कूल मान्यता प्राप्त करने के संबंध में दिनांक 8 जनवरी, 1980 को सदस्य, विधान सभा, टाण्डा क्षेत्र के द्वारा कोई पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्न में संदर्भित पत्र कार्यालय अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं है तथापि कतिपय अन्य पत्रों पर मामले में विचार किया जा रहा है।

आजमगढ़ के घोसी-मुहम्मदाबाद मार्ग के टोंस नदी के पुल पर पथकर की वसूली एवं कर्मचारी तथा पथकर वसूली का दिया गया ठेका

80--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़-घोसी वाया मुहम्मदाबाद मार्ग पर टोंस नदी के पुल पर सन् 1979-80 तक पिछले 10 वर्षों से सार्वजनिक निर्माण विभाग टोल टैक्स वसूल करता रहा है ? यदि हां, तो जब से सार्वजनिक निर्माण विभाग टैक्स वसूल करता रहा है प्रत्येक वर्षों में कितने रुपये की आय हुई ? कितना खर्चा कर्मचारियों के वेतन तथा दूसरे मदों पर आया ? कितने कर्मचारी कार्यरत रहे हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

धोसी-मुहम्मदाबाद मार्ग पर टोंस नदी के पुल पर पथकर वसूली दिनांक 1 अगस्त, 1978 से की जा रही है। इस पुल पर वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 की आय क्रमशः रुपये 22,747, 59,944, 34,697 कर्मचारियों के वेतन पर व्यय क्रमशः 14,444 24,710, 4,280 तथा अन्य व्यय क्रमशः रु0 8,305, 13,409, 8,453 है। पथकर वसूली के लिये पांच कर्मचारी कार्यरत रहे।

81--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुल पर जो कर्मचारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य करते रहे वो कहां भेजे गये या उन्हें नौकरी से पृथक कर दिया गया ?

श्री जगदीश प्रसाद--

उक्त पुल की पथकर वसूली ठेकेदार द्वारा 1 नवम्बर, 1980 से प्रारंभ होने पर कार्यरत कर्मचारी उसी दिन से पहले के स्थान पर कार्यरत हैं। उन्हें नौकरी से पृथक नहीं किया गया है।

82--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुल के ठेके के अलावा जून, 1980 के बाद प्रदेश के और किन-किन पुलों का ठेका प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया गया है उनके नाम तथा ठेकेदारों के नाम व पते क्या हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

वर्तमान प्रशासनादेशों के अनुसार समस्त पक्के पुलों की पथकर की वसूली नीलामी द्वारा करायी जा रही है। समय के अभाव में प्रदेश के समस्त पुलों के ठेकेदारों के नाम तथा पता बताना संभव नहीं है।

वाराणसी-आजमगढ़ एवं मुहम्मदपुर--आजमगढ़ सड़क के पत्थर की गिट्टी की जांच

83--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जौनपुर से आजमगढ़ जाने वाली रोड पर मुहम्मदपुर से आजमगढ़ तक एवं वाराणसी से चनवक होते हुए आजमगढ़ रोड पर पत्थर के गिट्टी की जांच करायेंगे जो रद्दी पत्थर की हैं तथा आधे के करीब मिट्टी पत्थर का चूरा मिला हुआ है ? क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी जिन्होंने रद्दी नरम पत्थर की मिट्टी एवं धूल मिट्टी चूरा गिरवाया है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

इन दो मार्गों पर की गई पत्थर की सप्लाई के संबंध में कुछ सामग्री अवर स्तर की पाई गई जिसके लिये क्रमशः 7,800 रु0 तथा 1,800 रु0 की कटौती कर ली गई है। जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

पूरा-मुबारिकपुर-गोयला-मंडावती मार्ग, मुजफ्फरनगर का निर्माण

84--श्री धर्मवीर सिंह त्यागी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाद्यान्न 2 में उनके विभाग में जो सड़कें स्वीकृत थीं और उन पर कुछ कार्य हो चुका है अब खाद्यान्न योजना बन्द हो जाने पर किस योजना के अधीन बनाई जायेगी ?

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में मुबारिकपुर मंडावली बांगर मार्ग जिसमें भूमि अधिग्रहण का कार्य हो चुका है और काफी कार्य भी हो चुका है खाद्यान्न दो के बन्द हो जाने पर नियमित सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क मानी जायगी और तुरन्त पूरी कराई जायगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

खाद्यान्न योजना नम्बर-2 के बचे हुये कार्य अब आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत पूरे किये जा रहे हैं ।

मुबारिकपुर में मंडावती बांगर मार्ग के नाम से कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है । पूरा-मुबारिकपुर-गोयला-मंडावती मार्ग खाद्यान्न योजना-2 के अन्तर्गत स्वीकृत है । भूमि न मिलने के कारण यह कार्य अभी तक पूरा न हो सका । अब भूमि अधिग्रहण हो गया है व अधिकतर भाग में भूमि का कब्जा मिल गया है । इस मार्ग पर कार्य अब आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है । यह मार्ग नियमित सार्वजनिक निर्माण विभाग का मार्ग होगा । कार्य पूरा करने के लिए लगभग तीन वर्ष का समय लगेगा ।

नगरपालिका, मऊरानीपुर, झांसी के बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का कथित प्रान्तीयकरण

85--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, मऊरानीपुर (झांसी) द्वारा संचालित बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रान्तीयकरण एवं उच्चीकरण का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इस सबन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मूलचन्द्र त्यागी, ग्राम सेवक, जिला मुरादाबाद के ऊपर हमला

86--श्री मन्जूर अहमद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मूलचन्द त्यागी, ग्राम सेवक, ब्लाक हसनपुर, जिला, मुरादाबाद के बच्चों पर हसनपुर में ही कुछ व्यक्तियों ने दिनांक 27-1-80 की सुबह घर में घुस कर हमला किया और जख्मी कर दिया जिसका मुकदमा अदालत में विचाराधीन है ? यदि हां, तो मुकदमें का आधार क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

अपराध सिद्ध होने पर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

जौनपुर जिले के ग्राम अमांवा के जूनियर बेसिक पाठशाला का भवन

87--श्री जंगबहादुर--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के सुजानगंज विकास क्षेत्र के ग्राम अमांवा में जू0 बे0 पाठशाला, अमांवा बरगद के नीचे चलायी जा रही है तथा विद्यालय की भूमि, जो 27-6-64 के परगनाधिकारी के आदेश से उपलब्ध हुयी थी अमलदरामद के बावजूद विद्यालय का नाम सरकारी कागजात से फर्जी तौर पर निकाल दिया गया है । क्या सरकार विद्यालय को भूमि दिलाने तथा उस पर भवन निर्माण शीघ्र कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

88--श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

वाराणसी जिले के ग्राम डूहीसूही, गयापुर, केराडीह आदि के हरिजनों की नसबन्दी एवं वन विभाग का भूमि का पट्टा दिये जाने का आश्वासन

89--श्री ऊदल--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गयापुर, रसिया, गांधीनगर, केराडीह, डूहीसूही, लालपुर पचवनियां, परगना केरा मंगरौर, तहसील चकिया, जिला वाराणसी के 70 हरिजनों की नसबन्दी सन् 1976 में चकिया रेंजर के स्टाफ के प्रेरक होने से अस्पताल चकिया तथा राजकीय अस्पताल, रामनगर में नसबन्दी कराया था और उन हरिजनों को आश्वासन एक-एक एकड़ जमीन खेती के लिये वन विभाग की देने को कहा गया था ? तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या 15 अक्तूबर, 1980 को उपरोक्त गांवों के नसबन्दी कराने वालों ने उन्हें एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि नसबन्दी कराये भूमिहीन हरिजनों को पट्टा दिया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार पट्टा देने पर विचार करेगी ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रश्न में प्रासंगिक हरिजनों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके अभाव में यह बतलाना सम्भव नहीं है कि वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा इन्हीं लोगों को नसबंदी हेतु प्रेरित किया गया था अथवा नहीं । नसबंदी के लिये प्रेरित किये जाने वाले व्यक्तियों को खेती के लिये वन भूमि देने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । संदर्भित ग्रामों के कुछ व्यक्तियों को वर्ष 1977 में टांगिया पद्धति पर खेती करने हेतु एक-एक एकड़ भूमि आवंटित की गई थी । ग्राम केराडीह, गयापुर तथा डूही सूही के कुछ व्यक्तियों के प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र दिया है तथा यह निवेदन किया है कि उन्हें वन भूमि मौरूसी पट्टे पर दे दी जाय । वर्तमान वन नीति को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है ।

वाराणसी जिले के ग्राम सपही, गांधीनगर एवं डूही सूही के हरिजनों को टांगिया पद्धति पर भूमि दिये जाने सम्बन्धी पत्र

90—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवीन्द्र बिहारी माथुर, अरण्यपाल, द0 वृ0, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने एक अर्ध शा0 पत्र संख्या 8807/26-25, दिनांक 26 मार्च, 1975 द्वारा उप अरण्यपाल, वाराणसी को लिखा था कि डूही सूही के भूमिहीन हरिजनों को टांगिया सिस्टम में जमीन दी जाय ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उप अरण्यपाल, वाराणसी ने अर्द्ध शा0 पत्र संख्या 29-1/ डी0, दिनांक रामनगर-अप्रैल, 1976 द्वारा अरण्यपाल को सूचित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां, श्री रवीन्द्र बिहारी माथुर, अरण्यपाल, दक्षिणी वृत ने उप अरण्यपाल, वाराणसी को प्रश्नगत पत्र लिखा था कि डूही सूही गांव की जमीन टांगिया पद्धति पर देने के बारे में शीघ्र कार्यवाही करें । उप अरण्यपाल, वाराणसी ने अपने पत्र संख्या 4849/29-1-बी, दिनांक 2 अप्रैल, 1976 के अन्तर्गत अरण्यपाल को जो उत्तर भेजा था उसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 614 पर ।)

91—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप अरण्यपाल, वाराणसी वन प्रभाग ने अपने अ0 शा0 प0 संख्या 3684/29-1-सी-रामनगर, दिनांक 9 फरवरी, 1979 द्वारा एक पत्र प्रश्नकर्त्ता को लिखा कि डूही सूही के 100 व्यक्तियों की सूची मिल गयी है जिसमें यह भी दर्शाया कि गांधीनगर में भूमि दी गयी जो टांगिया पद्धति सफल नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि गांव डूही सूही जहां के लिये टांगियां पद्धति में जमीन देने हेतु शासन ने मंजूरी दी थी उन्हें नहीं दी गयी है और इसके पहले लिस्ट दी गयी थी डी0 एफ0 ओ0 एवं रेंजर चकिया को, उसे उन लोगों ने गायब कर दिया है और नसबन्दी वालों को जमीन देकर टांगिया पद्धति बतायी जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां, उप अरण्यपाल, वाराणसी ने प्रश्न में उल्लिखित अपने पत्र द्वारा प्रश्नकर्त्ता को यह सूचित किया था कि उनके 11 फरवरी, 1979 के पत्र के साथ प्राप्त डूही सूही के केवल 93 व्यक्तियों की सूची प्राप्त हुई थी तथा इस बात का भी उल्लेख था कि सपही व गांधीनगर के पास वर्ष 1977 में कृषि के लिये टांगिया पद्धति पर भूमि दी गयी परन्तु जिन लोगों को भूमि दी गयी थी उन्होंने इकरारनामे की शर्तों के अनुसार कृषि के साथ वृक्ष न लगाकर इकरारनामे का उल्लंघन किया जिससे टांगिया पद्धति पर वृक्ष लगाने का कार्य असफल हो गया । डूही सूही के भूमिहीन हरिजनों को 100 एकड़ भूमि टांगिया पद्धति पर देने की समस्या शीघ्र हल किये जाने का निर्देश सम्बन्धित अरण्यपाल को शासन द्वारा दिया गया था । शासन के उक्त निर्देशों के संदर्भ में वर्ष 1977 में 80

व्यक्तियों को टांगिया पद्धति पर खेती करने हेतु भूमि वितरित कर दी गई थी उपरोक्त 80 व्यक्तियों में से 17 व्यक्ति ग्राम डूही सूही के निवासी थे जिन्होंने नसबंदी भी कराई थी तथा शेष 63 व्यक्ति अन्य ग्राम के भूमिहीन हरिजन थे, प्रश्न में उल्लिखित लिस्ट गायब नहीं हुई है ।

थाना बनकटा, जिला देवरिया के थानाध्यक्ष, श्री अखन्ड प्रताप सिंह के विरुद्ध शिकायतों की जांच

92--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थाना बनकटा, जिला देवरिया भू0 पू0 थानाध्यक्ष (श्री अखन्ड प्रताप सिंह) के विरुद्ध गत एक वर्ष में भ्रष्टाचार एवं अन्तर्प्रदेशीय तस्करी के कई मामलों की ओर जनप्रतिनिधियों ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं एवं अब तक इन मामलों में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्राप्त प्रमुख शिकायतें निम्नवत् हैं :--

1--सोमरथ चौधरी को 6 अक्तूबर, 1980 को गोली मार दी तथा नकद व कीमती सामान छीन लिया ।

2--विरोधियों से 10 हजार रुपये लेकर रामसरीखा लोनिया की हत्या की ।

3--विभिन्न डकैतियों में जिन अभियुक्तों ने 10 लाख रुपये का सामान लूटा था उनको थानाध्यक्ष ने रुपये लेकर छोड़ दिया ।

4--एक ट्रक कोयला पकड़ा, 2 हजार रुपये लेकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी । 1/3 कोयला भट्ठे वालों से बेच दिया ।

5--दो ट्रक सीमेन्ट चोर बाजारी में पकड़ा गया परन्तु पैसे लेकर छोड़ दिया गया ।

6--बनकटा के एक स्टाकिस्ट सीमेन्ट चोर बाजारी में बेचते समय उसके विरुद्ध 3/7 ई0 सी0 ऐक्ट का मुकदमा कायम किया गया । एक हजार रुपये लेकर फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी ।

7--नथुनी सेठ के घर डकैती में वर्तमान एस0 ओ0 ने दो हजार रुपये लेकर गांव के 5 निर्दोष आदमियों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी ।

8--इलाके के राशन दुकानदारों से धमका कर चीनी लेकर चोर-बाजारी में बेचते हैं ।

9--राना नामक एक लेडी हेल्थ विजिटर को परीक्षा भवन में घुस कर नकल कराने का प्रयास किया व उसके घर जाकर बेइज्जत करने की भी कोशिश की ।

10--56 बोरी गेहूं जो मजदूरों में बंटना था उसमें से 28 बोरी थाने ले जाकर बेच दिया ।

11--कमला पाण्डेय (मकान मालिक जिसके मकान में थाना है) का डकैती में चालान कराया ।

12--रामबली यादव जिससे थानाध्यक्ष के रिश्तेदारों से मुकदमेबाजी चल रही थी को पकड़ कर बिहार पुलिस को सौंप कर जान से मरवा दिया ।

13--195 बोरी यूरिया खाद श्री इन्द्रासन मिश्र की नाजायज तरीके से बिहार ले जाकर बेच दिया ।

14--श्री सच्चिदानन्द मिश्र का 200 बोरी सागोल नाजायज रूप से बेच दिया ।

15--श्री रवीन्द्र सिंह नामक कुख्यात डकैत को अपनी जाति का होने के नाते छोड़ दिया ।

अब तक की जांच के परिणाम स्वरूप श्री अखण्ड प्रताप सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष बनकटा के विरुद्ध 4 अभियोग विभिन्न धाराओं में पंजीकृत कराये गये हैं, जिसमें एक की विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जा रही है । शेष 3 अभियोगों की विवेचना भी भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा करने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन को लिखा गया है । सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को थानाध्यक्ष पद से हटा कर पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रदेश के हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों को दी गई मान्यता

93--श्री विजय सिंह राना--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में जिन 35 विद्यालयों में से 33 विद्यालयों को अधिनियम की धारा 9 (4) में हाई स्कूल, इन्टर की मान्यता दी गई है उन विद्यालयों के नाम क्या हैं तथा जिन विद्यालयों की मान्यता रोक ली गई है उसके कारण क्या हैं ? क्या उनकी मान्यता भी निर्गत की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूची संलग्न है । संलग्न सूची के क्रम 18 तथा 35 पर उल्लिखित दो विद्यालयों को प्रामृत, आवेदन-पत्र एवं आवेदन शुल्क से सम्बन्धित प्रतिबन्धों/अपेक्षाओं की पूर्ति न होने के कारण मान्यता-पत्र अभी निर्गत नहीं किया गया है । आवश्यक प्रतिबन्धों/अपेक्षाओं की पूर्ति होने पर इन विद्यालयों को भी मान्यता-पत्र निर्गत कर दिया जावेगा ।

*(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 615 पर)

सतर्कता अधिष्ठान के इन्सपेक्टरों की नियुक्ति में दी गयी कथित सुविधा

94--श्री विजय सिंह राना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में विजीलेंस इन्सपेक्टरों की नियुक्ति सम्बन्धी सुविधाओं में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वित्तीय वर्ष 1980-81 में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान में इन्सपेक्टरों की नियुक्ति सम्बन्धी सुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री सत्यनारायण उपाध्याय, ग्राम सठियांव, जिला देवरिया का अपनी सुरक्षा सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

95--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर भण्डारी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्यनारायण उपाध्याय पुत्र श्री बबन उपाध्याय ग्राम सठियांव पो0 बैकुंठपुर, अपने जनपद देवरिया का पत्र अपने जान रक्षा के सम्बन्ध में दिनांक 9-1-81 को उन्हें पुलिस महानिरीक्षक गृह सचिव, को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जांच कराई गई । जांच से प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोप प्रमाणित नहीं हुए । प्रार्थी एवं विपक्षीगण श्री राज किशोर पाण्डे आदि के मध्य जमीन सम्बन्धी कई प्रकार के मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं । परिणामतः दोनों पक्षों में रंजिश है । शान्ति स्थापित करने हेतु दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 जा0 फौ0 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है तथा स्थानीय पुलिस को प्रार्थी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क कर दिया गया है ।

96--श्री हरगोविन्द वर्मा तथा श्री हरिवंश सहाय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं द्वारा तालों की खरीद

97--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा कितने ताले स्कूलों के लिए खरीदे गये वर्ष 1978-79, 79-80 में और कितनी धनराशि खर्च हुई ? क्या यह ताले स्कूलों को दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद बदायूं के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में क्रमशः 1341 तथा 88, कुल 1426 ताले स्कूलों के लिए खरीदे गये । वर्ष 1978-79 में रु0 28,451.25 पैसे तथा वर्ष 1979-80 में रु0 1,980.00 की धनराशि उक्त तालों के क्रय पर खर्च हुई । सभी ताले विद्यालयों को वितरित किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

98—श्री दूधनाथ राजभर—

[7वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मैनपुरी जिले के खादी ग्रामोद्योग विभाग को धनराशि का आवंटन

99—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1978–79 तथा 1979–80 में मैनपुरी जनपद के खादी ग्रामोद्योग विभाग के लिये कितना धन आवंटित किया गया था ? तथा उसमें से कितना व्यय हुआ ? कितनी धनराशि बिना प्रयोग की हुई बच गई ? और क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

अखिल भारतीय खादी आयोग से वर्ष 1978–79 तथा 1979–80 में उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड को जो धनराशि आवंटित की गई थी उसके आधार पर मैनपुरी जनपद को बोर्ड द्वारा क्रमशः 701160.00 रु0 तथा 94880.00 रुपये आवंटित किए गये किन्तु आयोग से वास्तविक प्राप्त धनराशि के आधार पर उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा मैनपुरी जनपद को वर्ष 1978–79 तथा 79–80 में क्रमश 210200.00 रुपया तथा 364420.00 रुपये वास्तविक धनराशि अवमुक्त की गई जो कि पूरी–पूरी उपयोग की गई ।

100—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

मुरादाबाद में विश्वविद्यालयों की कथित स्थापना

101—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरादाबाद के आस–पास दो विश्वविद्यालय बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उसके नाम क्या हैं, उनका अलग–अलग कितना बजट कितना है तथा उसकी पूर्ति किन–किन माध्यमों से हो रही है ? इनमें कौन–कौन से विषय पढ़ाये जायेंगे ? इन विश्वविद्यालयों की आवश्यकता कब महसूस की गई तथा इनमें शिक्षा का कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठते ।

विकास खण्डवार प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालय की स्थापना की मांग

102—श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा में अपेक्षित सुधार हेतु प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालय विकास खंड स्तर पर बनाये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शासन द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार करके उसे अस्वीकार कर दिया गया है ।

बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कालेज, नौगढ़, बस्ती के प्रबन्ध समिति के सदस्य

103—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कालेज, नौगढ़ (तेतरी बाजार), जिला बस्ती की प्रबन्ध समिति में कौन-कौन से सदस्य हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कालेज, नौगढ़ (तेतरी बाजार), बस्ती की प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 618 पर)

मुरादाबाद में दंगा पीड़ितों को दी गयी सहायता

104—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में अगस्त, 1980 के बलवे में पीड़ित होने वाले अब तक कितने व्यक्तियों को क्या-क्या सहायता दी गयी ? क्या शासन पीड़ित व्यक्तियों को कम ब्याज पर अपना व्यवसाय चलाने हेतु ऋण प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद मुरादाबाद में अगस्त, 1980 के दंगे में पीड़ित होने वाले व्यक्तियों को दिनांक 30-1-1981 तक दी गई सहायता की सूचना संलग्न है ।

उद्योग धंधों को चलाने हेतु 4 प्रतिशत ब्याज पर 59 व्यक्तियों को 2,44,607 रु0 बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 619 पर)

श्री बच्चन सिंह नेगी नायब तहसीलदार, जिला मेरठ द्वारा थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

105—श्री मन्जूर अहमद तथा श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-1-1981 को थाना बागपत, जिला मेरठ में श्री बच्चन सिंह नेगी, नायब तहसीलदार ने ड्यूटी के समय में की गई मारपीट की कोई रपट थाना बागपत में लिखाई है ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं । कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

डिप्टी एस0 पी0, तिलहर क्षेत्र, शाहजहांपुर के विरुद्ध महिलाओं के साथ रंगरेलियां मनाये जाने का कथित आरोप

106—श्री राम कुंवर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि दिसम्बर, 1980 में डिप्टी एस0 पी0 तिलहर क्षेत्र, जिला शाहजहांपुर दो बदनाम महिलाओं को अपनी जीप पर बैठाकर थाना जैतीपुर के गांव अगरोली ले गये तथा रंगरेलियां मनाई और महिलाओं के कहने पर कुछ भले आदमियों को तंग किया व पुलिस इन्चार्ज जैतीपुर द्वारा पिटवाया जिससे जनता में घोर रोष असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो जनहित में क्या सारी घटना की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त विवरण के अनुसार यह सही नहीं है कि क्षेत्राधिकारी तिलहर (सहायक पुलिस अधीक्षक) दो बदनाम महिलाओं को अपनी जीप पर बैठाकर ग्राम अगरौली थाना जैतीपुर ले गये और रंगरेलियां मनाई तथा महिलाओं के कहने पर कुछ भले आदमियों को एस0 ओ0 जैतीपुर द्वारा तंग करवाया व पिटवाया। कथित क्षेत्राधिकारी श्रीमती बटोरी विधवा, स्वर्गीय मूलचन्द, जिसकी आयु लगभग 60 वर्ष थी, को उनकी शिकायतों की जांच हेतु अपनी जीप पर बैठाकर उसके ग्राम अगरौली ले गये थे।

डिप्टी एस0 पी0, श्री बंशी लाल, शाहजहांपुर द्वारा श्री सौदान सिंह का लिया गया बयान

107—श्री राम कुंवर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि दिनांक 10-1-81 को शाहजहांपुर जिले के थाना जैतीपुर के ग्राम खेड़ाबघेड़ा में एक डिप्टी एस0पी0 गये और सौदान के नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर एक कोरे कागज पर जबर्दस्ती करा लिये जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक' शाहजहांपुर से 15-1-81 को लिखित रूप में की गई ? क्या यह भी सच है कि उपरोक्त गांव के एक अराजक तत्व गुन्डे से हाथ मिलाया तथा उसे गुन्डागर्दी करने की खुले आम छूट दी और इस घटना से जनता में भयंकर रोष असंतोष व क्रोध व्याप्त है उसको तत्काल दूर करने हेतु क्या कार्यवाही शासन ने की।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त विवरण के अनुसार यह सही नहीं है कि डिप्टी एस0 पी0 थाना जैतापुर ने ग्राम खेड़ा बघेड़ा जाकर सौदान सिंह नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर कोरे कागज पर करा लिये। श्री बंशी लाल, आई0 पी0 एस0, सहायक पुलिस अधीक्षक दिनांक 10-1-81 को एक अभियोग अपराध संख्या 306 धारा 379 भा0 दं0 वि0 जांच के संबंध में उक्त ग्राम में गये थे और सौदान सिंह के बयान भी लिये थे परन्तु उन्होंने किसी कोरे कागज पर उनके हस्ताक्षर नहीं लिये।

वह भी सही नहीं है कि उन्होंने उक्त गांव के एक अराजक तत्व से हाथ मिलाया और उसे गुन्डागर्दी करने की खुली छूट दी।

आगरा जिले के थाना अछनेरा के कान्स्टेबिलों की छीनी गयी राइफलें

108—श्री बदन सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा जिले के अछनेरा थाने के सिपाहियों से सहता ग्राम में दो रायफलें दिनांक 20-2-1980 को छीनी गयीं थीं

यदि हां, तो उन सरकारी रायफलों को बरामद करने में अछनेरा पुलिस असफल रही ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

यह सही है कि दिनांक 20-2-80 को बदमाशों द्वारा दो कान्स्टेबिलों से ग्राम थापो के निकट मार पीट कर उनकी दो राइफलें छीन ली गई थीं ।

विवेचना व सूराग रसी के मध्य बदमाशों के दो-तीन नाम प्रमुखतः प्रकाश में आये जिनमें से एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, एक ने एक अन्य मामले में न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा एक का राज्य के बाहर चला जाना पाया गया । परिणामस्वरूप राइफलों की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई । राइफलों की बरामदगी करने हेतु हर सम्भव प्रयास अब भी जारी हैं ।

श्री एस0 एस0 श्रीवास्तव, अरण्यपाल, झांसी का स्थानान्तरण

109--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा कपा करेंगे कि श्री वी0 एन0 चतुर्वेदी मुख्य अरण्यपाल, लखनऊ द्वारा श्री एस0 एस0 श्रीवास्तव अरण्यपाल, बुन्देलखंड वृत्त, झांसी के कार्य कलापों की समीक्षा के पश्चात् माह जून, 1980 में उक्त अधिकारी के स्थानान्तरण का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ शासन को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उसे किन परिस्थितियों में शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माह जून, 1980 में श्री एस0 एस0 श्रीवास्तव, अरण्यपाल का प्रशासनिक कारणों पर स्थानान्तरण का प्रस्ताव मुख्य अरन्यपाल से शासन को प्राप्त हुआ था । शासन स्तर पर प्रशासनिक दृष्टिकोण जनहित में इस प्रस्ताव को मानना उपयुक्त नहीं पाया गया ।

ग्राम पृथ्वीपुरा नया खेरा, जिला झांसी के श्री अर्जुन के भाई की हत्या

110---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1981 के प्रथम सप्ताह में थाना बबीना अन्तर्गत ग्राम पृथ्वीपुरा नया खेरा निवासी होमगार्ड विभाग के सिपाही श्री अर्जुन ने जिलाधिकारी झांसी को एक प्रार्थना पत्र दिया कि उसके भाई को शराब में जहर देकर मार दिया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी झांसी को नहीं दिया गया है किन्तु इस आशय का मुख्य मन्त्री को सम्बोधित श्री अर्जुन का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-1-81 पुलिस अधीक्षक, झांसी को भेजा जा चुका है । इसके पूर्व ही प्रार्थी की सूचना पर थाना नवाबाद पर दरयापतहाल कायम हो चुका है और मृतक का विसरा रसायनिक परीक्षण हेतु भेजा जा चुका है । इसके परिणाम की सूचना प्राप्त होने पर विधिक कार्यवाही नियमानुसार होगी ।

नेबुआ नौरंगिया, जिला देवरिया के थानाध्यक्ष द्वारा जमा कराया गया शस्त्र

111—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के नेबुवा नौरंगिया के थानाध्यक्ष ने 1 अक्तूबर से 15 जनवरी, 1981 तक कितने लोगों के आर्म्स जमा कराया है ? आर्म्स जमा कराने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि इस थाने के अन्दर राम नरायन यादव की बन्दूक परगनाधिकारी हाटा के तीन बार आदेश के बावजूद भी आज तक वापस नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

शान्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से देवरिया जिले के नेबुआ नौरंगिया के थानाध्यक्ष ने 1 अक्तूबर, 15 जनवरी, 1981 तक 5 व्यक्तियों के शस्त्र जमा कराये हैं ।

जी नहीं ।

112—श्री दीपक कुमार तथा श्री राम प्रसाद—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

113—श्री कल्यान सिंह—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री के0 पी0 सिंह, अवर अभियन्ता कासगंज खन्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग का कथित स्थानान्तरण

114—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता अलीगढ़ द्वारा श्री के0 पी0 सिंह अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण जो कासगंज खन्ड से जनवरी, 1981 को हाथरस खण्ड को हुआ था ? क्या वह निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, जो ऐसा किए जाने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

अधीक्षण अभियन्ता अलीगढ़ द्वारा श्री के0 पी0 सिंह नाम के अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण नहीं किया गया है । निरस्तीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

115—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[3-2-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 197 द्वारा उत्तरित]

116—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

राजकीय दीक्षा विद्यालय, कांठ, मुरादाबाद को कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दी गयी भूमि

117--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में राजकीय दीक्षा विद्यालय कांठ जिस भूमि पर बना है वह भूमि कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह ने सरकार को अपनी कुछ शर्तों के साथ दान में दी थी ? यदि हां, तो उ शर्तों का पालन क्यों नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और कब तक किय जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

मामले पर विचार किया जा रहा है । आदेश शीघ्र ही निर्गत कर दिये जायेंगे ।

बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण, जिला मुरादाबाद, कांठ एवं बुढ़नपुर की बन्दी

118--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष राजकीय बी0 टी0 सी0 विद्यालय कांठ एवं बुढ़नपुर, जनपद मुरादबाद में नये प्रवेश क्यों नहीं किये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण को नियोजित ढंग से चलाने के लिये शासन द्वारा प्रदेश भर में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 1980-81 के शिक्षा सत्र से एक वर्ष के अन्तराल पर चलाने का निर्णय लिया गया । अतः बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के लिये प्रदेश भर में वर्ष 1980-81 में प्रवेश नहीं दिये गये ।

शिव इंटर कालेज, गजरौला, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में जांच

119--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिव इंटर कालेज, गजरौला जिला मुरादाबाद की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध जांच की गई थी तथा भारी अनियमितताएं पाए जाने पर, दिनांक 30-8-78 को शिक्षा उप निदेशक, बरेली ने प्रबन्ध समिति भंग करके जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राधिकृत किया था ? क्या यह सही है कि उक्त प्रबन्ध समिति अब तक बराबर कार्य कर रही है ? यदि हां, तो क्यों इस सम्बन्ध में शिक्षा उप निदेशक, बरेली की रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है

मुरादाबाद जिले के अमरोहा कांठ मार्ग हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

120—श्री राम कृष्ण माहेश्वरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में अमरोहा कांठ राजमार्ग के लिए ग्राम ऊपरीकलां तथा ग्राम नवादा के कृषकों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा अभी तक अदा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एटा जिले के थाना अलीगंज के भवन निर्माण का प्रस्ताव

121—श्री लटूरी सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के थाना अलीगंज का नवीन भवन बनाने के वास्ते एटा रोड निरीक्षण भवन अलीगंज के पास चकबन्दी में जगह छोड़ी जा चुकी है ? यदि हां, तो थाना की नवीन इमारत कब तक बनाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां, लेकिन सीमित प्लान परिव्यय के कारण थाने के नवीन भवन का निर्माण छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि में संभव न हो पायेगा ।

122-123—श्री ऊदल—

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 55-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतिथि गृह, लखनऊ में टेलीफोन आपरेटरों की कथित नियुक्ति

124—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य अतिथि गृह, लखनऊ में 23-4-1980 को दो टेलीफोन आपरेटरों की नियुक्तियां राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा की गई हैं और उसका वेतन-क्रम 200 से 320 रुपया रक्खा गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि टेलीफोन अटेन्डेन्ट के पद पर जो लोग सेवा योजन से नाम मांग कर रक्खे गए थे उनका प्रमोशन नहीं किया और इस नियुक्ति के विरोध में सचिव राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश के पास गिरजा दयाल श्रीवास्तव, टेलीफोन अटेन्डेन्ट, वि0 नि0 नं0 1 ने विभागीय तरीके से 27-6-1980 को एक ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश प्रसाद—

दिनांक 23-4-1980 को टेलीफोन आपरेटर के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई । श्री गिरजा दयाल श्रीवास्तव टेलीफोन अटेन्डेण्ट का दिनांक 27-6-80 का ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, कोलना, जिला मिर्जापुर को हाई स्कूल किए जाने की मांग

125--श्री राम चरण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल कोलना विकास खंड नरायनपुर, जिला मिर्जापुर को हाई स्कूल में अपग्रेड करने हेतु आर0 अ ई0 जो0 एस0 मण्डलीय बालिका निरीक्षक, बाराणसी ने अपनी आख्या 1979-80 में निदेशक, शिक्षा विभाग को भेज दिया है ? प्रश्नकर्त्ता ने जुलाई से लेकर अब तक मुख्य मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा सचिव को कई पत्र लिख चुका है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

126--श्री राम चरण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि कन्या जूनियर हाई स्कूल, कोलना, मिर्जापुर की इमारत शिक्षा की दृष्टि से नम्बर एक पर है ? यदि हां, तो हाई स्कूल में उच्चीकरण अब तक न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

127--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[दिनांक 3-3-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 77 द्वारा उत्तरित]

128--श्री रमाकान्त मिश्र--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

गोरखपुर जिले के थाना गोला में श्री दुखन्ती द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

129--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित थाना गोला में माह दिसम्बर, 1980 में धारा 395/397 में कितनी रपट दर्ज की गई है ? क्या इसमें दिनांक 13-12-1980 में श्री दुखन्ती हरिजन द्वारा अपराध संख्या 256 में धारा 395/397 की कोई रपट है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिभुवनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के आधार पर प्रश्नगत अवधि में थाना गोला, जनपद गोरखपुर में धारा 395/397 भा0 द0 वि0 की केवल 2 रिपोर्ट दर्ज की गई है । श्री दुखन्ती प्रसाद की सूचना पर अपराध संख्या 256 धारा 395/397 भा0 द0 वि0 दिनांक 13-12-80 को पंजीकृत किया गया । विवेचना से मुकदमा फर्जी तथा बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ पाया गया । अतः दिनांक 13-1-81 को अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई ।

लालबाग, लखनऊ में अधिकारियों के लिये आवास का निर्माण

130—श्री हरदेव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों के लिए लालबाग, लखनऊ में आवास बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उसका आवंटन कब और किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों को किया जायेगा ? क्या उक्त आवास श्रणी-3 के हरिजन कर्मचारियों को आरक्षण के आधार पर आवंटित किये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

राज्व सरकार द्वारा लालबाग लखनऊ में निर्माणधीन आवास श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के राजपत्रित अधिकारियों के लिए बनाये जा रहे हैं । इन आवासों का आवंटन दिनांक 25-10-80 की आवास आवंटन समिति की बैठक में की गयी संस्तुति के आधार पर श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के अधिकारियों को किया जा चुका है । चूंकि यह आवास अधिकारियों हेतु बने हैं और श्रेणी 3 के कर्मचारी इनके लिये अर्ह नहीं हैं, अतः श्रेणी 3 के हरिजन कर्मचारियों को आरक्षण के आधार पर आवंटित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

131—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

विकास खण्ड, शाहाबाद, हरदोई में भवन विहीन प्राइमरी पाठशालायें

132—श्री राम औतार दीक्षित—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद हरदोई को शाहाबाद में इस समय (30-1-81) कितने राजकीय प्राइमरी स्कूल पेड़ों के नीचे लग रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे स्कूलों के लिए भवन बनवाने के लिये योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद हरदोई के विकास खंड शाहाबाद में राजकीय प्राइमरी स्कूल कोई नहीं है । उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 81 प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें से 30 विद्यालय भवनहीन हैं । उनमें से 13 विद्यालय ऐसे हैं जो मंगनी के भवनों में संचालित हो रहे हैं और शेष 17 विद्यालय पेड़ों के नीचे लग रहे हैं । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के आधार पर पूरे प्रदेश में भवनों के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है । वर्ष 1980-81 में जनपद हरदोई के लिये 6 प्राइमरी स्कूलों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है ।

133—श्री दूधनाथ राजभर—

[दिनांक 10-3-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 91 द्वारा उत्तरित]

134—श्री मुहम्मद आजम खां—

[स्थगित किया गया]

जौनपुर के मड़ियाहूं में शिक्षक पर चलायी गयी गोली

135—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द तथा श्री गौरी शंकर मैय्या—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला युवा जनता के अध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह), जौनपुर का एक शिकायती पत्र दिनांक 25-1-1981 का उन्हें मिला है। जिसमें एक शिक्षक पर आतंककारियों द्वारा गोली दिनांक 5-1-1981 को मड़ियाहूं में चलाने तथा पुलिस पर इस घटना के सम्बन्ध में उदासीनता का आरोप लगाया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने तत्काल क्या कार्यवाही की है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र दिनांक 24-1-1981 का शासन को मिला था। इन्हीं आरोपों की जांच जिला प्रशासन ने क्षेत्राधिकारी, मड़ियाहूं से करा ली है। जांच से पुलिस के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव पर विचार—

136—श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित विभाग/उप विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनवाने का कोई प्रस्ताव गत मास आया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस प्रस्ताव के बारे में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां।

इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

137—श्री राम आसरे वर्मा—

[7 वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

उन्नाव जिले की पुलिस चौकी ऊंगू तिलक पुस्तकालय एवं वाचनालय के भवन में स्थापना

138—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद की पुलिस चौकी ऊगू तिलक पुस्तकालय एवं सार्वजनिक वाचनालय के भवन में कब से और कितने मासिक किराये पर है ? और भवन का किराया कब से अदा नहीं किया गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

स्थानीय जनता के अनुरोध पुर पुलिस चौकी ऊंगू तिलक पुस्तकालय एवं सार्वजनिक वाचनालय के भवन में वर्ष 1974 में स्थापित की गयी थी। यह भवन संस्था के मन्त्री तथा सदस्यों द्वारा बिना किराये पर दिया गया था। अतः किराये के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता। अब भवन के किराये के भुगतान की मांग किये जाने पर 50 रु० प्रतिवाह की दर पर विगत एक वर्ष से भवन का किराया भुगतान करने के आदेश दे दिये गये हैं।

139—श्री मन्जूर अहमद तथा श्री सुरेन्द्र कुमार—

[7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अभिसूचना विभाग में उप निरीक्षक पद हेतु ली गयी परीक्षा

140—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में पुलिस रेगुलेशन के पैरा 191 के अन्तर्गत अभिसूचना विभाग में सब इन्सपेक्टर की परीक्षा दो बार ली गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इससे हेड कांस्टेबिल में असन्तोष है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां । अभिसूचना विभाग के हेड कान्सटेबिलों को पुलिस आफिस मैनुअल (पुलिस रेगुलेशन नहीं) के पैरा 191 के अन्तर्गत नवसृजित व रिक्त चले आ रहे उप निरीक्षकों के पदों पर अस्थाई रिक्तियों में स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु वर्ष 1980 में दो बार परीक्षायें ली गई । पदों का सृजन 2 बार हुआ अतः अलग-अलग परीक्षायें सम्पादित की गई । यह सही नहीं है कि इससे हेड कान्सटेबिलों में असन्तोष है ।

141—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

ग्राम प्रधान, रसूलपुर, जिला हरदोई के विरुद्ध शिकायती-पत्र

142—श्री धनीराम वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ ग्राम प्रधान रसूलपुर, थाना सण्डीला, जिला हरदोई के षडयंत्रकारी कदम के विरुद्ध ग्राम रामपुर का कोई शिकायती पत्र जनवरी, 1981 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस शिकायती पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति सहित प्रश्नगत आशय का श्री द्वारिका सिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक 28-1-1981 राज्य गृह मन्त्री को 4-2-81 को प्राप्त हुआ जिसे पुलिस अधीक्षक, हरदोई को जांच हेतु भेजा गया । जांच से ग्राम प्रधान रसूलपुर श्री रघुनाथ सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये । वास्तव में ग्राम रसूलपुर व इसके आस-पास के ठाकुरों में पार्टी बन्दी चली आ रही है । दोनों पक्षों को भली भांति समझा दिया गया है तथा सचेत कर दिया गया है । स्थानीय पुलिस को भी सचेत रहने तथा कड़ी दृष्टि रखने का निर्देश दे दिया गया है ।

प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आगमन पर व्यय की गयी धनराशि

143—श्री राम नरायन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन 3 जनवरी, सन् 1981 में सम्बन्धित यात्रा एवं सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी धनराशि व्यय हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रधान मंत्री की यात्रा एवं सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यय की सूचना देना जनहित में न होगा ।

144--श्री मेंहदी असगर--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

शम्भूनाथ फारेस्ट प्रोड्यूस कम्पनी, मिर्जापुर के श्री रतन कुमार टण्डन से डीजल की बरामदगी एवं लिखायी गयी रिपोर्ट

145--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि शम्भूनाथ फारेस्ट प्रोड्यूस कम्पनी मिर्जापुर के पार्टनर श्री रतन कुमार टन्डन दिनांक 10-1-80 को फारेस्ट प्रोड्यूस के लिये 100 लीटर डीजल परमिट संख्या 525125 पर ट्रक संख्या यू0 पी0 जेड0 5216 से जंगल को ले जाते समय कोतवाली शहर के सबइन्सपेक्टर श्री चतुर्वेदी ने अकारण रोक कर तथा नाजायज बतलाकर 500 रु0 घूस मांगा । न दिये जाने पर रतनकुमार व ट्रक चालक को ट्रक सहित बन्द कर दिया तथा गालीगलौज किया । यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सब इन्सपेक्टर के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 9/10-1-81 की रात्रि में पुलिस गश्त पार्टी द्वारा ट्रक संख्या यू0 पी0 जेड05216 चेक करने पर 1000 लीटर डीजल बरामद किया गया । ट्रक चालक एवं ट्रक में बैठे हुए श्री रतन कुमार टंडन उक्त डीजल के सम्बन्ध में कोई परमिट अथवा खरीददारी की रसीद पेश नहीं कर सके । अतः उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक अभियोग थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया । प्रश्न में उल्लिखित परमिट सं0 525125 के द्वारा 1000 लीटर डीजल उप अरण्यपाल के नाम से जारी किया गया था । स0 इ0 श्री चतुर्वेदी द्वारा घूस मांगे जाने तथा दुर्व्यवहार किए जाने के बारे में क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच प्रचलित है ।

146--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री रतन कुमार टन्डन ने दिनांक 11-1-81 को उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर को तार द्वारा भेजी ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच प्रचलित है ।

थाना कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ के श्री रामयश की हत्या

147--श्री छत्तर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-7-80 को अ0 सं0 227 एवं धारा नं0 147/148/323/304/308 के अन्तर्गत थाना कुन्डा जिला

प्रतापगढ़ में स्व० श्री रामयश के कत्ल किये जाने हेतु रिपोर्ट दर्ज की गयी थी ? यदि हां तो उसमें नामजद अभियुक्तों को पकड़ने के लिये पुलिस ने क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित घटना के सम्बन्ध में थाना कुन्डा जनपद प्रतापगढ़ में अ० सं०-226 ए-धारा 147/149/308/323/324 भा० द० वि० पंजीकृत हुआ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 147/148/308/333/324/304 भा० द० वि० में तरमीम किया गया। अभियुक्तों की पतारसी में बिलम्ब होने के कारण स्थानीय पुलिस ने उनके विरुद्ध 82/83 जा० फौ० की रिपोर्ट न्यायालय भेजी। इसी बीच पांचों नामजद व्यक्तियों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया और उन्हें जेल भेजा गया। मामले में आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।

148--श्री राम आसरे वर्मा--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री ब्रह्मदत्त पान्डेय, प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, गदरपुर नैनीताल के अनुपस्थिति काल का वेतन

149--श्री जगदीश सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री ब्रह्मदत्त पान्डेय, प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, गदरपुर (नैनीताल) वर्ष 1979 में कितने दिन विद्यालय से अनुपस्थित रहे और क्या अनुपस्थिति काल का पूरा वेतन बिना अवकाश स्वीकृत हुए लेते रहे ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि श्री पान्डेय दिनांक 7-12-78 से 20-12-80 तक बिना अनुमति के विद्यालय भवन में निवास करते रहे और वेतन का 10 प्रतिशत मकान किराया भी लेते रहे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री ब्रह्म दत्त पांडेय, प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, गदरपुर (नैनीताल) 1-7-79 से 30-7-79 तक चिकित्सा अवकाश पर रहने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त 2 दिन आकस्मिक अवकाश पर रहे जो स्वीकृत किया गया। कितने दिन और विद्यालय से अनुपस्थित रहे इसके बारे में जांच की जा रही है।

श्री पाण्डेय ने जुलाई, 1979 के वेतन का आहरण नहीं किया। शेष 11 महीनों का वेतन-उन्होंने प्राप्त किया।

श्री पाण्डेय राजपत्रित अधिकारी हैं और उनको अपना वेतन स्वयं आहरण करने का अधिकार है।

जी हां। कुछ समय उन्होंने ऐसा किया। यह वित्तीय अनियमितता थी जिस पर आडिट पार्टी ने आपत्ति की इसके अनुपालन में दिनांक 13 जून, 1979 को रु० 400-45 पैसे जो उन्होंने मकान किराया भत्ता के रूप में आहरित किया था खजाने में जमा कर दिया गया।

लेबर डिपार्टमेन्ट के अधिकारी, श्री राज नारायण मिश्रा के विरुद्ध रिश्वत लेने का मुकदमा

150—श्री भीखालाल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 सितम्बर, 1980 को लेबर डिपार्टमेन्ट के एक अधिकारी (श्री राज नारायण मिश्रा) को सतर्कता विभाग के एक दल ने अम्बर होटल कानपुर के कमरा नं0 28 में इन्डस्ट्रियल गैसेज लि0, कानपुर के एक अधिकारी से दस हजार रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और जिसका मुकदमा कानपुर की अदालत में चल रहा है ? क्या यह भी सही है कि मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने 16 अगस्त, 1980 को तथा 17 सितम्बर, 1980 को न्याय मंत्री को पत्र लिखे और कई विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक स्मृति पत्र मुख्य मंत्री को दिया जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि उक्त मुकदमा वापस ले लिया जाय ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी हां ।

4 सितम्बर, 1979 को लेबर डिपार्टमेन्ट के एक अधिकारी श्री राज नारायण मिश्रा को सतर्कता अधिष्ठान के एक दल ने अम्बर होटल कानपुर में इंडस्ट्रियल गैसेज लि0, कानपुर के ब्रांच मैनेजर से दस हजार रुपया रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा था, जिसका मुकदमा कानपुर की अदालत में चल रहा है ।

जी हां । यह भी सही है कि मंत्रि-मंडल के एक तत्कालीन सदस्य ने 16 अगस्त, 1980 को तथा 17 सितम्बर, 1980 को न्याय मंत्री को पत्र लिखे और कई विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक स्मृति पत्र मुख्य मंत्री जी को दिया, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उक्त मुकदमा वापस ले लिया जाय। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अभियोजन वापस न लिया जाय ।

प्रदेश में बेरोजगार बी0 टी0 सी0 अध्यापक

151—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगी कि प्रदेश में बेरोजगार बी0 टी0 सी0 की संख्या क्या है ? किस वर्ष तक के बेरोजगार बी0 टी0 सी0 कार्यरत हो चुके हैं ? शेष कब तक कार्यरत कर दिये जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद के उप विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के हरिजन लिपिक

152—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, फैजाबाद के उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत लिपिकों में कितने हरिजन लिपिक हैं और क्या ये स्थायी रूप से कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? किसी हरिजन लिपिक से इस्तीफा लेने या पद छोड़ देने पर उसकी रिक्ति पर अस्थायी तौर से कार्यरत 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्य कर रहे लिपिक को स्थायी क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एटा जिले के जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

153--श्री लटूरी सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में नये जू0 हा0 स्कूल बनाने को कितना शेष धन पड़ा है ? क्या सरकार स्वीकृत विद्यालयों के भवन शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एटा जिले के आर0 बी0 एल0 इन्टर कालेज के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

154--श्री लटूरी सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 बी0 एल0 आर्य इंटर कालेज राजा का रामपुर एटा में फैली हुई अराजकता के सम्बन्ध में जिला एटा के समस्त विधायकों ने अगस्त, 1979 तथा जनवरी, 1980 में अधिग्रहण करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो अभी तक कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार अधिग्रहण कर संस्था की रक्षा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, अतः कार्यवाही न करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राधिकृत नियंत्रक के प्रश्न पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

श्याम कृष्ण इंटर कालेज, थवईपार, गोरखपुर के अध्यापकों का वेतन

155--श्रीमती गौरी देवी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम कृष्ण इंटर कालेज, थवईपार गोरखपुर के अध्यापकों को पिछले जुलाई, माह सन् 1980 से वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो वेतन न मिलने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

प्रश्नगत 7 अध्यापकों की नियुक्ति नियमानुसार न किये जाने के कारण उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ ।

महाबीर इंटर कालेज, सारनाथ, वाराणसी की प्रबन्ध समिति में विदेशी नागरिक एवं अध्यापकों का बकाया वेतन

156--श्री गोरे लाल शाक्य--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाबीर इंटर कालेज, सारनाथ, वाराणसी की प्रबन्ध समिति में कितने विदेशी नागरिक किस-किस पद पर हैं ? उन्हें राजकीय अनुरक्षण अनुदान किस नियम से दिया जा रहा है ? और क्या उक्त कालेज में प्रधानाचार्य का चयन हुये दो वर्ष हो चुके हैं, पर अभी तक प्रधानाचार्य की नियुक्ति क्यों नहीं हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस विद्यालय की प्रबन्ध समिति में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 10 भारतीय नागरिक एवं 5 श्री लंका के नागरिक हैं । श्री लंका के नागरिक डा0 एम0 पी0 गुनरत्न अध्यक्ष, श्री डी0 रेवथ--संयुक्त सचिव एवं प्रबन्धक, सर्वश्री वी0 पन्नरम, यच0 जानानन्द एवं एच0 आस्सजी सदस्य हैं ।

विद्यालय को राजकीय अनुरक्षा अनुदान शिक्षा संहिता की धारा 293 तथा उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन वितरण) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत दिया जा रहा है ।

प्रधानाचार्य का चयन, चयन समिति द्वारा वर्ष अगस्त, 1979 में किया गया प्रबन्ध समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 28-1-81 द्वारा निर्णय लिया है कि अनुमोदित प्रशासन योजना के अपेंडिक्स (बी) की धारा 19 के अनुसार विद्यालय का प्रधानाचार्य "बुदिष्ट बाई फेथ" होना चाहिये । चयनित अभ्यर्थी में से कोई भी अभ्यर्थी बुद्धिष्ट बाई फेथ नहीं है । अतः चयन निरस्त किया जाय ।" इस पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए शिक्षा निदेशक को लिखा गया है ।

157--श्री गोरे लाल शाक्य--

क्या यह सही है कि उक्त कालेज के अध्यापकों का पूर्वकाल का 48 हजार रुपये का बकाया वेतन भुगतान न करने के कारण सरकार ने अपना साधिकार नियंत्रक नियुक्त किया ? क्या एक साल में भुगतान देने के बात का विश्वास करके पुनः इसी विदेशी प्रबन्ध समिति को विद्यालय सौंप कर शासकीय साधिकार नियंत्रक हटा लिया गया ? क्या अध्यापकों का बकाया वेतन प्रबन्ध समिति ने दिया ? यदि नहीं, तो सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के कारण माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की तत्समय प्रभावी धारा 16डी(4) के अन्तर्गत शासन द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गई थी । उन अनियमितताओं में से शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के अवशेष वेतन की धनराशि 40,803 रु0 के भुगतान न करने की बात सम्मिलित थी । प्रबन्धाधिकरण ने अन्य अनियमितताओं को समाप्त कर अवशेष वेतन का भुगतान करने के लिए लिखित आश्वासन दिया । मामले पर पूर्णरूपेण विचार के बाद जून, 1978 में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति शासन द्वारा समाप्त कर दी गई । उक्त बकाया की धनराशि में से 4,736 रु0 भुगतान कर दिया गया है । तथा शेष का आसान किस्तों में भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है ।

श्री गुरु नरहरि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोंडा के प्रबन्धक, श्री श्री गोपाल चन्द्र पान्डेय

158--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गुरु नरहरि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पूरे तिवारी जनपद गोंडा के अक्तूबर सन् 1979 में हुये विधिवत् चुनाव से निर्वाचित प्रबन्धक श्री गोपाल चन्द्र पान्डेय को अब तक किन कारणों से मान्यता नहीं दी गई है ? क्या सरकार इसका पूर्ण ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न हो जाने के फलस्वरूप श्री गोपाल चन्द्र पान्डेय को मान्यता नहीं दी जा सकी। इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 620 पर)

मुरादाबाद के थाना हसनपुर के सब-इन्सपेक्टर श्री गोविन्द शरण सिंह का निलम्बन

159--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यसूची दिनांक 30 सितम्बर, 1980 के नत्थी (ख) के अता0 प्रश्न संख्या 45 के सन्दर्भ में कि क्या यह सही है कि जिला मुरादाबाद, थाना हसनपुर के तत्कालीन पुलिस सब-इन्सपेक्टर श्री गोविन्द शरण शुक्ल के विरुद्ध 29-10-75 के बाद कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है ? यदि हां, तो क्या तत्काल निलम्बन अवधि का वेतन आदि कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी नहीं। पुलिस सब-इन्सपेक्टर श्री गोविन्द शरण शुक्ल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित है। पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को आदेश दे दिये गये हैं कि वह इनके विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही को शीघ्र पूरा करे। निलम्बन अवधि के वेतन के मामले में आवश्यक आदेश कार्यवाही समाप्त होने पर दिये जायेंगे।

थाना हसनगंज, जिला उन्नाव की पुलिस के सम्बन्ध में श्री नन्हू हरिजन, ग्राम चन्दौली बुजुर्ग का पत्र

160--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उनकी जानकारी में है कि विगत 10 दिसम्बर, 1980 को पुलिस भ्रष्टाचार सम्बन्धी श्री नन्हू हरिजन निवासी गांव चंदौली बुजुर्ग थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव का प्रार्थना-पत्र संलग्न कर जो पत्र प्रश्नकर्त्ता ने तत्समय के गृह राज्य मंत्री को दिया था उसे गृह राज्य मंत्री ने अपने आदेश संख्या 2202, दिनांक 12-12-80 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को भेज दिया था ? यदि हां, तो गृह राज्य मंत्री के आदेश क्या थे और उसका क्रियान्वयन किस रूप में तथा कब हुआ ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां, प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री नन्हूं पासी, निवासी जिला उन्नाव के के दो प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-10-80 तथा 6-11-80 प्राप्त हुए, जो दिनांक 12-12-80 को पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को जांच हेतु भेज दिये गये। गृह राज्य मंत्री के इस आशय के आदेश थे कि मुख्यालय के किसी अधिकारी को भेजकर निष्पक्ष जांच करा लें एवं जांच निष्पक्ष हो, इसलिये यह आवश्यक है कि इन दरोगाओं को उन्नाव से स्थानान्तरित कर दिया जाय।

श्री नन्हूं पासी के इसी आवेदन-पत्र दिनांक 10-10-80 की पहली प्रति जो प्रश्नकर्ता ने 15-10-80 को अग्रसारित की थी उस पर उप पुलिस महानिरीक्षक (विशेष जांच), लखनऊ को दिनांक 17-10-80 को स्वयं अथवा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जांच कराने को निर्देश दिये गये थे। इसकी जांच मुख्यालय की विशेष जांच शाखा के पुलिस अधीक्षक द्वारा अक्तूबर, 80 में ही कर ली गई थी और थाना हसनगंज की पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये थे। श्री नन्हूं पासी के आवेदन-पत्र दिनांक 6-11-80 में दिनांक 10-10-80 के आवेदन-पत्र के हवाले से थाना हसनगंज के अमुक थानेदार को स्थानान्तरित करके सी० आई० डी० जांच कराने का आग्रह किया गया था। चूंकि 15-10-80 को प्राप्त 10-10-80 के आवेदन पत्र की मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई जांच में ही आरोप निराधार पाये गये अतः अमुक थानेदार को उन्नाव से स्थानान्तरित करना तथा इस मामले की पुनः जांच कराया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

गोरखपुर जिले में कत्ल एवं डकैती

161--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि माह सितम्बर-अक्टूबर, 1980 में गोरखपुर जिले में कितने कत्ल एवं डकैतियां हुईं और इसमें कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए? क्या यह सच है कि इसी माह में 1979 से यह अपराध संख्या कई गुनी अधिक है? । यदि हां, तो क्यों?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में जिला गोरखपुर में कत्ल व डकैती के क्रमशः 31 एवं 38 मुकद्दमें अंकित किये गये, जिनमें कुल 227 गिरफ्तारियां की गयीं। इसी अवधि में पिछले वर्ष कत्ल व डकैती के क्रमशः 20 एवं 30 मुकदमें अंकित किये गये। वृद्धि का कारण वर्ष 1980 में अनेक अपराधियों का धारा 169 द० प्र० स० के अन्तर्गत तथा जमानत पर रिहा होकर नेपाल सीमा पर जंगलों में छिपकर डकैती व हत्या के अपराध करना था। अब स्थिति नियंत्रण में है।

श्री अकबर सिंह, निरीक्षक "उच्च न्यायालय सेल" के विरुद्ध शिकायती-पत्र

162--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या मुख्य मंत्री को श्री गुलाब सेहरा, विधायक आगरा का कोई पत्र दिनांक 27-5-1979 व पत्र दिनांक 9-10-80 बाबत श्री अकबर सिंह निरीक्षक "उच्च न्यायालय सेल" के द्वारा जाली हस्ताक्षर बनाने के सम्बन्ध में मिला है? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री जगदीश प्रसाद—

श्री गुलाब सेहरा के पत्र दिनांक 27-5-79 की प्रतिलिपि उनके पत्र दिनांक 18-11-79 के साथ तत्कालीन न्याय मंत्री जी को दिनांक 23-11-79 को प्राप्त हुई। जिसे उनके द्वारा सतर्कता निदेशक को उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया। सतर्कता विभाग से यह पत्र दिनांक 11-2-80 को गृह विभाग में प्राप्त हुआ। गृह विभाग से पत्रावली सतर्कता विभाग की ओर फिर सतर्कता विभाग से गृह विभाग को भेजी गयी। इस पत्र में की गयी शिकायत के विषय में पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से आख्या मांगी गयी। अब पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन), उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 24-2-81 द्वारा गृह विभाग को यह सूचित किया है कि चूंकि उच्च न्यायालय सेल, उच्च न्यायालय के अधीन है, इसलिए उल्लिखित मामले की जांच भी उसी स्तर से कराने पर विचार कर लिया जाय। तदोपरान्त गृह विभाग ने यह मामला न्याय विभाग, जो उच्च न्यायालय सेल से सम्बन्धित है, को दिनांक 7-3-81 को संदर्भित किया है। न्याय विभाग द्वारा अब इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। श्री सेहरा का पत्र दिनांक 9-10-80 शासन को प्राप्त नहीं हुआ था।

भारतीय शिशु मंदिर, संडीला, जिला हरदोई का अनुदान

163—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि भारतीय शिशु मन्दिर संडीला, हरदोई का अनुदान बन्द कर दिये जाने के विरुद्ध फरवरी, 1978 में एक प्रत्यावेदन डा० राम आसरे तिवारी की ओर से निदेशक शिक्षा विभाग को भेजा गया ? यदि हां, तो अब तक निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अब भी एकत्र की जा रही है।

फैजाबाद, सरयू नदी पर राजघाट के पुल निर्माण की मांग

164—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में सरयू नदी राजघाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता जन-प्रतिनिधि द्वारा वर्ष 1977-78 में पत्र लिख कर मांग की गयी ? यदि हां, तो उपरोक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

प्रश्नगत पत्र शासन में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग में हरिजन अधिकारियों का आरक्षण

165—श्री पंचानन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में राजपत्रित द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी में कुल कितने पद सृजित हैं ? इन पदों के सम्बन्ध में हरिजनों के 18 प्रतिशत आरक्षित कोटे की क्या स्थिति

है ? यदि कोटा अपूर्ण है तो क्यों ? जनवरी, 75 से अगस्त, 80 के मध्य कुल कितने और कौन-कौन अधिकारी हरिजनों के लिये आरक्षित कोटे के अन्तर्गत द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में कब पदोन्नत किये गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी के निम्नांकित संख्या में पद सृजित हैं--

सामान्य शिक्षा		उच्च शिक्षा		प्रौढ़ शिक्षा	
द्वितीय	प्रथम	द्वितीय	प्रथम	द्वितीय	प्रथम
603	105	3	909	38	37

कोटा अपूर्ण है ।

अर्ह एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण ।

प्रश्नगत अवधि में सामान्य शिक्षा में 13 अधिकारी हरिजनों के लिये आरक्षित कोटे के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार पदोन्नत किये गये । उच्च शिक्षा में द्वितीय श्रेणी में अनुसूचित जाति के किसी अधिकारी के कार्यरत न होने के कारण उक्त जाति का अधिकारी श्रेणी-1 में पदोन्नत नहीं किया जा सका । प्रौढ़ शिक्षा एक अस्थायी योजना है, जिसके अन्तर्गत सभी पद निःसम्वर्गीय हैं । उनको विभिन्न विभागों से उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है । इनमें पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 621 पर) ।

आजमगढ़ जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की अनिवार्य जमा योजना की धनराशि

166--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के किन-किन गैर सरकारी सहायता प्राप्त उ० मा० विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का पूरा भुगतान किया गया है ? किन-किन विद्यालयों में कितनी-कितनी धनराशियों का भुगतान नहीं हुआ है और क्यों ? भगतान करने के लिए शासन तथा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

जी हां । आजमगढ़ के कुल 102 विद्यालयों में से 68 विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरी धनराशि का भुगतान हो चुका है सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची उपलब्ध कराने के निदेश दे दिये गये हैं । शेष 34 विद्यालयों की संलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशियों का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है क्योंकि देयकों के जो बिल तैयार करके लेखाधिकारी भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर को भुगतान हेतु भेजे गये थे उनके बैंक ड्राफ्ट अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 622 पर) ।

आदर्श इंटर कालेज, मानिकपुर, बांदा के सम्बन्ध में कथित शिकायती-पत्र

167--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श इंटर कालेज, मानिकपुर, बांदा के प्रबन्धाधिकरण एवं साधिकार नियंत्रक द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध कोई शिकायतें शासन एवं विभाग को वर्ष 1978-79 में प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या थीं और क्या उनकी जांच करायी गयी, जांच के क्या परिणाम निकले तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

सम्राट अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बस्ती के अध्यापकों का बकाया वेतन

168--श्री पंचानन--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्राट अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करहना (बस्ती) के कितने शिक्षक एवं कर्मचारियों को अक्तूबर, 77 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है और वेतन न देने के क्या प्रमुख कारण हैं ? इस सम्बन्ध में वेतन दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । विद्यालय प्रबन्धक की हत्या हो जाने के कारण वांछित अभिलेख उपलब्ध न होने की स्थिति में यह ज्ञात नहीं हो सका कि कितने शिक्षकों आदि को अक्तूबर, 77 से किस अवधि का भुगतान नहीं किया गया, इस सम्बन्ध में जांच हेतु निदेश भेज दिये गये हैं । प्रश्नगत विद्यालय हाई स्कूल स्तर तक मान्यता प्राप्त तथा जूनियर हाई स्कूल तक अनुदानित है । जनवरी, 1981 से इस विद्यालय को वेतन वितरण अधिनियम की परिधि में ले लिया गया है ।

शाहजहांपुर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

169--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद शाहजहांपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के भ्रष्टाचार के विषय में पिछले छः माह में कितनी शिकायतें प्रश्न-कर्ता तथा शाहजहांपुर के लोगों द्वारा शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक व उप शिक्षा निदेशक, बरेली को की गई है ? क्या इनकी जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त शिक्षा अधिकारी को शाहजहांपुर से हटाकर दंडित क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शासन को 9 शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता एवं अन्य लोगों से प्राप्त हुए ।

जी हां, जांच के आदेश दिये गये हैं । जो चल रही है । इसके पूर्ण होते ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवही की जायेगी ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, सण्डीला, हरदोई के शिक्षकों के वेतन का भुगतान

170—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद हरदोई के बेसिक शिक्षा परिषद् नगर क्षेत्र सण्डीला के शिक्षकों को वर्ष 1980 माह मई एवं जुलाई के महंगाई भत्ते की बकाया अवशेष (एरियर) का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इस बिलम्ब का कौन अधिकारी दोषी है ? तथा भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

जनपद हरदोई के बेसिक शिक्षा परिषद् के नगर क्षेत्र, सण्डीला के शिक्षकों को वर्ष 1980 के माह मई एवं जुलाई के महंगाई भत्ते की बकाया अवशेष का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(12 बजकर 20 मिनट)

मऊनाथ भंजन हैंडलूम पावरलूम उद्योग में लगे कर्मचारियों में बेकारी तथा भुखमरी की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।

श्री अध्यक्ष—

अब नियम 301 की सूचनाएं होंगी ।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, मऊनाथ भंजन हैंडलूम पावर लूम का प्रदेश का सबसे बड़ा केन्द्र है । इस उद्योग में लाखों लोग लगे हुए हैं इसके व्यवसाय में अचानक जबरदस्त मंदी आ गयी है । लाखों बुनकर बेकारी और भुखमरी के चंगुल में फंस गये हैं । प्रदेश के सभी बुनकर केन्द्रों का यही हाल है । सरकार की नीति और नौकरशाही के रवैये के कारण सूत के दामों में तेजी से वृद्धि, हैंडलूम कारपोरेशन के केन्द्रों से साड़ी धोती की खरीदारी में अचानक कमी करने या इनेगिनें कुछ तिकड़मबाज असरदार लोगों के हाथों में कारपोरेशन के अधिकारी बिक गये हैं जहां केवल उन्हीं के द्वारा निर्मित कपड़ा सप्लाई किया जा रहा है और लाखों लोगों की उपेक्षा की जा रही है तथा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत चल रही सूती मिलों द्वारा निर्मित मोटे कंट्रोल के कपड़ों और हैंडलूम पावर लूम के निर्मित कपड़ों के बाजार में खुले कंपटीशन के कारण पूरा हैंडलूम पावरलूम व्यवसाय के पूर्णत : बंद हो जाने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है । लाखों लोग बेकारी की वजह से मौत के चंगुल में फंसते जा रहे हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर इस सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करके इसका समाधान चाहता हूं ।

हमीरपुर जनपद के प्राथमिक शिक्षकों को फरवरी, 81 का वेतन न दिये जाने से असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि हमीरपुर जनपद के प्राथमिक शिक्षकों को माह फरवरी, 81 का मासिक वेतन दिनांक 16-3-81 तक अधिकारियों की मनमानी रवैये के कारण वितरण नहीं किया गया है। जिसके कारण जनपद के हजारों अध्यापक रोटी के लिए मोहताज हैं। इस कारण परेशान एवं दुखी हैं। संपूर्ण जनपद में शिक्षा का कार्य प्रायः बंद सा हो गया है। होली का त्योहार का अवकाश भी 19-3-81 से हो रहा है। होली के त्योहार के पहले वेतन न दिया गया तो जनपद के अध्यापकों ने भूखहड़ताल की नोटिस दे दी है। जनता ने भी शिक्षा का कार्य बन्द होने के कारण असंतोष प्रकट करना प्रारम्भ कर दिया है।

अतएवं लोकमहत्व के इस सुनिश्चित महत्वपूर्ण परिस्थिति पर विचार करने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि होली के त्योहार के पूर्व बेसिक अध्यापकों का मासिक वेतन बटवाया जाय।

कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा आर० एम० पी० कालेज, सीतापुर का परीक्षा-फल घोषित न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि विलम्ब शुल्क अदा करके भी कानपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा के लिए फार्म भरने की कल दिनांक 18-3-81 अंतिम तिथि है। परन्तु आर० एम० पी० कालेज, सीतापुर सहित अनेक परीक्षा केन्द्रों पर सितम्बर, 80 में शिक्षा सत्र 79-80 के लिए हुई परीक्षाओं का पूर्ण परीक्षाफल तक घोषित नहीं किया गया है। इसमें प्रथम वर्ष के भी अभ्यर्थी शामिल हैं।

इस प्रकार पूर्ण परीक्षाफल न घोषित करने से अभ्यर्थियों का एक वर्ष अकारण नष्ट हो रहा है। विश्वविद्यालय से अनेक बार संपर्क किया गया परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला।

अतएव समस्या को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करूंगा कि सरकार विश्वविद्यालय अधिकारियों से अविलम्ब वार्ता करके परीक्षाफल घोषित करायें तथा उससे संबंधित अभ्यार्थियों को यह विशेष सुविधा दी जाय कि परीक्षाफल घोषित होने के 7 दिन तक बिना विलम्ब शुल्क लिए अपना फार्म भर सकें।

गोरखपुर दैनिक जागरण प्रेस कर्मचारियों द्वारा हड़ताल तथा सम्पादक, श्री देवेन्द्र सिंह के अपहरण के प्रयास के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, गोरखपुर में दैनिक जागरण प्रेस के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। दिनांक 14 मार्च को रात्रि लगभग 12 बजे सम्पादक श्री देवेन्द्र सिंह अपने क्वार्टर पर जा रहे थे एक जीप आयी जिस पर से चार पांच लोगों ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उतरकर श्री देवेन्द्र सिंह को पकड़ लिया तथा गाली देते हुए पूंछा कि बताओ जे0 पी0 दुबे, तुम्हारा मंत्री कहां है। जब श्री देवेन्द्र सिंह ने कहा कि मुझे नहीं मालूम है तो उक्त लोगों ने जान से मारने की धमकी दी तथा कहा कि अगर नहीं बताता है तो इसे जीप पर बैठा लो तथा इसे जान से मारकर राप्ती में फेंक दो। इसी बीच श्री देवेन्द्र सिंह को समय मिल गया तथा वे जोर-जोर से बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगे जिस पर कुछ लोगों को आते हुए देखकर अपहरण कारी जीप लेकर भाग गये। दैनिक जागरण के कर्मचारी घटना से काफी क्रुद्ध हैं तथा लोगों में चिन्ता फैलती जा रही है। उक्त अपहरणकारी दैनिक जागरण के मालिकों द्वारा भेजे गये थे तथा अगर कर्मचारियों के नेता श्री जे0पी0 दुबे मिल जाते तो उनका अपहरण कर हत्या किये जाने की सम्भावना है। इस प्रकार मालिकों द्वारा असामाजिक तत्वों से सांठ-गांठ कर मजदूर आन्दोलन को कुचलने की साजिश रची जा रही है।

ग्राम तलोरा, थाना कोतवाली जिला हरदोई निवासी श्री राम पाल सिंह के घर पर हमला तथा आग लगा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्दराम--

महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि दिनांक 12-3-81 को ग्राम तलोरा थाना कोतवाली, जिला हरदोई, निवासी श्री राम पाल सिंह के घर पर दिन दहाड़े श्री सुखेन्द्र सिंह आदि ने कुछ साथियों सहित हमला किया। हमलावर एस0डी0ओ0, हरदोई की जीप पर बैठकर गये थे। जीप पर एस0डी0ओ0 महोदय का चपरासी भी था। हमलावारों ने श्री रामपाल सिंह के घर में आग लगा दी। जिससे लगभग सभी घर जल गया। खेत के सरसों के बोझों को भी जलती आग में डाल दिया। ट्रैक्टर में भी आग लगा दी तथा जलती दशा में उसे पास के ताल में ढकेल दिया। ट्रैक्टर नष्ट कर दिया। उसी दिन कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई गई। अभी तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसका कारण यह है कि अभियुक्त जिलाधिकारी कार्यालय में अधीक्षक हैं, जिसके कारण प्रशासन के दबाव में स्थानीय पुलिस भी कार्यवाही नहीं कर रही है। एस0 डी0 एम0 की जीप का घटना में इस्तेमाल होना अत्यन्त गम्भीर मामला है। अतएव यह तथ्य आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में ला कर मांग करता हूं कि दोषी जनों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय।

हाई कोर्ट के बेन्च की स्थापना बरेली में किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने का प्रयास

*श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैंने एक नियम 301 में सूचना दी थी बरेली में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने के बारे में। बरेली में इसके लिए आन्दोलन हो रहा है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चेतराम गंगवार—]

आज बरेली एक सप्ताह से बन्द है । सारा काम-काज और व्यापार ठप है । मेरठ और आगरा एक कोने में पड़ते हैं वहाँ पर होने से मेरठ भी इलाहाबाद की तरह हमारे लिए दूर हो जायेगा । बरेली इसके लिए उपयुक्त स्थान है. . .

श्री अध्यक्ष—

परसों इस सदन में यह बात काफी आ चुकी है और कल वह इसका उत्तर भी स्पष्ट दे चुके हैं, पुनः इसको इस तरह उठाने की आवश्यकता नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 फरवरी, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 मार्च, 1981 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 मार्च, 1981 को प्राप्त हो गई थी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

श्रीमती मीरा कुमार, व्यवस्थाधिकारी, यू० पी० निवास, नई दिल्ली के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा ने 1 जनवरी, 1981 को व्यवस्था अधिकारी, उत्तर प्रदेश निवास, नई दिल्ली, श्रीमती मीरा कुमार के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की एक सूचना दी थी, जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने दिनांक 20 नवम्बर, 1980 को राज्य सम्पत्ति अधिकारी से सम्पर्क करते हुए उनसे कहा कि वे 5-12-80 से 9-12-80 तक दिल्ली, स्थित यू० पी० निवास में ठहरेंगे इसलिए उनके लिए वहां ठहरने की व्यवस्था कर दी जाय । राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने मैनेजर, यू० पी० निवास, नई दिल्ली को उसी दिन टेलेक्स द्वारा सूचित कर दिया तथा उनको बताया कि उनके लिए उक्त तिथियों के लिए एक कमरा आवंटित कर दिया गया है। किन्तु जब दिनांक 5-12-80 को माननीय सदस्य अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार यू० पी० निवास पहुंचे तो श्रीमती कुमार ने कहा कि उनके लिए कोई कमरा देने के लिए नहीं है और यह भी बताया कि उक्त टेलेक्स भी आया था तथा माननीय सदस्य का पत्र भी उन्हें प्राप्त हुआ था लेकिन उन्होंने 4-12-80 को राज्य सम्पत्ति अधिकारी को सूचित कर दिया है कि यू० पी०

निवास में कोई स्थान नहीं है । माननीय सदस्य का कहना है कि उनके उत्तर प्रदेश निवास में पहुंचने की सूचना पहले से ही मिल चुकी थी और उनकी यह शिकायत है कि यदि उन्हे पहले से यह सूचना मिल जाती कि उनके लिए यू0 पी0 निवास में कोई स्थान नहीं है, तो वे अपना कार्यक्रम रद्द कर देते या अन्यत्र ठहरने का प्रबन्ध करते । इस प्रकार उक्त व्यवस्था अधिकारी ने जानबूझ कर सदस्यों की अवमानना करने की नीयत से न तो उन्हें कमरा दिया और न ही उनको पूर्व सूचित किया ।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी की थी । माननीय मन्त्री ने अपने पत्र दिनांक 13 मार्च, 1981 द्वारा मुझे उक्त अधिकारी का स्पष्टीकरण तथा उसके संलग्नकों को मूल रूप में संलग्न करते हुए, मुझे सूचित किया है कि 5-12-80 को यू0 पी0 निवास में अप्रत्याशित रूप से भीड़ हो गयी थी और कुछ माननीय सदस्यगण उक्त तिथि से पहले से वहां ठहरे हुए थे । दिनांक 5-12-80 को आगंतुकों की सूची में माननीय श्री ऊदल का नाम क्रमांक 6 पर अंकित था । व्यवस्था अधिकारी, यू0 पी0 निवास ने माननीय ऊदल तथा अन्य विधायकों को जिनके लिए यू0 पी0 निवास में कक्षों की व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं था, दिनांक 3-12-80 को व्यवस्थाधिकारी, लखनऊ विधायक निवास नं0 1, 2, 3, 4 तथा 5 को टेलेक्स भेज कर इसकी सूचना दे दी थी, परन्तु चूंकि श्री ऊदल वाराणसी से सीधे दिल्ली चले गये थे अतः उन्हें यह सूचना नहीं मिल सकी । माननीय मन्त्री ने अपने पत्र में कहा है कि उक्त तिथि में उत्तर प्रदेश निवास में भीड़ का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि माननीय श्री ऊदल के अतिरिक्त 22 शासन के सदस्यों तथा पांच अधिकारियों के लिए भी यू0 पी0 निवास में ठहरने की व्यवस्था नहीं की जा सकी । माननीय मन्त्री ने यह भी सूचित किया है कि व्यवस्था अधिकारी ने माननीय श्री ऊदल की भावना को लगी ठेस के लिए क्षमा याचना की है ।

उक्त स्थिति में तथा उक्त व्यवस्था अधिकारी द्वारा क्षमा याचना को देखते हुए मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

राज्य सम्पत्ति अधिकारी तथा सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री सन्त बख्श रावत, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 20 फरवरी, 1981 को राज्य सम्पत्ति अधिकारी तथा माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दी थी । माननीय सदस्य ने दिनांक 3 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 76 तथा माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री द्वारा दिये गये उसके उत्तर के सम्बन्ध में अपनी उक्त शिकायत की है ।

[श्री अध्यक्ष--]

माननीय श्री रावत का कहना है कि उन्होंने गत सत्र में भी यही प्रश्न किया था जो कि 7 अक्तूबर, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के रूप में संख्यांकित हुआ था। उस समय शासन ने उनसे पूछा था कि वांछित सूचना किस वर्ग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वांछित है जिसका उत्तर उन्होंने तुरन्त दे दिया था कि उक्त सूचना वर्ग-2 तथा वर्ग-3 के अधिकारियों, कर्मचारियों के सम्बन्ध में चाहिए। परन्तु सत्र के समाप्त होने के कारण उक्त प्रश्न नहीं आ सका और वर्तमान सत्र में उक्त प्रश्न पुनः पूछे जाने पर श्रेणी-2 तथा 3 के कर्मचारियों की प्रतीक्षा सूची के सम्बन्ध में कोई सूचना न देकर उक्त मन्त्री द्वारा यह कह दिया गया कि सूची तैयार करने में लगने वाले श्रम, धन तथा समय के अनुरूप लाभ नहीं होगा। माननीय सदस्य का आरोप है कि शासन इस प्रतीक्षा सूची को सदन के सामने नहीं लाना चाहता है तथा उनकी यह निश्चित जानकारी है कि अधिकांश आवंटन आउट आफ वे हुए हैं तथा इसलिए उक्त सूची सदन के सामने नहीं रखी जा रही है।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय मन्त्री ने मुझे अपने पत्र दिनांक 12 मार्च, 1981 द्वारा सूचित किया है कि प्रश्नगत सूचियों को तैयार करना अत्यन्त श्रम साध्य था क्योंकि हजारों कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करानी थी तथा प्रश्न का उत्तर देने में लगभग एक सौ पृष्ठों से अधिक का एक ग्रन्थ तैयार करने की आवश्यकता थी तथा प्रतीक्षा सूची तथा आवंटियों का विवरण मिलाकर पांच हजार से सात हजार व्यक्तियों के मामले सदन के पटल पर रखे जाने हेतु तथा प्रश्न का उत्तर बहुत अधिक ब्यौरे तथा श्रम की सहायता से ही सम्भव हो सकता था। वास्तव में प्रतीक्षा सूचियां विभाग में सदैव निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहती हैं और उनको गोपनीय रखने का कोई प्रश्न नहीं है तथा यदि माननीय सदस्य स्वयं चाहें तो उक्त सूचियां उन्हें कभी भी दिखायी जा सकती हैं।

इस सदन में अध्यक्ष पीठ से इस प्रकार की व्यवस्थायें दी गयी हैं कि किसी प्रश्न के उत्तर में यह कहना कि "इसमें जो खर्चा, समय या श्रम लगेगा वह सार्वजनिक हित में नहीं है" अनुचित नहीं है। श्री सन्त बख्श रावत के संदर्भित प्रश्न का उत्तर भी उसी के अनुरूप है। अतः इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का कोई प्रश्न निहित नहीं है और मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना मुझे और देनी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है--

1--नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय--दिनांक 25 मार्च, 1981 को अपराह्न 4 बजे तक।

2--नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि तथा समय--दिनांक 26 मार्च, 1981 को अपराह्न 3 बजे तक (सचिव, विधान सभा के कक्ष में।)

3--नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय--दिनांक 31 मार्च, 1981 को अपराह्न 5 बजे तक।

4--निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान दिनांक 4 अप्रैल 1981 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा। उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत (सिंगल ट्रान्सफरेबिल वोट) द्वारा किया जायेगा।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनायें कार्य-स्थगन की प्राप्त हुई हैं और सभी सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं। एक श्री राम आसरे वर्मा की है--पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच खोलने की मांग को लेकर 16 मार्च को बन्द के आवाहन के फलस्वरूप जनजीवन अस्त-व्यस्त होने के सम्बन्ध में। दूसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की है लखनऊ मेडिकल कालेज के डाक्टरों द्वारा हड़ताल करने के फलस्वरूप आपात तथा अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी काम-काज ठप्प होने के सम्बन्ध में। इसी तरह की सर्वश्री हरिवंश सहाय एवं नन्द किशोर सिंह की भी है। तीसरी श्री मोहन सिंह की है--विगत 9 मार्च, 1981 को एक कांग्रेसी विधायक द्वारा "कौमी जंग" रामपुर एवं "दावत" दिल्ली के अखबारों में मुरादाबाद पुलिस पर होली के अवसर पर फसाद करने सम्बन्धी आरोप लगाने के फलस्वरूप हिन्दू एवं मुसलमानों में आतंकपूर्ण स्थिति के सम्बन्ध में। पांचवीं श्री भीखा लाल की है--यमुना और चम्बल के बीहड़ों में डाकुओं द्वारा लूटपाट, हत्या एवं अपहरण में पुलिस द्वारा सहयोग एवं विधायकों एवं राजनैतिक नेताओं द्वारा संरक्षण देने के फलस्वरूप जन-प्रतिनिधियों एवं पुलिस से जनता का विश्वास समाप्त होने के विषय में। मैंने यह सभी अस्वीकृत की हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त ने जो दिया है उसी विषय पर नियम 51 के अन्तर्गत भी आया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कार्य स्थगन का मान्यवर, अपना महत्व है। पुलिस द्वारा अकारण डाक्टर लड़कों की पिटाई की गयी है, उनको मारा गया है पुलिस द्वारा, आप कृपया सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में भी वह आया है, आप उस वक्त का इन्तजार करें। उस समय वह निश्चित रूप से आयेगा।

श्री भीखा लाल--

मैंने श्रीमन्, जो सूचना दी है, उस पर दो मिनट आप मुझे सुन लें। डाकुओं को पुलिस अधिकारियों और राजनैतिक नेताओं का संरक्षण मिल रहा है और आज सभी विधायकों को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है कि कौन विधायक डकैतों को संरक्षण दे रहा है

(व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को इंगित किया जाना चाहिये ताकि लोगों को शंका न रह जाये। मान्यवर, मंत्रियों के सम्बन्ध में छपा है कि मंत्री लोग डाकुओं से मिले हुए हैं

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहन सिंह--

एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, यह मद संख्या 6 पर आज जो घोषणा हो रही है, उस घोषणा में जो अशोक कुमार बाजपेयी, कांग्रेस (आई0) के, जो सदस्य हैं, उन्होंने अपने कांग्रेस (आई0) की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। उनके त्यागपत्र देने का कारण यह है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं, वह बहुगुणा जी को पैसा देते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने सुन लिया, इसमें आप कौन सा प्रश्न उठाना चाहते हैं, बिना हमारे संज्ञान में लाये हुए आप कैसे कोई बात उठा सकते हैं ?

(व्यवधान)

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 10-आबकारी, अनुदान संख्या 54-गन्ना विकास, अनुदान संख्या 64--चीनी उद्योग, अनुदान संख्या 77--आबकारी विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92--चीनी उद्योग--पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 120--चीनी उद्योग ऋण और अग्रिम

[12 बजकर 40 मिनट]

गन्ना विकास मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10--

आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,64,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,95,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,28,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77--आबकारी विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,17,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 120--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,66,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, माननीय सदस्य सभी इस बात से अवगत हैं कि इस देश के अन्दर हमारे गन्ना विभाग और चीनी उद्योग व आबकारी का बहुत ज्यादा महत्व है। मान्यवर, गन्ने की खेती और उससे सम्बन्धित लोग, किसान हों या हमारे मजदूर, सारे के सारे जो उससे प्रभावित होते हैं और देश के चीनी उत्पादन की व्यवस्था में हमारे प्रदेश का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। चीनी का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हम कर सकें इसके लिए हमें एक नजर इसके क्रिया-कलापों पर डालनी होगी। सारे देश के अन्दर 301 चीनी मिलें हैं, जिसमें से 90 हमारे प्रदेश के अन्दर कार्यरत हैं। इस प्रदेश के अन्दर, जितना चीनी का उत्पादन होता है देश में, उसमें हम इस समय 25 प्रतिशत अपना योगदान दे रहे हैं और जितना गन्ने का क्षेत्रफल है,

[श्री भानु प्रताप सिंह--]

उसका 1/2 हमारे इस प्रदेश के अन्दर होता है और हमारे सारे देश के गन्ना उत्पादन का 45 प्रतिशत उत्पादन हमारे इस प्रदेश के अन्दर होता है ।

मान्यवर, इसी प्रदेश के अन्दर हमारी मिलों के अलावा गुड़ और खाण्डसारी उद्योग भी कार्यरत हैं, जिसमें इस उत्पादित गन्ने की पेरायी होती है और चीनी, गुड़ और खाण्डसारी के द्वारा उसका समापन एक तरीके से होता है गन्ने से चीनी, गुड़ और राब बनायी जाती है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस साल, जब पिछला बजट लेकर हम इस सदन के समक्ष आये थे, उस समय जहां तक मुझे याद पड़ता है, 10 सितम्बर को इस उद्योग पर ऐसा लगता था, कि सारा का सारा जो हमारा उद्योग विभाग है चीनी का है, उस पर संकट मंडरा रहा है, उस समय तमाम सदन के सदस्य इस बात से चिन्तित थे कि गन्ने का भविष्य क्या होगा, वहीं वह इस बात से भी चिन्तित थे, कि गन्ने की जो दुर्गति होती है प्रदेश के अन्दर उसमें गन्ना किसानों को क्या मूल्य मिलेगा, इसके साथ ही साथ यह भी चिन्ता व्यक्त की गई थी कि सम्भवतः इस उद्योग से किसानों को लाभप्रद मूल्य न मिल सके । मान्यवर, हमारी इस सरकार ने पहले ही इस प्रकार की जो शंका व्यक्त की गयी थी, उसके विषय में कहा था कि पेरायी सत्र शुरू होने से पहले गन्ने के लाभप्रद मूल्य घोषित कर दिये जायेंगे। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में, जो चीनी का इतिहास है, गन्ने का इतिहास है । सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखा । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्दर एक बैठक हुई थी, उसमें मुझे जाने का अवसर मिला था "किसान सेल" के तत्वावधान में और मान्यवर, मैं उसमें सरकार की ओर से सारा दिन रहा । तमाम सदस्यों ने अपने गन्ने की कीमत के विषय में जो शंका थी, वह भी बतायी । सदन में भी जो विद्वान सदस्य हैं इस पक्ष के और उस पक्ष के, सभी इस बात से चिन्तित थे कि गन्ने के किसानों को लाभप्रद मूल्य मिल सके । यह भी पूछा गया था कि गन्ने की कीमत क्या होगी । मुझे याद पड़ता है और मुझे जानकारी है कि हमारे माननीय सदस्यों ने, जो इस पक्ष में बैठे हैं, इशारा किया था कि गन्ने की कीमत 20 रु0 क्वि0 मिलनी चाहिये यहीं तमाम कांग्रेस दल के लोग, जो एकत्रित हुए थे, उन सबने भी इस बात की चर्चा की थी कि गन्ने की कीमत ज्यादा से ज्यादा मिले । उस पर जब हम देखते हैं कि पहले क्या हुआ करता था तो शर्म आती है, और हमने उसके बाद जो योजना बनायी, उसके अन्तर्गत अपनी जितनी सहकारी और कार-पोरेशन की मिलें हैं या जो हमारे नियंत्रण में चलने वाली मिलें हैं, गन्ने की कीमत किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल जबसे मिलें चलना शुरू किया है, दिये जायें । यह प्रदेश के अन्दर, जितने भी लोग आज तक शासन में आये हैं, मुख्य मंत्री जी ने पहल करके और देश की नेता श्रीमती गांधी से परामर्श करने के बाद 20 रुपये प्रति क्विंटल दाम घोषित किया । इसके लिये जहां मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं वहीं हमारे सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि सरकार को एक दिशा देने के लिये उन्होंने पहल किया था । मुझे खुशी है कि समय-समय पर जितने सुझाव आते हैं चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों किसी की भी मंशा जहां आलोचना करना होता है सरकार के क्रियाकलापों की वहीं पीछे से भावना रहती है कि सरकार ठीक से काम करे और इस प्रदेश के अन्दर जो गन्ने की खेती से गुड़ व चीनी का उत्पादन होना है, वह ज्यादा से ज्यादा हो सके और किसानों को उसका लाभ मिल सके । इसके लिये भी दोनों पक्षों के माननीय सदस्य सुझाव देते रहते हैं ।

मान्यवर, उत्पादन में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होती रहे इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार वर्ष 1980-81 में जो फसल बोई गयी थी, जब हम

शासन में बैठे थे, हमारी सरकार ने आने के बाद पहले डीजल, खाद और दवा भी भरसक दिलायी और तकनीकी ज्ञान भी किसानों को देने के लिये भरसक प्रयत्न किया गया और उनको मदद दिया जिससे किसानों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन पिछले साल से ज्यादा हुआ है और पिछले कई सालों के रेकार्ड को देखें तो इस साल जो उत्पादन हुआ है वह ज्यादा हुआ है, मान्यवर, इस सम्बन्ध में सदन में कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वर्ष 1979-80 में गन्ने की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 38 लाख मेट्रिक टन हो गया था जो बाद में बढ़कर हमारे समय में 46 मेट्रिक टन हो चुका है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने का कुल उत्पादन 471 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर इस वर्ष 540 लाख मेट्रिक टन हो जाना चाहिये। इसी तरह प्रदेश में चीनी का उत्पादन 9.97 लाख मेट्रिक टन जो पिछले साल था, वह इस समय 10.15 लाख मेट्रिक टन हो चुका है। इसी प्रकार आशा है कि चीनी का उत्पादन साढ़े 12 लाख मेट्रिक टन हो जायेगा। इस प्रकार पिछले साल की तुलना में चीनी की 20 प्रतिशत वृद्धि होगी और इस वर्तमान सरकार की एवं कर्मचारियों और अधिकारियों की मेहनत के फलस्वरूप इस साल चीनी और गुड़ में जो उत्पादन हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है।

मान्यवर, इस वर्ष गन्ने की पूर्ति की जो नीति अपनायी गयी है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जो नीति बनायी गयी थी वह इतनी लचर और डिफेक्टिव थी, जिसके कारण किसानों का गन्ना सरकार मिलों को पूर्ति नहीं करा पायी। इसलिये हमने इस साल प्रयत्न किया है कि 85 प्रतिशत गन्ना, कम से कम जो खेतों में पैदा हुआ है, उसको हम ले सकें और मिलों से पेराई करा सकें। मुझे खुशी है कि गन्ने का जो प्रत्यावर्तन (डाइवरजन) गुड़ और खांडसारी में होता जा रहा था उसमें हमने प्रयास किया है कि वह चीनी मिलों की ओर ज्यादा हो। मान्यवर, इस तरह से किसानों को जो अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगदान दिया है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। मान्यवर, सारे देश की अर्थ व्यवस्था में चीनी का बड़ा महत्व है और समाज के अन्दर चीनी की चर्चा ज्यादा है। चीनी ही एक ऐसा हथियार है जिसको राजनीतिक (विरोधी) लेकर समय-समय पर हमारे ऊपर प्रहार करते हैं और इस गन्ने की खेती के अन्दर जो चीनी है उसका हथियार हमारी गरदन पर रगड़ते रहते हैं। मुझे खुशी है कि किसानों ने हमारी उससे रक्षा की। वह हथियार जो ये हमारे ऊपर लहराते थे, वही कभी इस बात की उन्होंने कल्पना की है कि पिछले साल कहा गया गन्ना के किसानों की दुर्दशा किसने किया था। मैं उस विषय में विरोध पक्ष की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि गन्ने की खेती या किसी प्रकार की खेती में अगर राजनीति का समावेश कर दिया जावेगा तो यह राजनीति सारी खेती को चाहे वह गन्ने की हो चाहे किसी अन्य प्रकार की खेती हो, यह राजनीति उसे चौपट कर देगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि अपनी खेती और खेत तक राजनीति से अलग रखें, अलग हाथ और मन तथा मस्तिष्क तक इसको सीमित रखा जाय। मान्यवर, इस साल जहां गन्ने की कीमत की घोषणा पहले की गई थी पिराई सत्र से पहले। बजट सत्र प्रस्तुत करते समय यह घोषणा की गई थी इस साल हमारी मिलों ने 20 रु0 प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य देना प्रारम्भ कर दिया है। उसके पश्चात् हमारे साथियों ने कुछ इस

[श्री भानु प्रताप सिंह--]

प्रकार का वातावरण देश और प्रदेश के अन्दर बनाया जिससे गन्ने की खेती प्रभावित कर दी अपनी राजनीति से, उसकी वजह से हमारी मिलों में जो गन्ने की पेराई हो रही थी उसमें कुछ दिक्कत पड़ी। हमने उस चीज का मुकाबला धैर्य से किया और बिना किसी पक्षपात के प्रजातांत्रिक तरीके से समझा बुझाकर किसानों से बातचीत करने के पश्चात् जो हमारी मिलें गन्ने की आवक की वजह से कमी में चल रही थी या रुक-रुक वह हमारी मिलें पूरी तरह से फिर चलने लगीं और गन्ना किसानों ने कांग्रेस सरकार का साथ दिया और पूरी हमदर्दी रखी। उन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया उसको कांग्रेस सरकार कभी भूल नहीं सकती है।

मान्यवर, इस कुर्सी पर हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने बैठाया है उसमें से 72 प्रतिशत लोग खेती करते हैं। इन 72 प्रतिशत में से कम से कम 25 लाख किसान गन्ने की खेती करता है। वह जो 25 लाख व्यक्ति गन्ने की खेती करता है, कई-कई इंसानों का परिवार उसके पीछे होता है और इस तरह यह 2 करोड़ इंसानों के करीब हो जाया करते हैं, जो गन्ने की खेती करते हैं और गुड़ तथा खांडसारी बना कर जिन्दगी गुजारते हैं। इस प्रदेश के अन्दर हम उनको कुछ लाभ पहुंचा सकें, प्रसन्नता की बात है। मान्यवर, गन्ने की कीमत का अपोजीशन हथियार लिये हुये था और इस राजनीतिक हथियार से स्ट्राइक करवा रहा था। वह सारा का सारा उनका प्लान समाप्त हो गया, किसानों ने आन्दोलन नहीं किया। मान्यवर, उसके पश्चात् सरकार ने विचार किया कि वह किसानों को जिन्होंने हमारी कांग्रेस (आई०) को कुर्सी पर बैठाला है, हमें इज्जत दिलाया है, हमें मान-मर्यादा दी है उनके लिये उसकी उपज की कीमत ज्यादा दें। उसके अनुरूप 15 दिसम्बर को मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि 23 रुपया कुंतल गन्ने की कीमत पश्चिमी सर्किल के लिये और 22 रुपया प्रति कुन्तल पूर्वी सर्किल के किसानों के लिये बढ़ाया जाये। इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि बाद में कुछ प्रस्ताव कीमत के विषय में जगह-जगह से प्राप्त हुये या हमें सदन में प्राप्त हुये कि यह जो फैसला लिया है मंत्रिमंडल ने किसानों को उस वक्त से दिया जाय जब से मिलें चली हैं। कुछ प्रस्ताव इस प्रकार थे कि 7 तारीख से दिया जाय मैंने सारे के सारे प्रस्तावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा, विभाग ने नोट बनाकर प्रस्तुत किया, उस वक्त विभाग ने निर्णय लिया कि उसके अनुसार पुनः 23 रुपये प्रति कुन्तल जो 15 दिसम्बर से दिया गया था, वह 7 तारीख से दिया जाय। यह नीति भी किसानों के हित और उत्थान के लिए है। मान्यवर, गन्ने की कीमत के भुगतान के बारे में मैं आपके द्वारा विद्वान साथियों से कहना चाहता हूं कि पिछली दफा 1979-80 में फरवरी के महीने में 126.65 करोड़ रुपये गन्ने की कीमत देय हुई थी। उस वक्त 102.77 करोड़ रुपये का भुगतान केवल जो हमसे पहले यहां कुर्सी पर बैठे थे वह किसानों को करा सके थे। लेकिन उसके विपरीत इस समय फरवरी, 1981 तक कुल 226.35 करोड़ रुपये गन्ने की कीमत देय हुई थी जिसमें से 201.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और 24.47 करोड़ रुपया जो इस समय देना शेष है वह ट्रांजेक्शन में है। अगर दोनों वर्षों की तुलना करें तो पिछले वर्ष जब हम इस कुर्सी पर नहीं थे उस वक्त तक जो गन्ने की कीमत शेष बची थी उसका प्रतिशत 10.9 था और इस समय जो गन्ने की कीमत देनी शेष बची है उसका प्रतिशत 10.81 आता है। तो पिछले सारे के सारे रिकार्ड का यदि हम अध्ययन करें तो इस साल जितने गन्ने की कीमत का भुगतान कराया गया है उसका प्रतिशत सबसे अधिक है, इतना भुगतान कभी नहीं कराया जा सका है।

मान्यवर, मैं कोई दावा तो नहीं करना चाहता हूं, मामूली इंसान हूं और इस सदन का एक सदस्य भी हूं, मान्यवर, सभी की इच्छा रहती है कि किसान और मजदूर का कोई रुपया बकाया न रहे। मैंने यह आंकड़े इसलिए प्रस्तुत किए हैं कि सरकार का विचार है कि कोई भी पैसा सत्र समाप्त होने के पश्चात् किसानों का, मजदूरों का मिलों पर बकाया नहीं रहने दिया जायगा ऐसा हमारा इरादा है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी मिल मालिक ने किसानों, मजदूरों का पैसा नहीं दिया तो दो तरीके हैं और दोनों तरीके, चाहे इस पक्ष के लोग हों और चाहे उस पक्ष के लोग हों वह सहमत होंगे। मेरा ऐसा विचार है कि सबकी इच्छा यदि है कि किसान और मजदूर का पैसा मिले तो हमें मिल मालिकों के साथ सख्ती करनी पड़ेगी और जब उसके लिए मैं तो यह समझता हूं कि जो वे राजनीतिक हथियार हम पर इस्तेमाल करते रहे हैं उन्हें भी कुछ हमदर्दी और मदद हमारी करनी होगी और अगर कोई मिल मालिक फंस भी जाय तो अपने, सोने पर आपको पत्थर रखना पड़ेगा। मैं यह कह रहा हूं, इस पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनमें से तो आज तक किसी ने सिफारिश नहीं की लेकिन जो उस तरफ बैठे हैं, वे अपनी समझें हमारे लोग इस कदर पिटे हैं पूंजीपतियों से, पूंजीपतियों द्वारा इस कदर सताये गये हैं, क्या वह इस बात का महत्व नहीं जानते हैं कि इस देश के अन्दर तभी तरक्की हो सकती है जब इस प्रदेश के किसान और मजदूर को हम खुशहाल बनाये रखें। चन्द पूंजीपतियों के पिट्ठू इस प्रदेश और देश की अगर सारी सत्ता पर अपना कब्जा करना चाहते हैं तो गांधी जी के अनुयायी, इंदिरा और संजय जी के अनुयायी उनका मुकाबला करेंगे और प्रजातांत्रिक ढंग से करेंगे।

(मेजों की थपथपाहट।)

यहां एक मिल ऐसी है जो बिल्कुल हमारे नजदीक है। भाई मोहन सिंह जी का बड़ा दरियाये इश्क मेरे प्रति कभी-कभी बहता है। अगर आपकी कृपा न हो तो पता नहीं कि मैं उसमें डूब जाऊंगा या भवसागर के परले पार चला जा सकूंगा। ऐसी स्थिति में कभी-कभी हमारी ऐसी भी स्थिति हो जाती है मान्यवर, आपकी कृपा से।

मान्यवर, मैं हरदोई गन्ना समिति में गया था, जहां पर मालूम हुआ कि एक करोड़ 16 लाख रु0 हरदोई चीनी मिल पर बकाया है। साढ़े 9 लाख हमारे जमाने का बकाया है और बाकी सारा का सारा रुपया आप लोगों की कृपा से बकाया है। अभी हमने उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया है। हम चाहते हैं कि उन गरीब किसानों का सारा का सारा पैसा किसी भी तरह से वसूल हो। वहीं उन्होंने भी न्यायालय से एक आदेश प्राप्त कर लिया है। मान्यवर, मैंने कहा था कि तमाम कानूनी बन्धनों के बावजूद हमारा कांग्रेस दल, जो कांग्रेस के सिद्धान्तों में, गांधी जी के सिद्धान्तों में विश्वास रखता है और हम तमाम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पूंजीपतियों से पैसा वसूल कर गरीब किसानों का हक दिलाना चाहते हैं और अगर वह पैसा देने में किसी प्रकार की आना-कानी करेंगे

[श्री भानु प्रताप सिंह--]

तो हमारा सारा का सारा कांग्रेस दल उनके दरवाजों के आगे लेटा होगा और उनकी कारें तभी वहां के गुजर सकेंगी, जब वह हमारे सीने के ऊपर होकर गुजरेंगे । इसलिए हम लोग इस मामले में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि इन गरीबों का एक-एक पैसा पूंजीपतियों से वसूला जायेगा ।

(शोर)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि क्या यह लोग हड़ताल करने जा रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि तमाम कानूनी बन्धनों के बावजूद भी मिल मालिकों से गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलते हुए हम एक-एक पैसा उन गरीबों का दिलवायेंगे । मान्यवर, अगले वर्ष उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारा लक्ष्य चीनी उत्पादन का क्या है इस विषय में आपके द्वारा सादर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर इस साल जो हमारा गन्ना क्षेत्रफल 12.05 लाख हेक्टेयर था । इसको बढ़ाकर हमारा इरादा अक्तूबर तथा बसन्त कालीन बुवाई में 13.18 लाख हेक्टेयर करना है और हम यह भी चाहते हैं कि हमारा किसान उत्तर प्रदेश के गन्ने के क्षेत्रफल को न बढ़ावे बल्कि अपनी पैदावार को बढ़ायें । यही प्रयास लगातार इस विभाग का रहेगा और इस बात पर यह विभाग प्रयास कर रहा है कि काश्तकारों को किस प्रकार उनकी पैदावार बढ़े, इसकी तकनीक को बतायेगा और उनके बीच आने वाले समस्याओं पर विचार करेगा । इस प्रकार के अच्छे प्रयास निरन्तर जारी रहेंगे । इसी विषय पर मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रति हेक्टेयर, जो पिछले साल पैदावार थी, वह मैंने बता दी थी ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता था ।

(शोर)

श्री भानु प्रताप सिंह--

अगले साल में मैंने बताया था कि 47 लाख मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर गन्ने की औसत पैदावार होगी । वहीं मैं यही कहना चाहता हूं कि अब इस साल 620 लाख मीट्रिक टन पैदावार होगी और अगले वर्ष चीनी का उत्पादन का जो लक्ष्य 15 लाख मीट्रिक टन रखा है । वहीं इस साल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उससे अधिक उत्पादन लक्ष्य चीनी का रखा गया है । गुड़ और खान्डसारी के विषय में कहना है कि सामान्य रूप से इन उद्योगों को भी चलते रहना है, इनकी उपेक्षा नहीं करनी है । दूसरे मान्यवर, विकास कार्यों पर विचार करते हुए यही कहना चाहता हूं कि हमारा सारा का सारा प्रदेश और प्रदेश के तमाम पूर्वी जिलों में, जहां से भाई मोहन सिंह जी आते हैं, किसानों के पास अभी भी पुराने गन्ने की किस्में परम्परागत ढंग से चलती आ रही हैं ? उन खराब किस्मों को भी हमें समाप्त करना होगा । वहां लोगों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीनें हैं । अच्छी गन्ने की किस्में देकर उनके थोड़े खेतों से अधिक से अधिक पैदावार दिलवानी है ।

खेतों में ज्यादा उत्पादन हो सके, पूर्वी जिलों के किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है उसका कारण है वहां का वातावरण क्योंकि वहां पर जलभराव बना रहता है। वहां पर जलभराव की वजह से अभी थोड़े दिन पहले जब मैं वहां गया था तो मैंने वहां देखा कि यहां पर सबसे बड़ी समस्या जलभराव की है। उनके यहां गन्ने की ऐसी जातियां देने की आवश्यकता है जो एक फीट से लेकर 3 फीट तक ऊंचाई में खड़ी रह सकें और जिन्दा रह सकें और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सकें।

मेरे पास एक सुझाव आया था, उसमें मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी से विचार भी किया था कि उस क्षेत्र में जलभराव की जो स्थिति है उसका सर्वेक्षण करा लिया जाय ताकि जलभराव किस प्रकार से नदियों में ले जाया जा सकता है और यह जो ऐसी दैवी आपदा है, जो यह दैवी प्रकोप है इसे कैसे दूर किया जाय और वहां गन्ने की खेती हम करना चाहते हैं उसके लिए मान्यवर, दोनों पक्षों के विद्वानों के सुझावों की आवश्यकता पड़ेगी कि हम किसानों को इस विषम स्थिति से कैसे उबारें या बचा सकें।

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं कि वहां पर हम जो गन्ना पैदा कराना चाहते हैं उसके लिए भी वहां नर्सरी करानी पड़ेगी। उसके लिए शासन ने व्यवस्था की हुई है कि वहां प्राथमिक बीज पर अधिकतम आधार पौधशाला 200 रुपये, प्राथमिक को 150 रुपये और माध्यमिक बीज को 100 रुपये सब्सीडी दी जाती है। अच्छा बीज पैदा करने वाले किसानों को बुल कर इस प्रकार अपने गन्नों का भी हम चयन करायेंगे, ताकि उन लोगों को बुलाकर अपने गन्ना शोध संस्थान के अन्तर्गत हम उनको ले जायं और जो हमारे पास स्लाईड्स हैं, लिटरेचर हैं वहां के गन्ने के खेतों के विषय में उन्हें वे किसान देख सकें। उन्हें इस प्रदेश से बाहर भी हम ले जायेंगे, प्रदेश के बाहर जहां अच्छे बीज गन्ने के पैदा होते हैं वह भी वे हालत देख सकें।

इस साल बीज का उत्पादन भी अच्छा है, ज्यादा बीज पैदा हुआ है, इसके लिए दो काम किए गए थे। एक काम यह किया गया था कि जिस मिल के क्षेत्र में जो गन्ना नर्सरी करता है और गन्ना खड़ा हुआ है और जिस समय मिल बन्द होने जा रही हो तो जो गन्ने का अन्तिम भाव होगा, वह भाव वही गन्ने के नर्सरी करने वाले को मिलेगा। जिन्होंने गन्ना बीज 16 कि0 मी0 दूर से लाते हैं उन्हें हम दो रुपया क्विन्टल का उस पर अनुदान देते हैं, इस चीज की व्यवस्था है।

एक सदस्य--

इस व्यवस्था को जरा स्पष्ट कर दें।

श्री भानु प्रताप सिंह--

अब जो मिल बन्द हो रही हैं और जो भी गन्ना खड़ा है उत्पादकों का, उस पर आज जिस भाव में मिल बन्द होगी, वही भाव उसके खड़े हुए गन्ने को दिया जायेगा उस क्षेत्र (मिल वाले क्षेत्र) के उत्पादकों को। इसके लिए अलग से भी सब्सीडी दी जाती है कि वाकई में जो अच्छा गन्ना है अच्छा गन्ने पैदा करने वाले किसानों को विभाग अलग से कुछ मदद कर सके इसलिए यह सब्सीडी दी जाती है।

[श्री भानु प्रताप सिंह--]

एक चीज जो इस विषय में है, पहले खाद और बीज के लिए एक लिमिट थी कर्ज की 600 रु0 की। वह पहले एक एकड़ तक 600 रुपये तक कर्ज ले सकता था। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, लागत ज्यादा लगा सके, उसकी क्षमता का ज्यादा विकास हो सके, इसके लिए अब हमने जो लिमिट 600 रु0 थी उसको बढ़ाकर अब 1,000 रुपया कर दिया है। इसके हो जाने से मैं समझता हूं कि जो बढ़ी हुई खाद और बीज के कीमत की स्थिति है उससे किसान मुकाबला कर सकेगा। बीज वितरण की जो व्यवस्था है, दवाइयां आदि जो हम देते हैं, कृषि रक्षा यंत्र हमारी सोसाइटीज के पास काफी हैं फिर भी यदि कोई किसान उनको खरीदना चाहे तो उन सब में हम मदद करेंगे।

प्रचार अभियान के जरिये से हमारा गन्ना विभाग, जो उसके पास मोबाइल वन हैं, उनसे स्लाइड्स, सिनेमा आदि दिखलाकर गांव-गांव में प्रदेश के अन्दर, अच्छे बीज कैसे, किस प्रकार ज्यादा पैदा करें, यह सब सिखाया जाता है। इस प्रकार लगभग 34 हजार गांवों में अब तक अभियान चलाया गया है।

ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत विभाग गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए भी कुछ सड़कें बना रहा है और उसके लिए लगभग 300 कि0 मी0 सड़कों का निर्माण वर्तमान समय में किया जा रहा है और इसमें लगे हुए लगभग 55 हजार इंसानों को हमारे विभाग के जरिये से रोजगार दिया गया है।

किसानों को प्रशिक्षण दिये जाने के विषय में अभी हमने एक मिनिट पहले कहा था, हम ऐसे लोगों का चयन करेंगे जो क्षेत्र के अन्दर गन्ने की खेती करने में रुचि रखते हों। उसमें किसानों को भी बुलवायेंगे, अपने विभाग के लोगों को भी बुलवायेंगे। सम्मानित सदस्य भी यदि किसी ऐसे किसान की जानकारी देंगे, जो अच्छे गन्ने की खेती करने में रुचि रखता हो, तो उसको भी प्रशिक्षण देने के लिए हम आमंत्रित करेंगे वह पुनः अपने क्षेत्र में जाकर अपने ज्ञान का प्रयोग अच्छा गन्ना पैदा करने के लिए किसानों में कर सके।

इसके अलावा मैं चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में हमारे जो शोध संस्थान हैं उनको अच्छा बनाया जाय। सारे के सारे प्रदेश के अन्दर जो शोध संस्थान हैं उनको अच्छा बनाया जाए। जब तक उनके अन्तर्गत काम तेजी से नहीं होगा, नयी प्रजातियों का चयन, उनका उत्पादन नहीं होगा, अच्छे बीज नहीं निकालेंगे, शोधकर्त्ता तेजी से काम नहीं करेंगे, तो विकास नहीं होगा। वहां की स्थिति को देखने के पश्चात् मुझे ऐसा महसूस हुआ, कि काम कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इसलिए वापस आने के बाद उस केन्द्र में काम तेजी से हो सके, उसे अच्छा बनाया जा सके, अच्छे बीजों का उत्पादन हो सके, वह अपने पूर्वी जिले की जरूरतों को पूरा कर सके, जो वहां का वातावरण है, जो वहां की भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुरूप बीजों की किस्मों का उत्पादन हो सके, इसके लिए मैंने निर्देश दिए थे और मैं समझता हूं कि वहां बहुत शीघ्र बहुत अच्छा काम प्रारम्भ हो जायेगा। उसमें कुछ राजनीतिक पचड़े भी हैं, उनको भी शीघ्र ही दूर कर लिया जायेगा। ऐसा मैंने केवल इसलिए कहा कि मैं समझता हूं कि कुछ सदस्यों को इसके बारे में जानने की इच्छा थी....।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, केवल साढ़े तीन घंटे की चर्चा है और 5 बजे मतदान है।

श्री भानु प्रताप सिंह––

मान्यवर, आबकारी विभाग के विषय में सदस्यों की इच्छा है कि उसके विषय में भी कुछ कहा जाय तो सही बात यह है कि मेरे दोनों विभाग ऐसे हैं कि एक तो मीठा–मीठा और एक कड़वा। मीठा खाने के पश्चात् लोगों को मैंने हंसते देखा है और कड़वा पीने के बाद लोगों को नालियों में गिरते देखा है और उस विषय में सबकी इच्छा है कि मैं भी अपने कुछ विचार इस विभाग के विषय में व्यक्त करूं। मान्यवर, इस विषय में अपनी निजी राय और जो सरकार का कार्यक्रम है दोनों रखना चाहता हूं। मेरी निजी राय को आप सभी जानने की इच्छा रखते होंगे और मैं भी अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सारे प्रदेश के अन्दर कुछ जिलों को छोड़कर शराब की बिक्री हो रही है, ठेके हो रहे हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सरकार ने नशाबन्दी की नीति को समाप्त कर दिया है? क्या सरकार चाहती है कि सारे के सारे लोग नशेबाज हो जायं? सरकार मद्य निषेध की नीति का पालन क्यों नहीं कर रही है? मान्यवर, इस विषय में 2–3 चीजें कहना चाहूंगा। नशा बुरी चीज है और सारी खुरफात की जड़ है लेकिन जैसी कि व्यवस्था सारे समाज की है वह दयनीय है और जब पिछली सरकार ने नशाबन्दी लागू किया था तब भी मेरा तजुर्बा रहा है कि नशाबन्दी लागू होने के बावजूद भी शराब मिलती रही, बिकती रही। उसमें कोई कमी नहीं आई बल्कि उलटे इससे राजस्व की हानि हुई। गत समय में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग विषैली शराब के कारण मौत के गाल में चले गए।

मान्यवर, मैं सबसे ज्यादा नशा करने वालों से घबराता हूं। मान्यवर, मैं जानता हूं कि अगर शेर आ जाये तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। भाई मोहन सिंह जी से कहूंगा, कि अगर शेर आ जाये तो उससे मत डरिये क्योंकि उसमें पौरुष होता है और वह बगैर छेड़े किसी पर हमला नहीं करता और अगर कातिल आ जाये तो उससे भी डरने की आवश्यकता नहीं है और उसके सामने सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। उसका मुकाबला करना चाहिए शायद अन्तिम क्षण में हमें विजय मिल जावे लेकिन अगर शराबी पास से गुजर जाये तो सारा का सारा वातावरण बदबू से दूषित हो जाता है और अच्छे खासे आप बगैर उसकी तरफ देखे जा रहे हैं तब भी अगर उसके मन में आ जाये तो आपको उठाकर फेंक दे। यह स्थिति आपको उसके पास से गुजरने से होती है वहीं उसके परिवार को देखें तो उसके परिवार पर क्या बीतती है। मान्यवर, जिसकी 1,000 रु0 और 800 रु0 की आमदनी होती है उसको शराब की लत लग जाने के बाद उसका परिवार तबाह हो जाता है और नहीं उनके जो पड़ोसी लोग होते हैं उनकी नींद भी हराम हो जाती है। शराब उनके खानदान और परिवार को तबाह कर देती है।

श्री मोहन सिंह––

अफसोस है, मान्यवर, कि इनके सहयोगी यहां बैठे नहीं हैं। इनका यह भाषण वितरित किया जाय।

श्री मोती लाल देहलवी--

अभी ये ज्ञानी जैल सिंह के साथ गए थे पीने ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

उनको कैसे रोका जा सके, उसके लिए हमारे विभाग ने उनको शिक्षित करने का प्रोग्राम बनाया है ...

श्री मोहन सिंह--

कि कैसे पिया जाय....

श्री भानु प्रताप सिंह--

पीने के विषय में नहीं, छोड़ने के विषय में विभाग ने अवगत कराने का प्रोग्राम बनाया है, दुष्परिणाम से उनको जानकारी कराने का कार्यक्रम बनाया गया है । प्रदेश के 36 जिलों के अन्दर सम्पर्क अधिकारी कार्यरत हैं जो लोगों को कैसे शिक्षित किया जा सके इसकी व्यवस्था करते हैं । और जिलों में भी इस बात की आवश्यकता है कि लोगों की इन पदों पर नियुक्तियां हों । सारे का सारा मद्यनिषेध विभाग की आय का एक परसेन्ट पैसा उसके अपने विभाग में खर्च होता है । मेरी इच्छा है और मैं समझता हूं कि सारे के सारे विद्वान सदस्य चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों इस बात से सहमत होंगे कि लोगों को ज्यादा शिक्षित किया जा सके, गांव-गांव में छोटे-बड़े जाति के लोग हैं उन्हें फिल्मों के जरिये मद्य निषेध की जो कुरीतियां हैं उनसे अवगत कराया जा सके । इसके अलावा यह भी बहुत आवश्यक है कि जो हमारा मद्य निषेध कार्यक्रम है उसको तीव्रता के साथ चलाया जाय और इसमें हमारे माननीय मोती लाल जी हैं, और सारे के सारे साथी इस पक्ष और उस पक्ष में बैठने वाले हैं इस कार्यक्रम में अपना योगदान देंगे उसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा ।

अभी एक आरोप आपने मेरे ऊपर लगाया, शायद मोती लाल जी ने कहा है कि मैं किसी शराब के व्यापारी के यहां गया । आप जानकारी कर लें चूंकि मैं गया ही नहीं आपका कहना असत्य है । इनविटेशन जो भेजा था उसमें जाने को न तो मेरी इच्छा था न मन । आपकी रुचि हो तो ऐसे निमंत्रण जब भविष्य में मिलेंगे तो उन्हें जरूर आपके यहां भेज दिया करूंगा ।

मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं और वह इसी विषय में कि शराबबन्दी से शराब नहीं रोकी जा सकती । उसके लिए लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है और उसमें सब को लगना पड़ेगा । मुझे विदेश जाने का अवसर तो मिला नहीं लेकिन अपने देश के अन्दर मैंने देखा है कि आज भी जो विदेशी आते हैं देश और प्रदेश के अन्दर उनको सूरज निकलने और सूरज डूबने तक शराब के नशे में झूमते नहीं देखा, नालियों में गिरते नहीं देखा, किसी को सड़क के ऊपर वाहनों से टकराते नहीं देखा लेकिन हमारे प्रदेश के लोगों की किस प्रकार की मनोवृत्ति है, इस प्रकार दुर्व्यसन ने उनको घेर लिया है कि उसको दूर करने के लिए सारे के सारे लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, अब मैं चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि हमारे विद्वान सदस्य अपने सुझाव देंगे और जो यह जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका तो मैं विरोध करता ही हूं क्योंकि यह एक प्रक्रिया है वह आप रखेंगे ही, लेकिन आपके विचार सुनने के बाद मुझे अवसर दिया जाय कि कुछ चर्चा करूं ।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह को पुकारे जाने पर ।

श्री भीखा लाल––

मान्यवर, एक बात कहना चाहता था यदि इजाजत दे दें तो..

श्री अध्यक्ष––

आपको बोलने का अवसर मिलेगा । बीच में कहने की मर्यादा नहीं है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10––आबकारी विभाग–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54––गन्ना विकास विभाग–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64––उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77––आबकारी विभाग––पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92––उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)––पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह—]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 120—उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

[इस समय 1 बजकर 31 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।]

मान्यवर, माननीय गन्ना मन्त्री जी ने अपने भाषण में बहुत बल दिया कि गन्ना इस प्रदेश की अर्थ—व्यवस्था के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। श्रीमन्, उन्होंने यह भी कहा कि आज तक जितना भी गन्ने का मूल्य इस प्रदेश में किसानों को मिला है उसमें इस वर्ष का मिला हुआ मूल्य सबसे अधिक रहा है और इसके लिये उन्होंने अपने को और मुख्य मन्त्री जी को अपने आप धन्यवाद दे दिया। मान्यवर, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस वर्ष किसानों को जो गन्ने का मूल्य दिया गया है वह किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। उनकी जेब से 3 अरब 28 करोड़ रुपये निकाल करके मिल मालिकों की जेब में रख दिया गया है। श्रीमन्, गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के बारे में कुछ नियम हैं। मान्यवर, मैं सबसे पहले आप ही की पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री रफी अहमद किदवई द्वारा बनाये गये एक फारमूले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि उन्होंने 1948 में बनाया था कि जितने मन चीनी उतने आने मन गन्ना। यदि इसको इस रूप में देखा जाय तो आज भी जो चीनी का मूल्य है उसका 1/16 गन्ने का मूल्य होना चाहिए। इसी आधार पर 1947—48 तथा 1948—49 में गन्ने का मूल्य निर्धारण भी हुआ था और 1948 के बाद जब से प्रथम चुनाव कार्यक्रम प्रारम्भ हुये हैं तब से मिल मालिकों ने सत्ता दल के लोगों को खरीदना प्रारम्भ कर दिया और किसानों को उनके गन्ने का उचित मूल्य देना बन्द कर दिया। मान्यवर, यह तो 1947 की बात है रफी अहमद किदवई की। अब मैं आपके सामने लेटेस्ट यानी अक्तूबर, 1980 की अखिल भारतीय गन्ना परिषद् की जो मीटिंग दिल्ली में हुई थी उसके बारे में बताना चाहता हूं। उसका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन मेरे पास है। मान्यवर, यह अंग्रेजी में है और मैं आपकी आज्ञा से उसे पढ़ देना चाहता हूं।

"दि इन्डियन सुगरकेन डेवलपमेन्ट कौन्सिल नोट्स विथ कन्सर्न दैट इन फिक्सिंग दि मिनिमम सुगरकेन प्राइस दि इन्टरेस्ट्स आफ दि केन ग्रोवर्स इज नाट टेकेन इन्टू कान्सीडरेशन। इट इज आल्सो एनाउन्स्ड लेट एवरी इयर विथ दि रिजल्ट दैट केन ग्रोवर्स आर नाट एबुल टू प्लान देयर प्लान्टिंग्स आन रेशनल इकोनामिक कन्सीडरेशन्स। दि कौन्सिल, देयरफोर रिजाल्वस दैट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया शुड एडाप्ट ए लांग—टर्म शुगर—पालिसी आन मिनिमम प्राइस आफ सुगरकेन एण्ड एलाइड मैटर्स, एटलीस्ट फार ए पीरियड आफ 3 इयर्स, एण्ड दैट इट शुड फिक्स दि मिनिमम प्राइस आफ सुगरकेन आफ्टर फुल्ली टेकिंग इन्टू एकाउन्ट दि इन्क्रीज इन कास्ट आफ कल्टीवेशन ड्यू टू इन्क्रीज इन प्राइसेज आफ इनपुट्स, प्रीवेलिंग प्राइसेज आफ सुगर इन दि इन्टरनेशनल एण्ड डोमस्टिक मार्केट एण्ड आल्सो दि प्राइजेज आफ गुड़ एण्ड खांडसारी।"

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि इंडियन शुगर केन डेवलपमेन्ट कौन्सिल को इस बात का दुख है कि केन का मूल्य जो निर्धारित होता है उसमें किसानों के हित को नहीं देखा जाता है। उनका कहना है कि गन्ने के मूल्य को कम से

कम इतने पहले निर्धारित कर देना चाहिये ताकि किसान इसके लिये कोई प्लानिंग कर सकें कि वह कम से कम कितने क्षेत्रफल में गन्ना बोये। साथ ही साथ कौन्सिल का यह भी कहना है कि गन्ने के मूल्य निर्धारण में यह आवश्यक है कि उसमें लगने वाले इनपुट्स को भी ध्यान में रखा जाय और साथ ही साथ उससे बनी हुई चीनी के इंटरनेशनल तथा देसी बाजारों के मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाय। और गुड़ तथा खांडसारी के मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाय। इसी रिजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए तथा माननीय स्वर्गीय रफी अहमद किदवई साहब के बनाये हुए फारमूले को ध्यान में रखते हुए हमारे गन्ना संघ के प्रतिनिधि मंडल ने 12-12-80 को इस सचिवालय में हुई बैठक में उस समय चीनी की जो प्रिवेलिंग प्राइस रही है मार्केट में उसी आंकड़ों के साथ माननीय मुख्य मन्त्री जी से मांग की गयी थी कि गन्ने के दाम किसी भी सूरत में 29 रु0 65 पैसे से कम नहीं होने चाहिये। यदि सबसे कम दाम मान लिये जायं जो टैरिफ मूल्य भारत सरकार ने 1 दिसम्बर को फिक्स किये थे उस मूल्य पर 28 रुपये और कुछ पैसे आते हैं। हमने टैरिफ मूल्य पर दाम जोड़े थे और यह कहा था कि दो तिहाई चीनी लेवी प्राइस पर बिकेगी और एक तिहाई चीनी फ्री रेट पर बिकेगी। यद्यपि टैरिफ रेट उस समय 690 रु0 था लेकिन मार्केट में चीनी के दाम बहुत अधिक यानी साढ़े 7, 8 रुपये से कम होने का प्रश्न नहीं था। सभी लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष जो चीनी बनी थी, जो गन्ना उस समय कम मूल्य पर खरीदा गया था उस चीनी को मिल मालिकों ने मार्च के महीने में 12 रु0 पर बेचा है जिसका कोई औचित्य नहीं था। फिर भी मैंने अपने केलकुलेशन को ध्यान में रखा। अक्तूबर से जो चीनी के दाम जोड़े गये थे उस पर ही अपने केलकुलेशन्स किये थे। माननीय मन्त्री जी को पार्टी के लोग यह कहते हैं कि गन्ना किसान अधिक दाम मांग रहे हैं तो कन्ज्यूमर्स के इंटरेस्ट को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। मैंने जो दाम मांगे थे वह उसी प्राइस पर मांगे थे जिस प्राइस पर कंज्यूमर को चीनी दिलवाई गयी थी। यदि कंज्यूमर पर इतनी श्रद्धा थी तो मैं यह कहने के लिये तयार हूं गन्ना किसान की तरफ से अगर कंज्यूमर को सस्ते दामों पर चीनी दिलानी है तो उसके हिसाब से केलकुलेट करके गन्ने का किसान गन्ना देने के लिये तैयार होगा। इंडियन सुगरकेन डेवलपमेंट कौंसिल के चेयरमैन ने मीटिंग में यह भी कहा था "दि मिनिमम प्राइस आफ केन-हैज टू रिफ्लेक्ट नाट ओनली दि कास्ट आफ प्रोडक्शन बट आल्सो दि मार्केट आफ सुगर ह्विच इज सेलिंग एट मोर दैन 12.00 पर के0 जी0।" गन्ने का जो न्यूनतम मूल्य है उसमें चीनी जिस भाव पर बिक रही है उसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

(1 बजकर 40 मिनट)

माननीय मंत्री जी ने अपने समस्त भाषण में यह कहीं नहीं कहा है कि इतना अधिक जो उन्होंने गन्ने का दाम दिलाया है यह किस चीनी के भाव पर दिलाया गया है। श्रीमन् इसको यदि कैलकुलेट किया जाय, मैं बैठा हुआ जोड़ रहा था, यदि हम यह मान लें कि टैरिफ मूल्य चीनी का 690 रु0 है 2/3 लेवी प्राइस

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह--]

और 1/3 फ्री मारकेट प्राइस के हिसाब से चीनी का मूल्य एक किलो का 4.26 रु0 आता है और अगर माननीय मंत्री जी ने हमको 22 रु0 दाम गन्ने के दिलाये हैं तो यह चीनी के मूल्य का 1/19 वां हिस्सा है न कि 1/16 वां हिस्सा। अगर हम चीनी का मूल्य फ्री सेल का जो 8 रु0 किलो बिक रही है उसे मान लें तो उस समय एक किलो चीनी का मूल्य 4.64 रु0 आता है और उसके हिसाब से 22 रु0 गन्ने का मूल्य मानें तो यह 1/21 वां भाग है न कि 1/16 वां भाग। इसलिए निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने गन्ना किसानों का हित न करके मिल मालिकों का हित किया है और यह कितने लाख से किया है यह वर्ष 1981 का आंकड़ा है 30 दिसम्बर, 1981 तक 4322 लाख क्विंटल गन्ना पेरा गया है। अगर मैं यह मान लूं कि जनवरी और फरवरी महीने में लगभग साढ़े 4 लाख क्विंटल गन्ना पेरा गया तो यह होता है 8822 लाख क्विंटल गन्ना, इसका मान्यवर, 1/3 हिस्सा जो लगभग 27 प्रतिशत आता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश गन्ना देता है और 2/3 मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश देता है। तो इस हिसाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश से 2646.6 लाख क्विंटल गन्ना आता है जिसका 22 रु0 मूल्य मिला है और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रीज जो 26 रु0 गन्ने का मूल्य दे रही हैं वह इस सरकार से नहीं दिलवाया है। अगर वही 26 रु0 मान लिया जाय तो 4 रु0 प्रति क्विंटल के हिसाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को कम मिला है इस प्रकार 10586 लाख रु0 पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान को नुकसान हुआ है ....

श्री मोहन सिंह (शासन पक्ष से)--

अब बोलिये क्या कहना है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के किसानों ने 6175.14 लाख क्विंटल गन्ना दिया है वहां पर 23 रु0 गन्ने का मूल्य दिलवाया और आज वहां पर 26 रु0 मिल रहा है उस हिसाब से 18526.2 लाख रु0 का नुकसान हुआ है किसान का....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह, आप कटौती के प्रस्ताव को बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आपके हित में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यही चाहता हूं कि मेरे हित में यही है कि जो बोल रहे हैं उसमें इंटरेप्ट न हो।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

इसमें मैंने 7 दिसम्बर से पहले का नहीं जोड़ा है क्योंकि उनके आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाये इनके विभाग से कितना गन्ना किस मिल ने पेरा था। तो

7 दिसम्बर से जो मूल्य दिलाया है उसी को ले लिया जाय तो 28 फरवरी तक उन्होंने 29112.6 लाख रु0 किसान की जेब से छीन कर मिल मालिकों को दे दिया। मान्यवर, कल के अमृत प्रभात में पढ़ रहा था उसमें बोरों में दिया है कि 10 लाख रु0 मुरादाबाद में चीनी कंपनी के गोदाम से बरामद हुआ। किसान बेचारा भूखों मर रहा है और यहां पर मंत्री जी धरना देने की बात करते हैं

(व्यवधान)

इस सरकार के हाथ में ताकत नहीं है कि मिल मालिकों को बाध्य कर सके और किसानों को गन्ने का मूल्य दिलाने के लिए मंत्री जी धरना देने की बात करते हैं। यह प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है कि किसान से यह कहना कि धरना देकर मूल्य दिलायेंगे न कि कानून से मान्यवर, मंत्री जी न विभाग के बारे में....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय दिवाकर जी को आप लोग बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मैं यह भी स्पष्ट कर दूं। गन्ना किसानों को सबसे अधिक चीनी मूल्य से आधारित गन्ने का मूल्य उस समय मिला है, जब चौधरी चरणसिंह इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। 162 रुपया क्विंटल चीनी मूल्य पर उन्हें 12.75 रुपया का मूल्य दिया गया है। आप आंकड़े पढ़ने की कोशिश कीजिए....

(व्यवधान)

श्रीमन् आवश्यकता इस बात की है, कि गन्ने में इतनी बड़ी अस्थिरता प्रारम्भ से ही है कि उसे आप देख लीजिए। कभी उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, फिर घटता है, फिर एकदम कम हो जाता है, फिर धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होता है। इस प्रकार इसका रोटेशन तीन-चार साल से चलता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी नीति बनाई जाए, जिससे गन्ने का जो फ्लैक्चुएशन है, उसको रोका जा सके। मैं आपके सामने अब एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जितना भी गन्ना पैदा होता है, उससे समस्त का कितना प्रतिशत किस क्षेत्र में यूटीलाईज होता है। मान्यवर, 75 से 79 तक के आंकड़े मेरे पास हैं, शूगर प्रोडक्ट में यह 30.21 प्रतिशत से लेकर 21.64 प्रतिशत तक जाता है।

(व्यवधान)

कहेंगे तो मैं 76-77 के और 69-70 के आंकड़े भी प्रस्तुत कर दूंगा। 16 साल से इस विभाग में कोड़े की तरह हूं, सब देखा और अध्ययन किया है। पावर क्रशर में यह लगभग 9.72 प्रतिशत से लेकर 15.02 प्रतिशत तक जाता है और गुड़ में 36.78 प्रतिशत से लेकर 49.07 प्रतिशत तक जाता है। मान्यवर, होता यह है कि जिस साल गुड़ का भाव कम हो जाता है, उस साल गन्ने का

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह—]

डायवर्जन खांडसारी और चीनी मिलों की ओर बढ़ जाता है। जिस साल गन्ने का उत्पादन अधिक होता है वह गुड़ से खांडसारी की तरफ भागता है और चीनी मिलों की तरफ भागता है। खांडसारी और चीनी मिल में इतनी क्षमता नहीं है कि जितना भी गन्ना आता है वह उसको कीप-अप कर सके। यहां पर किसान को परेशानी होती है और चीनी मिल मालिकों के सामने तो परेशानी यह होती है कि वह दाम नहीं घटा सकते हैं। यों एक समय 69-70 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस साल मई के महीने में मिल मालिकों ने गन्ने का दाम घटा भी दिया था। चीनी मिल मालिक उसका दाम घटा नहीं सकते हैं और उसको खांड-सारी वाले एक्सप्लाएट करना शुरू करते हैं। इस स्थिति से वह इतना परेशान हो जाता है कि वह अगले साल से गन्ने का क्षेत्र घटाने लगता है। फिर अगर वह बढ़ाना भी चाहता है, तो उसमें उसे दो साल लग जाता है। तो जैसे हम चीनी का प्राईज तय करते हैं, वैसे ही गुड़ का मिनिमम प्राईज भी हमें कहीं तय करना पड़ेगा। चाहे अपने स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन या फूड डिपार्टमेंट के माध्यम से तय करें लेकिन इसका विकल्प हमें निकालना होगा ताकि जिस साल गन्ने का उत्पादन अधिक हो वह खंडसारी युनिट्स और चीनी मिलों की ओर न जाये और उनकी क्षमता के अन्दर ही गन्ना वहां पर पहुंचे। अगर यह एक स्थिति बना ली जाय तो मेरा निश्चित मत है कि गन्ने की कीमत में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको रोका जा सकेगा। माननीय मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में गन्ने के इस मूल्यवर्धन नीति के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला है।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बताया कि गन्ने की नयी प्रजातियां वेराइटीज इजाद की जा रही हैं खास तौर से देवरिया जिले के लिए क्योंकि इनको माननीय मोहन सिंह जी से बड़ा प्रेम है लेकिन बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि ये नयी प्रजातियां उतनी जल्दी नहीं आ पा रही हैं जितनी आनी चाहिए ताकि किसानों को उनसे लाभ हो सके। मुझे खुशी इस बात की है कि अपने यहां गन्ना अनुसंधान केन्द्र में भी नये-नये बीजों को इजाद करने का काम आरम्भ हो गया है। लेकिन जिस रफ्तार से इस पर काम हो रहा है उससे गन्ना किसानों और चीनी मिलों का कोई लाभ होना संभव नहीं है। इसमें निश्चित रूप से अधिक बल और धन लगाया जाना चाहिए। इसकी कार्यवाही को और तेज करना पड़ेगा।

मैंने एक मैगजीन पढ़ी है जो मेरे सामने आ गयी कि हाई इंल्डिन्ग शुगरकेन का बीज कोयम्बटूर में निकाला गया है जो उत्तर प्रदेश के लिए भी उपयुक्त है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इसको देखें और जो वैराइटी कोएम्बेटूर से निकाली गयी है और इस प्रदेश के लिए भी उपयुक्त हैं और वहां से रिलीज भी की जा चुकी है, उनको जल्द मंगाकर और प्रचार करके किसानों में फैलाने का प्रयास करें। देखने में यह आया है कि जब कोई नयी वैराइटी प्रदेश में बाहर से आती है तो जब तक उसे प्रयोग में लाया जाता है तब तक उसमें रेडराट या अन्य बीमारी लग जाती है और वह प्रजाति ही नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि हमारे यहां पर अभी तक 1148 और 1158 की किस्म का बीज जो चल गया था वही अभी भी चल रहा है। कब तक यह वैराइटी साथ देती रहेगी, इसमें शुबहा हो गया है।

अब मैं माननीय मंत्री जी और विभाग का ध्यान गन्ना समितियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन पुस्तिकाओं में इस बात पर बल दिया गया है कि खाद्य का वितरण इनसैक्टसाइड्स तथा पैस्टीसाइड्स का वितरण गन्ना समितियों की ओर से कराया जा रहा है। लेकिन इनकी हालत आज एकदम जर्जर हो चुकी है। वर्ष 1975 में तत्कालीन गन्ना संघ की प्रबन्धक समिति की बिना राय लिए रिजर्व बैंक के दबाव में आकर और शासन के दबाव में आकर विभाग ने यह जान लिया था कि गन्ना समितियों के माध्यम से जो भी लोनिंग किया जाता है वितरित किया जाता है वह अब सीधे गन्ना समितियों के बजाय पहले प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से जायेगा। शासन ने इसे वित्त पोषण योजना का नाम दिया था लेकिन मुझे यह कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि यह योजना गन्ना समितियों की वित्त शोषण योजना बन कर रह गयी है। जब से यह वित्त पोषण योजना लागू हुई है, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी यह पता लगा लें कि इस योजना से पूर्व गन्ना समितियों से कितनी लोनिंग हुई और इस योजना के बाद कितनी हुई। यह भी माननीय मंत्री जी कृपया पता लगा लें कि इस योजना से पूर्व गन्ना समितियों की बैलेन्सशीट कितनी जल्दी तैयार हो जाती थी और उनकी आर्थिक स्थिति उस समय क्या थी और अब बैलेन्सशीट तैयार होने में कितनी देर लगती है और अब उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे वित्त पोषण या इसको वित्त शोषण योजना कहें, इससे आपने छुटकारा नहीं दिलवाया तो यह गन्ना समितियां एक दिन समाप्त हो जायेंगी। वह आज इस स्तर पर पहुंच गयी हैं कि उनका जिन्दा रह पाना मुश्किल हो गया है।

पहले इस विभाग का ऐसा ढांचा था कि फील्ड स्टाफ सी० डी० आई० एम० के अन्तर्गत रहता था और वह अधिकांश समितियों का सचिव होता था। इस तरह से फील्ड स्टाफ एक तरह से समितियों के अन्डर में ही आता था। इससे समितियों का भी उनके ऊपर अंकुश बना रहता था। आपने अब फील्ड स्टाफ को सीधे सीनियर सी० डी० आई० से सम्बद्ध कर दिया है बीच में आपने सुपरवाइजर और कामदार को खत्म कर दिया है। अब स्थिति यह आ गयी है कि लोनिंग जो हो रही है वह फर्जी हो रही है और उससे गन्ना किसान मारा जा रहा है। अतः इस फर्जी लोनिंग को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि आप पुराने ढांचे को ही बनाये रखें...

श्री उपाध्यक्ष--

आपने सी० डी० आई० एम० की बात कही, अब यह सुपरवाइजर और कामदार लोग क्या काम कर रहे हैं?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मैं उस पर भी आ रहा हूं, मान्यवर। मैं यह कह रहा था कि आप पुराने ढांचे को ही पुनर्जीवित करें आपने जो यह ब्लाक इन्चार्ज बना रखे हैं उनसे करप्शन रोक पाना सम्भव नहीं है। कामदार उसी जगह पर अधिक बेइमानी कर रहा है जहां पर कि उसे ऊपर के अधिकारियों का अधिक संरक्षण प्राप्त है। उदाहरण के लिये मैं बता दूं कि हमारे यहां वाल्टरगंज सोसाइटी में इसी तरह की स्थिति आ गयी है। मेरा निवेदन है कि आप उसे देखें कि इसमें कामदार कहां तक दोषी है और

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह]--

इसमें कहां तक आपके ऊपर के अधिकारी दोषी हैं। इसमें पूरे कामदार वर्ग को दोषी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मान्यवर, जैसा कि मैंने आपसे कहा मेरी यह निश्चित जानकारी है कि कामदार वहीं बेईमानी कर पा रहा है जहां ऊपर के अधिकारी का संरक्षण उसे प्राप्त है। सुपरवाइजर के बारे में माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा था, उनकी स्थिति जरूर इस समय विषम सी हो गयी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषम स्थिति को जितनी जल्दी आप समाप्त करेंगे, उतनी जल्दी कार्य में प्रगति आ पायेगी, वरना उसमें शिथिलता ही आती रहेगी।

आपने अपनी बात में सब्सीडी की बात कही, ऐक्ट में तथा बजट में भी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आप सब्सीडी दिलवायेंगे। उसके गन्ने के ट्रान्सपोर्ट के लिए, खेती के लिए और 5 हजार परिवारों को लाभान्वित करने हेतु आपने अपनी योजना बनाई है। इसमें मान्यवर, मेरा अपना सुझाव यह है कि अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया कि 5 हजार परिवार इसमें लाभान्वित होंगे, तो इससे एक भी परिवार जिसे आप लाभान्वित करना चाहते हैं, वह नहीं हो पायेगा क्योंकि आज अधिकांश स्थिति ऐसी है कि फर्जी नाम पर सब्सीडी बंट रही है, चाहे वह आपका विभाग हो, चाहे वह माननीय रिजवी साहब का विभाग हो या हमारे बलराम सिंह यादव का विभाग हो, सब्सीडी फर्जी बंटती चली आ रही है। मैं चाहूंगा कि आप 5 हजार परिवारों को इयर मार्क कर दें, निश्चित कर लें, चाहे आप इनको सोसाइटीवाइज लें या जिलावाइज लें, किसी भी स्तर पर लें, 5 हजार परिवारों को इअरमार्क कर दें कि इस साल इतने परिवारों को लिया जा रहा है। फिर देखें कि उनकी स्थिति कुछ सुधरी अथवा नहीं सुधरी है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे कि 5 हजार परिवार को लाभान्वित करना है, तो इससे कदापि लाभ नहीं होना है बल्कि हानि ही होगी। मान्यवर, एक बात और रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

गन्ने के ही बारे में या आबकारी के बारे में ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, गन्ने के बारे में ही रखना चाहता हूं। श्रीमन्, वर्ष 73-74 में एक आंकड़ा बनाया गया था, आपने जो सघन योजना कार्यक्रम चलाने के लिए कि फील्ड स्टाफ की और आपके आफिशियल स्टाफ की क्या स्ट्रेन्थ होनी चाहिये, श्रीमन् 73-74 में यह आंका गया था कि 7,429 गन्ना ग्राम सेवक होने चाहिये थे, 2,600 गन्ना पर्यवेक्षक होने चाहिये थे, 520 गन्ना विकास निरीक्षक होने चाहिये थे, 87 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और 87 राजपत्रित अधिकारी होने चाहिये थे। उस समय गन्ने के रकबे के हिसाब से यह बनाया गया था, उसमें कमी जो थी 4,268 गन्ना ग्राम सेवक में 1,347 गन्ना पर्यवेक्षक, 262 गन्ना विकास निरीक्षक, 15 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, 61 राजपत्रित अधिकारियों में आज 1980-81 में आपके गन्ना का जितना क्षेत्रफल है, उसको अगर आधार मानकर देखा जाय, तो स्थिति यह है कि गन्ना ग्राम सेवक जोकि फील्ड में रहकर, काम करता है, उसके पद में तो आज भी 3,896 पदों की रिक्तियां हैं। लेकिन बाकी जितने पद हैं, श्रीमन्, वह सब पूरे भर गये। अधिकारी और राजपत्रित अधिकारी और गन्ना विकास निरीक्षक तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक यह सब तो पूरे हो गये लेकिन फील्ड स्टाफ, जिसको

कि फील्ड में रह करके पड़ताल करना है, लोनिंग करना है, उसमें आज भी आपके यहां 3,896 पद रिक्त पड़े हुए हैं। कैसे यह सम्भव है कि जो यह स्थान रिक्त पड़े हैं तो इनकी पूर्तियां, जितने लोग कार्य कर रहे हैं, वे पूरी कर लेंगे ? कैसे सम्भव है कि आज जितने गन्ना ग्राम सेवक कार्य कर रहे हैं, वे समस्त किसानों तक पहुंच जायेंगे। यही कारण है कि यह वर्ग अब किसानों से दूर रह कर अपने घरों में बैठा रहता है। यदि इनको प्रोत्साहन मिले तो मेरा निश्चित मत है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये काम क्यों नहीं करेंगे, जबकि पहले भी यही करते रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

37 मिनट हो गये।

एक सदस्य--

मान्यवर, बड़े-बड़े लोग बोले।

श्री उपाध्यक्ष--

बड़े-बड़े नहीं, इतने बड़े विभाग पर बोल रहे हैं, बड़े-बड़े तो बोले नहीं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं एक बात आपके सामने लाना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी के विभाग द्वारा जो चीनी मिलें लगाई जा रही हैं....

एक सदस्य--

अब क्या आप आबकारी पर बोलेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

आबकारी से ज्यादा सम्बन्ध तो आप लोगों का है (सत्ता पक्ष की ओर इंगित करते हुए) मैं तो उससे दूर हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

गन्ने का कीड़ा उसके बाई प्रोडक्ट से अलग कैसे रहेगा ?

(हंसी)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

(हंसते हुए) मान्यवर, मैं गन्ने का कीड़ा तो नहीं हूं।

तो मान्यवर, जो आपकी चीनी मिलें लग रही हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि इसमें राजनीतिक असर नहीं आना चाहिये। चीनी मिलों के स्थानों का जो आप चुनाव कर रहे हैं, उसमें विशेष ध्यान दें। सठियांव, रसड़ा, नन्दगंज की चीनी मिलों की स्थिति क्या है, ये प्रोफीटेबिल हो नहीं सकती हैं। यदि इन्हें

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह]--

ऐसी जगह लगाया गया होता जहां गन्ने की उपज अधिक है तो गन्ने की खपत भी हो जाता और इन्हें फायदा भी होता । मैं यह नहीं कहता कि इन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाये या यहां पर उद्योग न लगाये जायें बल्कि मेरा सुझाव है कि जब आप शुगर काम्पलेक्स बनाने की बात करते हैं, आक्जेलिक एसिड बनाने की बात करते हैं, पेपर मिल की बात करते हैं, तो इनको आप ऐसी जगह पर लगा दें जहां पर गन्ने की उपज नहीं है लेकिन चीनी के जो बाई प्रोडक्ट हैं, वे वहां पर पहुंचाये जा सकें । इससे उन क्षेत्रों का उद्योगीकरण होगा और चीनी मिलों में जो पैसा लगाया जा रहा है, उसका भरपूर लाभ भी मिल सकेगा । सम्पूर्णानगर की चीनी मिल देख लें, किसान 1975 से 60 लाख रुपया इकट्ठा करके बैठा हुआ है, लेकिन नेवटिया के कारण वहां पर चीनी मिल नहीं लग पा रही है, क्योंकि नेवटिया का इससे नुकसान होगा ।

अब मान्यवर, आबकारी पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है मैं एक चीज सामने रखना चाहता हूं आपके आबकारी विभाग के बारे में । श्रीमन्, बता रहा हूं, यह 16 मार्च का "पायनियर" है, इसमें निकला है "बंगलिंग आफ ओवर रुपीज थ्री हन्ड्रेड करोर्स", तो इस बंगलिंग में मान्यवर, माननीय सिंचाई मन्त्री जी के विभाग के बाद दूसरा नम्बर आबकारी का ही है । 24·86 करोड़ रुपये का आपके आबकारी विभाग में जो घोटाला है, जैसा कि अखबार में निकला है, यदि वह गलत है तो विभाग को इसका कंटराडिक्शन करना चाहिये, उसके सम्बन्ध में बजट मांगने से पहले क्या हुआ है यह बतादें तब बजट मांगें । इसलिए बजट मांगने का कोई औचित्य नहीं है । मान्यवर, मैंने ऐसा सुना है कि, आबकारी में जब नीलाम हो जाता है, यदि वह लाभप्रद मूल्यों में होता है तो निरस्त नहीं किया जाता है और यदि लाभप्रद नहीं है तो निरस्त कर दिया जाता है और निरस्त कमिश्नर स्वयं करते हैं, एटा में जो नीलाम हुआ है उसका आधा तो कैन्सिल कर दिया और आधा नहीं । ऐसा करने से लोग अनायास ही आप पर अंगुली उठायेंगे । इसलिए मन्त्री जी इसको देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने कहा "आप पर अंगुली उठायेंगे" तो आप बोल मुझसे रहे हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्षमा करें, आपको मैंने नहीं कहा बल्कि मैंने मन्त्री जी की ओर इशारा भी किया है ।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ कटौती का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष इस उम्मीद से प्रस्तुत कर रहा हूं कि निश्चित ही माननीय सदस्य मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

*श्री श्यामलाल बाजपेयी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे गन्ना और आबकारी विभाग पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं । मान्यवर, गन्ना मन्त्री जी ने जो बजट सदन में रखा उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं । मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गन्ना विकास मंत्री जी ने जो आंकड़े सदन में रखे इसमें दो राय नहीं है कि हमारे गन्ना मन्त्री जी एक योग्य और कर्मठ व्यक्तियों में से हैं लेकिन जहां गन्ना मन्त्री जी ने अधिकारियों के दिये हुए आंकड़े इस सदन में रखे जहां उसका हृदय से समर्थन करता हूं वहीं विरोध पक्ष के माननीय सदस्य, जिनके भी आंकड़े अधिकारियों ने दिये हैं उनका मैं हृदय से विरोध करता हूं। मान्यवर, आज जिस बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया है वह गन्ना विभाग का बजट है। मान्यवर, मैंने जबसे होश सम्भाला है और राजनीति को देखा है तो सारे घोटाले इसी गन्ने और चीनी विभाग में ही होते हैं। मान्यवर, इस विभाग के अधिकारी तो उन वेश्याओं की तरह हैं जो किसी की भरी पूरी जवानी को देखते ही अपने हाव-भाव से उनको लुभाने का प्रयास करते हैं और लम्बे-लम्बे खजूर जैसे नोटों से, सत्ता पक्ष के हों या विरोध पक्ष के हों, सभी को अपनी ओर आकर्षित करके उनको कहीं न कहीं पथभ्रष्ट करते हैं। मैं गन्ना मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस गन्ना विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए एक विशेष सेल बनाने की कृपा करें।

मान्यवर, गन्ना विभाग के अन्दर चाहे अधिकारी हों या कर्मचारी हों या समितियां हों कमदार और सुपरवाइजर खाद के नाम पर लूट मचा रहे हैं और यह गन्ना किसानों को कोई राहत नहीं देते हैं। इस प्रकार मान्यवर, ऐसा सेल बनाया जाय जो गन्ना विभाग के किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की सूचना पाते ही उसकी जांच करें और उसकी जांच की जानकारी आवेदनकर्ता को मिलनी चाहिये। इस प्रदेश के विकास के लिये आवश्यक है कि अधिक से अधिक चीनी मिलें लगाई जाये लेकिन इस देश और प्रदेश की प्रगति में जो बाधक हैं मैं उनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस देश में चीनी मिल लगाने के लिये स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी में बड़े-बड़े पूंजीपतियों का हाथ है वह जहां चाहते हैं वहीं मिल लग सकती है।

मान्यवर, आप देखें मिल ग्राम में लग गई लेकिन सम्पूर्णा नगर की चीनी मिल इसलिये नहीं लग पा रही है कि रामेश्वर प्रसाद नहीं चाहते हैं कि वहां चीनी मिल लगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से मांग करें प्रदेश सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार से कि इस प्रदेश में अधिक से अधिक चीनी मिलें लगाई जायं साथ ही जो वहां स्क्रीनिंग कमेटी बनी है उसमें गन्ना मंत्री और गन्ना विभाग के अधिकारी और जहां मिल लग रही हो उस क्षेत्र का विधायक और संसद सदस्य रखा जाय। इस प्रदेश की भाग्य विधाता स्क्रीनिंग कमेटी नहीं हो सकती है। जन प्रतिनिधि हो सकते हैं मुझे विश्वास है कि आप के माध्यम से हमने जो बात कही है हमारे सुयोग्य गन्ना मंत्री श्री भानुप्रताप सिंह उस पर अमल करेंगे। मान्यवर, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शीरे से सम्बन्धित उद्योग को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। शीरे से अल्कोहल बनाने को प्रोत्साहन मिलना चाहिये इससे करोड़ों रुपया की विदेशी मुद्रा अर्जित हो सकती है। पता नहीं सरकार का ध्यान इस ओर जा पाता है या नहीं जा पाता है। मैं चाहूंगा क्योंकि मंत्री जी के बारे में मेरा अपना विचार है कि किसी चीज को वह समझते हैं सोचते हैं और थोड़े दिनों में इन्होंने कर

[श्री श्याम लाल बाजपेयी]—

दिखाया है । मान्यवर, इन अफसरों के जबड़ों से कोई चीज निकाल पाना बड़ी मुश्किल की बात है । यह दुर्ग के समान है जिसमें से निकल पाना आसान नहीं है कहते तो सभी हैं लेकिन मान्यवर निकल बहुत कम माई के लाल पाते हैं ।

मान्यवर, मंत्री जी एक चीज के बधाई के पात्र हैं । जरवल शुगर मिल में एक लाख 92 हजार रुपये घोटाला था लेकिन मंत्री के प्रयास से एक लाख 91 हजार रुपया बरामद हो गया । मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी इस तरह के साहसिक कार्य कर दिखायें और उस साहसिक कार्य के माध्यम से अपनी छवि प्रदेश के सामने रखें । एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह रखना चाहूंगा कि कुछ चीनी मिलें सेठों के हाथ में हैं और कुछ शुगर कारपोरेशन अपने कब्जे में किये हुये हैं । जो ऐश, शोषण पूंजीपति करते थे शुगर कारपोरेशन के जनरल मैनेजर शोषण और सुख सुविधाओं का भोग करता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मान्यवर, आपने क्या इन मैनेजरों, इंजीनियरों को तानाशाह बना दिया है कि वह शासन के नियंत्रण में नहीं है, नियुक्ति में पैसा, खरीद में पैसा, गन्ने के मूल्य भुगतान में पैसा हर जगह पैसा और सब जानते हैं कि जिस राजनीतिक दल को जब चाहे मिला लेते हैं । मान्यवर, अभी देवरिया में आर0सी0 देसाई अहंकारी मैनेजर था जिसने विधायक पर हाथ उठाया था उसके खिलाफ मंत्री जी ने कठोर कदम उठाया जिसके लिये दिल्ली तक हाहाकार मच गया । इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे अराजक तत्वों के लिये हम सदन की एक कमेटी बनाई जाय जिसके तहत इन जनरल मैनेजरों और इंजीनियरों पर अंकुश लगायें और इनके कुकर्मों पर तत्काल कार्यवाही करें और इनको दंडित करें ताकि भविष्य में यह फिर वैसा कार्य न करें । इसी के साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब चीनी मिल चलने को होती है तो नियुक्तियों का दौर शुरू होता है । मान्ययर, बाराबंकी में दो शुगर मिल हैं, एक बुढ़वल शुगर मिल और दूसरी बाराबंकी शुगर मिल । दोनों मिलें कारपोरेशन की चपेट में चिहुक रही हैं । वहा के जनरल मैनेजर ऐसे हैं जिसके सामने जन प्रतिनिधि की आवाज की कोई कीमत नहीं है । एक हजार रुपया, दो हजार रुपया लिया जाता है तब नियुक्ति की जाती है । जब तक सीजन चलता है तब तक नियुक्तियों का दौर चलता रहता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक निश्चित राय बनायें, एक निश्चित नीति बनायें कि जब मिल चलने वाली हो तो उसके एक महीने या 15 दिन पहले जो मुनासिब समझा जाय उसके अनुसार सारी नियुक्तियां हो जानी चाहिये न कि मिल चलने के दौरान और कोई नियुक्ति न की जाय, इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा ।

मान्यवर, बाराबंकी में एक सोमैया आर्गेनिक्स है । जिस समय प्रदेश के अंदर शराब बंदी थी, इस सोमैया आर्गेनिक्स का जो अल्कोहल था वह मेरे जिले में ही नहीं बल्कि 10-5 जिलों में उस अल्कोहल के द्वारा शराब की पूर्ति होती थी । आज भी शराब के नाम से अल्कोहल बेचा जाता है । अभी हमारे शासन में, मंत्री जी के प्रयास से कई लाख लीटर अल्कोहल पकड़ा गया उस मिल में जिसको कि इंसपेक्टर ने छिपा रखा था । वह अल्कोहल बेचा जाता और ठेकों पर चला जाता है । इसलिये मान्यवर, इस बात का ध्यान रखते हुये, जो आपके इक्साइज इंसपेक्टर हैं उनके बारें में आप सावधानी बरतें और इनको 6 महीने और साल भर से ज्यादा एक जगह न रखें, इनका बराबर तबादला

करते रहें ताकि यह मिल मालिकों के हाथों न बिक सकें और राष्ट्रीय धन के साथ खिलवाड़ न कर सकें। इक्साइज के बारे में एक बात और कह दूं कि जो जिले जिले में आपके इक्साइज सुपरिंटेंडेंट या इक्साइज इंसपेक्टर हैं, जब शराब बनती थी तो वह शराब बिकवाते थे और आज शराब के नाम पर स्प्रिट बिकवायी जा रही है और राष्ट्रीय जन जीवन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे पुलिस विभाग में परंपरा है कि थाने बिकते हैं उसी तरह से घूस की परंपरा इक्साइज विभाग में पुलिस से कहीं ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन कुरीतियों पर अंकुश लगायें और अंकुश लगाने के साथ-साथ सख्ती से कार्यवाही करें तो मौजूदा शासन की छवि निखरेगी। इन शब्दों के साथ में इस बजट का हृदय से समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आज माननीय मंत्री जी ने प्रदेश की उस सम्पत्ति के बारे में बजट प्रस्तुत किया है जिसमें 24 लाख किसान परिवार पूरे प्रदेश के लगे हुये हैं और यह प्रदेश के सबसे बड़ी कैश क्राप्स है या सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। यह विभाग भी काफी पुराना हो गया है। विभाग के ऊपर टीका टिप्पणी और सुझाव भी काफी दिये गये हैं, अगर प्रोसीडिंग, कार्यवाही देखी जाय तो मुझे फिर स्वर्गीय गेंदा सिंह का नाम याद आता है, मैं उनका नाम सदन के अंदर लेना चाहता हूं उनके बारे में वह सदन के अंदर बराबर किसान की आवाज उठाते रहे। किन्तु खेद का विषय है कि आज भी माननीय मंत्री जी बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश की जमीन सबसे ज्यादा समतल और प्रदेशों के मुकाबले में है, सबसे ज्यादा पानी की रिसोर्सेज यहां, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और अन्य चीजों की रिसोर्सेज यहां लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारी नजर पड़ती है इस देश के अंदर जहां गन्ने की पैदावार होती है शुगर केन इन्डस्टीज ज्यादा है, फिर भी यह प्रदेश अन्य प्रदेशों से काफी पीछे है, उत्पादन के मामले में। आन्ध्र प्रदेश से भी आप बहुत पीछे हैं। गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र से बहुत पीछे है और यहां तक कि आप उड़ीसा और तामिलनाडु से भी बहुत पीछे हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो मालूम होगा कि शुगर और गुड़ का उत्पादन 77-78 में 46.9 लाख प्रति हेक्टर है। अगर आप हाइयेस्ट देखें तो तामिलनाडु में 118.83 लाख प्रति हेक्टर है। अगर आप पूरे देश की औसत लें तो मालूम होगा कि आप पूरे देश की औसत में भी काफी पीछे हैं। केवल 58.32 है पर हेक्टयर और हमारा प्रदेश केवल 46.9 पर खड़ा हुआ है। इतने ज्यादा हम दूसरों से पिछड़े हुये हैं।

जैसा कि आपने बताया कि पूरे भारत में 301 मिलें हैं और उनमें से 90 मिलें हैं केवल उत्तर प्रदेश में। एक लाख से ज्यादा लेबर इसमें लगा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको देखें कि उसका प्रोडक्शन क्या है? दूसरे सूबों के मुकाबले में हम लोग 73-74 से लेकर 77-78 तक यानी 4 सालों के अंदर अगर प्रोडक्शन कम्पेरीजन करें तो मालूम होगा कि आन्ध्र प्रदेश में 73-74

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]--

में 82 87 क्विंटल पर हेक्टेयर पैदा हुआ और वह बढ़कर 77-78 में 865.04 हो गया और महाराष्ट्र का 73-74 में 85.92 था, वह बढ़कर 77-78 में 104 99 हो गया। और उड़ीसा का 58-68 से बढ़कर 60-47 तक पहुंच गया और उत्तर प्रदेश का 77-78 में 46-94 हो गया जबकि 73-74 में 41-27 था केवल 5 क्विंटल पर हेक्टयर ही बढ़ा और यह पंजाब और बंगाल के भी पीछे है। इसको अगर हम टन पर हेक्टयर में लें तो यहां की पैदावार 74-75 में 41-8 टन पर हेक्टेयर और 75-76 में 41-04 हो रह गयी। 76-77 में 46-2 हो गयी और इस प्रकार 77-78 में 47-04 हुयी। अगर इसका कारण पूछा जाय तो आप यह कहेंगे कि हम रिसर्च आफ इन्स्टीट्यूट में फंसे रहे और पानी की व्यवस्था को देखते रहे और किसान की गन्ना पैदावार बढ़ाने के लिए हमने यह-यह किया परन्तु इन सारी चीजों के मिलने के बाद भी कोई खास रिकवरी आप नहीं पूरी कर पाये।

गन्ने के बकाये के बारे में आपने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहीं। किसी भी मिल मालिक पर किसी किसान का अब बकाया नहीं रहा। और जो थोड़ा बहुत बाकी भी है, अगर वह स्वेच्छा से नहीं देंगे तो आप का दल उन फैक्ट्रियों का घेराव करेगा। तो मैं समझता हूं कि जो ताकत आपकी कलम में है, वह घेराव में नहीं है। अगर आप सिर्फ कलम की ही ताकत को इस्तेमाल करें तो शायद मैं समझता हूं कि बहुत कुछ काम हो सकेगा और फिजिकल शक्ति इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहते हैं कि बकाया बहुत कम हो गया है, बकाये से ज्यादातर फैक्ट्रियां बेबाक हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि आप बीना शुगर फैक्ट्री को देख लें जिस पर लाखों रुपया का आज भी बकाया है। यह आप न भूलिए, जनता हुकूमत के जमाने में 197--78 में, हमारे पास पूरी फीगर्स हैं फैक्ट्रीवाइज कि 91.99 लाख रु0 का बकाया था। जनता सरकार ने सबसे अच्छा काम यह किया था कि फैक्ट्रीज को लोन दे कर किसानों का पैसा बेबाक कराया था। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आज मिल मालिक बकायेदार की शक्ल में नहीं हैं, यह अचीवमेन्ट आपका नहीं है, यह अचीवमेन्ट जनता सरकार का है जिसको आप यहां अलाप रहे हैं।

आप दूसरी चीज यह देखें कि इस समय जितनी गन्ने की फैक्ट्रीज हैं उनसे बकायें के लिये सब कुछ कह दिया, लेकिन जो एक्साइज वालों का रुपया बकाया है उनकी वसूलयाबी के लिये आपकी कलम तक नहीं चलती। सिन्थेटिक रबर फैक्ट्री पर 70 लाख रुपये बकी था, उसके बाद वह 104 लाख रुपये पर लीटर बिका। उन्होंने किसी एक आइटम पर स्टे ले लिये सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने फायदा करार दिया लेकिन आज तक आप उस रुपये को जो 50-60 करोड़ से ऊपर का बकाया है, वसूल नहीं कर पाये। इसी तरह से मोहन मेकिन के ऊपर 13 लाख रुपये का बकाया है। किसी छोटे-मोटे आइटम पर उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया, आपने सबको उत्तर दे दिया कि अभी कोर्ट से स्टे हो गया है, यह क्यों नहीं कहते कि हम वसूल नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं।

तो यह आपको देखना जरूरी है कि आपका गन्ना जिन क्षेत्रों में है उनमें 90 फैक्ट्रीज में से बहुत ज्यादा से ज्यादा ऐसी नहीं रह गयी हैं, जिनका प्राइवेट मैनेजमेंट हो, सब आपके अन्डर में ही हैं, वहां चाहे आपका रिसीवर हो, चाहे आपका मैनेजमेन्ट हो। सब आपके कन्ट्रोल में आ गयी हैं, तो किस तरीके से एक्साइज की वसूलयाबी के लिये इन्तजाम करना चाहिये, यह आपको देखना पड़ेगा।

दूसरी बात जो गन्ने की उन्नति के सम्बन्ध में है उसके लिये यह तय होना चाहिये कि कैसे इसका विकास हो, कैसे इसकी उपज आगे बढ़े ? आप इसके लिये स्कीमें तो बनाते हैं, लेकिन वे स्कीमें आपकी योजना अधिकारियों की वजह से कोई पूरी नहीं हो पायी । आपने बताया कि 10 मील के अन्दर गन्ने का डेवलपमेन्ट करने के लिये योजना है, यह बीज देने की योजना है, यह खाद देने की योजना है, लेकिन मुझको याद पड़ता है श्रीमन्, जब पिछले साल गन्ने का बजट चल रहा था तो श्री यशपाल जी, जो आपके मंत्री थे, हमने उनसे सवाल किया था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में हाई ईल्ड वेराइटीज गन्ने की क्यों नहीं निकाली जाती जबकि अन्य प्रदेशों में हाई ईल्ड वेराइटीज गन्ने की निकाली गयी है । तो उन्होंने यह कहा था कि यहां प्रदेश में हाई ईल्ड वेराइटी किसानों ने गन्ने की 802 को निकाला है ।

मैंने पिछली बार भी गन्ने के बजट पर बोलते समय आपसे कहा था और आज भी कह रहा हूं कि यदि आपके पास गन्ने की कोई भी उन्नतिशील नयी वेरायटी हो तो कृपा करके जो माननीय विधायक खेती करते हैं, और किसानों की बात मैं नहीं करता, तो आप उन विधायकों को जो खेती करते हैं, उनको अपना नया गन्ने का बीज दें ताकि कम से कम वे तो उस बीज से लाभ उठा कर देखें कि कितना उन्नतिशील बीज आपने निकाला है । मुझे शक है कि आपके पास कोई नयी वेरायटी है ही नहीं, क्योंकि मैं भी इच्छुक था नया गन्ना बोने के लिए, तो मैंने वहां के ग्राम्य विकास अधिकारी से कहा कि मुझे गन्ना बोने के लिए 802 नम्बर के गन्ने का इन्तजाम कर दीजिये । श्रीमन्, वे बराबर कोशिश करते रहे, पता लगा कि शाहजहांपुर में मिलेगा, वहां भी कोशिश की गयी मगाने की, मैं भी इन्तजार करता रहा । लेकिन मैं आपको बताऊं कि 802 नम्बर के गन्ने का बीज न मिलना था और न मिला और इन्तजार करते-करते जो खेत मैंने 8 एकड़ का 802 नम्बर का गन्ना बोने के लिए छोड़ रखा था उसमें मुझे 148 नम्बर का गन्ना बोना पड़ा और 802 नम्बर का गन्ना कहीं नहीं उपलब्ध हुआ । उसमें 148 बोना पड़ गया और वह गन्ना मिला ही नहीं । फिर कैसे प्रोडक्शन बढ़े ?

अब आपका एक्साइज डिपार्टमेन्ट है । प्रोहिबिशन के बाद आपने छूट कर दी कि पीजिए और पिलाइये । लेकिन जब आप आमदनी करना चाहते हैं दूकानों, ठेकों की नीलामी करके, जिसकी वजह से झगड़े शुरू हो गये हैं, मुरादाबाद के अन्दर कल निकला कि 5 तारीख के लिये दूकानें बन्द कर दी गई हैं, मैंने बार-बार मुख्य मन्त्री जी से कहा कि कम से कम आप मुरादाबाद में शराब की दूकानें न खोलें, रुपये के लालच में आपने खोल दीं और अब बन्द कर रहे हैं कि होली आ रही है । क्या तमाशा है ? जब से यह सदन शुरू हुआ है, 47 के बाद, आजादी के बाद से, हम बराबर महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे बैठते आये हैं और तमाम चीजें पास की हैं । आपका जो शीरा है, जिससे अल्कोहल बनता है, उसका टोटल प्रोडक्शन 77-78 में 152.8 मिलियन टन था । 78-79 में घट कर 143.5 और 79-80 में 111.8 रह गया । आप कह सकते हैं कि चूंकि शकर घटती जा रही है इसलिए यह भी घट रहा है लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके बावजूद भी आप इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं । केवल 35.86 एक्सपोर्ट का आप को मिलता है और बाकी आपका एक्साइज का स्टाफ

[श्री रियासत हुसैन--]

सब खा जाता है । कुछ रुपये क्वींटल में फैक्ट्रियों से निकासी होती है, फिर कुछ रुपये क्वींटल बिकता है । एक-एक परमिट में 5-5, 6-6 ट्रक की निकासी हो जाती है । स्टोरेज के लिए कोई व्यवस्था आपने नहीं की, कोई इंतजाम नहीं किया, वे चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस को निकालो, कहीं तालाबों में, गड्ढों में बह जाता है, और बाहर 4-5 रुपये क्वींटल में निकाला जाता है और 2-3 रुपये किलो में बिकता है तम्बाकू के लिए और सब जगह । पूरा फायदा आपका एक्साइज डिपार्टमेन्ट उठाता है, बड़ी तकलीफ की बात है । इस मद में आप का यह डिपार्टमेन्ट बसों की तलाशी ले रहा है । अगर उन्हें यह हो जाये कि उन्हें कुछ केस देने हैं तो फिर चाहे अपनी ही जेब के निकाल कर रख दिया, लेकिन केस बना दिया । कोई भी भला आदमी जा रहा हो, उस को फंसा देगें ।

(श्री काशी नाथ मिश्र के कुछ कहने पर)

मिश्रा जी जहां जिसका इंतजाम होता है, जब शहद या गुड़ होता है, वहां हर डिजाइन की मक्खी बैठेगी, यह कहीं नहीं लिखा होगा कि यहां इस किस्म की मक्खी बैठेगी । ये जो कुछ भी हो रहा है सब आपसे मिल कर हो रहा है ।

मैं 2-3 सुझाव दे कर अपनी बात समाप्त करूंगा । सबसे पहले गन्ने की बात है सबसे बड़ी प्राब्लम है कि कभी गन्ना एक्सेज में होता है जैसा 77-78 में हुआ और कभी शार्ट में । 50 प्रतिशत से ज्यादा केन्टर बन्द हो गये, फैक्ट्रीज डाउन हो गयी, तो इस में आप को रोटेशन करना चाहिए । 10 प्रतिशत तो फलकचुयेशन्स हो जाय लेकिन इनका मतलब यह नहीं कि कभी 50 प्रतिशत डाउन हो गया और कभी कोई पूछने वाला नहीं । दूसरी चीज भी आप की सोसाइटीज हैं, अगर वे गलत काम कर रही हों तो उन को समाप्त करें । दुबारा इलेक्शन करायें लेकिन जिस आदमी के बारे में सिद्ध हो जाये कि यह बेईमान है तो कम से कम उस के लिए तो आप अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल कीजिये ।

(2 बजकर 40 मिनट पर)

गन्ना मीठा है उसका रस निकालना है जितना निचोड़ेंगे रस निकलेगा । यही आपके विभाग में है । चाहे डाइरेक्टर हों, रिसीवर हों, डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर हों, जो भी हों कितना रस मीठा निचोड़ लें और कितना इस्तेमाल करें इसी ताक में रहते हैं ? माननीय मन्त्री जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि हम जो भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी होंगे उसको पकड़ भी लेंगे, जेल भी भेज देंगे तो आप इन सारी चीजों को मत कीजिये । केवल कलम की ताकत इस्तेमाल कीजिये । आपकी कलम में ताकत नहीं होगी तो शिकायत होगी और आप गन्ने से हटकर लकड़ियों में आ जायेंगे । वन विभाग आपको दे दिया जायेगा । मीठी लकड़ी से हटकर आप सूखी लकड़ियों में आ जायेंगे और मैं नहीं चाहता कि आप इन लकड़ियों में आयें । आप इस प्रदेश को जो परमानेंट ताकतें हैं वे बढ़ाइये । यहां पर रिसोर्सेज सबसे ज्यादा हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि टाप पर यहां का नाम आना चाहिए ताकि हम यह कहें कि यह सूबा नीचे से उठकर 8 सूबों के ऊपर सबसे टाप पर आ गया । मैं इन्हीं सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मुईद अहमद--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो माननीय गन्ना मंत्री और आबकारी मंत्री जी ने अपने दोनों विभाग का बजट रखा उसके समर्थन में बोलते हुए मैं सुझाव स्वरूप कुछ कहना चाहता हूं। एक तो विरोध पक्ष से जो कटौती का प्रस्ताव आया उसमें सुझाव भी थे और आलोचना भी। जो आलोचना थी उसका तो स्वागत नहीं क्योंकि आलोचना वह थोथी थी और आबकारी विभाग के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आया उसमें कोई सुझाव नहीं आया और न आलोचना केवल एक अखबार की कटिंग दिखाई गई बस। जहां तक गन्ना विभाग का ताल्लुक है गन्ना स्वयं बहुत महत्वपूर्ण है उससे गुड़, राब और चीनी जैसी चीजें पैदा होती हैं और शायद इस देश का प्रत्येक नागरिक इसको इस्तेमाल करता है। कितनी महत्वपूर्ण चीज है यह और इसके पीछे है किसान जो रीढ़ की हड्डी है। पिछले तीन वर्षों में इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया था और उस रीढ़ की हड्डी को जोड़ने का काम मंत्री जी ने किया और माननीय मुख्य मन्त्री जी के माध्यम से पहली बार किसानों को राहत दी गई और माननीय मंत्री जी ने जो बातें अपने भाषण में बताई उन आंकड़ों के बारे में ज्यादा नहीं कहना है। हर चीज पिछले मुकाबले में बढ़ी है। चाहे उसमें परसेन्टेज की बात हो वह भी बढ़ी है। किसानों को लाभप्रद मूल्य दिया गया है और किसान इससे लाभान्वित हुये हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन दिया है। यह अपनी जगह पर सत्य है।

(इस समय 2 बजकर 43 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखालाल पीठासीन हुए।)

मगर माननीय मन्त्री जी इसके साथ ही साथ इस विभाग में पुराने जमाने से बड़ी गड़बड़ी चली आ रही है। वह गड़बड़ी आप के लिए चैलेन्ज है। उसमें कुछ सुधार लाना होगा। वह चैलेन्ज यह है कि आपको अपने अधिकारियों से लड़ना होगा। अगर आपके अधिकारियों पर अंकुश लग जायगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस सक्रियता और ईमानदारी के साथ आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। यह निश्चित है अगर आप उन पर अंकुश नहीं लगा पाये तो अपने प्रयासों में सफल होने में आपको कठिनाई होगी। इनके ऊपर आप को अंकुश लगाना पड़ेगा। मुझे इस बात की जानकारी है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, कि 1 लाख 92 हजार रुपये जरवल चीनी मिल के लूब्रिकेशन के लिये घपला कर लिया गया है, आपस में बांट लिया गया है। मैं कहता हूं वह वसूला गया माननीय मन्त्री जी के प्रयास से उस को साढ़े ग्यारह बजे रात में स्पेशल स्क्वेड विजीलेन्स भेज कर वसूला गया। यह सराहनीय बात है। लेकिन वसूली के साथ-साथ जहां क्लर्क गिरफ्तार किया गया है वहीं पर अधिकारी गिरफ्तार किये जाने चाहिये थे। किस अधिकारी के माध्यम से बड़े चेक पर दस्तखत हुये पहले वह गिरफ्तार होना चाहिए था। माननीय मन्त्री जी इस तरफ ध्यान देंगे।

दूसरी चीज सुल्तानपुर में एक चीनी मिल है, सुल्तानपुर सहकारी चीनी मिल। दस किलोमीटर का एरिया में उसके विकास के लिए सोचा जा रहा है। मेरी राय है कि उसको एरिया बढ़ा कर पूरे जिले में कम से कम कर दी जाय क्योंकि गन्ना उत्पादकों के लिए गन्ने को नजदीक और दूर ले जाना कोई

[श्री मुईद अहमद--]

माने नहीं रखता । यातायात के हिसाब से वह अब गन्ने को बहुत दूर ले जा सकता है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, बहुत इम्पारटेन्ट विभाग है अभी आबकारी पर बोलना है ..

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, गन्ने के बारे में इतना ही कहना है कि व्यवस्था वहां पर सुलझ नहीं है । वहां पर आंकड़ों में बोझ रहता है प्रेक्टिकली कोई वहां पर प्रबन्ध नहीं है ।

जहां तक आबकारी विभाग का मसला है मान्यवर, एक तरफ मद्य निषेध है और दूसरी तरफ आबकारी है । मद्यनिषेध का तजुर्बा पिछली सरकार ने देख लिया । सन् 1977 में बन्द किया बन्द नहीं हुआ । लोग शराब पीते रहे' पुलिस की आमदनी बढ़ा कर पीते रहे । कोई कामयाबी नहीं मिली । मजबूरन जब देखा गया कि लोग शराब पी रहे हैं और सरकारी राजस्व भी मारा जा रहा है तो शराब खोलनी पड़ी । मेरा निवेदन है कि इसी हिसाब से पहाड़ी क्षेत्रों में भी शराब पी रहे हैं और जितने मैदानों में रहे हैं उससे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में पी रहे हैं, मगर वहां पर लाइसेन्स नहीं है, उसको भी खोल दिया जाय । क्योंकि वहां पर लोग इसके अभाव में खराब शराब पीते हैं, पुलिस की आमदनी होती है, इसलिये वहां भी खोल दी जाय ।

मान्यवर, तीसरी चीज जो आबकारी विभाग में नीलाम हो रहा है बड़े-बड़े शहरों में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने एक गैंग बना लिया है जो खरीद-दारी हर जगह करते है, कानपुर पहुंच जायेंगे, मेरठ पहुंच जायेंगे, गाजियाबाद पहुंच जायेंगे और उन्हीं का सर्किल खरीदता है । इसे तोड़ कर अच्छा रुपया नीलाम से मिल सकता है । इस गैंग को तोड़ कर नीलाम कराया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री मुईद अहमद--

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण खत्म करता हूं ।

*श्री धर्मान सिंह गहलौत--

माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना विकास विभाग की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है । मान्यवर, जब से वह बजट सत्र प्रारम्भ हुआ है सत्ताधारी पार्टी के लोग यह कह रहे हैं कि उन्होंने इस समय सबसे अधिक गन्ने के भाव दिलवाया है । यह वस्तु

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थिति है और किसान को इस समय अधिक गन्ने का भाव मिला है लेकिन यह आपने नहीं दिलाया है बल्कि यहां की परिस्थितियों ने दिलवाया है। बल्कि यहां पर परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि इससे भी अधिक भाव मिलना चाहिए था। जो हम लोगों ने मांग की थी कि 30 रुपये क्विंटल उसका भाव होना चाहिए था, यह हमारी न्यायोचित मांग थी और सरकार को इसकी घोषणा करनी चाहिये थी लेकिन सरकार आड़े आयी और वह ऐसी परिस्थित पैदा करती रही कि इससे अधिक भाव न मिलने पाये। उसने 26 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव कर दिया। सरकार के लोग कहते थे कि 23 रुपये के भाव से किसान खुश हैं, संतुष्ट हैं लेकिन हम कहते हैं कि यदि 23 रुपये के भाव से वे संतुष्ट थे तो फिर आपने 26 रुपया करने की क्या आवश्यकता थी? इससे साफ जाहिर है कि 26 रुपये से भी अधिक उसका भाव होना चाहिये था। उस समय भी खांडसारी यूनिटें अधिक भाव दे रहीं थीं और आज भी अधिक भाव ये खांडसारी यूनिटें दे रही हैं। 30 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव दे रही हैं। सरकार ने प्रतिबन्ध न लगाया होता तो हो सकता था कि इससे अधिक भाव मिल जाता।

मैंने पिछले सत्र में भी कुछ बातें कहीं थीं, उनको मैं इस समय दुहराना नहीं चाहता हूं लेकिन इस सदन में घोषणा की गई कि खांडसारी यूनिटों पर 31 जनवरी से लेवी लगायेंगे। लेकिन फिर एक आदेश जारी कर दिया गया कि दिसम्बर और जनवरी की लेवी भी ली जायेगी। मान्यवर, खांडसारी यूनिटें जो हैं यह एक कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग के रूप में है। करोड़ों रुपया उन्होंने अपना इसमें लगाया होगा। ये खांडसारी यूनिटें रोजाना चीनी बनाती हैं, बाजार में ये लोग उसे बेचते हैं और अपनी जीवनचर्या चलाते हैं। इससे उनको बहुत परेशानी हो जायेगी। मान्यवर, दिसम्बर में खांडसारी का भाव साढ़े चार सौ रुपये था और आज साढ़े छः सौ रुपये हो गया है। इस तरह से उनके ऊपर दिसम्बर जनवरी की लेवी लगाने से वे तबाह हो जायेंगे। यदि यह योजना आपने चलाई तो उनका कुटीर उद्योग समाप्त हो जायेगा और इस तरह से हजारों और लाखों लोग जो इस प्रदेश से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, समाप्त हो जायेंगे। मान्यवर, यदि इसी तरह की व्यवस्था जारी रही तो पिछले साल की भी लेवी आप लगा लेंगे। तो मैं माननीय गन्ना मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्थिति स्पष्ट करें कि 31 जनवरी से पहले की कोई लेवी नहीं मांगी जायेगी। होना यह चाहिये था कि इस कुटीर उद्योग को सहयोग देने के लिए इसमें कुछ तकनीकी सुधार करते जिससे उनके कार्य करने का तरीका अच्छा बनता और वे खुशहाल होते। लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। खांडसारी यूनिटों का सुधार हो, ऐसा सरकार ने अबतक नहीं सोचा है। पिछली बार जब गन्ना मंत्री जी ने बजट पेश किया था तो उन्होंने कहा कि एक योजना इस सम्बन्ध में बनायी गई है और वह केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है किन्तु उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हमारी मांग है कि खांडसारी यूनिटों में तकनीकी सुधार की जो हमारी मांग है वह पूरी होनी चाहिए जिससे कि वे अधिक चीनी बना सकेंगे और किसान को उनके गन्ने का अधिक मूल्य भी मिल सकेगा। आप कहते हैं कि आपने 23 रुपये से गन्ने का भाव बढ़ाकर 26 रुपया किया है और इसका श्रेय भी लेना चाहते हैं। आप स्पष्ट घोषणा कीजिये कि हम अगले साल 23 रुपये से कम भाव नहीं होने देंगे, 26 रुपये से कम भाव नहीं होने देंगे। अगर भाव कम

[श्री धम्मन सिंह गहलौत--]

होता है तो यह समझा जायेगा कि गन्ने का भाव परिस्थितियों ने ऊंचा कराया है, उसमें आपका बिलकुल भी श्रेय नहीं था ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि वे मिलों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सत्याग्रह करेंगे और घिराव करेंगे, लेकिन हमारे माननीय गन्ना मन्त्री जी कृषि में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, उनके प्रति किसानों की अच्छी भावना हो सकती हैं लेकिन हमारा कहना यह है कि यह सरकार बिलकुल उनका सहयोग इस बारे में नहीं करेगी । मान्यवर, सरकार के स्पष्ट नियम बने हुये हैं कि 32 पैसे प्रति क्विंटल से अधिक किराया मिल नहीं काट सकेंगी । यह स्पष्ट आदेश होते हुए भी गन्ना मिलों ने एक रुपया कुंटल किराया काट लिया। मैं गन्ना मन्त्री, गन्ना सचिव तथा गन्ना आयुक्त सबसे मिला लेकिन कुछ नहीं हो सका । तब यह सरकार करोड़ों रुपया क्या वसूल कर सकेगी जब किराया ही नहीं दिला सकी । इस विभाग का राजनीतिक हस्तक्षेप ने कबाड़ा कर दिया है । जो विभाग किसानों से सहयोग करता था आज वह बिलकुल निष्क्रिय हो गया है और गन्ना परिषदों के चुनाव नहीं हो सके हैं और ढांचा भी ऐसा बन गया है कि चुनाव कभी नहीं हो सकेंगे । गन्ना परिषदों को पुनर्जीवित किया जाय और गन्ना सोसाइटीज का चुनाव के तरीके को बदला जाय । प्राइमरी सदस्य वोटर होगा यह तरीका अगर न बदला गया तो कभी चुनाव नहीं हो सकेंगे ।

*श्री सोमांश प्रकाश--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण गन्ने के बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, इस प्रदेश की 25 लाख से ज्यादा परिवार गन्ने, चीनी तथा खांडसारी उद्योग पर निर्भर करते हैं । मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था गन्ने के ऊपर डिपेंड करती है । 71-72 में भारत सरकार ने जब इस देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्द्रा गांधी थी तो देश के अन्दर चीनी के ऊपर दोहरी नीति बना कर गन्ने और चीनी को बढ़ावा देना शुरू किया । आंकड़ों से पता चलेगा कि 71-72 में हमारे यहां 493.54 लाख मीटरिक टन गन्ने की पैदावार हुई और क्षेत्रफल 12.14 लाख हेक्टेयर था और 76-77 में बढ़ते-बढ़ते पैदावार गन्ने की 652-16 लाख मीटरिक टन हो गयी और क्षेत्रफल 14.56 लाख हेक्टेयर हो गया । 77 में देश और प्रदेश में हमारी सरकार नहीं रही । जो उधर बैठे हैं उनकी सरकार आई और उस वर्ष गन्ने का मीटरिक रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ । 77-78 में गन्ने की पैदावार 86.19 लाख टन था और उस वर्ष क्षेत्रफल भी 1.36 लाख हेक्टेयर हो गया लेकिन उस वर्ष गन्ने की तथा किसान की जो दुर्दशा हुई उसके फलस्वरूप 78-79 तथा 79-80 में गन्ने की पैदावार 579 लाख मीटरिक टन रह गयी और क्षेत्रफल 14.69 लाख हेक्टेयर रह गया । 80 में हम वहां पहुंच गये जहां 71 में थे बल्कि उससे नीचे आ गये । गन्ने की पैदावार 471 लाख मीटरिक टन रह गयी और क्षेत्रफल 12.35 लाख हेक्टेयर रह गया । अगर गन्ने के सम्बन्ध में आपकी सही नीति रहती तो आपकी यह दशा क्यों होती ? गन्ने की पैदावार तथा उसका क्षेत्रफल आपकी गलत नीति के कारण घटा । दिवाकर विक्रम सिंह जी ने भी जो आंकड़े पेश किये थे वे बहुत अच्छे थे लेकिन मान्यवर, गलत नीतियों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कारण आप यह देखें कि चीनी की मात्रा हमारी घटते-घटते 76-77 में 14.71 लाख मीटरिक टन आ गयी और 77-78 में 18.62 लाख और 78-79 में वह 14.63 लाख मीटरिक टन रह गयी और 79-80 में वह 9.97 लाख मीटरिक टन रह गयी ।

मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार से खेती की जाय ताकि गन्ने की पैदावार ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके । गन्ने की पैदावार बढ़ाने का तरीका हमारे पास है । हम समय-समय पर गन्ने की अगर पेराई करा दें, किसान को उसका उचित मूल्य दिलवा दें तो हम गन्ने की पैदावार को बढ़ा सकेंगे और फिर चीनी की समस्या किसी भी प्रकार देश व प्रदेश में उत्पन्न नहीं हो सकेगी । हमारे देश व प्रदेश में खांडसारी उद्योग तथा खड़ा कोल्हू यह दोनों शुगर मिल्स के लिये कम्पटीशन हैं ।

यह बात अपनी जगह पर सही है कि पहले किसी जमाने में शुगर मिल मालिकों द्वारा किसानों का शोषण होता था 1951-52 में यही चीनी मिलों के मालिक 31 दिसम्बर को कह देते थे कि चीनी की रिकवरी गिर रही है इसलिए रेट गन्ने के घटाइये सरकार पर प्रेसर पड़ता था और घटाने पड़ते थे । लेकिन अब कंपीटीटर पैदा हुए खांडसारी यूनिट और खड़े कोल्हू लगने लगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह ज्यादा लगे तो इससे चीनी मिल मालिकों के दिमाग सही हुए । हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें कम चलती हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा चलती हैं और वहां पर खड़े कोल्हू और क्रेसर ज्यादा हैं और मिलें भी ज्यादा दिन तक चलती हैं । तो मेरे भाई पूरब में गन्ने का भाव कम मिलने की बात कह रहे थे तो उसका कारण यही है कि आपके यहां कम्पीटीटर नहीं है । इसलिए जरूरी है कि खड़े कोल्हू और क्रेसर ज्यादा से ज्यादा लगाइये फिर आप भाव ज्यादा ले सकते हैं । जहां तक सरकार की नीति का प्रश्न है, सरकार की नीति अपनी जगह सही है । 20 रुपये मिनिमम भाव जो था उसको 23 रुपया किया गया और अब 26 रुपया दे रहे हैं । हम किसान को सही प्राइस दे रहे हैं । हमें कन्ज्यूमर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा । जहां तक चीनी नीति का प्रश्न है उसमें केवल एक ही निवेदन है कि इसकी तीन इकाइयां खड़ा कोल्हू, क्रेशर और शुगर मिल्स इन तीनों को जिंदा रखिये जो कि बहुत जरूरी है ।

तीसरी बात माननीय बाजपेयी जी सुझाव दे रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी उसकी ताईद करता हूं कि स्क्रीनिंग कमेटी होनी चाहिये उसमें माननीय मन्त्री जी और स्थानीय विधायक जरूर रहें । जनप्रतिनिधियों का उस कमेटी में रहना अत्यन्त आवश्यक है बिना उसके काम नहीं चल सकता है । इसके अलावा जो सीरा, खोई तथा जो दूसरे बाइ-प्रोडक्ट हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा काम में लाया जाय और उसके उद्योग लगाये जायं (लालबत्ती होने पर) मान्यवर, थोड़ा समय और दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

अब बस करिये ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि विरोध पक्ष की तरफ से कुछ ऐसी बातें प्रकाश में आई हैं जिस पर वह तत्काल ध्यान देंगे और उसके सम्बन्ध में उनको स्पष्ट घोषणा अपने जवाबी भाषण में देना चाहिये ।

मान्यवर, अभी गन्ना समितियों की चर्चा हुई, प्रदेश के सारे गन्ना कृषक गन्ना, समितियों से सीधे बंधे हुए हैं और जब उनके बारे में 1980 की रिपोर्ट प्रकाशित की गयी तो कुछ नहीं कहा गया । सबसे खेद का विषय यह है कि जिन गन्ना समितियों के सहारे आज गन्ना कृषक खड़ा है उन समितियों की स्थिति और उनके कार्यकलाप कैसे कल रहे हैं इसके बारे में शासन ने हम लोगों के समक्ष कुछ नहीं कहा । आज गन्ना समितियों की हालत बहुत ही दयनीय है वित्त पोषण के बारे में कटौती प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य ने पूरी विवेचना की । उनकी हालत आज बिलकुल जरजर हो गयी है । गन्ना समितियों को जो अपनी स्वेच्छा से कारोबार करने का अधिकार था उसका हनन कर दिया गया है और वित्त पोषण के सम्बन्ध में जो गन्ना समितियों के लिए गन्ना सहकारी समितियों का अधिनियम बना है उसमें कहा गया है कि यह एक लोकतांत्रिक संगठन है और यह नियमित निकाय है लेकिन अधिकारियों द्वारा उनका खुला हनन किया जा रहा है । हमको इस तरह से प्रतिबन्धित कर दिया गया है कि हम स्वेच्छा से अपना कारोबार भी नहीं कर सकते और इसके लिए शासन बराबर गन्ना आयुक्त पर दबाव डाल कर इन लोकतान्त्रिक अधिकारों का हनन करने की चेष्टा कर रही है । मान्यवर, आप देखें, पहले हम गन्ना समितियों से कर्जा ले लेते थे और विभिन्न विकास कार्यों में उस धनराशि को लगाते थे, लेकिन वित्त पोषण के नाम से आपने जो तीन सहकारी संस्थाओं के चक्कर में हमें डाल दिया है, जिनके चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं यानी जिला सहकारी बैंक, साधन सहकारी समिति और केन-यूनियन, इनके कारण से किसान को कर्ज मिलना दुर्लभ हो गया है । यदि वह समितियां आपस में एक का भी कोई बकायेदार होती हैं तो गन्ना किसान को कर्ज नहीं मिल सकता है । इस तरह से हमको बांध कर समितियों को लाचार कर दिया गया और तमाम कठिनाइयों को वित्त पोषण के नाम से, उसके माध्यम से पैदा कर दिया गया है । जो गन्ना हम सूद के माध्यम से लेते थे, वह भी समाप्त हो गया है, उसकी देखरेख के लिये, कागज पत्रों की सुरक्षा के लिये हम पर इतनी जिम्मेदारियां पड़ गयी हैं इतने दरवाजों पर समितियों के अधिकारियों को जाना पड़ता है कि उसको बहुत परेशानी होती है और उसका बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है । यही हालत रही तो गन्ना समितियां बैठ जायेंगी । इस बारे में मैंने पिछली बार भी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन उस पर कोई कदम उठाया नहीं गया । वित्त पोषण के नाम पर गन्ना समितियों के सामने जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, उसके बारे में मंत्री जी को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि इस बारे में वह क्या करने जा रहे हैं, उनकी भविष्य की क्या नीति है ? मैं चाहता हूं कि जिनका गन्ना किसानों से सीधा सम्बन्ध है, उनके बारे में वह किसी सुलझी हुई नीति की घोषणा अपने बजट के उत्तर भाषण में करें । जब साढ़े आठ का भाव था, उस समय इन्हें 8 पैसा मन कमीशन मिलता था, लेकिन अब जबकि 23, 24 और 26 रुपया गन्ने की कीमत मिल रही है, तो

केवल 20 पैसा कमीशन गन्ना समितियां पा रही हैं। जबकि उनके कामों में हर प्रकार का खर्च तब से अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, लेकिन उनका कमीशन उचित दर से नहीं बढ़ाया गया है। (लाल बत्ती होने पर) अभी इस बजट पर कांग्रेस (अर्स) की तरफ से सिर्फ मुझे बोलने का मौका मिला है।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात कहें, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री केदार नाथ सिंह--

लाल बत्ती देखकर मुझे भय हो गया, तभी कहा। इस कमीशन के बारे में मंत्री जी को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि इस कमीशन में हमें बढ़ोत्तरी करनी है और मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सत्र जब से प्रारम्भ हुआ है, तब के ढ़ाई गुना गन्ने का दाम बढ़ा है। उसी परसन्टेज के हिसाब से गन्ना समितियों के कमीशन में भी बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में यह कहना है कि किसान को गन्ने की कीमत दिलाने के नाम पर पूंजीपतियों को लाभान्वित किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि केवल जनता पार्टी के शासन काल में ही जो फार्मूला था स्व0 रफी अहमद किदवाई की नीति के अनुसार, वह बिलकुल सही था और उसी के अनुसार उस समय गन्ने की कीमत का भुगतान किसानों को किया गया था।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया, अब आप समाप्त करें।

श्री केदार नाथ सिंह--

मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह के जमाने में अवश्य ऐसा हुआ था कि कुछ गन्ना किसानों को उचित दाम मिला परन्तु स्वर्गीय किदवई साहब के फार्मूले से पीछे ही रहा।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय गन्ना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। साथ ही हमारे विरोध पक्ष के विद्वान सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखते समय कुछ सुझाव दिये हैं उनका भी आदर करता हूं।

मेरा निवेदन है कि आज हमारे सदन में जो प्रदेश के पूर्वांचल और पश्चिम अंचल की बात की जा रही है, सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों को यह सुविदित है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें खासकर पूर्वांचल

[डाक्टर बृज किशोर मिश्र--]

में जो गन्ने की स्थिति है उससे वहां के रहने वालों का जीवन-मरण का प्रश्न जुड़ा हुआ है। अभी भाई रियासत हुसैन ने कहा था कि यह वह सदन है जिसमें स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह जी थे लेकिन पूर्वांचल में उनको गेंदासिंह नहीं गन्ना सिंह के नाम से मानते थे। गन्ने की समस्या को लेकर मेरठ से देवरिया तक जो सत्याग्रह और आन्दोलन चला उसकी एक कहानी है और इतिहास उसका साक्षी है। यह सही है कि आजादी के बाद जब इस देश में ब्रिटानिया की हुकूमत समाप्त हुयी और कांग्रेस की हुकूमत आयी तो गन्ने के प्रति, गन्ने के मजदूरों और किसानों के प्रति हमने दिन रात उस व्यवस्था को सुधारने के लिये परिश्रम किया और उसको सही रास्ते पर लाये। अभी विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमने गन्ने के मामले में कोई तरक्की नहीं की, बजट में इतना प्राविधान भी किया लेकिन गन्ने की कोई नयी वैरायटी नहीं दी। उनकी कुछ और उमर हो गयी होगी लेकिन इतनी बात तो उन्हें इमानदारी से माननी होगी कि आज से 15 वर्ष पूर्व गन्ने की कितनी वैरायटीज थीं और आज अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से इस देश और प्रदेश में कितनी वैराइटीज का ईजाद किया गया है। यह विस्तृत रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप देखते होंगे कि जब सेवरी अनुसंधान से लक्ष्मणपुर फार्म द्वारा छोटी-छोटी नस्ल पैदा की जा रही है। जहां तक हमारे गन्ना मंत्री जी का सम्बन्ध है, यह सही है और यह सत्य है कि ये किसानों और मजदूरों के नेता हैं। उनके दिमाग और दिल मे गरीबों के प्रति सच्ची लगन और भावना है। ये गरीबों की उन समस्याओं से राहत दिलाना चाहते हैं। इसका ज्वलन्त उदाहरण हम को भी देखने को मिला है। अभी कुछ दिन पूर्व वे देवरिया में गये थे और वहां पर गन्ने के किसानों की सही स्थिति को जानने के लिए रास्ते में ही गाड़ियों को रोक दिया जाता था और खेतों में ही किसानों से बात करते थे और उनकी समस्याओं की जानकारी करते थे। विरोध पक्ष की बात और समस्याओं को सुलझाने की और बात होती है। जो दाम इन्होंने गन्ने का दिलवाया है इसके लिए तो आज का इतिहास साक्षी है। यह बात अवश्य है कि जहां जितना रिकवरी का परसेन्टेज है उतना ही दिया गया है। और कम्पटीशन भी जरूरी है। मैं यह माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर मेरठ में खांडसारी है इसलिए उसको रुपया दिया जायेगा, यह न्यायसंगत नहीं है। उसमें देवरिया, गोरखपुर और बस्ती वाले किसानों का गुनाह नहीं। अगर परसेन्टेज की बेसिस पर कीमत को फिक्स किया जाता है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, अगर कम्पटीशन की बेसिस पर आप फिक्स करते हैं तो मुझे यही कहना है कि देवरिया का किसान भी किसान है, उसका कोई गुनाह नहीं है। अगर वहां खांडसारी पर छूट नहीं है तो आपको छूट देना चाहिये।

शराब की बात चल रही थी। कहा गया कि महात्मा गांधी की फोटो के नीचे शराब की बात की जा रही है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि हमने अगर कोई गलती की थी तो आपकी सरकार ने जो 3 वर्ष तक रही उसने उन गलतियों को ठीक क्यों नहीं किया, आपको तो उनको दोहराना नहीं चाहिये था। एक तरफ नाम को शराब बन्दी था, पर होटलों में, मिठाई की दूकानों पर, गली और कूंचों में शराब बिकती थी, गाड़ियों में छिपा-छिपा कर लायी जाती थी और उसमें भी किसान का ही नुकसान होता था। इसलिये शराब की बिक्री का खोल दिया गया तो यह अच्छा और पवित्र काम है।

एक सदस्य––

क्या आप पीकर के आये हैं ? (हंसी)

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र––

मान्यवर, महात्मा गांधी ने कहा था कि जहां एक तरफ से देश के गरीबों, मजदूरों और किसानों को हक मिलना जरूरी है वहीं दूसरी तरफ पूंजी का होना भी आवश्यक है । गांव का एक गरीब व्यक्ति कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता । फैक्ट्री को कोई पूंजीपति ही लगा सकता है । इसलिए पूंजीपति का होना भी कोई गुनाह नहीं है । हां, श्रमिकों के हितों का शोषण नहीं होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त, आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र––

इसलिए, इन शब्दों के साथ, माननीय गन्ना मंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । कटौती के प्रस्ताव का विरोध करना मेरा कर्तव्य है, इसलिये विरोध करता हूं ।

श्री जयदीप सिंह––

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । एक किस्सा गुड़ के बारे में बताना चाहता हूं । गुड़ जब बहुत परेशान हो गया, उसने देखा कि उसे कीड़े, मकोड़े, जानवर, इन्सान सभी खाते हैं तो वह परेशान होकर भगवान के पास गया और कहा कि भगवन मुझे सभी खाते हैं । कृपया मेरी रक्षा करें । भगवान ने सोचा कि यह ऐसी कौनसी चीज है इतनी मीठी कि इसे सभी खाते हैं, तो उन्होंने भी गुड़ को उठाकर अपने मुंह में रख लिया । यह गन्ना विभाग जिन मंत्री जी को दिया गया है, उनकी योग्यता और उनकी ईमानदारी को देखकर ही यह विभाग उनको दिया गया, पर आज उनके विभाग की जो स्थिति है उसको देखकर मुझे यह किस्सा याद आ गया जो मैंने अभी सुनाया । यही हालत आज इनके विभाग की है । गन्ना के किसानों का आज भी शोषण हो रहा है और वह कहावत चरितार्थ हो रही है ।

गन्ना किसानों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसानों को राजनीति की गेंद बनाया गया है । गन्ना जलाने का जहां तक प्रश्न है, सन 1962 में, जब पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार थी, उस समय भी गन्ना जलाया गया था । मान्यवर, 69–70 में जब श्रीमती

(इस समय 3 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं, तब भी खेतों में गन्ना सड़ गया । आज शासन की ओर से यह कहा जाता है कि माननीय चरण सिंह जब प्रधान मंत्री थे,

[श्री जयदीप सिंह--]

तब भी गन्ना खेतों में जल गया । मान्यवर, इसको देखने से यही प्रतीत होता है कि गन्ने को जलाने में किसी भी दल ने कोई कसर नहीं छोड़ी है । गन्ने का क्या मूल्य हो, इसके बारे में दिवाकर विक्रम सिंह ने जो किदवई फार्मूला पेश किया वह इस सदन में पहले भी आ चुका है । लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब मंत्री पद पर किसान या किसान का बेटा पहुंचता है तब वह एक बनिए की दूकान की तरह से गन्ने की कीमत निर्धारित करता है । गन्ना कम होता है, तो उसका मूल्य बढ़ा दिये जाते हैं अधिक होता है तो मूल्य कम कर देते हैं । यहां पर पृष्ठ 6 पर गन्ना विभाग के कार्यकलापों के बारे में दिया हुआ है कि 20 रु0 पश्चिमी क्षेत्रों और 19 रु0 पूर्वी क्षेत्रों के लिये सरकार ने दिलाने की सिफारिश की । मान्यवर, जब आंदोलन तेज हुए, तो स्वतः सरकार ने गन्ने का मूल्य तेज कर दिया, क्योंकि पहले 23 करवाया, फिर बाद में 26 करवाया । प्रदेश की गन्ने की मारकेट में उपलब्ध गन्ने की कितनी मात्रा है, उसको देखकर सरकार रेट निर्धारित करती है । गन्ने का मूल्य जो है, वह किसी फीसदी के आधार पर निश्चित करें । अगर चीनी का मूल्य कम हो जाता है तो गन्ने का मूल्य भी हम गन्ने के किसान कम लेने के लिए तैयार हैं । गन्ने के बढ़ते और घटते हुए क्षेत्रफल के बारे में भी दो सुझाव रखना चाहता हूं । मान्यवर, उसमें 2-3 चीजें हैं । तीन वर्ष के लिए पहले से नीति निर्धारित करना होगा । एक तो आप गन्ने का क्षेत्रफल जो किसी मिल के अन्तर्गत हो, उसे फिक्स्ड कर दें, उसे 10 प्रतिशत से या 15 प्रतिशत से कमती-बढ़ती न होने दें । बेसिक कोटा भी फिक्स्ड कर दें । जब तक मंत्री जी इस नीति को न अपनायेंगे, तब तक गन्ने के किसान का यही शोषण और इस प्रदेश की सम्पदा का यही शोषण होता रहेगा । गन्ना फैक्ट्री के संबंध में दो-तीन सुझाव मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । कारपोरेशन की फैक्ट्री बनी या अधिग्रहण करके कारपोरेशन के यूनिट्स कायम हुए । सरकारी क्षेत्र में भी फैक्ट्री लगी, इन फैक्ट्री और निजी क्षेत्र की फैक्ट्री की कार्यप्रणाली में और जो वहां पर बैठे हुए कार्य करने वाले प्रबन्धक हैं, उनमें और निजी क्षेत्र के मिल मालिकों में कोई अन्तर नहीं है । अपने बिलासपुर सरकारी चीनी मिलों पर पंतनगर का गन्ना लाद दिया है । सहकारी मिल के जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्ही के गन्ने को प्राथमिकता दी जाय । इसी प्रकार की आपको घोषणा करनी चाहिए । यह प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि इस साल गन्ना कम है अगले साल उठेगा । कारपोरेशन की फैक्टरियों की रिकवरी 79-80 में 9.24 थी, इस वर्ष 8.41 रह गयी है । सहकारी चीनी मिलों की रिकवरी 9.79 प्रतिशत थी और इस दफा 8.35 प्रतिशत है । मान्यवर, डेढ़ प्रतिशत रिकवरी आपकी इस समय गिरी हुई है । यह जनवरी का महीना है, आगे बढ़ सकती है । यह रिकवरी पिछले साल से न घटने पाये इसीलिए मैंने निवेदन किया । इसके लिये मंत्री जी विशेष ध्यान दें ।

श्रीमन, इसके अलावा इन फैक्ट्रियों के संबंध में मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो भी सहकारी क्षेत्र में नयी मिलें लगायी जायं, वहां डिस्टिलरी और कागज बनाने का कारखाना जरूर लगना चाहिए, तभी लाभ हो सकता है । शीरा जो बनता है, उसे 6 रु0 क्वि0 की दर से बेच लेते हैं । इस पर आप एक्साइज डिपार्टमेण्ट द्वारा नियंत्रण रख सकते हैं और इसे टेण्डर के बेसिस पर बेचें । शीरे का उपयोग, पंतनगर यूनिवर्सिटी से पता चलेगा आपको, पशुओं के चारे को रिप्लेस करने के लिये भी किया जाता है पशुओं को अनाज न खिलाकर

मानव के उपयोग के लिए उसका भंडारण बढ़ाया जा सकता है। तो जो किसान इसको लेना चाहते हैं, उनको सुविधा दें। पशुओं के हिसाब से शीरे की मात्रा दी जाय। सोसायटियों के कर्ज के ऊपर 18 प्रतिशत ब्याज की दर लग रही है, इतना तो कोई सूदखोर महाजन भी नहीं लेता है। किसानों को आप सुविधायें देने की बात करते हैं। एक जेब में आप 2 रु0 डालते हैं, दूसरी जेब से 20 रु0 निकाल लेते हैं। सोसायटीज को फैडरेशन के माध्यम से खादें मिलती हैं, कमीशन फैडरेशन को मिलता है। जिस सोसायटी में उसका उपयोग हो रहा है, उसको उसका कमीशन बहुत कम मिलता है। आपसे आग्रह है कि आप फैक्ट्री से सीधे सोसाइटी को खाद देने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय जयदीप सिंह, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जयदीप सिंह––

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं।

माननीय मंत्री जी ने एक नीति की घोषणा सदन में की कि अगर फैक्ट्री वाले बकाया नहीं देंगे तो वह धरना देंगे और घेराव करेंगे, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नीति प्रदेश के गरीब किसानों के लिये भी घोषित कर दें, उनपर रिकवरी और कुर्की की कार्यवाही न करें। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री उमेश्वर प्रताप सिंह––

मान्यवर, आपने मुझे गन्ने के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। गन्ना हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी कैश क्राप है। इसका संबंध लाखों किसानों के जीवन से है, किसान का सीधा संबंध गन्ना समितियों से है और गन्ना समिति जर्जर अवस्था में आ चुकी है। गन्ना समितियों का कमीशन अत्यन्त कम होने के कारण समितियों की दशा अत्यन्त निराशाजनक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गन्ना समितियों का कमीशन बढ़ाया जाय, कार्य प्रणाली में सुधार किया जाय और किसानों से गन्ना समितियां इतना लम्बा सूद चार्ज करती हैं, उसे कम किया जाय। शुगर कारपोरेशन द्वारा संचालित मिलों की ओर भी माननीय गन्ना मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये मिलें बड़ी जर्जर हालत में कारपोरेशन को सौंपी गयी थीं, रिकवरी कम होने के कारण किसानों का पैसा बाकी हो गया है। जरवल मिल पर 5 लाख रु0 इस साल का बाकी है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावित गन्ना बजट का समर्थन करता हूं और इतना अधिक गन्ना मूल्य देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री हरिबंश सहाय––

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने गन्ना बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मुझे जो मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिवंश सहाय--]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने का दाम सर्वप्रथम वर्तमान सरकार ने 12 रुपये क्विन्टल तय किया, उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा कि 16 रुपये मिलना चाहिये, जब महाराष्ट्र के किसानों ने आन्दोलन किया तो 19-20 रुपये तय हुआ और उत्तर प्रदेश के किसानों ने जब हड़ताल किया तो 22-23 रुपये निश्चित हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खांडसारी और चीनी मिलों में जब टकराव चल रहा है तो 26 रुपये मिल रहा है। इसलिए इसके दाम निश्चित नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि गन्ने का दाम कम से कम 30 रुपये प्रति क्विन्टल मिलना चाहिये क्योंकि किसानों को मिलने वाली सभी चीजों के दाम बढ़ गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष से वक्ताओं ने कहा कि गन्ने की उपज ठीक नहीं हो रही है। तो इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक स्थायी नियम बनाया जाय कि हर मिल क्षेत्र को एक एरिया निर्धारित कर दी जाय कि तीन साल तक वह उस एरिया के अन्दर गन्ना लेंगे। यह हो जाने से मिल मालिक अपने एरिया के किसानों को ठीक से और समय से खाद, बीज और दवाओं का प्रबन्ध करेगा। बीमारियों को रोकने के लिए बायलोजिकली सेन्टर कायम करेगा। इन सब चीजों के लिए मिल मालिक ही जिम्मेदार बनाए जायं तो वह 3 साल तक अपनी एरिया की देखरेख करें जिससे गन्ने की उपज कम न होने पावे। यह काम मिल के चीफ केमिस्ट या इंजीनियर को देखने को होता और उन्हीं को जिम्मेदार बनाया जाता

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में स्टेट शुगर कारपोरेशन की मिल भटनी में है। पिछले साल उसकी 9.20 प्रतिशत रिकवरी थी और इस साल 9.30 प्रतिशत रिकवरी है। यह रिकवरी इसलिए कम हुई है कि उसके जनरल मैनेजर को मिल चलने के पूर्व ही उसका ट्रान्सफर कर दिया गया और चीफ केमिस्ट को जनरल मैनेजर बना दिया गया और उसने फर्जी पर्चियों को तौलाकर पैसा ले लिया। एक दिन एक गाड़ी पकड़ी गयी तो चीफ केमिस्ट जो अनरल मैनेजर हैं उनके बीच-बचाव से वह मामला दबा दिया गया। इसी तरह लाखों रुपये स्टेट शुगर कारपोरेशन द्वारा हड़पा गया है। इसके अलावा मान्यवर, 27 लाख रुपये पुर्जों को ठीक करने के लिए मिला था लेकिन फर्जी पुर्जों की मरम्मत दिखाकर वह रुपया भी हड़प लिया गया। इसी तरह से इस मिल में 45 कैजुअल मजदूरों को स्थायी नहीं किया गया और जब क्लर्कों की नियुक्ति का मामला आया तो भी 45 में से किसी को भी नियुक्त नहीं की गयी। इस तरह लाखों रुपये का घोटाला स्टेट शुगर कारपोरेशन के माध्यम से वहां के जनरल मैनेजर ने किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी जांच हो।

मान्यवर, जो गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा होता है उसके कार्यालय केन फेडरेशन में कुछ अधिकारियों का बड़ा हस्तक्षेप है। वर्ष 1977-78 से उन अधिकारियों के खिलाफ सी0 बी0 आई0 और विजीलेन्स की जांच चल रही है क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। जिन बड़े अधिकारियों का हस्तक्षेप है उनके द्वारा इन भ्रष्ट अधिकारियों को किसी न किसी पद पर यहां रखकर काम कराया जाता है जिससे यहां काफी भ्रष्टाचार बढ़ा है। मान्यवर, जैसे प्राधिकरण का काम है उसमें 5 आदमी होने चाहिये लेकिन यहां का केन सचिव और मैनेजिंग डाइरेक्टर दो आदमी ही मिलकर प्राधिकरण का काम करते हैं। इसी तरह मान्यवर, गन्ना अधिकारियों को 19 कारें मिली हैं जिसमें 21 लाख रुपये का सालाना पेट्रोल लगता है। इस पर भी उनका जी नहीं भरा। 2 लाख 60 हजार रुपये की चार नयी कारें और मंगाई जा रही है उस पर यह अधिकारी लोग चलेंगे। डिप्टी केन कमिश्नर, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उन गाड़ियों पर चढ़ेंगे, केन

कमिश्नर 21 सौ रुपये की चाय पीते हैं गन्ना सरकारी बजट संघ। मैं चाहूंगा कि इस तरह से गन्ना किसानों का पैसा उचित नहीं मिलता है। 21 सौ रुपये की चाय और 19 कारों पर चल रहे हैं। मान्यवर, 6-7 मशीनमैनों की नियुक्ति हुई। इसमें 1 से 6 क्रमवाइज की गई और 7वें आदमियों की जो नियुक्ति की गई वह 17 नम्बर पर था। बीच में 7 से 16 तक को छोड़ दिया गया। मान्यवर, केन फेडरेशन में एक भी हरिजन नहीं है जो अधिकारी है उनमें एक जाति का बर्चस्व कायम है वह कभी किसी को आने नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, एक नियम बना है डेपुटेशन पर रहने का इतने समय तक डेपुटेशन की अवधि होगी लेकिन यहां डेपुटेशन की अवधि बढ़ाकर उसमें रखते हैं। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी केन फेडरेशन है उसमें किसान का प्रतिनिधि जो गन्ना बोता है वह उसमें रहें, नहीं तो इससे कल्याण नहीं होगा। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिन चीनी मिलों की वैल्यूएशन आंकी गई थी कि 20 लाख का कबाड़ है वह कबाड़ कहां गया कहां बेचा गया यह आज तक मालूम नहीं हो पाया है। हमारे एक साथी ने कहा माननीय मंत्री जी देवरिया गए थे मंत्री जी के सामने खड्डा शुगर फैक्टरी के जनरल मैनेजर ने वहां के एक विधायक को जूतों से मारा, जब विधायक उनको गाली देगा तो उसने मारा मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है जो भी कार्यवाही की गई है। माननीय मंत्री जी गुस्से में चले एक सी0 डी0 आई0 और एक जख्मी रास्ते में मर गया एक दर्जन घायल हुए। माननीय मंत्री जी नारायणपुर में गए और कहा कि आप लोग गन्ना न बोयें आलू बोयें। मंत्री जी आलू की वकालत करते हैं गन्ने की वकालत नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से गन्ना किसानों का जो पैसा, 77-78 से जिन अधिकारियों के खिलाफ विजीलेंस और सी0 आई0 डी0 के आरोप हैं उनको बचाने के लिए कोशिश हो रही है जो जांच कर्त्ता थे उनके नाते हित, रिश्तेदार को नौकरी देकर जांच को वापस कर लिए। मैं चाहूंगा कि जिनके खिलाफ कम्पलेन्ट है उनको हटाकर जांच कराई जाय। मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि गन्ने का मूल्य 30 रुपया प्रति कुन्तल करने का कष्ट करें तथा जो किसानों की मांग है चीनी महंगी हुई है उसका भी पैसा जोड़ कर दें। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री ध्रुपराय--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सारे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। गरीबी के हिसाब से सारे प्रांतों में यह नीचे से तीसरे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल इलाके में जहां से मैं चुनकर आया हूं वह और भी गरीब है जिसकी अर्थ व्यवस्था केवल गन्ने और चीनी पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है। इसमें 25 लाख से अधिक किसान लगे हैं। 1456 थाउजेंड हेक्टेयर में उत्तर प्रदेश में गन्ना बोया जाता है। 47.100 थाउजेंड टन गन्ना पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में इतनी अधिक जमीन में गन्ना बोये जाने के बावजूद भी सबसे ज्यादा चीनी महाराष्ट्र में पैदा होती है। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चीनी पैदा होती है। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई गन्ना पैदा करने में यह है कि उचित बीज नहीं मिलता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ध्रुप राय—]

हमारे विरोधी पक्ष के नेताओं ने अभी इसके बारे में संकेत किया और बताया भी है, इसके लिए मैं उनका अनुमोदन करता हूं। नयी तरह के बीज और सिंचाई की व्यवस्था और खाद किसान को उपलब्ध करायी जाय तो किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा कर सकते हैं, 1000 क्विन्टल पर हेक्टेयर गन्ना किसान पैदा कर सकते हैं। हम अभी 460 क्विन्टल पर हेक्टेयर गन्ना पैदा कर पा रहे हैं। अगर उचित बीज और सिंचाई की व्यवस्था और गन्ना प्रजनन केन्द्रों का सहयोग किसान को मिलता रहे तो एक हजार क्विन्टल गन्ना एक हेक्टेयर में पैदा किया जा सकता है। गन्ने से चीनी, खांडसारी, गुड़, अल्कोहल और कागज भी पैदा किया जाता है। अमेरिका प्रयत्न कर रहा है कि इससे इथेनाल बनाये। इथेनाल से गैसोहोल बनाया जायगा जिसको पेट्रोलियम की जगह पर इनरजी के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। मान्यवर, आप देखेंगे कि गन्ने का एक बड़ा उपयोग है, इसकी हर चीज हमारे प्रयोग में आती है। परन्तु जो खांडसारी उद्योग है जिसके बारे में हम इतना बोल रहे हैं, मैं उस सम्बन्ध में थोड़ा बताना चाहता हूं। एक टन गन्ने में 60 किलो खांडसारी की चीनी बन पाती है और एक टन गन्ने से 100 किलो चीनी बनती है। इसलिए खांडसारी उद्योग जिस पर जोर दिया जा रहा है उसकी उपयोगिता नहीं है। इसमें लोग लगे हैं और खांडसारी पैदा करते हैं। खांडसारी उद्योग ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। वहां का 20 परसेन्ट गन्ना वहां की गन्ना मिलों में जाता है। हमारे पूरे भारतवर्ष में 301 गन्ना मिलें हैं और 33 नयी मिलों का प्राविधान किया गया है जिसमें 12 उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए लिखा गया है। उत्तर प्रदेश की जो कैपेसिटी है वह 6 मिलियन टन की है। इन 33 नयी चीनी मिलों के बनने से हमारी कैपेसिटी 7.4 मिलियन टन चीनी बनाने की हो जायेगी। 1977–78 में 64.47 लाख टन चीनी पूरे भारत में पैदा हुई। 1978–79 में 58.5 लाख टन चीनी पैदा हुई और 1979–80 में 39.40 लाख टन चीनी पैदा हुई, 1980–81 में उम्मीद की जाती है कि 55 लाख टन चीनी पैदा होगी और 1981–82 में यदि इसी प्रकार से गन्ना पैदा होता रहा तो 70 लाख टन चीनी पैदा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में 1979–80 में 9.97 लाख टन चीनी पैदा हुई, 1980–81 में 12.05 लाख टन चीनी पैदा होने की उम्मीद है। 5 लाख टन चीनी की प्रति महीने खपत है। पूरे भारत में 60 लाख टन चीनी की खपत है। 50 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति प्रति दिन खाता है। इंग्लैंड में 136 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपयोग करता है। यह मान्यवर, यहां की पैदावार दूसरे प्रदेशों से गन्ने की अधिक होती जो आठवां वण्डर है, परन्तु इन सबके होते हुए भी सबसे ज्यादा चीनी जो खाई जाती है वह है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में और 5वां नम्बर आता है चीनी के खाने में उत्तर प्रदेश का और सबसे कम चीनी मध्य प्रदेश में खाई जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस उद्योग को बढ़ाने के लिए हर तरह का माननीय गन्ना मंत्री जी को प्रयोजना करना चाहिए। ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके भाव मिल सके किसान को। माननीय मंत्री जी ने इसका भाव 22–23 का दिया है और हमारे विरोधी दल के नेता न जाने कहां से ले आये 26·80 का। वैसे 22–23 का भाव बहुत उचित है। अगर इसी तरह सरकार इस मामले में सचेत रही तो भविष्य में उम्मीद की जाती है इसका भाव 26–27 तक अवश्य पहुंच जायेगा, जिससे किसान को भी लाभ होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। भाव बढ़ाने से उत्पादन में भी वृद्धि होती है और इधर जब भाव बढ़े थे, तो साफतौर पर देखने में आया कि उत्पादन भी बढ़ा और किसान इससे संतुष्ट हुआ और आगे भी उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से किसान को संतुष्ट रखेंगे। इन्हीं शब्दों के

साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं और माननीय उपाध्यक्ष जी एक बार फिर आपका आभारी हूं कि आपने इस पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, अभी जब यह चर्चा चल रही थी तो माननीय मंत्री जी द्वारा बड़े जोरदार शब्दों में कुछ विभाग की उपलब्धियों के बारे में और कुछ भविष्य में निर्धारित कार्यक्रमों के बारे में घोषणा की । मान्यवर, मैं पूरे ब्यौरे में तो नहीं जाऊंगा । लेकिन माननीय मंत्री जी से एक निवेदन जरूर करूंगा कि जो गन्ने के मूल्य में विषमतायें उन्होंने पूर्व और पश्चिम के दरों में बनायी हैं, उस पर जरा विचार करें जब भी मूल्य निर्धारित होता है, उसमें पूर्व और पश्चिम का अलग-अलग दर एक दो रुपये के फर्क से जरूर होता है और जब पूछा जाता है है कि ऐसा क्यों तो कहा जाता है बहाने के तौर पर कि वहां की रिकवरी कम है । तो मान्यवर, इसका जिम्मेदार कौन है, रिकवरी आदि तो कुछ कम नहीं होती । यह केवल इनके सोचने की बात है । हमारे क्षेत्र बस्ती से शुगर फैक्टरी की रिकवरी दूसरे पूर्वी जिलों से भी अधिक है । हमारे यहां के वाल्टरगंज और मुंडेरवा क्षेत्र की जो रिकवरी है, वह बस्ती से कम है बस्ती की रिकवरी पड़ोसी जनपदों से अधिक है और तो इस प्रकार आप पूर्वांचल का करोड़ों रुपया इधर-उधर करके घपला करते हैं और वहां के गरीब किसानों का रुपया रिकवरी के नाम पर व्यापारियों की थैली में डाल देते हैं इसलिए कि उनके कन्धे पर बैठ कर आप मजा उड़ा रहे हैं । इसलिए इस पर एक सुझाव मान्यवर, आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि एक वैज्ञानिक ने एक मशीन निकाली है जो कुछ ही घन्टों में गन्ने की रिकवरी को निकाल कर बता देती है कि इस गन्ने में इतनी रिकवरी है तो मान्यवर, मेरा सुझाव है कि मंत्री जी आप उस मशीन को मंगायें और पूर्व और पश्चिमी इलाकों के गन्नों की रिकवरी को आंके तब सही तौर पर मालूम हो सकेगा कि सच्चाई क्या है इस तरह आप टूटी-फूटी मशीनों से जो आंकलन करते हैं, वह सही नहीं होती । तो इस तरह से न्याय किया जाय हमारे साथ और पूर्वांचल के गरीब किसानों के साथ मान्यवर, भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण कुछ दूरी तक तथा कर्क रेखा के इर्द गिर्द वातावरण जलवायु आदि से रिकवरी प्रभावित होती है परन्तु एक ही क्षेत्र के खेतों का गन्ना जब बस्ती शुगर फैक्ट्री को जाता है तब उसकी रिकवरी अधिक तथा जब वाल्टरगंज जाता है तब कम । यह बात समझ में नहीं आती । दूसरी बात मान्यवर, खाण्डसरी के ऊपर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो आप कहते हैं कि इसमें कम्पटीशन बहुत बड़ा है इसलिए ऐसा किया गया यह कुछ नहीं । मानते हैं कि कम्पटीशन है । लेकिन कुछ आप भेदभाव के साथ भी काम लेते हैं । सेठों और बड़े-बड़े पूंजीपतियों के कहने पर आपका पहिया घूमता है पूरे भूमध्य के उत्तर-दक्षिण क्षेत्र में मान्यवर, उसमें भी तो हमारा क्षेत्र नहीं आता, फिर क्यों पूरब के लोग मारे जा रहे हैं । 1977-78 के बारे में अभी माननीय श्री सोमांश प्रकाश जी ने कहा कि गन्ने की सर्वाधिक उपज हुई और किसानों के साथ बड़ा न्याय हुआ । आपने गन्ना किसानों के साथ न्याय नहीं किया, यह जनता सरकार ने ही गन्ना किसानों के साथ न्याय किया था और उनके बकाये की वसूली कराई थी । उस सरकार ने 1977-78

[श्री माता प्रसाद पान्डेय--]

का 111.9 लाख कुन्टल गन्ना, 1978-79 में मिलों से पेरवाया और पूरा मूल्य दिलाया जबकि रिकवरी 3% आती थी और आपकी सरकार ने 1970-71 में किसानों का गन्ना जब मिलों को, मई में दिलाया एवं गन्ने का मूल्य कम करा दिया क्योंकि उनकी रिकवरी नहीं आती थी। मैं माननीय सोमांश प्रकाश जी से कहना चाहता हूं कि उस समय जनता की सरकार ने जो काम किया, वह आप कर नहीं सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय पाण्डेय जी, लगता है कि आपके क्षेत्र में गन्ना काफी होता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

जी हां, मान्यवर, मैं खुद गन्ना बोता हूं। अभी तक इस विषय में कहा गया कि विभाग खोलने जा रहे हैं जो बीज देंगे, खाद देंगे। दूसरी तरफ शराब की दूकानें दिलायी गयी हैं। रोज समाचार-पत्रों में आता है कि शराब से 6 मरे, शराब से 8 मरें, शराब से 200 व्यक्ति मरे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक जिन दूकानों की शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई हैं तो क्या आपने उन दूकानों को बन्द करवाया, उनके लाइसेन्स रद्द किए, उनके ठेकों को समाप्त किया या उन ठेकेदारों को निलम्बित किया ? कुछ नहीं किया, मान्यवर। एक आई0 ए0 एस0 कैडर होता है। यहां एक आदमी को ओबलाइज करने के लिए एक के लड़के को जो बंगाल के कैडर में आई0 ए0 एस0 हुए थे, उनको यहां इस प्रदेश म लाने के लिए सारे नियमों को परिवर्तित करके उनको यहां लाया गया और आबकारी विभाग दिया गया। तो मान्यवर, जब आप उपहार में व्यक्तियों को लायेंगे, उनको अधिकारी यहां के बनायेंगे तो ऐसे अधिकारियों से इस विभाग के भ्रष्टाचार को दूर करने की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं ? मान्यवर, एक तरफ शराब की दूकान खोली जा रही है दूसरे तरफ लोगों को शिक्षा देने के लिए कि शराब नहीं पीना चाहिये उसके लिए कर्मचारी नियुक्त कर रहे हैं यह तो ऐसे है जैसे वेश्यालय खुलवा कर ब्रह्मचारी रहने का उपदेश देना।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आबकारी में भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, उसे दूर करें। अगर गरीब किसान पर दो रुपया भी बकाया होता है तो आप उसे कमर बांध करके उसे खींच लाते हैं और वसूल कर लेते हैं तो फिर बड़े-बड़े लोगों पर जो बकाया है, उसे क्यों नहीं वसूल कर पाते ? बरेली के शबुल्ला चन्द सेठ पर आबकारी कर का 28 करोड़ रुपया टैक्स का बकाया है, मान्यवर, आप पहले पुराने टैक्स वसूल कीजिए। लेकिन मान्यवर, आप तो बंधे हुए हैं, आपकी गर्दन पर उनकी पकड़ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं तो मान्यवर, जब यह रैली चली पूरे प्रदेश में तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को डर लगा कि कुछ गड़बड़ न हो जाय तो आदेश निकाल दिया कि 14 से 16 फरवरी तक शराब बन्द। लेकिन मान्यवर, जब इनकी शराब बन्द थी तो मैं नहीं समझता हूं कि कौन से कारण थे कि आपको उसे चालू कराना पड़ा, वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके अन्दर आपको शराब की दूकानें फिर चालू करानी पड़ीं। इससे यह साफ जाहिर है कि आपकी नीतियां भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हैं। आप

इसका स्पष्टीकरण दें कि आपने धन लेकर उन दूकानदारों को फिर से दूकान चलाने के लिए साधन उपलब्ध कराये या नहीं ?

मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य श्री दिवाकर विक्रम सिंह द्वारा पेश कटौती के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि जब तक यह पूरब और पश्चिम (पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश) के गन्ने के मूल्यों का अन्तर न समाप्त हो जाय तब तक जो इसका समर्थन कर उससे बजट को पास न करें ।

श्री सतीश अजमानी--

मान्यवर, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ना बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन तथा विरोध पक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

सत्ता पक्ष से जब यह कहा जाता है कि गन्ने का मूल्य बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है तो विरोध पक्ष की ओर से कहा जाता है कि हमारे समय में शकर बहुत सस्ती थी । लेकिन किसानों ने इस बात को माना नहीं । क्योंकि अगर किसानों ने इस बात को माना होता तो 1980 में आपकी सरकार हार न गई होती । दूसरा उदाहरण यह है कि किसानों की जो हितैषी केन्द्र में कोई है वह श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं और प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं । यह बात किसान रैली साबित करती है जिसमें श्रीमती के आवाहन पर लाखों की तादाद में किसान पधारे थे । यह बात इससे भी साबित होती है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिये आपने किसानों को आन्दोलन करने के लिए कहा लेकिन उसमें आप 4 किसान भी इकट्ठे नहीं कर पाये । इसमें चौधरी चरण सिंह, जो पिछले समय में किसानों के मसीहा कहे गये हैं, की बात साबित हो गई है कि यह झूठ है, खोखली है, किसानों की मसीहा तो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं । अपनी सरकार को विश्वनाथ प्रताप सिंह को, गन्ना मंत्री को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारे सम्पूर्णानगर फैक्टरी के प्रस्ताव को अनुमति के लिये केन्द्र सरकार को भेज दिया है । आपके नेवटिया जी मुख्य मंत्री जी के घर गये थे, भानु प्रताप सिंह के घर गये थे लेकिन उन्होंने साफ जबाब दे दिया कि जो किसानों के हित में काम होगा वहीं किया जायगा । उन्होंने उससे बात भी नहीं करी थी । आप पूंजीपतियों द्वारा खरीदे गए थे अगर ऐसा नहीं था तो तीन साल से हमारे 50 लाख रुपये सम्पूर्णानगर में फैक्ट्री के लिए जमा थे क्यों नहीं आपकी सरकार ने वहां फैक्ट्री लगा दी । हमेशा पूंजीपतियों से बिके तो आप बिके । हमारे सम्पूर्णा नगर में एक चयन समिति आ रही है गन्ना देखने के लिये मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने माननीय गन्ना मंत्री को कह दिया है कि वह चयन समिति जब भी आये तो उसकी मीटिंग यहां लखनऊ में भी मेरे सामने होनी चाहिए उसमें मैं शामिल होऊंगा और हर कीमत में यह तय करने की कोशिश करूंगा कि सम्पूर्णानगर में फैक्ट्री लगायी जाय । रही बात 10 मार्च, 1981 से बिलरायां शुगर फैक्ट्री, पालिया शुगर फैक्टरी पर 26 रुपये का रेट दिया जा रहा है लेकिन मैं मांग करता हूं मुख्य मंत्री से, गन्ना मंत्री से कि यह रेट उसी दिन से पालिया और बिलरायां के किसानों को दिया जाये जब से पश्चिमी जिलों की दूसरी मिलों द्वारा यह रेट दिया जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले जवाब-सवाल

[श्री सतीश अजमानी--]

में इन शुगर मिलों द्वारा 26 रुपये का रेट दिये जाने का कारण यह बताया कि जहां क्रेशरों में गन्ना जाता है वहां रेट ज्यादा है, मान्यवर हमारे यहां सबसे ज्यादा गन्ना क्रेशरों में जाता है इसलिये किसानों को 10 मार्च, 1981 से पहले से 26 रु0 रेट दिलाने में आप स्वयं हस्तक्षेप करें। दूसरी बात 1980-81 में शक्कर बहुत महंगी है। शक्कर महंगी का कारण विरोधी दल है, उसके दोषी हैं आप। जब हमने सत्ता छोड़ी थी तो भंडार शक्कर के दिए थे और इसीलिए तब शक्कर सस्ती थी। शक्कर सस्ती थी कांग्रेस आई की वजह से। हमारे भंडारों का आपने इस्तेमाल किया और यही वजह है कि आज शक्कर महंगी है क्योंकि इन्होंने गन्ने का रेट इतना कम दिया कि किसानों ने 77-78 में कम गन्ना बोया, 78-79 में उससे कम बोया और 79-80 में बहुत ही कम गन्ना बोया इसीलिए शक्कर महंगी है और बात करते हैं आज हमलोगों की। 1-2 शुगर फैक्टरी मेरे निर्धासन निर्वाचन क्षेत्र में है और तीसरी खुलने जा रही है तो मान्यवर, मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वहां पर केमिकल की फैक्टरी लगाई जाय ताकि जो सीरा है उसका सही उपयोग हो सके। अभी हमारे भाई मोहन सिंह जी ने जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो कहा कि क्या आपने कभी गन्ना को देखा है कि गन्ना कैसा होता है तो माननीय मोहन सिंह जी अगर आपको गन्ना देखना है तो मेरे क्षेत्र में आयें जहां पर तीन शुगर फैक्टरी है और 3/4 हिस्सा में गन्ना ही पैदा होता है।

(धन्यवाद)

(श्री कुबेर भन्डारी को पुकारे जाने तथा श्री जसवन्त सिंह विष्ट के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपके यहां भी गन्ने की समस्या है, कुबेर जी को बोलने दीजिए।

श्री कुबेर भन्डारी--

मान्यवर, मैं बहुत अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आप 34 साल के अन्दर अच्छा बीज देने में असमर्थ रहे हैं। गन्ने का बीज आज तक अच्छा दिया ही नहीं पता नहीं कौन अनुसंधान केन्द्र चला रहे हैं और पता नहीं सब पैसा कहां जाता है, अधिकारी के घर में जा रहा है या कहां जा रहा है। पहले कई बीघे में गन्ना पैदा होता था और उसे हम भोजपुरी में मेरठ गन्ना कहते थे आज केवल लकड़हिया गन्ना पैदा होता है। आप केवल इस नीति के हैं कि मिल मालिकों की जेबें भरें, किसान जहन्नुम में जाये। हमारे भाई साहब चैलेन्ज किये हैं कि वे लूटते थे तो अब आप लूट रहे हैं। 32 रु0 खान्डसारी को आपने 22 रु0 कर दिया। किसानों का आप गला घोंटते हैं। आपने कहा कि राजीव गांधी आपके नेता हैं।

(इस समय 4 बजकर 1 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, राजीव गांधी क्या जानते हैं कि गन्ना किस तरह से बोया जाता है। किसान रैली की बात कही गई कि सब किसान गए थे। मैं दावा करता हूं कि कोई किसान नहीं गया था। क्या जितने लोग गए थे सब किसान थे।

सारे असामाजिक तत्व किसान रैली में गए थे । रणजीत सिंह किसान हैं, डाक्टर साहब किसान हैं अशोक बाजपेई किसान हैं और अम्मार साहब भी किसान हैं, सारे लोग किसान हैं। किसान कोई नहीं गया था, यह मेरा दावा है । जहां तक आबकारी की बात है आज चारों तरफ अनैतिकता दीखती है । आप लोगों को शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको पैसा मिलता है, मोहन मीकिन्स पैसा देता है । लोग मुख्य मंत्री को नहीं पहचानते, मोहन मीकिन्स को पहचानते हैं । मिल मालिक आपको पैसा देते हैं, शराब वाले पैसा देते हैं । आप लोगों को चाकू मारना सिखलाइये, अनैतिकता सिखाइये । अच्छे लोग भी चाहते हैं कि हम गुन्डा बनें इसलिए मजबूरन उसे गुन्डा बनना पड़ता है क्योंकि सुरक्षा की भावना है ही नहीं । किसानों के आप लोग दुश्मन हैं । कभी भी यह नहीं सोचे कि अच्छा बीज कैसे दें पानी हमारे यहां देवरिया जिले में मिलता ही नहीं है । पहले हम लोग मई तक गन्ना ले जाते थे । लेकिन आपकी सरकार बनते ही जनवरी में गन्ना गायब हो गया । चीनी के लिए लोग मोहताज हैं । किसी का पिता मरता है तो वह सारे दिन चीनी के लिए फिरता है कलेक्टर, तहसीलदार, परगनाधिकारी, सब के पास दौड़ता है, ब्रह्म भोज कराने के लिए चीनी नहीं मिलती । मृतक के परिवार तक को चीनी देने में आप समर्थ नहीं हैं । आप कहते हैं कि किसान हैं । आपके वहां पचास प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो व्यापारी हैं और पचास प्रतिशत वे हैं जो ताल्लुकेदार हैं, राजा महाराजा हैं । आप कहते हैं किसान हैं । आप पूंजीपतियों को बढ़ावा देते हैं । आप के समय में मिल मालिकों पर काफी बकाया है । आप उसे वसूल करने में असमर्थ हैं । आप में कोई हिम्मत नहीं है उसे वसूल करने की क्योंकि आपने चुनावों में उनसे चन्दा लिया है । हमारी सरकार थी एक गाड़ी नहीं थी । आप का एक एम0 पी0 लड़ा था आपकी सरकार की पच्चीसों गाड़ियां उस क्षेत्र में रन कर रही थी । आप के श्रम मंत्री मजीठिया साहब के यहां दावत खाने गये थे । सरदार नगर में आज क्या हो रहा है । जो पंजाबी मिलों में काम करते हैं और जो हमारे गोरखपुर, देवरिया, पूर्वान्चल के लोग हैं उनमें भेदभाव है । 25 साल से जो काम करते आये हैं वे अभी तक स्थायी नहीं हैं । जो पंजाबी हैं उनको अच्छी तनख्वाह देते हैं । गन्ना हम दें आपको, शराब हम आप को दें । देवरिया में 14 मिलें हैं । वहां पर अधिक शराब बनाई जा सकती है । वहां पर दुकान बनवायें । आप को पैसा ज्यादा मिलेगा । देवरिया जिले में ज्यादा शराब बनायें और लोगों को पिलवा कर कत्ल करायें ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर पौने पांच बजे मतदान प्रारम्भ होगा । उसके पहले कटौती का प्रस्ताव माननीय दिवाकर विक्रम सिंह ने पेश किया है वे बोलेंगे और फिर मंत्री जी । मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर पांच मिनट का समय लें तो 15 20 मिनट में चार-पांच माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त कर सकते हैं जो ज्यादा अनुकूल रहेगा ।

*श्री दूध नाथ राजभर--

मान्यवर, आप ने मुझे गन्ना और आबकारी विभाग के बजट पर बोलने का समय दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दूधनाथ राजभर--]

इस गन्ने विभाग के सम्बन्ध में चर्चा बहुत हुई और गन्ना एक ऐसी फसल है जो किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान स्वरूप है। गन्ने के आधार पर चीनी उद्योग हमारे प्रदेश का चल रहा है। यह सबसे बड़ा उद्योग हमारे प्रदेश में है जिसमें 25 लाख लोग लगे हुये हैं। सभी उद्योग चीनी उद्योग पर आधारित हैं। मैंने उधर के अपने भाइयों के विचार सुने। हमारे पाण्डे जी उधर से बोल रहे थे और किसानों के साथ हमदर्दी दिखा रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि 1977-78 के जमाने में किसान का बेटा कहा जाने वाला व्यक्ति माननीय चरण सिंह जी जब देश की सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधान मंत्री के पद पर बैठ रहे थे तो किसानों ने जो तपती धूप में और कड़ाके की सर्दी में अनेक प्रकार की मुशीबतों को उठा कर गन्ना पैदा किया था उसके मूल्य बढ़ाने के ऐवज में उन के गन्ने को अपने खेतों में जलाने के लिए मजबूर कर दिया था यह किसान के बेटे का कारनामा था और आज आप कहते हैं कि हम किसानों के विरोधी हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में भले ही मुख्य मंत्री के पद पर राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह बैठे हैं लेकिन उनके मन में किसानों के प्रति जो हमदर्दी है वह किसान के बेटे कहे जाने वाले के मन में कदापि नहीं है। यह जो हमारा कार्यक्रम है उसके तहत 6 रुपये से लेकर 23 रुपये तक हमने गन्ने का मूल्य किया है। यह एक सराहनीय कदम है। जो कुछ किसानों के लिये इस सरकार द्वारा किया गया है उसकी आपको सराहना करनी चाहिए।

मान्यवर, मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। 1978-79 में सूखा पड़ा था और उससे उत्पादन कम हुआ था। 1977-78 में आपकी जो नीति थी गन्ना उत्पादकों को कम मूल्य देने की, उसका नतीजा यह हुआ कि 1979-80 में किसानों ने गन्ने का उत्पादन कम किया है और जो संकट आज हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, चीनी की जो अव्यवस्था दिखाई पड़ रही है, वितरण और इन्तजाम की जो परेशानी हो रही है वह उसी का परिणाम है। आपने हमारे गन्ना उत्पादक किसानों को सताया था। उसके परिश्रम के मुताबिक उसको गन्ने का मूल्य नहीं दिया गया और उसी के विरोध में उसने कम गन्ना पैदा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश के लोग मुसीबत का सामना उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी का हुकुम है, समय कम है, इसलिये मैं चन्द सुझाव हूं इसके बारे में दूंगा और आशा करूंगा कि मंत्री जी इनको अमल में लाने का प्रयास करेंगे।

मान्यवर, जैसा मैं कह रहा था हमारे चीनी उद्योग के साथ-साथ बहुत सारे उद्योग स्थापित किये जायं और उसको लेकर चीनी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही चीनी मिलों से जो रा-मैटीरियल निकलता है, उसका जो वेस्टेज निकलता है उससे दूसरे कारखानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके इस्तेमाल के लिये दूसरे कारखाने भी खोले जा सकते हैं। इस तरह से जो खोई निकलती है उससे कागज बनाया जा सकता है और सीरे से अल्कोहल बनाया जा सकता है। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आज पूरे देश और प्रदेश में पेट्रोल की कमी है। इन चीनी मिलों में जितना पावर अल्कोहल हम बना सकें उतना बनाना चाहिए जिससे कि वह गाड़ियों और मोटरों में पेट्रोल के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सके। खासतौर से चीनी उद्योग में लगे हुये जो विभाग हैं वे इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि डाक्टर विशन सिंह उत्तर प्रदेश की तरफ स्क्रुटिनी कमेटी में जो सेन्टर में बैठे हुये हैं वे जब यहां से कोई सुझाव जाते हैं तो उन पर वे कानूनी खुड़पेंच लगाकर उनको

वापस भेज देते हैं। इसलिये मेरी सिफारिश है कि मंत्री जी उनको वहां से हटाकर किसी विधायक का एम0 पी0 को उसमें रख दें ताकि चीनी मिलों के साथ साथ किसानों का भी फायदा हो और लाभान्वित हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्तावक महोदय से आग्रह करता हूं कि वे अपना कटौती का का प्रस्ताव वापस ले लें।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। मान्यवर, अधिकांश माननीय सदस्यों की राय है और उनको ज्ञान भी नहीं है कि पहाड़ों में भी गन्ना होता है। पहाड़ों में यदि देखा जाय तो कम से कम चार इंच मोटा गन्ना पैदा होता है जिसमें सबसे ज्यादा रस निकलता है और मोटा भी बहुत होता है। लेकिन इन 34 वर्षों में देश और प्रदेश की सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पहाड़ों पर चीनी का उद्योग खोला जाय। आज तक वहां पर जो गन्ना पैदा होता है उसका विकास किया गया होता तो वहां पर काफी मात्रा में गन्ना पैदा होता और वहां के लोग भी मैदानी क्षेत्र पर गुड़ और चीनी के लिये आश्रित न रहते। इसके अलावा विदेशों में चुकन्दर से भी चीनी बनती है। पर्वतीय क्षेत्र में चुकन्दर बहुत अधिक पैदा होता है जिससे चीनी वहां बनाई जा सकती है। इससे वहां के लोगों की आर्थिक हालत सुधरेगी और जो विदेशों से चीनी आयात की जाती है वह नहीं की जाती। पर्वतीय क्षेत्र में कोटद्वार, टनकपुर, हल्द्वानी तथा रानखेत में चीनी की मिलें स्थापित की जा सकती हैं जो चुकन्दर से चीनी बना सकती हैं।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में लोग चाय भी ज्यादा पीते हैं। वहां के लोगों को जो चीनी दी जाती है उसकी मात्रा बहुत कम है। प्रदेश के शहरी अंचलों में आप जितनी चीनी देते हैं उतनी ही चीनी आप पहाड़ी क्षेत्र में भी दें क्योंकि वहां अधिक ठंड होने से लोग ज्यादा चाय पीते हैं। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में भले ही चीनी की मिलें न लगें लेकिन गन्ने का जो छिलका जलाया जाता है अगर उससे कागज बनाया जाय, जैसा कि मेरा विश्वास है उससे कागज बनाया जा सकता है, तो उससे जहां हमको काफी धन मिलेगा वहां कागज की कमी भी दूर होगी। अभी तक पर्वतीय अंचलों में जो गाड़ियां गिरी हैं उसका एक मात्र कारण यह रहा है कि ड्राइवर शराब पिये हुए थे। अपने शराब पीने की बिलकुल छूट दे दी है। एक गाना है झूम शराबी झूम। जब मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया था तो एक-एक गिलास भी सबको पिला देते तो ठीक होता लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जब से पहाड़ों में शराब खुली तब से अल्मोड़े तथा पिथौरागढ़ में चार बसें गिर चुकी हैं। उनमें 40–42 आदमी मर चुके हैं और उसका मुख्य कारण यह था कि ड्राइवर शराब पिये हुए थे। मेरा आपसे अनुरोध है कि अमीरों को आप खूब पिलाइये लेकिन इन गरीबों पर रोक लगाइये, इनके बच्चों पर तरस कीजिये और उनकी जान को बख्शें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शेर बहादुर--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है । लगभग 84 प्रतिशत जनता खेती पर आधारित है, जो गांव में रहती है । आज कृषकों का सबसे बड़ा उद्योग गन्ना है और सबसे अधिक खेती गन्ने की होती है । इससे काश्तकारों को हर तरह से मदद मिलती है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां फैजाबाद में शाहगंज चीनी मिल और अकबरपुर और टांडा मिल पर काश्तकारों का डेढ़ दो लाख रुपया बकाया है तो वह बकाया किसानों को मिलना चाहिये । हमारे यहां अकबरपुर तहसील में गन्ने का दफ्तर कायम करने के लिये माननीय मंत्री जी को लिख दिया था और शासन से भी कहा था जिसका कोई जवाब नहीं मिला । लेकिन अब पता चला है कि वह दफ्तर फैजाबाद में कायम हो गया है जो कि एक छोर में पड़ता है । इस प्रकार हमारे यहां के किसानों को डेढ़ सौ किलोमीटर दूर आकर फैजाबाद से पेमेन्ट लेना पड़ता है । इसलिए वह दफ्तर अकबरपुर में कायम किया जाय ।

जफरगंज में शुगर मिल लगाने के लिये 1977 में प्रपोजल हो गया था जिसकी सभी शर्तें पूरी हो गयी थीं और 16 लाख रुपया जनता से हिस्से के रूप में इकट्ठा हो गया था लेकिन भूतपूर्व माननीय मुख्य मंत्री श्री रामनरेश जी ने उसे हटा कर दूसरी जगह लगा दिया । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसका लाईसेन्स रिन्यूवल किया जाय । शासन ने उसके प्रस्ताव देने के लिये तीन सप्ताह का समय दिया था तो वह समय भी पूरा हो गया है ।

पिछले महीने मसौधा मिल की चीनी पाकिस्तान जा रही थी उसकी स्मगलिंग हो रही थी जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी के सचिव श्री भूरेलाल जी ने गाजियाबाद में पकड़ा था जो एक लाख 65 हजार की चीनी थी । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ताकि इस तरह से स्मगलिंग न हो ।

गन्ना काश्तकारों कोऔर अधिक सुविधा दी जाय उनको अच्छे बीज उपलब्ध कराये जायं और गांव गांव में गन्ने की नरसरी तैयार की जाय और सेमिनार चलाये जायं जिससे गन्ने के काश्तकारों को अच्छी जानकारी हो सके । उनको अच्छे बीज इससे उपलब्ध होंगे तो गन्ने की पैदावार बढ़ेगी । (लालबत्ती जलने पर) मैं एक मिनट और चाहता हूं गन्ने के क्रय केन्द्रों को और बढ़ाया जाय और कम से कम एक न्याय पंचायत में एक क्रय केन्द्र होना आवश्यक है जिससे उन किसानों को जिनके पास सवारी के कोई साधन नहीं है जिन्हें कारखाने तक गन्ना ले जाने में अधिक खर्च करना पड़ता है वह बच जायेगा और कम कीमत पर क्रम केन्द्रों तक गन्ना पहुंचा सकेगा जिससे उसको अपनी जीवकोपार्जन करने में सुविधा होगी । इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं और माननीय विरोधी पक्ष के सदस्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री अकबाल हुसैन---

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । गन्ना मूल्य के संबंध में जो हमारी सरकार ने पिराई नीति अपनाई है उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आलोचना करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना 18.25 पैसे प्रति क्विंटल खरीदवाया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बलरामपुर चीनी मिल और तुलसीपुर चीनी मिल, जनपद गोंडा की ओर दिलाना चाहता हूं। नवम्बर महीने में बलरामपुर में 18.25 पैसे बाह्य क्रय केन्द्रों पर और 1,50 क्विंटल गेट पर खरीदा। इस प्रकार यह क्रम एक महीने तक चला और 4 लाख क्विंटल गन्ना जब खरीद लिया और कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की या दूसरी मिलों में जो गन्ने के मूल्यों में वृद्धि होगी उसी हिसाब से बढ़े हुए दाम शुरू से दे देंगे यह कह कर उन्होंने गन्ना क्रय किया लेकिन जो पर्ची दी उसमें जो दर का कालम था वह सादा छोड़ दिया गया और गन्ने के मूल्य का कालम सादा छोड़ दिया। उसके बाद जब आपने बढ़ाया और बढ़ाकर 22 रुपया किया, तब किसान ने उसके बाद बढ़ा हुआ मूल्य मांगा। तो उन्होंने 18.25 और 19.25 की दर से ही उन्हें भुगतान किया। जब उन्होंने इस तरह से गरीब किसानों के साथ धोखा किया और यहां तक कि सादी पर्ची छोड़ दी थी, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि गन्ना क्रय और आपूर्ति नियमावली के अन्तर्गत आपके विभागीय अधिकारियों ने गन्ना आयुक्त और 17 संयुक्त आयुक्तों ने उसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाये, उन्होंने उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? मैंने 27 दिसम्बर को ही इस सम्बन्ध में आपको एक पत्र भी लिखा था और आपने कहा कि उनको पूरा दाम दिलाया जाये, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका दाम 26 रुपया मिल रहा है, तो पूरब के किसानों को 18 रुपये का दाम देकर उनके साथ यह असमानता और अन्याय आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने संकट के समय 18 रुपये में मिलों को चीनी देकर देश को चीनी संकट से उबारने का जो सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए उनको आप सजा क्यों दे रहे हैं। उनको आप पूरा मूल्य दिलाने की कृपा करें। 21 रुपया और 19 रुपया हमारे पूर्व की चीनी मिलों से आपने गन्ना किसानों को दिलाया है। कहा जाता है कि आप यह मूल्य रिकवरी के आधार पर दिलाते हैं। इस तरह से भी यदि आप देखें तो ननौता और सरसावां (सहारनपुर) बुलन्दशहर, साथा, बरेली की चीनी मिलों में रिकवरी 9 प्रतिशत से भी कम है, जबकि हमारे पूरब में बस्ती चीनी मिल, तुलसीपुर और बलरामपुर चीनी मिलों की रिकवरी 10, 74, 9.47 और 9.48 प्रतिशत क्रमशः है। यह रिकवरी होते हुये भी आप वहां के किसानों को 18.25 रुपया का दाम दिलवा रहे हैं और जहां पर 8.87 या 8.80 प्रतिशत रिकवरी पश्चिम में है वहां पर आप 26 रुपया दिला रहे हैं, तो इस नीति में आप संशोधन करके पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को इस पेराई सत्र में समान मूल्य दिलायें। इसके साथ मैं एक मुख्य बात और कहूंगा, जो हमारा किसान खाद लेता है, उसको 18 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है और जो सहकारी संस्था से लेता है, तो उसे 13 प्रतिशत और 11 प्रतिशत ही देना पड़ता है, तो आप इस अन्तर को भी मिटाने की कोशिश कीजिए।

श्री राम कुमार भार्गव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं अपने मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर,

[श्री राम कुमार भार्गव—]

आज अपने बजट भाषण में मंत्री जी ने कहा कि गन्ना या खेत को राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिये। इस चीज को हम भी मानते हैं, लेकिन कुछ बातें जो सदन में ही हुई, उनके बारे में एक-आध बात कहने का मन है। जब माननीय ओझा जी बोल रहे थे उन्होंने इसके सन्दर्भ में कहा कि आज गन्ने का मूल्य कम है न समझ में आये तो मुझसे मैथमेटिक्स सीखकर और आप गुणा करके देख लीजिए। लेकिन मैं भी कहना चाहता हूं कि मैं मैथमेटिक्स का छात्र रहा हूं और इतना जरूर जानता हूं कि शून्य को किसी चीज से भी गुणा करेंगे तो शून्य ही रहता है। आपने अपने समय में उनका मूल्य शून्य ही दिलवाया था और खेतों में खड़ा गन्ना जलवाया था। मुझे बड़ी मजबूरी में यह राजनीतिक बात कहनी पड़ रही है। जब आपने लाखों किसानों को भूखों मारा, तो आपने किसानों के साथ ही गद्दारी नहीं की, बल्कि पूरे देश के साथ गद्दारी की थी। मैं मुख्य मंत्री और गन्ना मंत्री का बड़ा आभारी हूं कि आपने आते ही गन्ना किसानों का बकाया उनको दिलवा दिया और साथ ही इस बार पहली बार इस वर्ष का एडवांस पेमेन्ट भी करा दिया। इससे किसानों को लाभ के अलावा उनका उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री और गन्ना मंत्री वास्तव में बधाई के पात्र हैं।

भारत सरकार में एक स्क्रीनिंग कमेटी है जिसमें उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं श्री किशन सिंह जी हैं। अफसोस की बात है कि चीनी को राज्य का आर्थिक आधार मान कर चलते हैं और वहां पर जो सदस्य हैं, उनका किसानी से दूर तक भी वास्ता नहीं है। मेरा खुला आरोप है कि आप पुराने पिराई को देखें कि स्क्रीनिंग कमेटी ने कितने परसेन्टेज केसेज रिकमेन्ड किए हैं, कितने लाइसेन्सेज उन्होंने किए हैं। मेरी प्रार्थना है कि माननीय गन्ना विकास मंत्री जी अपने बजट भाषण में इस बात की खुली घोषणा करें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें और वहां पर उसके सदस्य के रूप में जिस स्टेट का कार्य हो वहां पर वहां का लोक सभा का सदस्य और विधान सभा का सदस्य जरूर होना चाहिए। मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करने का सरकार के पास सख्ती करने का कोई इरादा नहीं रह गया है यह कुछ माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे। हमारे माननीय मंत्री जी ने सिर्फ सख्ती शब्द का इस्तेमाल कर लिया तो एक माननीय सदस्य ने हंगामा मचा दिया अगर वाकई में सख्ती की होती तो मिल मालिकों का जुलुस लेकर आ जायेंगे। बरेली में काफी हंगामा हो चुका है। अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने हमारे माननीय मंत्री जी किसी से पीछे नहीं है। इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा एक सुझाव है कि शीरे और अलकोहल पर उद्योग लगायें जायं अगर ऐसा कर दिया जाय तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो देश में कागज की कमी है उसके लिए खोयी का उद्योग लगाकर इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। इससे जितना भी प्रोडक्शन होगा वह यहीं पर खप जायेगा और हमें बाहर से कागज नहीं मंगाना पड़ेगा। मेरी मंत्री जी से यह भी प्रार्थना है कि मिट्टी की जांच कराकर अच्छे खाद और अच्छा बीज भी दिलाया जाय।

मेरे क्षेत्र में आपके द्वारा यहां से खाद और बीज भेजा गया पर शायद ही किसानों तक वह पहुंच पाता है। यह सरकार की जिमेदारी है कि जिसके पास कोई चीज भेजी जाय वह उस हाथों तक अवश्य ही पहुंच जाय। आप अपने ब्लाकों के जरिये से खाद और बीज किसानों

तक अवश्य पहुंचा दें ताकि पैदावार अच्छी हो। इससे हमारा आर्थिक आधार मजबूत होगा।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदानों का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह––

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर अपना समय दिया है, उन सभी लोगों का मैं आभारी हूं।

माननीय सदस्यों ने अपनी चर्चा में कुछ बातें कहीं थीं उनके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। माननीय सोमांश प्रकाश जी ने एक बात कही थी कि वर्ष 1977–78 में किसानों की बड़ी दुर्दशा हुयी थी। यह बात और भी कई माननीय सदस्यों ने कही और यह भी कहा कि 1977–78 में किसानों को अपना गन्ना जलाना पड़ा था। बात सही है। लेकिन इस वर्ष (1977–78) में जितनी गन्ने की पैदावार हुई थी इस प्रदेश के इतिहास में उतना गन्ना आज तक कभी पैदा नहीं हुआ है। लगभग 76 हजार थाउजेंड टन गन्ना हुआ था। इस प्रदेश की चीनी मिलों, खंडसारी यूनिटों और कोल्हुओं की इतनी क्षमता ही नहीं थी कि उस पूरे गन्ने की खपत वे कर सके। लाजिमी रूप से किसानों को कुछ कठिनाई उठानी पड़ी। वर्ष 1969–70 में यह 6'600 हजार टन गन्ना पैदा हुआ था। जब उस समय माननीय सत्ता दल के सदस्य की ही सरकार थी तो उस समय भी चीनी मिलें जुलाई माह तक चली थीं और चीनी मिलों ने गन्ने का दाम घटा दिये थे। 1977–78 में एक तरफ तो गन्ना अधिक पैदा हुआ, दूसरी तरफ गन्ना मिलों को पेरने की क्षमता भी कम थी। जब किसान ऊब गया वह दूसरी फसल बोना चाहता था, इसलिए उसने गन्ने को जलाया। मगर यह भी सही है कि 1978–79 में पिछले वर्ष के गन्ने को प्राथमिकता के आधार पर पिरवाया गया। और वही दाम दिलवाया गया जो पिछले साल किसानों को मिला था। आपकी पार्टी की सरकार ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। इसे भी आप देख लें।

माननीय सदस्यों ने एक राय पूर्व, पश्चिम और मध्य की कही रेट के बारे में। पूर्व में भी ऐसी फैक्टरीज हैं जिनकी रिकवरी साढ़े 10 से ऊपर है और पश्चिम में ऐसी फैक्टरीज भी हैं जिनकी रिकवरी साढ़े 8 के लगभग है। भारत सरकार ने पिछले वर्ष यह निर्णय भी लिया था कि जिन चीनी मिलों की क्षमता साढ़े बारह हजार क्वीन्टल से कम है उनकी चीनी के दाम 20–25 रुपये अलग से ज्यादा दिये जायेंगे ताकि उनको नुकसान न होने पाये। तब सरकार को पूर्व पश्चिम और मध्य का प्रश्न लाकर गन्ने की मूल्यों में भिन्नता रखने की बात नहीं करनी चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं। गन्ना विभाग के अन्तर्गत बहुत सी प्राइवेट चीनी मिलें ऐसी हैं जहां रिसीवर नियुक्त हैं। बहुत सी चीनी मिलें ऐसी हैं जिनमें बुक वैल्यू से कहीं अधिक धन सरकार ने अपना उनको दे रखा है। मेरी मांग है कि जितनी भी ऐसी चीनी मिलें हैं जो रिसीवरशिप के अन्डर में और जहां पर सरकार ने बुक वैल्यू से अधिक धन लगा रखा है, उन सभी चीनी मिलों को सरकार को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। उन चीनी मिलों का

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह--]

मिल मालिकों के पास रहने का कोई औचित्य नहीं है। मेरी एक मांग यह भी है कि इस वित्त पोषण योजना को समाप्त कर देना चाहिए। जैसा कि अकबाल साहब ने भी कहा, गन्ना समितियां साढ़े 18 प्रतिशत पर लोन दे रही हैं, जब कि बगल वाली समितियां 12-13 प्रतिशत पर लोन दे रही हैं। इसलिए वित्त पोषण योजना को समाप्त कर देना चाहिए।

कोआपरेटिव ऐक्ट और कोआपरेटिव रूल्स में कुछ चुनाव सम्बन्धी संशोधन किये गये हैं। एक संशोधन यह भी है कि जो भी ऐसी सोसाइटी हैं जिनमें यह गन्ना समितियां आती हैं उनके चुनाव डायरेक्ट मेम्बरशिप से करायें जायेंगे, जो प्राइमरी सोसाइटियां हैं और जो गांव की सोसाइटियां हैं, उनके लिए तो यह वास्तविकता हो सकती है। लेकिन हमारी जो गन्ना सोसाइटी ऐसी हैं, जहां पर 42 हजार से 45 हजार तक सदस्य हैं, उसमें यह भी है कि चुनाव मुख्यालय पर कराया जाय। अगर आधे भी डेलीगेट्स (मेम्बर्स) वहां पर उपस्थित होते हैं तो कितना बड़ा हंगामा वहां पर उपस्थित हो जायेगा और वह चुनाव हो भी नहीं पायेगा और हो भी नहीं पा रहा है। इसलिए चुनाव की प्रणाली में कोआपरेटिव ने जो किया है, जो भी आप उचित समझें इस पर विचार विमर्श करने के बाद उसमें संशोधन होना नितांत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

समय का भी ध्यान रखें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

कितने समय में खत्म करना है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

दो मिनट आप और बोल लें। पौने 5 पर मतदान कराना है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

अभी हमारे एक सदस्य देवरिया के यह कह रहे थे कि खान्डसारी मिल की उपयोगिता नहीं है क्योंकि उनकी रिकवरी कम होती है। जहां तक मेरी जानकारी है जिस दिन बजट होता है, उस दिन माननीय सदस्य को इसके बारे में कुछ जानकारी कराई जाती है। तो मान्यवर, आपको अपने सदस्य को इस तरह की जानकारी तो करा ही देनी चाहिए थी। अगर यह खान्डसारी मिल न होती, तो अकेले चीनी मिल, आज चीनी उपलब्ध न करा पाती और न गन्ना किसानों को उनके गन्नों का मूल्य ही मिल पाता। इसको तो आप स्वयं समझ सकते हैं। अगर कुछ खान्डसारी की यूनिट और आ जायं तो गन्ने का रकबा भी बढ़ेगा और बार-गेनिंग पावर भी बढ़ेगा। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस बजट के चर्चा में हिस्सा लिया और जहां आलोचना की सरकार की, वहीं अपने अच्छे सुझाव भी दिये और यह तो परम्परा है, वह उन्होंने अपने ढंग से उसको निभाया है। मान्यवर,

2-3 बिन्दु हैं जो भाई दिवाकर विक्रम सिंह जी ने, जिनपर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर, उसमें वित्त पोषण की योजना और गन्ने की जो नई प्रजातियां हैं, उनको निकाले जाने के सम्बन्ध में और खासतौर से पूरब और पश्चिम का जो फर्क है, गन्ने की प्रति कुंटल कीमत में उसकी ओर आकर्षित किया है। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में कुछ राय रखता हूं और गन्ना विकास के विषय में सादर निवेदन करना चाहता हूं कि 1976 में सी0 ओ0 एस0 678, सी0 ओ0 एस0, 758 बैरायटी रिलीज की गयी थी। वहीं 1977 में सी0 ओ0 एस0 770 1979 सी0 ओ0 एस0--787, सी0 ओ0 एस0-780, सी0 ओ0 एस-737, सी0 ओ0 एस0-767 रिलीज की गयी थी और अब वर्ष 1980-81 में सी0 ओ0 एस0-802 रिलीज की गयी है। इस विषय में माननीय सदस्य मुरादाबाद ने भी मेरा ध्यान आकर्षित किया था कि उनको रिलीज होने वाली नई बैरायटी उपलब्ध नहीं हो सकी। मान्यवर, शुरू में जब कोई बैरायटी रिलीज होती है, तो बीज की कमी होती है।

मुझे वह युग भी याद है जब बहुत साल पहले सन् 1964-65 में हम लोग प्रदर्शनियों में जाते थे और 1 रु0 के 4-4, 5-5 दाने गेहूं के खरीद कर लाकर गमलों में उगाया करते थे। फाउन्डेशन स्टाक, प्राइमरी स्टाक जितना भी है, वह सब शुरू में बहुत प्रचलित हुआ था। कल जब मैं अपने विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहा था, तो पता चला नये बीज का एक सेट मांगने के बाद भी दूसरे प्रदेशों से नहीं मिला। हमारे वैज्ञानिकों के मन में इस प्रकार की भावना रहती है कि अगर एक भी सेट उत्तर प्रदेश की सरकार प्राप्त कर लेगी तो वह बीज अपने यहां काफी पैदा कर लेंगे और उनको श्रेय नहीं मिल पायगा। जबकि इस प्रदेश की सरकार इस प्रदेश के निवासी दूसरों की मदद करते हैं चाहे खुद वे कठिनाई और तंगी में क्यों न रहें। अगर देखें तो कोई भी बैरायटी 9 से 11 साल में निकलती थी। हमारे वैज्ञानिकों ने इतना काम किया है कि वे 6 से 7 साल में उसे निकालने में सक्षम हो गये हैं। गन्ना शोध संस्थान में जहां काम हो रहा है जहां बीजों की नर्सरी का उत्पादन कराया जा रहा है, वहां इस विषय में और ज्यादा ध्यान दिया जायगा वहीं सरकार ऐसा काम करेगी अगर हम प्रदेश में गन्ने की खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं तो यह आवश्यक है। वित्त पोषण योजना जब से लागू हुई, गन्ना समितियां कमजोर हो गई हैं। अगर इनको उबारा नहीं गया तो यह मृतप्राय तो हैं ही, समाप्त भी हो जायेंगी। वित्तपोषण योजना को समाप्त कराने के लिए और जिस प्रकार से सहकारी संस्थायें उत्तर प्रदेश के अन्दर बीज, खाद के लिये लोन देने का कार्य करती हैं उस प्रकार से इनको सक्षम बनाये जाने के लिए प्रदेश सरकार ने काफी पहले भारत सरकार को लिख दिया है। मुझे आशा है कि हम अपने इस मिशन में सफल होंगे और इसके लिए हमें हमारे सब विद्वान साथियों की मदद की आवश्यकता है।

मान्यवर, रिक्तियों की बात कही गई। मैंने अबसे कुछ पहले देखा था और इस बात का विवरण भी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है कि कहां-कहां कितनी रिक्तियां हैं, जिसकी वजह से हमारा काम पिछड़ता चला जा रहा है। एक फार्मूले की बात भी हमारे एक विद्वान सदस्य ने कही, जिसके आधार पर आपने कहा कि "किदवई फार्मूले" के आधार पर गन्ने की कीमत तय की जाय। मुझे अभी तक

[श्री भानु प्रताप सिंह--]

यह देखने को मिला नहीं है । जहां तक मुझे मालूम है इस प्रकार का कोई भी घोषित या लिखित फार्मूला हमारे किसी भी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।

एक सदस्य--

सिसमा फार्मूले के नाम से तलाश कराइये ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मैं आपके सुझाव पर उसे दिखलवा लूंगा ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जो गन्ने की कीमत तय होती है उसके आधार पर आपने तय किया । मैं यह बात जानता हूं कि पहले वर्ष 1947-48 में क्या चीनी का "कौस्ट स्ट्रक्चर" था, जिसमें परिवर्तन पहले और अब के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो चुका है । वैज्ञानिक ढंग से इसको इन्डियन टैफिक कमीशन करता आया है । ब्यूरो आफ कास्ट एन्ड प्राइस कमीशन करता आ रहा है । चीनी का लेवी मूल्य जो....

श्री मोहन सिंह--

"टेरिफ" है, "ट्रेफिक" नहीं ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

(पुनः उच्चारण करते हुए) "टेरिफ" ।

श्री हरिवंश सहाय--

आपने गलत कहा था ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मैं क्षमा चाहता हूं । चीनी का लेवी मूल्य जो गन्ने के न्यूनतम मूल्य पर आधारित होता है उसको भारत सरकार तय करती है, इस प्रकार की व्यवस्था है । अभी हम क्या व्यवस्था करें यह लम्बी चर्चा है । मैं समझता हूं कि पूर्व और पश्चिम का जो फर्क उठाया था उसको बहुत पहले सितम्बर में भी विभाग के अधिकारियों से चर्चा मैंने किया था और उस समय प्रश्न उठा था कि पूर्व की जिन मिलों में पश्चिम के बराबर रिकवरी आती है उनमें मूल्य पश्चिम के प्रति क्विंटल के बराबर दिये जाने में क्या हर्ज है, तो यह आज ही प्रश्न नहीं आया है बल्कि पहले से भी यह प्रश्न उठता आया है । वर्ष 1969 और 1974 में भी जब मैं इस सदन में था तो उस समय भी यह विषय उठा था और आज तक इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई । मैं समझता हूं कि जहां आप ऐसा चाहते हैं वहीं हमारे दिल में भी कोई कलुष पूर्व के लोगों से नहीं है । हमें अपने प्रदेश के सभी किसानों को लाभ करने में खुशी होगी और हम मदद करना चाहते हैं । मान्यवर, यह प्रदेश विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों से बंटा है और वहीं जहां आपने कहा कि रिकवरी कम या ज्यादा आती है तो उसमें किसानों का क्या कसूर है । इस सम्बन्ध में 7 सितम्बर को उत्तर प्रदेश की किसान सेल की कमेटी में चर्चा हो चुकी है और अलग-अलग में भी चर्चा हो चुकी है । मान्यवर, आपने ध्यान दिलाया कि गन्ने की कीमत जो बढ़ायी है वह किसी दबाव के तहत बढ़ायी है, तो मैं इसका प्रतिरोध करता हूं और अनुरोध करता हूं कि

सरकार कोई ऐसे दबाव में आने वाली नहीं है बल्कि सही स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् निर्णय लेना चाहती है और जब-जब ऐसा अवसर आया है सरकार ने उचित निर्णय लिया है ।

मान्यवर, श्री रियासत हुसैन ने दो चीजें कहीं और जिनमें कुछ सदस्यों ने भी आरोप लगाते समय कहा कि सरकार पूंजीपतियों की मदद करती है और किसानों के पैसे से उनकी झोली भरती है और फिर पूंजीपतियों के पैसे से यहां हम कुर्सी पर बैठे हैं, तो इस सम्बन्ध में मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं, और वह इसलिए कि अब आप भी उस पक्ष में बैठे हैं जहां हम कभी बैठे थे । इसके पहले आपको भी अवसर मिला था, शायद मोहन सिंह जी को वह शेर पसन्द आ जाय ।

कौन याचना करे किसी से प्यार की,
हर मंदिर की प्रतिमायें पाषाण हैं,
जिस प्रसून को देखा है मैंने पास से,
उस पर पहले से पड़े निशान हैं ।

तो मान्यवर, यह जो प्रक्रिया दोहराते आये हैं, जो काम यह करते आये हैं उसको यह सरकार नहीं करती है । मान्यवर, जब गन्ने का मूल्य तय करने की बात आई तो यह तहखाने में चले गये लेकिन हम नहीं गये और गन्ने का मूल्य तय किया । मान्यवर, आज कोई भी उत्तर प्रदेश का पूंजीपति मन्त्री के चैम्बर में चाय नहीं पीता है ।

श्री मोहन सिंह--

अब तो मन्त्री जी स्वयं उनके चैम्बर में जाते हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने आलोचना करते हुए कहा कि सिंथेटिक एन्ड केमिकल्स से पैसा नहीं वसूला गया, उनसे बिके हैं । भाई मोती लाल वेहलवी को मैं बताना चाहता हूं, कि आप तो इंसान के बच्चे को मोटर में नहीं ले जाते थे और उनसे नफरत करते थे लेकिन कुत्ते को अपनी मोटर में बैठा कर ले जाते थे । इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सिंथेटिक एन्ड केमिकल्स पर कितना धन बकाया है इसकी जांच करा ली जायेगी मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली है जिसके अनुसार उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है जिससे कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हो सकी है ।

मान्यवर, दूसरी बात मुरादाबाद के भाई रियासत हुसैन ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहा कि सरकार पूंजीपतियों से मिली है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जितने भी उस पक्ष में बैठे हैं जब यहां बैठे थे तो किसानों के साथ दुराव बरता । हमारे भाई दिवाकर विक्रम सिंह ने कहा कि चौधरी चरण

[श्री भानु प्रताप सिंह--]

सिंह के जमाने में गन्ने का सबसे अधिक मूल्य मिला मैं इससे सहमत हूं कि 2 रुपया प्रति कुन्तल गन्ने की कीमत थी ।

(व्यवधान)

मैं अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करता हूं । मैं यह कह रहा था कि क्रशर वालों से आप उनकी रक्षा नहीं कर सके तो मिल वालों से आप उनकी क्या रक्षा करते । आप मिल वालों को 25 पैसे कर में छूट दिया हमने 9 रुपया कीमत क्रेशर पर फिक्स की थी आपने क्रेशर को साढ़े 6 रुपया तय की उन्हें ढाई रुपये की छूट दी इन लोगों का हिसाब तो वह हैं माननीय सदस्य मुरादाबाद भी एक शेर सुन लें--

जिन्हें प्यास कम उन्हें दम ब दम,
जो हैं तिसने लब, उन्हें कम से कम ।
ये शाकिया पे तेरे मयकदे का
निजमा है या कि तेरा मजाक है ।

मान्यवर, यह जो आरोप लगा रहे हैं किसान का गन्ना जब खेतों में जलाया जा रहा था, उनके बच्चे दवा न मिलने के कारण मर रहे थे, जाड़े में उनके पास कपड़े नहीं थे उस समय इनका यह ज्ञान कहां गया था । मान्यवर, इन्होंने कोई हथकन्डा कृषकों को दबाने और पूंजीपतियों को मदद करने का छोड़ा नहीं । आज हम पूंजीपतियों की मदद करने की इच्छा नहीं रखते, सारा उत्तर प्रदेश और उसकी सरकार पूंजीपतियों की मदद नहीं करना चाहती है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसान ने हमें इस कुर्सी पर बैठाला है वह सबल नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है । मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अपने द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने ब्यूरो आफ कास्ट प्राइज की बात कही है ।

श्री रियासत हुसैन--

ऐसा मालूम होता है कि मन्त्री के आखिरी लफ्ज से सिद्ध होता हैं कि रस भी पी गये और साथ ही मद भी पी गए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10--आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की रशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10--आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,64,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54--गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,95,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,28,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77--आबकारी विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77--आबकारी विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत

[श्री अध्यक्ष--]

धनराशि के अतिरिक्त 2,5,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--92--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)-पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,17,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 120--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)-ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 120--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,66,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनायें आज प्राप्त हुयी हैं । इनमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, राजेन्द्र अग्निहोत्री ने एक सूचना दी है, इसी प्रकार कीसूचना माननीय हरिवंश सहाय और माननीय नन्द किशोर सिंह जी की थी, जोनियम 51 में स्वीकार हुयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसको पढ़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

यह दिनांक 15 मार्च, 1981 को लखनऊ मेडिकल कालेज के जूनियर डाक्टरों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के फलस्वरूप जूनियर डाक्टरों द्वारा आपात एवं अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर शेष काम काज ठप्प करने के सम्बन्ध में है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आपके माध्यम से सरकार द्वारा यह जानकारी चाहता हूं कि अब तक इस ओर सामान्य स्थिति को कायम करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, इस पर प्रयास जारी है, सामान्य स्थिति बनाने के लिए ।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी की कांग्रेस (आई) की सदस्यता से कथित त्याग-पत्र के सम्बन्ध में कही गयी बातों पर आपत्ति

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहूंगा कि जैसा कि सबेरे सम्मानित सदस्य, श्री मोहन सिंह जी ने सदन में एक सूचना दी थी कि हमारे दल के एक सदस्य, श्री अशोक बाजपेई ने सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है तो मैं समझता हूं कि ऐसे जिम्मेदार लोगों को ऐसी असत्य बात को नहीं कहना चाहिए वह सदस्य अभी भी हमारे दल में मौजूद हैं, उन्होंने किसी प्रकार का कोई त्याग-पत्र आज तक तो नहीं दिया है, जिसकी जानकारी सम्बन्धित सदस्य से भी की जा सकती है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था और जब माननीय मंत्री जी ने सूचना दे ही दी है तो हमको स्पष्टीकरण देना वाजिब हो गया । (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण दिलवा दीजिए कि क्या कोई पत्र श्री अशोक बाजपेई ने मंत्री जी को दिया है या नहीं ? (शोर)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैंने प्रातः काल यह कहा था कि कांग्रेस (आई) के एक नेता हैं, श्री अशोक बाजपेयी (शोर) ने किसी नेता से कहा कि उन्होंने पार्टी को एक पत्र लिखा है कि गृहराज्य मंत्री, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी वह बहुगुणा के आदमी हैं और उन्हीं के दल के लोगों को अधिक श्रेय देते हैं, संरक्षण देते हैं और कांग्रेस (आई) के लोगों को पिटवाते हैं । (शोर)

श्री अशोक कुमार बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि न ही मैंने सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दिया है और न ही कांग्रेस (आई) की

[श्री अशोक कुमार बाजपेयी--]

लेजिस्लेटिव पार्टी से किसी प्रकार का त्याग-पत्र दिया है और न ही मैंने कोई इस आशय का पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा है । (शोर शेम-शेम की आवाजें ।)

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, अभी माननीय मोहन सिंह जी ने स्पष्टीकरण देने का अधिकार प्राप्त कर लिया था उसी तहत मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं । माननीय मोहन सिंह जी संयोग से 3 साल पहले के सदस्य हैं, इसलिए इनको पुराना सदस्य तो कहा जा सकता है । मान्यवर, यह जो भी बोलते हैं, वह आगे चलकर संसदीय परम्पराओं का इतिहास बनेगा । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में जब भी भाई मोहन सिंह जी कोई सूचना दें, तो उसकी सत्यता पर गौर मान्यवर, आप कर लें और आप इन्हें असत्य आरोप न लगाने की हिदायत भी कर दें और उनको सदन में प्रताड़ित करने की भी कुछ व्यवस्था कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी माननीय सदस्य एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं, तो मैं समझता हूं कि यह प्रत्येक सदस्य की मर्यादा पर ही इसका असर नहीं पड़ता बल्कि सदन के बाहर भी प्रजातांत्रिक प्रणाली पर भी इसका असर पड़ता है, जिनके बल पर आप यहां बैठे हैं ।

प्रदेश में चीनी वितरण के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा मांगी गयी सूचना पर खाद्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

दूसरी बात यह है कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक सूचना दी है, जिसमें यह कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चीनी न तो कोटेदारों द्वारा बांटी जायेगी और न ही सरकारी संस्थानों से अतः कल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किसी को भी चीनी नहीं मिलेगी होली के त्योहार पर । कल से विधान सभा की बैठक नहीं होगी । अतएव आज ही ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि इस निर्णय के बाद सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जायेगी । मैं चाहता हूं कि माननीय सहकारिता मंत्री कुछ कहना चाहते हैं इस सम्बन्ध में, उसे सुन लिया जाय ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सहकारी समितियों के माध्यम से चलाने का शासन का निर्णय 1 जनवरी, 1981 से कार्यान्वित हो रहा है। इस निर्णय के विरुद्ध निजी व्यवसाइयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ तथा इलाहाबाद पीठिकाओं के समक्ष अनेक याचिकायें दायर की गयीं । माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा याचिकाओं को अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके विरुद्ध निजी व्यापारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गये । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शासन के निर्णय की पुष्टि करते हुए निजी व्यापारियों द्वारा दायर अपीलों को अस्वीकृत कर दिया गया । इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ द्वारा 6 जनवरी

से स्थगन आदेश निजी क्षेत्र के सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदारों को लगातार दिये जाते रहे। यह भी आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया कि जनवरी का आवश्यक वस्तुओं का कोटा याचिकों को दिया जाय। इन स्थगन आदेशों के विरुद्ध शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गयी, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया। 20 फरवरी, 1981 को जब उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ ने फरवरी का कोटा याचिकों को देने का आदेश किया, तो शासन द्वारा पुनः सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गयी। दिनांक 2 मार्च, 1981 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शासन की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों को स्थगित कर दिया किन्तु दिनांक 9 मार्च, 1981 को निजी क्षेत्र के सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदारों की प्रार्थना पर अपना स्थगन आदेश वापस ले लिया और व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ शीघ्रता से लम्बित याचिकाओं का निस्तारण कर देगी। माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ ने 13 मार्च, 1981 को यह आदेश किया कि न तो निजी क्षेत्र और न सहकारी क्षेत्र को मार्च का कोटा दिया जाय। साथ ही उन्होंने 16 मार्च की सुनवाई तय की किन्तु उस दिन सुनवाई न कर 17 मार्च यानी आज सुनवाई करते हुए उन्होंने आदेश दिया है कि वे अब 25 मार्च को सुनवाई करेंगे। शासन द्वारा की गयी यह प्रार्थना कि होली के अवसर पर चीनी नहीं बंट पायेगी और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लखनऊ पीठ के निर्णय की पुष्टि की जा चुकी है तो इलाहाबाद पीठ के सम्मुख जो याचिकायें हैं वे निरस्त हो जानी चाहिये, स्वीकार नहीं की गयी है।

परिणाम यह है कि अब शासन न्याय पाने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील करने को पुनः बाध्य हो गया है। किन्हीं अज्ञात कारणों से उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ, जनता की कठिनाइयों की ओर ध्यान न देते हुए शासन के इस कल्याणकारी कार्य में सहयोगी नहीं हो पा रही है। हम माननीय उच्च न्यायालय की गरिमा का सम्पूर्ण आदर करते हुए किसी टकराव के रास्ते पर चलना नहीं चाहते हैं--

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह आक्षेप है। हमने उच्च न्यायालय के निर्णय पर कमेन्ट नहीं किया। इस तरह का आक्षेप जो है मान्यवर, गलत है। मान्यवर, इस पर आप आदेश दें।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह--

यह आक्षेप नहीं है। माननीय गुप्त जी की परिकल्पना है। जनता को अपार कष्ट हो रहा है। होली जैसे अपूर्व पर्व पर वांछनीय वस्तुएं जनता को नहीं मिल पा रही हैं। शासन इसके लिए कृत संकल्प है कि वितरण प्रणाली को सुचारु रूप से चलाया जाय। जो भी इसमें रोड़ा अटकाना चाहेगा शासन उसे सहन नहीं करेगा। इससे शासन की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वासुदेव सिंह---]

सदस्यों और प्रदेश की जनता को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मैं प्रयत्न करूंगा....।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक बड़े ईशू पर मंत्री जी ने वक्तव्य दिया लेकिन उसका एक अंश स्पष्ट रूप से ऐसा जाहिर हो रहा है जैसे कि हाई कोर्ट से ऊपर कोई बिथिन स्टेट दूसरी अदालत हो जिसके रिफरेंस के आधार पर मंत्री जी का वक्तव्य है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह अंश जिसमें मंत्री जी ने कहा है कि हाई कोर्ट किसी क्षेत्र के अन्दर बाधा नहीं बन सकेगा, हम यह करेंगे, वह करेंगे, इसके पहले कि कोई फैसला हो, इस तरह की चीज उचित है ?

श्री अध्यक्ष---

मैं वह वक्तव्य मंगा लूंगा, उसको देख लूंगा और मैं और यह सदन इस मत का है, रहा है, कि न्याय पालिका पर कोई आक्षेप न हो।

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह--

मैंने जो कुछ कहा है उसका कोई मतलब उच्च न्यायालय पर किसी किस्म का आक्षेप नहीं, वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए मैंने सदन को बताया है कि हाई कोर्ट द्वारा अगर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो हम कलेक्टर द्वारा भी बंटवायेंगे....

(व्यवधान) (तालियां) (शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, इस तरह से नारे लगा कर चीनी की बात साफ नहीं हुई, मतलब है कल से चीनी नागरिकों को कैसे मिलेगी ?

श्री अशोक कुमार बाजपेयी---

मान्यवर, तीन दफा उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता जी को सेंसर किया है न्यायालय ने कि वह इस केस में प्रिपेयर होकर बार-बार नहीं आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित करें कि जो केस है हाईकोर्ट में....

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, मैं फिर एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो इस समय बात कही कि मैं हर तरीके से चीनी बंटवाऊंगा, ठीक है, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जब एक मैटर सब-जुडिस है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला अवेटेड है, उसके निर्णय लेने से पहले क्या उसके ऊपर इस तरह से, एक अपने डिटरमिनेशन की शकल में, शासन की तरफ से संकेत दिया जाना क्या उचित होगा ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह बात सही है कि जो महत्वपूर्ण समस्या हमारे पास है उनका निदान नियमों के अधीन होने की आवश्यकता है लेकिन जो प्रश्न मैंने उठाया था और जिस पर मंत्री जी का वक्तव्य आया है उससे हमारी संसदीय परम्पराओं और हमारे संविधान के ऊपर प्रहार हो रहा है और जैसा कि रियासत हुसैन साहब ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय चाहे सही हो या गलत हम उस पर अपील करने जायेंगे लेकिन जब तक अपील का कोई फैसला नहीं होता तब तक उस निर्णय के ऊपर कोई आपत्ति या टिप्पणी क्या की जा सकती है और क्या इस तरह की बात कही जा सकती है ?

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, जहां तक जनता के हित का प्रश्न है मा0 प्रोफेसर साहब ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है । हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप चीनी बंटवायें ही नहीं । सहकारिता वाले न बांटें, लेकिन इनके पास फौज है किसी से भी बंटवायें, जैसे कि कहा गया कि कलेक्टर से बंटवायेंगे तो इनके लिए बधाई देता हूं प्रोफेसर साहब को ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक ऐसी सूचना दी, जिसको इस समय हमारी प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सूचना को सदन के समक्ष रखने और उस पर विचार करने की पहले की कोई परम्परा नहीं है, लेकिन कभी-कभी जब विषय इतना गम्भीर हो जाता है तो सदन की अनुज्ञा से, सदन की राय से इस तरह के प्रश्न को रखा जा सकता है। इसी सन्दर्भ में जैसा कि आपकी सूचना में था, उनकी आशंका जो उन्होंने व्यक्त की थी कि कैसे वितरण होगा, क्या होगा, इस सम्बन्ध में जानकारी चाही थी । मैंने मा0 मंत्री जी से इस सम्बन्ध में जानकारी पूछी और मा0 मंत्री जी ने पूरी सूचना देते हुए अपनी सूचना बताई । इस बीच में एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे न्यायपालिका पर आक्षेप आता है तो मैंने स्वतः भी कहा कि मैं उसे देख लूंगा क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं कि उसमें क्या कहा गया है और सदन में न्यायपालिका के सम्बन्ध में कोई आलोचना करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इसके बाद अब जो मूल प्रश्न है वह प्रश्न अपनी जगह पर है कि न्यायपालिका का उच्च न्यायालय का आदेश है कि न व्यक्तिगत वितरक बांटे और न सहकारी वितरक बांटे । इस आदेश का पालन उन्होंने कहा मैं करूंगा । अब दूसरी तरफ इस आदेश के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है । उसके लिए आपने कहा कि हम तत्काल कार्यवाही कर रहे हैं । इन दोनों कार्यवाहियों के साथ-साथ अब इनका कथन है

[श्री अध्यक्ष]

कि किस तरह से चीनी का वितरण करेंगे । अब यह शासन का कार्य है कि शासन इसको देखे कि उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न हो और जनता की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय (तालियां) ।

फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार, फर्रुखाबाद में जेल वार्डर के गुमशुदा लड़के का शव बरामद होने से व्याप्त असन्तोष एवं आतंक के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

श्री कैलाश चन्द्र, बन्दी रक्षक ने 27 फरवरी, 1981 को केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ के अधीक्षक को प्रातः 7-30 बजे बतलाया कि उसका लड़का राम नरायन 26 फरवरी, 1981 की शाम के 5 बजे से घर नहीं आया है । तमाम जगह ढूंढ़ने पर भी उसका पता नहीं चला था । कैलाश चन्द्र, अधीक्षक से आज्ञा लेकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गया और थाना फतेहगढ़ में उसने 8-15 बजे लिख कर दिया ।

मेरा पुत्र राम नारायण सायं 5 बजे दिनांक 26-2-81 दिन गुरुवार से लापता है । श्रीमान जी हम सभी लोग लगभग सभी सम्बन्धियों के यहां तलाश कर लिया है । अभी तक पता नहीं लग रहा । तलाश जारी है । अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ।

दिनांक 7 मार्च, 1981 को प्रातः 9 बजे के करीब केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ के द्वितीय चक्र के कैदी नम्बरदार ने सूचना दी कि बैरेक नम्बर 6 में एक बच्चे का शव लटका हुआ है । अधीक्षक तत्काल जेल के कर्मचारियों के साथ बैरक में पहुंचे, जो 1976 से गिरी पड़ी थी और जिसमें बन्दी बन्द नहीं किये जाते थे । वह स्थान निर्जन हो गया था । वहां जाकर उन लोगों ने देखा कि उस खंडहर बैरक की आखिरी कोठरी की दीवार की दरार में एक बच्चे की लाश खड़ी स्थिति में फंसी हुई है । कोठरी में एक जोड़ी चप्पल और कुछ कपड़े भी इधर उधर पड़े हुए थे, कोठरी के दरवाजे के बाहर एक गड्ढा भी खुदा हुआ था । उसी समय बन्दी रक्षक कैलाश चन्द्र आ गया और उसने शव को पहचान कर उसे अपने खोये हुये पुत्र राम नरायन का बतलाया अतः कारागार अधीक्षक ने लाश मिलने की सूचना तुरन्त पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और कारागार महानिरीक्षक को दी । सूचना मिलते ही पुलिस घटना-स्थल पर पहुंची । उसने लाश को अपने कब्जे में ले लिया और धारा 364/302/201 भारतीय दण्ड विधान के अधीन सरकार बनाम अज्ञात मुकदमा कायम करके तफतीश प्रारम्भ कर दी । 8 मार्च को बच्चे के शव के मरणोपरान्त परीक्षण से पता चला कि बालक की मृत्यु 5 से 10 दिन पूर्व गला घोटने से दम घुटने के कारण हुई । पुलिस की तफतीश जारी है ।

वार्डर का लड़का, जिंदा या मुर्दा, कारागार के भीतर कैसे पहुंच गया, इसके लिए जिम्मेदार चक्राधिकारी, तीनों गेट कीपर, गुमटी के जमादार, चक्र के प्रधान बन्दी रक्षक एवं चार बन्दी रक्षक को निलम्बित कर दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एशिया में यह फतेहगढ़ जेल सब से बड़ा जेल कहा जाता है और हिन्दुस्तान के जेलों के इतिहास में यह अपने प्रकार की अभूतपूर्व घटना है जेल के

अन्दर शव का पाया जाना । 27 तारीख को यह घटना होती है, 7 तारीख को इसकी रिपोर्ट हो जाती है, आज 17 तारीख है । यह जो मुकदमा हुआ अज्ञात नाम से इतने दिनों में इसकी तफतीश हुई होगी, तथ्य सामने आये होंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने दिनों में अब तक जो इनक्वायरी हुई है उससे क्या तथ्य सामने आये है और उन तथ्यों के तहत मेरी इस सूचना को सही मानते हुये कि जिसका बेटा था उसने नामजद रिपोर्ट भी की है कि कौन-कौन सी परिस्थितियां थी, कौन वार्डर थे, कौन वहां के डिप्टी जेलर थे, कैसे उसका गला घोटा गया, सबकी जानकारी उसने दी है तो इस सबको दृष्टि में रखते हुये क्या तथ्य सरकार के सामने आये हैं ? और इसके सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

ऐसा है कि 26 तारीख को उसका बच्चा खोया था और 7 तारीख को यह शव मिला । जैसा कि मैंने बयान में कहा है कि आया कि यह कत्ल अन्दर हुआ है या बाहर हुआ है और यह लाश बन्द जिन्दा गई या मुर्दा गई । जिन लोगों की ड्यूटी थी, चाहे वह जिन्दा थी या मुर्दा थी, रिकार्ड में उसको आना चाहिए था, तो जिन्होंने डेरिलिक्शन आफ ड्यूटी किया है उनको निलम्बित किया गया है और एस0 पी0 से मैंने भी स्वयं बात की थी कि कौन से स्थल पर कत्ल हुआ था, कैसे हुआ था । यह सब वे खोज कर रहे हैं उनके हाथ में यह मामला है लेकिन कोई निर्णायक स्थिति से उन्होंने मुझे अभी तक अवगत नहीं कराया है ।

श्री मोहन सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि यह घटना 26 तारीख को हो गई और 27 तारीख को रिपोर्ट हो गई लेकिन क्या इसके पहले भी इस बात के होने की आशंका नहीं है ? कोई एफ0 आई0 आर0 वगैरह थाने में पहले लिखाई गई हो और उस पर कार्यवाही न हुई हो ?

श्री राम सिंह खन्ना--

उससे पहले ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई ।

श्री मन्जूर अहमद--

मैं जानना चाहूंगा कि आज तक इतनी बड़ी घटना जेल के अन्दर लाश ले जाने की नहीं हुई, तो क्या आई0 जी0 (जेल्स) मौके पर गये थे । क्या यह भी सही है कि वार्डर की पत्नी ने डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने 26 फरवरी को संशोधन किया हो, इसके बारे में कोई सूचना है ।

श्री राम सिंह खन्ना--

वहां एडीशिनल आई0 जी0 भेजे गये थे दूसरे दिन दूसरे वार्डर की पत्नी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, जिसमें कोई संस्तुति की गई हो ।

श्री बिमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, जैसा कि बताया गया है यह एक गम्भीर और विचित्र घटना है। 27 फरवरी को रिपोर्ट लिखा दी गई कि वार्डर का लड़का गुम हो गया है। उनकी पत्नी ने यह भी बताया कि किन-किन लोगों पर उनका शक है। 27 फरवरी से 7 मार्च तक पुलिस ने कोई कार्यवाही उस बच्चे की तलाश करने की की ? वरना यह लाश बाहर से अन्दर न जा पाती ? दूसरे, क्या यह भी सही है कि पुलिस ने उल्टे कैलाश नारायण को धमकाया कि तुमने झूठी रिपोर्ट लिखाई और तुमने उसको रिश्तेदारी में भेज दिया ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इन सब बातों की जांच की जायेगी और दोषी व्यक्ति को सजा दी जायेगी। अभी तो इस बात की जांच हो रही है कि कौन इसके जिम्मेदार हैं यह कैसे हो गया ? उसके बाद सारा मसला सामने आयेगा और जांच होगी।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह स्टेटमेंट 16 मार्च का है। इसमें बहुत सी चीजें नहीं आई हैं। क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि 14 तारीख से फतेहगढ़ के डिप्टी जेलर अपने परिवार को लेकर फरार हैं ? क्या यह भी सही है कि वहां के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनको कोई प्रभावशाली कदम न उठाने के सिलसिले में उनको सस्पेंड किया गया है ? अगर यह बात सही है तो इस बात को आज के इस बयान में न आने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

वह जेलर निलंबित है, फरार है, उसके ऊपर कार्यवाही होगी लेकिन जहां तक पुलिस अफसर के निलंबन का प्रश्न है हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि इसलिए उसका निलंबन किया गया कि उसने देखभाल ठीक तरह से नहीं की है इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। इस बयान को गृह मंत्री को देना चाहिये था। जो वक्तव्य दिया गया है वह वन साइडेड है। मेरे पास 'जागरण' तथा 'आज' के अखबार की कटिंग है। उनमें एस0 पी0 की प्रेस कान्फ्रेंस निकली है और काफी डिटेल्ड रिपोर्ट उनमें है। इसको देखकर हमको लज्जा आती है कि सदन में बैठकर हमको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है जबकि एस0 पी0 पत्रकार सम्मेलन में पूरी जानकारी दे रहा है कि किस तरह से जेल अधिकारी थाने में ले जाया गया और उनसे इंट्रोगेशन हुआ। उन पर शक हुआ तो दरोगा ने उनको वहां से भगा दिया और फिर वह पुलिस अधिकारी निलम्बित हुआ है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। उनकी इस लाचारी पर हमको दया आती है। हमने लोक महत्व का इतना गम्भीर प्रश्न उठाया है। बी0 बी0 सी0 रेडियो विदेश से हल्ला मचाकर उत्तर प्रदेश की जेल व्यवस्था पर तमाचा लगाता है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आज इसे स्थगित करा दिया जाय और कल जेल मंत्री तथा गृह मंत्री दोनों मिलकर बयान दें क्योंकि मैं यह व्यवस्था चाहता हूं क्या हमको पूरी जानकारी प्राप्त करने का हक नहीं है जो कि एस0पी0 के द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य को पूरी जानकारी प्राप्त करने का हक है । यह जानकारी पूरी है या नहीं है यह केवल मंत्री जी बतला सकते हैं । माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी यहां सदन में दी है इसके अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य जानकारी हो तो सदन को दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

अभी किसी सदस्य ने पूछा कि इंस्पेक्टर सस्पेंडेड है तो उन्होंने कहा कि उनको सूचना नहीं है ।

श्री राम सिंह खन्ना---

मेरे पास सूचना नहीं है कि इसलिए वह निलम्बित किया गया और इस केस से सम्बन्धित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, यह जानकारी मंत्री महोदय को होना चाहिये ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रियासत हुसैन---

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । 16 तारीख तक का यह स्टेटमेन्ट है । माननीय मंत्री जी द्वारा सप्लीमेंटरी में यह कहा गया कि डिप्टी जेलर को निलम्बित किया जा चुका है उसका भी इसमें जिक्र नहीं किया गया जब कि यह 16 तारीख का स्टेटमेन्ट है । दूसरे जब पुलिस इसमें आ गई तो ज्वायंट रिसपांसिबिलिटी की हैसियत से हमको कोई एतराज न होता अगर माननीय गृह मंत्री जवाब देते। लेकिन यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दो विभागों से सम्बन्धित है जिसके कारण उसका पूरा स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है । तो क्या यह ठीक है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय रियासत हुसैन जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है तो गृह विभाग से इसका सम्बन्ध होने के कारण गृह मंत्री द्वारा पूरी जानकारी प्राप्त करके इस सदन को दी जानी चाहिए थी और इस संदर्भ में बोलते हुए माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने किसी अखबार में छपे हुए कुछ समाचार का जिक्र किया ।

(व्यवधान)

अखबार में जो छपा है उसका मैं जिक्र कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह---

मंत्री जी ने कहा कि एस0 पी0 से बात हुई ।

श्री अध्यक्ष --

और उस जानकारी को आपने अखबार में देखा, बताया । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हां बात हुई । जहां तक किसी विभाग के प्रश्नों के उत्तर का संबंध है उसमें संयुक्त उत्तरदायित्व रहता है किसी विभाग का प्रश्न हो, जिनका भी सम्बन्ध हो उसका उत्तर दिया जा सकता है क्योंकि संयुक्त उत्तरदायित्व है । आज जो आपने वक्तव्य दिया उसमें उन तथ्यों का जिक्र नहीं है जो कि अभी अखबार के आधार पर उन्होंने बताया है । तो जहां तक अखबार का प्रश्न है मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एस0 पी0 से क्या बात हुई, किस सम्बन्ध में बात हुई क्या इसी सम्बन्ध में हुई या किसी अन्य सम्बन्ध में हुई । अगर इस पर प्रकाश डाल देंगे तो मैं अपनी व्यवस्था उचित रूप से दे सकता हूं ।

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, मैं स्वयं घटनास्थल पर गया और उस जगह का निरीक्षण किया सब आफिसरों को मैंने बुलाया । मैं इसकी नजाकत को उसी तरह समझता हूं जिस तरह आप सोच रहे हैं । यह कितनी अहम बात हो गई कि जेल के अन्दर लाश मिल जाय यह बहुत बड़ी बात है । तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं मैं स्वयं होकर आया हूं । 4 तारीख को एस0 पी0 ने चार्ज लिया था उन्होंने कहा कि मैं स्वयं इसकी तहकीकात करूंगा जैसे वहां गड्ढा खुदा मिला और यह लाश उसके सामने पड़ी हुई है । तो जो भी गड्ढा खुदवाया हो और इसे लाया हो इसकी तहकीकात कर रहे हैं । जब प्रेस वालों ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि इसके बारे में मुझे बयान देना है और वहां सारे तथ्यों को सामने रखूंगा । जहां तक एस0 पी0 और सुपरिनटेन्डेंट, जेल का तालुक है वहां के डी0 एम0 भी बैठे हुए थे जो इसको गंभीरता से पूरी तरह सहमत हैं, इसकी पूरी छानबीन कर रहे हैं । अब इसमें तरह-तरह की बातें पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं । एस0 पी0 ने मुझे बताया ।

(व्यवधान)

जिस दरोगा के सुपुर्द इनक्वायरी सुपुर्द हुई है अगर उसने जरा भी लापरवाही बरती तो मैं उसको भी सजा दूंगा । जिन-जिन लोगों पर शक है, पूरी छानबीन होगी इस राय को जाहिर न करें क्योंकि कोई भी लाभ उठा सकता है । जो आदमी निलम्बित है यदि वह जिम्मेदार होंगे तो उसकी भी पूरी तहकीकात होगी इसलिए मेरे ऊपर पूरी बात छोड़ दें । उन्होंने कहा मैं स्वयं आकर हालात बताऊंगा । मैं एडीशनल आई0 जी0 को छोड़ आया । उन्होंने बताया कि तफतीश चल रही है और करीब-करीब इस हद तक पहुंच गए हैं कि हालात सही मालूम हो जायेंगे । इसलिए थोड़ा सा दखल न दें पुलिसवालों से कोई बात पूछेंगे तो यह होगा कि मिनिस्टर दबाव डाल रहे हैं इस तरह कोई नया रंग खड़ा न करें और थोड़ा सा प्रिकोशन बरतें ।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल—

एस0 पी0 से कब बात हुई क्या 4 तारीख को बात हुई ?

(व्यवधान)

श्री राम सिंह खन्ना--

10 तारीख को तो मैं स्वयं गया था ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

श्रीमन्, इतना बड़ा कांड होने के बाद उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए । ठीक से जवाब नहीं आ रहा है ।

श्री राम सिंह खन्ना--

मेरे त्यागपत्र से हल नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांति रखें । अब माननीय सदस्य कृपया शान्त हो जाएं । यह निश्चित ही एक गम्भीर विषय था और जहां तक मंत्री जी ने उसका वक्तव्य आपके सामने पढ़ा और जहां तक उत्तर उन्होंने दिया है उससे स्पष्ट इतना है ही और सदन भी उससे सन्तुष्ट होगा कि उन्होंने जानकारी करने का हर सम्भव प्रयास कर लिया है । सिर्फ केवल एक बात सामने आती है, माननीय मंत्री जी के अलावा अगर अन्य कोई वक्तव्य आया, एस० पी० ने अगर कोई वक्तव्य दिया, तो सदन में जब बयान देना था, तो सदन में बयान होने से पूर्व किसी ऐसे वक्तव्य को देने का औचित्य नहीं था । यह मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस सम्बन्ध में वह ध्यान दें कि अगर कहीं कोई बयान उन्हें तत्काल देना है और उसके पहले उसके अधिकारी वक्तव्य दे दें, तो उसका औचित्य नहीं है, बल्कि यह अनुचित है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र की घटना है, यह बड़ी विचित्र घटना है । आपने अपनी व्यवस्था दी, लेकिन सारे तथ्य खुल चुके हैं, सारा केस वर्क-आउट हो चुका है, लेकिन मंत्री जी ने पूरा और स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, इसलिए आप आज इसे स्थगित कर दें और पूरी सूचना प्राप्त कर, पूरी तरह से तैयार होकर मंत्री जी यहां आएं, ताकि यह सदन उससे सन्तुष्ट हो सके और आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह है कि मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह जेल के बारे में दिया है । मैं किसान का बेटा हूं, अगर मेरे खेत में कोई लाश पाई जाए तो क्या आप वक्तव्य मुझसे ही दिलवायेंगे ? मैं चाहता हूं कि इस पर जब अगला वक्तव्य आए तो उसे गृहमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि यह गम्भीर कत्ल हो गया और यह 302 का केस है । घटनास्थल जेल है, इसलिए उसपर वह उनसे पूछतांछ अवश्य करें, लेकिन वह वक्तव्य भले ही यही मंत्री दें, लेकिन उसे गृह विभाग की तरफ से आना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

जेल कारागार जो है वह मंत्री जी का न घर है न खेत है। उस विभाग के मंत्री हैं वह केवल....।

(व्यवधान)

(श्री भीखालाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मैंने जो व्यवस्था चाही थी, उस पर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष --

मेरी व्यवस्था पर और क्या व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है ?

श्री भीखालाल--

मंत्री जी ने कहा कि मैंने 4 तारीख को एस0 पी0 से बात की, लाश 7 को मिली है। जब इस पर मैंने टोका तो उन्होंने कहा कि 9 को बात की है और आज 17 तारीख है, तो 9 से 17 तारीख के बीच विवेचना में कौन-कौन से तथ्य सामने आए हैं, यह जानकारी यदि मंत्री जी को हो, तो वह बता दें न हो, तो मेरा भी अनुरोध है कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें और पूरी जानकारी करके वह यहां आवें।

श्री रामसिंह खन्ना--

9 को तो कुछ पता ही नहीं चला था, यह भी नहीं कि अन्दर बच्चा मुर्दा आया या जिन्दा आया था। अब तहकीकात हो रही है और यह बात अखबार द्वारा सामने आई है कि बाहर कत्ल किया गया और मौके से साइकिल में बांधकर उसको वहां ले आया गया....

(व्यवधान)

किन्तु उसकी कोई पुष्टि अधिकृत रूप से मेरे पास नहीं है।

श्री पंचानन--

अब तो स्पष्ट है कि वक्तव्य पूरा नहीं है और सदन में लोपापोती हो रही है....

(व्यवधान)

(श्री मसरूर जाफरी ने वक्तव्य की प्रतियां फाड़ दी)

(व्यवधान)

मान्यवर, सदन को कब तक गमराह करने को इन्हें इजाजत दी जायेगी ?

(कारागार मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरा निवेदन तो सुन लें....।

श्री अध्यक्ष—

मैंने मंत्री जी को बुला लिया है । आप कृपया बैठें ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, अभी 3 बजे मैंने टेलीफोन मिलवाया था । सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल को बुलवाया था । उनका कहना था कि अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है । तो जब ऐसा पता चल रहा हो तो अगर मैं कोई बात कह दूं तो उचित नहीं होगा ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि इसको इस समय स्थगित कर दिया जाय ?

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, पहले दिन जब यह सूचना माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी को आई तो उस दिन आपने इसको स्वीकार कर लिया था । जब माननीय मंत्री जी फतेहगढ़ गए तो उस वक्त कुछ मालूमात आई तो 14 तारीख को कुछ लोगों ने नियम 51 के अन्तर्गत कुछ अतिरिक्त सूचनायें दीं कि डिप्टी जेलर फरार हो गया है जिसमें पुलिस का हाथ रहा है और दूसरे अधिकारी भी इसमें इन्वाल्व हैं । तो ये सूचनायें हमने अपनी ओर से दी और बाद में भी कुछ सूचनायें नियम 51 में आईं । उनको भी विभाग में भिजवा दिया गया लेकिन जो वक्तव्य आया है उसमें 14 तारीख को जो सूचनाएं आयीं थी उसके बारे में कोई रोशनी माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में नहीं डाली है । यदि यह वक्तव्य अपने आप में सम्पूर्ण नहीं है और नियम 51 में जो हम सूचनायें सदन में देते हैं अगर उनके बारे में सदन के संज्ञान में सही स्थिति नहीं लाई जाती है तो हमारे अधिकारों का हनन होता है । तो सारी बातें सदन के संज्ञान में आ जायें, मेरी प्रार्थना है कि इसको आज स्थगित कर दें ।

श्री राम सिंह खन्ना—

जब एक केस में तहकीकात चल रही है । मामला पुलिस के हाथ में है तो पूरी जिम्मेदारी से कैसे कह सकता हूं कि इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं ।

(व्यवधान)

जब तक कोई अधिकृत सूचना मुझे प्राप्त न हो जावे ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि.....।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, यहां पर तरह-तरह की बातें चल रही हैं। किस तरह से हुआ, कहां कत्ल हुआ, कैसे अन्दर पहुंच गया। जब तक कोई अथारिटेटिव बात नहीं सामने आती है तब तक क्या कहा जा सकता है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एस० पी० का बयान समाचार-पत्रों में छापा हो जाता है। मंत्री जी उसको भी नहीं बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

किसी और तारीख में दी गई सूचनाओं के बारे में माननीय मोहन सिंह जी ने कहा, जो कुछ भी सूचनायें आपके पास से आती हैं, यहां से आदेश हों या नहीं, तब भी, सम्बन्धित मंत्री जी को भेज दी जाती हैं और वे भेज दी गई थीं। एक तो वक्तव्य यहां पर पढ़ा गया और दूसरी बात जो सामने आयी वह विस्तृत रूप से कोई वक्तव्य अखबार में आ गया है। और उसी वक्तव्य के कारण यह सारे प्रश्न उठ रहे हैं, अन्यथा यह बात न होती। आप इससे सहमत होंगे कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा उससे यह स्पष्ट है कि वे स्वतः इस मामले में चिंतित हैं और देख रहे हैं। जानकारी प्राप्त करने की उन्होंने कोशिश भी की है। जैसा कि मैंने कहा यह अनुचित है कि जब यहां वक्तव्य होने वाला हो तो उसके पहले कोई और अधिकारी वक्तव्य दे। जहां तक इस प्रश्न को स्थगित करने की बात है उससे यह चीज हल नहीं होगी क्योंकि मंत्री जी ने कहा है कि अभी जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वे भी कुछ नहीं बता पायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसे स्थगित कराके फिर वक्तव्य दिलाने की बात तो पैदा नहीं होती है, इसके पश्चात् जब उनके पास जानकारी आ जाती है, तब आप इस प्रश्न को बाद में जिस रूप में भी उठाना चाहेंगे, आपको उसके द्वारा पूरी जानकारी दिलवा दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

सरकार तथ्यों को छिपा रही है अतः हम वाक आउट करते हैं।

(व्यवधान के बीच श्री मोहन सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए।) (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री भीखालाल अपने-अपने दल सहित सदन से उठकर चले गए।)

श्री रियासत हुसैन—

मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो वक्तव्य प्रेस में दिया गया है, माननीय मंत्री जी उसको या तो यह कहें कि वह ठीक दिया गया है, या यह कहें कि उसमें कही गई बातें गलत हैं। मंत्री जी को कुछ तो उस पर कहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि यह वक्तव्य जो अखबार में आया है, इसके बारे में माननीय मंत्री जी कृपया जांच करवा लें कि यह वक्तव्य दिया गया है या नहीं, अगर दिया गया है तो मैंने कहा कि वह अनुचित है। अब वे जो उचित कार्यवाही उसके लिए आवश्यक समझें, करें।

अब हम उठते हैं और 23 मार्च, 1981 को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 57 मिनट पर सोमवार, 23 मार्च, 1981 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
17 मार्च, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा प्रदेश

विधान सभा
सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 456 पर)

मुकदमा अपराध सं0 104 धारा 457 भा0 द0 वि0 थाना त्रिलोकपुर जिला बस्ती से सम्बन्धित अपराधी रामजी बारी की पुलिस कस्टडी में मृत्यु में मैजिस्ट्रीरियल जांच के निष्कर्ष :—

1—श्री रामजी बारी अभियुक्त को रामजी बनिया के घर चोरी करने के लिए अपने साथियों के साथ घुसने पर रामजी तथा अन्य ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया। इस धर पकड़ की घटना में मुल्जिम श्री रामजी बारी को दरवाजे की चौखट से टकरा जाने के कारण और गांव वालों की पिटाइ के कारण काफी चोटें आईं।

2—पुलिस द्वारा श्री रामजी बारी अभियुक्त की थाने पर पिटाई और इसी पिटाई के फलस्वरूप उसकी मृत्यु की शिकायत केवल आंशिक रूप से सही हैं।

3—पुलिस से रंजिश रखने के कारण उसके खिलाफ शिकायत अति रंजित एवं बढ़ा चढ़ाकर की गई है। शिकायत कर्ता तथा गवाहान जगदम्बिका सिंह तथा शकील अहमद इत्यादि के पुलिस से रंजिश रखने और निष्पक्ष गवाह न होना, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से सिद्ध है। श्री रामजी बारी एक बदनाम और शातिर चोर था, जिससे क्षेत्र की जनता त्रस्त थी। अतः जैसा ऐसे अवसरों पर होता है, उसके पकड़े जाने पर ग्राम वासियों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की जिससे उसके गम्भीर चोटें आईं। चोर अथवा जेब कतरों के मौके पर पकड़े जाने पर तमाशाबीनों द्वारा उनकी बुरी तरह पिटाई की बात सर्वविदित है। अखबारों में इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख अक्सर दिखाई पड़ता है। दो-एक अवसरों पर मैंने स्वयं यह अनुभव किया है कि जेब-कतरे अथवा चोर के रंगे हाथों पकड़े जाने पर तमाशाबीनों की मारपीट से उसकी जान बचाना एक कठिन काम हो गया। इसलिए बद्री चौकीदार की यह बात सही प्रतीत होती है कि गांव वाले श्री रामजी बारी मुल्जिम को बुरी तरह पिटाई कर रहे थे और उसने पहुंचकर उन्हें रोका।

4—अभियुक्त श्री रामजी बारी को चौकीदार बद्री व श्री राम बनिया ने 8-11-78 को प्रात काल साढ़े सात बजे थाना त्रिलोकपुर पहुंचा दिया था किन्तु थाने से उसे बहुत बिलम्ब से बस्ती के लिए रवाना किया गया। इस बीच पूछताछ के दौरान उसकी थोड़ी पिटाई थाने पर किया जाना सम्भव है।

5—जैसा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट है श्री रामजी बारी के गम्भीर रूप से घायल होने और पसलियां टूटी होने के बावजूद उसे पुलिस थाना त्रिलोकपुर द्वारा आवश्यक मेडिकल एड समय से नहीं दिलाई गई। इसके विपरीत उसे पैदल बस्ती के लिए रवाना किया गया और रास्ते में पड़ने वाले इटवा अस्पताल से उसे डाक्टरी सहायता दिलाने का प्रबन्ध नहीं किया गया। फलस्वरूप उसकी बस्ती पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई।

6—थानाध्यक्ष श्री अमरदेव सिंह यादव 8-11-78 को रात्रि नौ बजे से पहले थाने पर नहीं पहुंचे तथा दूसरे सरकारी काम से बाहर रहे लेकिन ए0 एस0 आई0 श्री सुधाकर तिवारी तथा हेड मोहरिर इत्यादि ने अत्यधिक गम्भीर रूप से घायल मुल्जिम श्री रामजी बारी को थाने से बस्ती सदर भेजने के लिए सवारी की उचित व्यवस्था तथा उसे शीघ्रातिशीघ्र डाक्टरी सहायता दिलाने की ओर यथेष्ठ ध्यान नहीं दिया। अन्यथा संभवतः मुल्जिम की मृत्यु रास्ते में नहीं होती।

इस प्रकार इस मामले में किसी कर्मचारी अथवा व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी जुर्म सिद्ध होना नहीं पाया गया है, किन्तु थाना त्रिलोकपुर के कर्मचारियों द्वारा इस मामले में दिखलाई गयी थोड़ी लापरवाही के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही वांछित है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 475 पर)

सूची

मुरादाबाद जनपद

निरुद्ध व्यक्ति का नाम	पैरोल पर छोड़ने का दिनांक	पेरोल का कारण
1--श्री अशफाक हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद इशाक	30 दिसम्बर, 1980	पुत्री का विवाह, जो श्री हुसैन की निरुद्धि के कारण स्थगित हो गया था तथा अन्य पारिवारिक कारणों के आधार पर ।
2--श्री अजीउद्दीन पुत्र श्री जमालउद्दीन	30 दिसम्बर, 1980	पत्नी की गम्भीर बीमारी के कारण ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्यः 90 का उत्तर पीछे पृष्ठ 504 पर) ।

आनन्द स्वरूप गुलाटी,

कार्यालय :

उप अरण्यपाल, वाराणसी,

वाराणसी वन प्रभाग ।

अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-4849/29--1--बी, रामनगर, दिनांक 2 अप्रैल, 1976

श्री माथुर,

आपके अर्द्धशासकीय पत्रांक के--8807/26-25, दिनांक 26-3-76 के संदर्भ में मुझे यह सूचित करना है कि ग्राम डूही-सूही के भूमिहीन हरिजनों को सपही जंगल में टांगिया सिस्टम पर जमीन देने की बात कही गई है अतः सपही में अतिक्रमण नियमन की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है । सपही में अतिक्रमण-कारियों से उनके पास तहसील की कितनी भूमि है, का ब्योरा 12-4-76 को मांगा गया है । तहसीलदार चकिया से भी इसके बारे में आवश्यक प्रमाण-पत्र मांगे गये हैं । ब्योरा प्राप्त हो जाने के पश्चात् अतिक्रमण नियन्त्रित किया जायेगा । इसके पश्चात् जो अतिक्रमण नियमन के योग्य नहीं होंगे उन्हें बेदखल किया जायेगा तथा डूही-सूही के हरिजनों को इस भूमि पर एक एकड़ के हिसाब से टांगिया सिस्टम पर जमीन खेती एवं वन लगाने के लिए दी जायेगी । आशा है कि यह कार्य इस वर्ष तक अवश्य हो जावेगा तथा भूमिहीन हरिजनों को इस वर्ष में खेती के लिए भूमि उपलब्ध हो जावेगी ।

सादर ।

भवदीय,

आनन्द स्वरूप गुलाटी ।

सेवा में,

श्री रवीन्द्र बिहारी माथुर,

अरण्यपाल, द0 व0, इलाहाबाद ।

संख्या--4849-आ तद, दिनांक

प्रिय श्री ऊदल जी,

उपरोक्त पत्र की एक प्रति आपके सूचनार्थ प्रेषित है । आपसे अनुरोध है कि ग्राम डूही-सूही के जिन हरिजनों को भूमिहीन होने का प्रमाण-पत्र मिल गया है उन्हे भिजवाने की कृपा करें जिससे समुचित कार्यवाही की जा सके ।

शुभ कामनाओं सहित ।

भवदीय,

आनन्द स्वरूप गुलाटी ।

सेवा में,

श्री ऊदल जी,

विधायक,

कार्यालय, कम्युनिस्ट पार्टी, गोदौलिया, वाराणसी ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 506 पर) ।

शिक्षा सत्र 1979–80 में जिन 35 विद्यालयों को इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 9 (4) के अन्तर्गत हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट की मान्यता दी गयी थी उनकी सूची :

क्रमांक	विद्यालय का नाम	वर्ग/विषय
1	2	3
1	वैदिक विद्यालय हा0 से0 स्कूल, नगला विरखू, अलीगढ़	साहि0 वर्ग नवीन हाई0 ।
2	लगसमा बालिका हा0 से0 स्कूल, गोंडा, अलीगढ़	साहि0 वर्ग नवीन हाई0 ।
3	भारतीय इं0 का0, कुरावली, मैनपुरी	साहि0 इंटर नाग0 कला, अति0 विषय ।
4	श्री लाल बहादुर शास्त्री उ0 मा0 वि0, जैथरा, एटा	साहि0 वर्ग नवीन इंटर ।
5	जनता जू0 हा0 नगला, विरखू, अलीगढ़	साहि0 वर्ग नवीन हाई0 ।
6	एल0 डी0 ए0 बी0 इं0 का0, अनूपशहर, बुलन्दशहर	वाणि0, अति0 हाई0 वर्ग ।
7	श्याम सिंह उ0 मा0 वि0, बिलसुरी, बुलन्दशहर	साहि0 वर्ग नवीन इंटर ।
8	उ0 मा0 वि0 कुटियाखाल, गवाढ़ी, पौड़ी–गढ़वाल	साहि0 इंटर नवीन हिन्दी, अंग्रजी, अर्थ0, नाग0, इति0, तथा समाज0 ।
9	उ0 मा0 वि0, अदालीखाल, पौड़ी गढ़वाल	साहि0 इंटर नवीन हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थ0, नाग0, इति0, तथा समाजशास्त्र ।
10	रामगंगा परियोजना उ0 मा0 वि0, कालागढ़, पौड़ी गढ़वाल	साहि0 इंटर एवं बैज्ञा0 इंटर नवीन हिन्दी, अंग्रेजी, इति0, नाग0, अर्थ0, शिक्षा0 एवं भौ0 वि0, रसा0 वि0, गणित तथा साहि0 वर्ग के ग्राह्य विषय ।
11	सेठ रामशरण दास पूर्व मा0 वि0, तिलकनगर, तिलवाड़ा, टिहरी गढ़वाल	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, अर्थ0, नाग0 तथा भूगोल ।
12	राजकीय आश्रम पद्धति उ0 मा0 वि0, अम्बाड़ी–टी स्टेट, देहरादून	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0, इति0, नाग0 ।

1	2	3
13	जनता पूर्व मा0 वि0 चमू, पिथौरागढ़	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, इति0, नाग0, तथा अर्थ0 ।
14	समर सिंह इं0 का0, रामपुर, जालौन	इंटर कृषि अति0 वर्ग ।
15	हायर सेकेन्डरी स्कूल, इटारी, सीतापुर	साहि0 वर्ग हिन्दी, अंग्रेजी, इति0, नाग0, समाज तथा अर्थशास्त्र/इन्टर नवीन ।
16	ज्ञान भारतीय उ0 मा0 वि0, गजरौला, मुरादाबाद	इंटर वाणि0 नवीन ।
17	जवाहर लाल मेमोरियल नोटीफाइड एरिया हा0 से0 स्कूल, सिरसी, मुरादाबाद	साहि0 इंटर नवीन ।
18	सरदार सिंह इंटर कालेज, नरौली, मुरादाबाद	इंटर कृषि अति0 वर्ग ।
19	महर्षि निशंक जू0 हाई0 नवादा, तेरजाकट, फर्रुखाबाद	साहि0 वर्ग हाई0 नवीन ।
20	श्री जवाहर लाल उ0 मा0 वि0, चकरनगर, इटावा	साहि0 वर्ग इंटर नवीन ।
21	उ0 मा0 वि0, रामनगर, निलोई, इटावा	साहि0 वर्ग इंटर नवीन ।
22	पं0 दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म उ0 मा0 वि0, नवाबगंज, कानपुर	वैज्ञा0 वर्ग इंटर ।
23	विद्यावती यादव महर्षि कृष्ण इं0 का0, हंडिया, इलाहाबाद	साहि0 वर्ग इति0, भूगोल, इंटर अति0 ।
24	नगरपालिका कन्या उ0 मा0 वि0, नवाबगंज, गोंडा	साहि0 वर्ग नवीन इंटर।
25	शान्ति आश्रम उ0 मा0 वि0, सया, फैजाबाद	साहि0 वर्ग नवीन इंटर।
26	दी यू0 पी0 एस0 सी0 सी0 इं0 का0, डाला, मिर्जापुर	इंटर साहि0 एवं वैज्ञा0 वर्ग जीव विज्ञान सहित ।
27	भारतीय उ0 मा0 वि0, परसीपुर, वाराणसी	इंटर साहि0 वर्ग नवीन ।
28	दी उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कार्पो0 लि0, जू0 हाई0, गुरमा, मिर्जापुर	हाई0 साहि0 एवं वैज्ञा0 वर्ग।
29	श्री कालिका उ0 मा0 वि0, कालिकाधाम, कोइरौना, वाराणसी	साहि0 वर्ग इंटर नवीन ।
30	श्री रामेश्वर महादेव उ0 मा0 वि0, कृष्णानगर, क्राइस्टनगर, वाराणसी	साहि0 वर्ग इंटर नवीन ।

1	2	3
31	वीर लोरिक उ0 मा0 वि0, धुरेश्वरीधाम, गोसाईपुर, मोहाब, वाराणसी	साहि0 वर्ग-ड0 नवीन
32	स्योवाई कमला देवी टिवड़ेवाल कन्या इं0 का0, पडरौना, देवरिया	हाई साहि0 (अर्थ) अति0 विषय तथा इंटर साहि0 (संस्कृत, अर्थ0) अति0 विषय।
33	महाराजा अग्रसेन बालिका इं0 का0, देवरिया	इंटर साहि0 (अंग्रेजी, इति0,) अति0 विषय।
34	शिवपति इं0 का0, सोहरतगढ़, बस्ती	इंटर साहि0 उर्दू, अति0 विषय।
35	श्री शंकर जी इं0 का0, [illegible]नगर, आजमगढ़	इंटर साहि0 (उर्दू), अति0 विषय।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 103 का उत्तर पीछे पृष्ठ 509 पर)

बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कालेज, नौगढ़, बस्ती के प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची—

1—श्री मुद्रिका प्रसाद	अध्यक्ष।
2—श्री मुरलीधर प्रसाद चतुर्वेदी	उपाध्यक्ष।
3—श्री रामशंकर मिश्र	सचिव/प्रबन्धक।
4—श्री रामबरन शर्मा (वकील)	सदस्य।
5—श्री सूर्य नारायण चौबे	सदस्य।
6—श्री हरीराम चौधरी	सदस्य।
7—श्रीमती पुष्पा मिश्रा	सदस्य।
8—श्री रामबचन चतुर्वेदी	सदस्य।
9—श्री सीताराम मिश्रा	सदस्य।
10—श्री एस0 एम0 बाकर	सदस्य।
11—श्री जगदीश चौबे	सदस्य।

नोट—प्राचार्य एवं दो प्राध्यापक विश्वविद्यालय के नियमानुसार पदेन सदस्य होंगे।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 509 पर)

जनपद मुरादाबाद में अगस्त, 1980 के दंगे में पीड़ित व्यक्तियों को दिनांक 30-1-81 तक दी गई सहायता का विवरण—

क्र0 सं0	पीड़ित व्यक्तियों की संख्या	सहायता की किस्म	धनराशि
1	2	3	4
1	163 (इसके अतिरिक्त 112 लापता व्यक्तियों के आश्रितों द्वारा उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में दिये गये हलफनामा तथा बन्धक-पत्र के आधार पर उनको मृत मानकर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी गई)	आर्थिक सहायता	14,05,000.00
2	323 घायल व्यक्तियों को	आर्थिक सहायता	1,77,475.00
3	1443 व्यक्तियों को	क्षतिपूर्ति	7,82,375.00
4	308 व्यक्तियों को	अहैतुक सहायता	53,455.00

इसके अतिरिक्त पुर्नवास योजना के अन्तर्गत 670 कम्बल एवं शाल, 43 रजाइयां एवं स्वेटर, 29 खोखे, 11 ठेले, 35 रिक्शे, मृतकों की विधवाओं को 38 सिलाई की मशीनें वितरित की गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 158 का उत्तर पीछे पृष्ठ 524 पर)

श्री गुरु नरहरि स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूरे तिवारी, गोन्डा के प्रबन्धक, श्री दिवाकर दत्त तिवारी थे जो पूर्व से ही चले आ रहे थे। सन् 1974-75 में संस्था में दो समानान्तर प्रबन्ध समितियों का गठन हुआ, एक के प्रबन्धक, श्री दिवाकर दत्त तिवारी तथा दूसरे के प्रबन्धक, श्री राम लाल तिवारी चुने गये।

वित्तीय अनियमितताओं तथा द्वितीय प्रबन्ध समितियों के कारण तथाकथित दोनों प्रबन्धकों द्वारा विद्यालय के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परेशान करने तथा वेतनादि के भुगतान न होने की शिकायत पर उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) तथा मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद का एक पैनल नियुक्त किया गया जिनके स्थलीय जांच आख्या एवं संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा दिनांक 14-10-77 को अधिनियम की तत्समय प्रभावी धारा 16-डी (5) (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई।

प्राधिकृत नियन्त्रक के उक्त नियुक्ति के विरुद्ध एक पक्ष ने जिसके प्रबन्धक श्री दिवाकर दत्त तिवारी थे, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ में एक याचिका संख्या 2298/77 दायर किया जिसका निर्णय दिनांक 16-5-79 को हुआ। उच्च न्यायालय न अपने निर्णय में प्राधिकृत नियन्त्रक के उक्त शासनादेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अधिनियम की धारा 16-डी (5) (क) के अन्तर्गत लगाये गए आरोप प्राधिकृत नियन्त्रक के नियुक्ति हेतु प्रतिबन्धों को पूरा नहीं करते। विभाग व्याप्त अनियमितताओं के विरुद्ध न्यायसंगत कार्यवाही कर सकता है।

चूंकि उक्त याचिका, श्री दिवाकर दत्त तिवारी द्वारा दायर की गई थी अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा दिनांक 28-6-79 को प्रबन्ध समिति का कार्यभार श्री दिवाकर दत्त तिवारी को सौंप दिया गया।

दिनांक 30-6-79 को श्री दिवाकर दत्त तिवारी की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया था दिनांक 29-10-79 को प्रबन्ध समिति के चुनाव होने का एक प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक, गोन्डा के कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसके प्रबन्धक श्री गोपाल चन्द्र पाण्डेय चुने गये थे।

श्री दिवाकर दत्त तिवारी का कथन है कि उनकी प्रबन्ध समिति का चुनाव दिनांक 5-6-79 को हो गया और वह मान्य प्रबन्धक हैं। प्राधिकृत नियन्त्रक से इन्होंने ही दिनांक 29-6-79 को कार्यभार लिया था। जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा द्वारा दिनांक 5-6-79 को होने वाले चुनाव के आधार पर श्री दिवाकर दत्त तिवारी को प्रबन्धक के रूप में मान्यता देने की बात कही गई है।

विद्यालय में विद्यमान प्रबन्धकीय विवाद के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 16-(क) में नई उपधारा 16 (छ) के प्रस्तर 7 के आ जाने से अब प्रबन्धकीय विवाद पर सुनवायी करके निर्णय देने हेतु मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को अधिकृत किया गया है।

लखनी खण्ड

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 165 का उत्तर पीछे पृष्ठ 527 पर)

जनवरी, 1975 से अगस्त 1980 के मध्य राजपत्रित द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में प्रोन्नत अनुसूचित जाति के अधिकारी—

क्रमांक	नाम	प्रथम श्रेणी में प्रोन्नति की तिथि	विवरण
1	2	3	4
1	श्री तोला सिंह निम	..	कार्यभार ग्रहण नहीं किये
2	श्री राम प्रकाश सिंह	1-6-76	
3	श्री पंचम लाल	17-7-76	
4	श्री रघुवीर सिंह	28-8-76	
5	श्री कल्याण चन्द्र जाटव	27-8-76	
6	श्री सूबेदार सिंह	2-9-76	
7	श्री राम भरोसे	19-8-78	
8	श्री राम लखेश सुमन	25-7-78	प्रत्यावर्तित
9	श्री भगवान स्वरूप सिंह	20-11-78	
10	श्री कंचन लाल सत्यार्थी	7-12-78	त्यावर्तित
11	श्री परशुराम पंथ	11-9-79	प्रत्यावर्तित
12	श्रीमती कमला शिवपुरी	16-10-76	
13	कु0 कमला देवी	3-8-79	

नत्थी विवरण

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 166 का उत्तर पीछे पृष्ठ 527 पर)

जनपद के उन गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सूची जिनके अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है--

क्रमांक	नाम एवं विद्यालय	अनिवार्य जमा योजना का अवशेष धनराशि जिसका भुगतान अभी नहीं हुआ है
1	2	3
		रु0
1	विक्रम इन्टर कालेज मुहम्मदपुर, लाट घाट आ0	9994.80
2	परमहंस इन्टर कालेज, देवपुर, हनुमान नगर	3600.00
3	आदर्श इन्टर कालेज, अवतरी-गौरी	8579.00
4	इन्टर कालेज, सठियांव	12765.57
5	डी0 ए0 वी0 बालिका कालेज, मऊ	2615.40
6	मुस्लिम इन्टर कालेज, मऊ	14345.40
7	सोनी धा0 पा0 बलिका वि0, मऊ	14663.29
8	बनदेवी इन्टर कालेज, कहिनौर	9883.40
9	इन्टर कालेज, वरडह	2213.00
10	इन्टर कालेज, खरगपुर	10336.75
11	इन्टर कालेज, कूबा	35766.05
12	इन्टर कालेज, मेहनाजपुर	11565.90
13	इन्टर कालेज, तरवा	5287.20
14	उ0 मा0 वि0, टोडरपुर	2341.50
15	उ0 मा0 वि0, गौरा मेहनगर	4504.17
16	उ0 मा0 वि0, रैनी	6101.56
17	मुबारकपुर वि0, मुबारकपुर	6063.16
18	एस0 के0 पी0 वि0, आजमगढ़	3631.37
19	एस0 के0 पी0 वि0, नरियांव	4477.00
20	एस0 के0 पी0 वि0 बहादुरपुर	28671.00

विधान सभा सचिवालय

1	2	3
		रु0
21	एस0 के0 पी0 वि0, कोरंली	6150.00
22	एस0 के0 पी0 वि0, मासकपुर	11365.00
23	एस0 के0 पी0 वि0, पिपरीडीह	13474.31
24	एस0 के0 पी0 वि0, कौडिया	3126. 0
25	एस0 के0 पी0 वि0, अतरौलिया	11333.00
26	तपेश्वरी वि0, सरवहा	2007.29
27	तपेश्वरी वि0, करखिया	2200.00
28	उ0 मा0 वि0, जहानागंज	9000.00
29	उ0 मा0 वि0, भवरनाथ	6960.00
30	उ0 मा0 वि0, कल्याणपुर	9733.00
31	उ0 मा0 वि0, दरगाह	9160.00
32	उ0 मा0 वि0, गाजियापुर	10732.00
33	उ0 मा0 वि0, टेथना	4160.00
34	उ0 मा0 वि0, अवती गौरी	4321.00

पी0 एस0 यू0 पी0—43 वि0 सभा—24-8-82—835 (पी0डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मेरा पदेश्वर सभा